दश माला, खंड 37, अंक 3

गुरुवार, 4 दिसम्बर, 2003
13 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 56
Date 8/4/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 37, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 3, गुरुवार, 4 दिसम्बर, 2003/13 अग्रहायण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41, 43, 44, 46, 47 और 50	2–35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 42, 45, 48, 49 और 51 से 60	35–63
अतारांकित प्रश्न संख्या 372 से 601	63–398
सभा पटल पर रखे गए पत्र	399–401
याचिका समिति	
चौंतीसवां और पैंतीसवां प्रतिवेदन	401
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	401–402
कार्य मंत्रणा समिति	
छप्पनवां प्रतिवेदन	402
नियम 377 के अधीन मामले	402–410
(एक) मध्य प्रदेश में मांझी (मंझवार) जाति की विभिन्न उपजातियों को ध्यान में रखते हुए इसे अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए पुन: परिभाषित किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	402–403
(दो) संथाली और बोडो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सालखन मुर्मू	403
(तीन) महाराष्ट्र में मुम्बई के घाटकोपर में मध्य रेलवे द्वारा रेल उपरिपुल तथा अन्य पैदलपार पुलों (एफओबी) के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	403
(चार) गुजरात में नवसारी जिले के होन्ड गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर जल के सुगम निकास के लिए समुचित निकास-मार्गों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानसिंह पटेल	404

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(पांच)	उड़ीसा के गजपति जिले में जनजातीय बालिकाओं के कल्याण के लिए छात्रावास खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनादि साहू	404–405
(छह)	दक्षिण कन्नड़ टेलीकॉम जिले में ग्रामीण लैंड लाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए रियायती टैरिफ बहाल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनय कुमार सोराके	405
(सात)	कर्नाटक में हासन में वाहन चालकों के लिए एक आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा	405–406
(आठ)	केरल में अड्डूर में एक एलपीटी अनुरक्षण केन्द्र शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री कोडीकुनील सुरेश	406
(नौ)	खाड़ी देशों में नौकरियां तलाश करने वाले उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन के लिए केरल में एकल खिड़की सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. राजेन्द्रन	407
(दस)	वर्ष 2006 तक सर्वशिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. मन्दा जगन्नाथ	407–408
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश में मऊ जंक्शन से कैफियत एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री बालकृष्ण चौहान	408
(बारह)	कोयले से भिन्न मुख्य खनिजों पर रायल्टी के दरें बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	408–409
(तेरह)	चीन के प्राधिकारियों से बातचीत करके लद्दाख को माउंट कैलाश और मानसरोवर से जोड़ते हुए एक नया मार्ग शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	डा. नीतिश सेनगुप्ता	409
(चौदह)	देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए टेलीफोन के किरायों को युक्तियुक्त बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती निवेदिता माने	409–410
(पन्द्रह)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सनत कुमार मंडल	410
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
	स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में	412–428

लोक सभा

गुरुवार, 4 दिसम्बर, 2003/13 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रश्न काल के लिए निलंबन के लिए सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने सभा में विषय की स्वीकार्यता के बारे में कहा था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए। कल बिजनेस एडवायजरी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि आज प्रश्न-काल होगा और प्रश्न-काल के बाद आपका जो एडजार्नमेंट मोशन है, उस पर आपको जो कुछ कहना है, मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, असम वाले विषय का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: असम वाले विषय पर भी बिजनेस एडवायजरी की मीटिंग में कल जो निर्णय हुआ था, वह मैं प्रश्न-काल के बाद आपको बता दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली): अध्यक्ष महोदय, दमन के विषय में क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: दमन का विषय भी बहुत गंभीर है और इस विषय पर मैं चर्चा देने वाला हूं। अभी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यादव जी, आप प्रश्न-काल के बाद बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

[अनुवाद]

कृपया कोई राजनीति नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमने प्रश्नकाल के निलंबन के लिए सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: कल भी यह चर्चा उठी थी, आपने उस पर नियमन दे दिया। यह सिर्फ असम और बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मणिपुर और असम आदि में घटनाएं घट रही हैं। ...*(व्यवधान)* यह देश की अखण्डता का सवाल है ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर एक समय निर्धारित कर दिया जाए और चर्चा हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न-काल के बाद समय निर्धारित करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, इस पर आपका नियमन आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या-41, श्री सुनील खां।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रेल पटरियों का रखरखाव

***41. श्री सुनील खां:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल पटरियों के रखरखाव का ठेका किसी विदेशी कंपनी को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए ठेका दिया गया है; और

(ग) विदेशी कंपनियों को ठेका देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुनील खां: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि रेलवे से पहले ही तीन लाख गैंगमैन की छंटनी की जा चुकी है और आप उन स्थानीय ठेकेदारों को काम दे रहे हैं जिन्हें पटरी मरम्मत और प्रतिस्थापन की कोई जानकारी नहीं है। इसके कारण अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले पटरियों की मरम्मत में कुशल गैंगमैन की सहायता से रेलवे के कर्मचारी यह काम करते थे।

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार रेलवे को एकमुश्त आबंटन कर देगी ताकि पटरियों, पुलों, रोलिंग स्टाक तथा सिगनलिंग गियर की मरम्मत और प्रतिस्थापन में बकाया काम पांच वर्ष की अवधि के भीतर हो जाए। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई और परिसम्पत्तियों को बदलने के लिए परिसमापन बकाया राशि के भुगतान के लिए 17,000 करोड़ रुपये का व्ययगत न होने वाला विशेष रेलवे सुरक्षा कोष का गठन वर्ष 2001-2002 में हुआ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न यह था कि रेलवे ट्रेक के मेन्टीनेंस में कोई फारेन कम्पनी को काम दिया गया है। उसका उत्तर दिया गया है लेकिन माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो ट्रेक मेन्टीनेंस का काम है, जो पहले रेलवे के गेंगमैन द्वारा कराया जाता था, अब वह कांट्रेक्टर को दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, जो काम गेंगमैन के काम में शामिल नहीं है, वैसा काम कांट्रेक्टर से शुरू से कराया जाता रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए कोई नया काम कांट्रैक्टर से कराया जा रहा हो, जो कि पहले गेंग से कराया जाता था, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है, चूंकि अब हम लोगों का ट्रैक का स्ट्रक्चर धीरे-धीरे बदल रहा है, अब हम कंक्रीट स्लीपर पर जा रहे हैं इसलिए मकेनाइज्ड मेंटीनेंस की ओर ध्यान दिया जा रहा है और उसकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि जो काम गेंग से, रेलवे के अपने लोगों के द्वारा कराया जाता था, वह कराया जाता रहे और कोई भी ऐसा काम न किया जाये, जिसके चलते हमारे एग्जिस्टिंग स्टाक के काम पर असर आ जाये, इसका प्रयास किया जाता है।

दूसरी बात इन्होंने कही है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को वन टाइम ग्राण्ट देनी चाहिए तो इसके लिए जैसा उन्होंने स्वयं भी कहा, स्पेशन रेलवे सेफ्टी फंड को एक अक्टूबर, 2001 से कांस्टीट्यूट किया गया और यह तीसरा साल चल रहा है और उसके माध्यम से ट्रैक रिन्यूअल के काम, ब्रिज रिप्लेसमेंट के काम, सिगनल एण्ड टेलीकाम का सारा काम किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: क्या यह काम पांच वर्ष की अल्प अवधि में पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: इसमें पांच से सात साल के बीच में स्पेन रखा गया है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: पटरी प्रतिस्थापन और मरम्मत गेंगमैन कर रहे थे जो इस काम से निपुण हैं। यह काम ठेकेदारों द्वारा ले लिया गया जिनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है। क्या वे सभी सुरक्षोपाय के साथ काम कर रहे हैं? यदि हां, तो पहले की तरह दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: मैंने बता दिया कि जो गेंगमैन का काम उनसे लिया जाता रहा है, वह काम वही कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड काम कांट्रैक्ट के थ्रू शुरू से होता रहा है, वह काम कांट्रैक्ट के थ्रू कराया जाता है लेकिन जो काम गेंग के द्वारा होता रहा है, वह काम गेंग ही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: उस मामले में, पहले की भांति दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? पहले भी दुर्घटनाएं हो रही थी। अब अधिक दुर्घटनाएं हो रहीं है। दुर्घटनाओं की संख्या में कमी क्यों नहीं आई हैं?

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि ट्रैक रिन्यूअल के दौरान जो पुरानी रेल हटाई जाती है, वह पिछले तीन वर्ष में कितनी हटाई गई हैं, उसकी कितनी कीमत है और उसका डिस्पोजल कैसे किया गया है?

श्री नीतीश कुमार: हालांकि इससे इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि जो वोल्यूम की बात उन्होंने कही कि कितनी हटाई गई हैं, उसकी कितनी कीमत है, इसकी अलग से हम इनको सूचना दे सकते हैं, लेकिन सामान्यत: जो ट्रैक हटाये जाते हैं, उसके दो काम होते हैं। या तो कहीं यार्ड में दूसरी जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी तरफ उसे स्क्रैप किया जाता है और उससे जो पैसा आता है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिसे स्क्रैप माना जाता है, वह कितना होता रहा है और उसके डिस्पोजल का क्या तरीका है?

[अनुवाद]

वह आंकड़े न दें वह केवल यह बता दें कि बेकार पटरियों के निपटान की क्या प्रक्रिया है। मैं केवल प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह केवल प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उसका प्रोसीजर यह है कि उसे स्क्रैप घोषित करके बेचा जाता है। उसका बाजाब्ता आक्शन होता है। सरटेन पाइंट्स उसके लिए निर्धारित हैं, जहां आक्शन होता है और उससे जो पैसा आता है, वह पैसा उसी काम में और लगाया जाता है। जैसे नई लाइन का कोई प्रोजैक्ट है, गेज कन्वर्शन का प्रोजैक्ट है, हमने कोई ए एलोकेशन किया और वहां पर जो रिप्लेसमेंट किया, पुराने ट्रैक से जो पैसा आता है, उसमें बी आया तो ए प्लस बी, उतना एक्सपेंडीचर होता है। वैसे अगर पूरे स्क्रैप के बारे में कोई सैपरेट क्वश्चन दे दें तो इसका हम जवाब दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, ठेकेदार अथवा गैंगमैन द्वारा किए जाने वाला पटरी रखरखाव अधिकांशत: व्याप्त पटरी प्रणाली के अनुसार होता है। रेलवे ने पटरी रखरखाव मशीनों का भी यांत्रिकीकरण करवा दिया है। हमेशा यह देखा गया है कि जहां प्रारंभ में पटरी रखरखाव का काम ठेकेदार को दिया गया वहां स्लीपर सीधे बिछाने के स्थान पर कोणाकार रूप में बिछाए गए। इसके बाद यह प्रश्न उठता है कि रेलवे ने इन पटरियों के लिए अलग-अलग देशों से जो यांत्रिकृत मशीने खरीदी हैं, उनका उपयोग स्लीपर के कोणाकार होने के कारण नहीं हो सकता है। क्या आप यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही करेंगे कि इन मशीनों को क्यों खरीदा गया? कतिपय रेलवे में ये मशीने हैं। मैं बता सकता हूं कि मध्य रेलवे में अनेक ऐसी मशीनें बेकार पड़ी हैं। वे केवल इस कारण से बेकार पड़ी हैं क्योंकि पटरी को सीधा होना चाहिए जबकि ये कोणाकार हैं। क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार का अब हम ट्रैक स्ट्रक्चर अपना रहे हैं, उसमें मैन्युअल मैन्टीनैंस के बजाय मैकेनिकल मैन्टीनैंस की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए पहले वूडन स्लीपर्स हुआ करते थे। वूडन स्लीपर्स की जो पैकिंग होती थी, उसे गेंगमैन कर लेते थे। चूंकि उसका वजन ज्यादा होने के कारण वह भारी होता है इसलिए पैंकिंग आदि के काम के लिए मैकेनाइज्ड मैन्टीनैंस की जरूरत पड़ती है। ट्रैक लेइंग का भी काम मैकेनिकली होता है। उसके लिए अलग इक्विपमैंट है। यह सारा काम किया जाता है। लेकिन उन्होंने एक खास बात बताई कि एंगुलर जहां पर हैं, मेरे ख्याल से ये कर्व्स की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: आपका जो स्लीपर होता है, यह सीधा होना चाहिए उसको थोड़ा एंगुलर करवा दें तो आपकी यह मशीन काम न करे। यह कई जगह है। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: यह मेरे लिए एक नयी सूचना है। अगर इनकी सूचना सही है तो इसकी हम थारो इंक्वायरी करवा लेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: आप चाहें तो इंक्वायरी कर लीजिए। मैं यह कहूंगा कि आपकी जितनी मशीन्स हैं, वे कितने घंटे काम करती हैं, इसका पता लगने पर आपको जानकारी हो जायेगी कि वे आइडल क्यों हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 43, श्री अब्दुल रशीद शाहीन।

राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति

*43. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले माह तक प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड की अद्यतन वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दी जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उनकी सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण पर योजना आयोग की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार रा.वि. बोर्डों की वाणिज्यिक हानियां (बिना सब्सिडी के) वर्ष 1992-93 में 4560 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 25259 करोड़ रुपये हो गई थी और इनके वर्ष 2001-02 में बढ़कर 33177 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे रा.वि. बोर्डों को अपनी देय राशि का ब्यौरा भेजें। सूचना प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकारी विभागों को की गई विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों द्वारा रा.वि. बोर्डों को देय राशियां और आर्थिक सहायता रा.वि. बोर्डों और उनकी राज्य सरकारों के बीच ऐसे मुद्दे हैं जिनमें केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अनुबंध

राज्य विद्युत बोर्डों के वाणिज्यिक लाभ/हानि

2001-02 (वार्षिक योजना)

रा.वि. बोर्ड	1992-93 वास्तविक	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक	1995-96 वास्तविक	1996-97 वास्तविक	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 (अनंतिम)	2000-01 (आई)	2001-02 (अनंतिम)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आंध्र प्रदेश	-4	-23	-981	-1255	-939	-1376	-2679	-3117	-2559	-2820
2. असम	-205	-197	-255	-261	-244	-439	-322	-214	-379	-370
3. बिहार	-280	-190	-189	-211	-442	-495	-605	-511	-670	-753
4. दिल्ली (डीवीबी)	-207	-	0	-578	-626	-760	-1039	-1103	-1055	-1092
5. गुजरात	-519	-493	-550	-1003	-952	-1364	-2039	-3778	-3920	-3491
6. हरियाणा	-404	-507	-468	-554	-635	-765	-704	-1274	-1960	-1949
7. हिमाचल प्रदेश	2	-51	19	11	19	-33	-88	-206	-92	-48
8. जम्मू कश्मीर	-225	-293	-347	-363	-507	-661	-835	-793	-990	-1141
9. कर्नाटक	-19	-2	-164	-502	-652	-332	-847	-975	-1675	-2340
10. केरल	-65	-75	-129	-183	-208	-199	-411	-646	-1129	-1354
11. मध्य प्रदेश	-493	-377	-594	-602	-464	-1058	-2655	-3151	-3264	-3682
12. महाराष्ट्र	162	189	276	-408	-92	-11	160	-1479	-1404	-3527
13. मेघालय	-8	-3	-21	-20	-15	-26	-50	-53	-44	-49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	उड़ीसा	-85	-196	-136	-231	-375	-392	-538	-187	-216	-230
15.	पंजाब	-626	-693	-681	-644	-603	-943	-1354	-2113	-1477	-1633
16.	राजस्थान (ट्रांस्को)	-260	-415	-412	-430	-498	-640	-1331	-1899	615	-2412
17.	तमिलनाडु	-258	-302	-2	-77	-257	-296	-741	-1442	-1447	-2510
18.	उत्तर प्रदेश (पावर कारपोरेशन)	-808	-1202	-1152	-1136	-3378	-3692	-3692	-2596	-2534	-2687
19.	पश्चिम बंगाल	-258	-231	-339	-332	-387	-492	-1089	-842	-1059	-1086
	कुल	-4560	-5060	-6125	-8770	-11305	-13963	-20860	-26353	-25259	33177

स्रोत: योजना आयोग दस्तावेज।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रश्न नम्बर 43 और 53 मिलते-जुलते प्रश्न हैं, इसलिए आप उन दोनों को इकट्ठा ले लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, चूंकि प्रश्न संख्या 53 प्रश्न संख्या 43 जैसा ही है इसलिए मैं माननीय मंत्री के अनुरोध पर दोनों प्रश्नों को एक साथ ले रहा हूं।

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह - उपस्थित नहीं

डा. श्री मदन प्रसाद जायसवाल - उपस्थित नहीं

चूंकि प्रश्न संख्या 53 के कोई भी प्रश्नकर्त्ता उपस्थित नहीं हैं इसलिए दोनों प्रश्नों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता।

[हिन्दी]

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह और श्री जायसवाल, दोनों सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए प्रश्न नम्बर 53 इसके साथ नहीं आ सकता।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन, अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड में वाणिज्यिक घाटा लगातार बढ़ रहा है। यह वर्ष 2003 के लिए यथाअनुमानित 4,500 करोड़ से बढ़कर 33,000 करोड़ रुपये हो गया है। सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन और समझौता करार करके राज्य विद्युत बोर्ड के लेखाओं के लिए चार्टेड एकाउंटेंट की सेवाएं लेकर सभी उपाय करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयासों के बावजूद 'राज्य विद्युत बोर्ड का घाटा बढ़ रहा है। मैं माननीय मंत्री से संक्षेप में यह भी जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार के पास क्या प्रस्ताव हैं और केन्द्र सरकार किन प्रस्तावों के द्वारा राज्यों को संकटमय स्थिति से उबरने में उनकी सहायता कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गांगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, राज्य विद्युत बोर्डों का जो घाटा है, वह सालाना लगभग 30 हजार करोड़ रुपये है। इस घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकारों को सूचनायें दी जाती हैं। राज्य सरकारें भी उस घाटे को कम करने का प्रयास कर रहीं हैं। पिछले दो साल में इसमें कुछ सुधार आया है। पिछले से पिछले साल 4 हजार 600 करोड़ रुपये का घाटा कम हुआ है जिसमें मुख्यत: चार स्टेट—महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हैं। पिछले वर्ष 2002-03 में लगभग 4 हजार 700 करोड़ रुपये का घाटा कम हुआ है। इसमें लगभग 10 राज्य—आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल ऐसे हैं जिन्होंने अपना घाटा कम किया है। हर साल जो घाटा हो रहा है, उसकी तुलना में पिछले दो साल से राज्य विद्युत बोर्डों के घाटे में कमी आयी है।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: जनाबे आला, ओनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि इसमें इम्प्रूवमैंट हो रहा है लेकिन फिगर्स से यह साबित हो रहा है कि खसारा प्रौजेक्ट 4 हजार 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपये तक जा रहा है। हो सकता है

इसमें इम्प्रूवमैंट हो रहा हो लेकिन मैं आपसे स्पेसीफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि रियासत जम्मू-कश्मीर जो कांस्टेंटली एक डेफीसिट स्टेट है फिलहाल कुछ समय के लिए क्योंकि जो हमारी सिचुएशन है, जो माली हालत रियासत जम्मू-कश्मीर की है, उसके लिहाज से यह रियासत मुसलसल डेफीसिएट स्टेट है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी से हमारी रियासत को जो परपैचुअल लास हुआ है, क्या उस सिलसिले में सरकार के पास कोई प्रपोजल है कि रियासत जम्मू-कश्मीर को कम्पैनसेट करने के लिए कोई फार्मूला इवाल्व किया जाए जिससे रियासत जम्मू-कश्मीर के मुसलसल नुकसान का कुछ इफाका हो जाए?

جناب عبدالرشید شاہین (بارہمولہ): جناب عالی، آنریبل منسٹر نے کہا کہ اس میں امپروومنٹ ہو رہا ہے لیکن فگرس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خسارہ پروجیکٹ 4 ہزار 500 کروڑ روپے سے بڑھ کر 30 ہزار کروڑ روپے تک جا رہا ہے اس میں امپروومنٹ ہو رہا ہو سکتا ہے لیکن میں آپ سے اسپیسفک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر جو کانسٹنٹلی ایک ڈیفیسیٹ اسٹیٹ ہے فی الحال کچھ وقت کے لئے، کیونکہ جو ہمارے سچوئیشن ہے، جو مالی حالت ریاست جموں کشمیر کی ہے، اس کے لحاظ سے یہ ریاست مسلسل ڈیفیسیٹ اسٹیٹ ہے۔ میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی سے ہماری ریاست کو جو پرپیچول نقصان ہوا ہے، کیا اس سلسلے میں سرکار کے پاس کوئی پروپوزل ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے کوئی فارمولا ایوالو کیا جائے جس سے ریاست جموں کشمیر کے مسلسل نقصان کا کچھ افاقہ ہو جائے؟

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, यह प्रश्न थोड़ा हटकर है। माननीय सांसद ने स्पैसीफिकली जम्मू-कश्मीर के बारे में जानकारी मांगी है। उन्हें निश्चित रूप से यह जानकारी दी जाएगी।

श्री शिवाजी माने: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के पास ऐसी कोई जानकारी है कि केन्द्र से जो पैसा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को विभिन्न स्कीम्स के अंतर्गत भेजा जाता है जैसे एपी, डीआरपी, वह डायरैक्ट स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं जाता, अन्य मदों में डायवर्ट कर दिया जाता है? क्या इसके लिए आप कोई उपाय ढूंढ रहे हैं?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न राज्य विद्युत बोर्ड के घाटे और राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य सरकार से जो बकाया है, उसके संदर्भ में है। फिर भी माननीय सदस्य ने एपी, डीआरपी की स्कीम के संदर्भ में प्रश्न प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की शिकायतें अन्य राज्यों से आती हैं कि स्कीम के तहत जो धन राज्य सरकार को दिया जा रहा है, उसे समय पर राज्य विद्युत बोर्ड को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार को लगातार यह सूचना दी जा रही है कि एपी, डीआरपी के तहत जितना भी धन केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिया जाए, उसे तुरंत ही राज्य विद्युत बोर्ड को दिया जाए। हम यह धन बजटरी सपोर्ट से दे रहे हैं, यह धन फाइनैंस मिनिस्ट्री की ओर से दिया जाता है। इसलिए इसे राज्य सरकार को ही देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। किन्तु यदि राज्य सरकार स्वयं चाहे और हमें अपनी कन्सैंट दे कि एपी, डीआरपी के तहत जो धन है, वह राज्य विद्युत बोर्ड को दिया जाए तो उसे सीधे भी दिया जा सकता है।

श्री शिवाजी माने: क्या महाराष्ट्र के बारे में आपके पास ऐसी कोई शिकायत है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: केन्द्र से जो पैसा जाता है, महाराष्ट्र सरकार उसे तेलगी के वकीलों को तेलगी का केस लड़ने के लिए दे रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, बिजली का सवाल केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को हल करना है। नवीं पंचवर्षीय योजना में अपने देश में 48,000 मेगावाट इलैक्ट्रिसिटी बननी चाहिए थी। वह नहीं बन सकी। उस लक्ष्य को 28,000 तक नीचे लाया गया। वहां से 20,000 तक नीचे लाया गया और 20,000 मेगावाट इलैक्ट्रिसिटी भी नहीं बन सकी। इसका नतीजा यह है कि सब तरफ बिजली की किल्लत है। केन्द्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है और प्रान्तों के पास सारा काम करने के लिए पैसा भी नहीं है। इसमें रास्ता निकालने के लिए केन्द्र सरकार की क्या नीति है। अगर बिजली नहीं बन सकी तो खेती अच्छी नहीं होगी, कारखाने भी अच्छे नहीं चलेंगे और आपका जो आर्थिक विकास होने वाला है, वह भी नहीं हो सकेगा। हम जानना चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्या नीति है जिसकी वजह से आप भी यहां बिजली बनाएंगे और प्रान्तों की सरकार को भी पैसा देकर बिजली बनाने के लिए मदद करेंगे?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: यह प्रश्न मूल प्रश्न से थोड़ा हटकर है। मूल प्रश्न राज्य विद्युत बोर्ड के घाटे और उसमें सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से क्या सहयोग किया जाता है, इस बारे में है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं आंकड़ों के लिए नहीं बोल रहा हूं, नीति के लिए बोल रहा हूं।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष जी, आज हर राज्य में बिजली की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जल विद्युत परियोजनाएं भी चलाई जाती हैं और ताप विद्युत परियोजनाएं भी लगाई जाती हैं। राज्य सरकारों को यह भी सूचना दी गई है कि यदि राज्य सरकारें चाहें तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार भागीदारी में भी परियोजनाएं लगा सकते हैं लेकिन मेरा अनुभव यह है कि अधिकतम राज्य सरकारें परियोजनाएं भी लगाना नहीं चाहती हैं। अधिकतम राज्य सरकारों से यह मांग है कि केन्द्र सरकार जल विद्युत की या ताप विद्युत की परियोजनाएं लगाये, बिजली का

निर्माण करे और राज्यों को दे। इस प्रकार से मांग आ रही है और उस मांग के तहत भी जहां तक केन्द्र सरकार की ओर से प्रयास है तथा अतिरिक्त ऊर्जा के निर्माण के लिए प्रयास चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास प्रश्नों की बहुत बड़ी लिस्ट है। आप चाहते हैं तो इस पर चर्चा उपस्थित कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि राज्य घाटे में चल रहा है और वहां बिजली की व्यवस्था सही ढंग से तथा सुचारू ढंग से नहीं है। जिल समय सुरेश प्रभु जी इस विभाग के मंत्री थे, उस समय एक मीटिंग भी हुई थी और बिहार के चेयरमैन और कई सदस्य जिसमें रघुवंश बाबू जैसे सदस्य लोग शामिल थे, हम सब लोग बैठे हुए थे तो राज्य का घाटा और केन्द्र के पैसे जो बकाया थे, उस संबंध में चर्चा चल रही थी तो बिहार की तरफ से कहा गया कि हम एक पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं जिसके कारण केन्द्र से जो सहायता मिलती थी, वह बंद कर दी गई और बीस-बीस साल से बिहार के जो लोग पैसा जमा किये हुए हैं, विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है तो हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जिस समय राज्य का बंटवारा हुआ, बिहार और झारखंड राज्य का बंटवारा हुआ तो केन्द्र सरकार ने बिहार को अलग से पैकेज देने का आश्वासन दिया था। उस पैकेज में उसे माफ करते हुए और बिहार को अलग से पैसा देकर बिहार में सुचारू रूप से वहां विद्युत व्यवस्था स्थापित करने का क्या सरकार विचार रखती है? यदि विचार नहीं रखती है तो क्यों? यह हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं।

श्री शिवाजी माने: बिहार में बिजली की बजाए वहां लालटेन है। *...(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते: बिहार की स्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने सदन को जानकारी दी है और जो एपीडीआरपी का कार्यक्रम चलाया जाता है, उसके लिए गाइडलाइन्स हैं। उनके तहत यदि कोई राज्य डिफाल्टर है तो वहां पर धनराशि नहीं दी जाती है। राज्यों को यह प्रयास करना चाहिए कि वह डिफाल्टर न हो और उसके बावजूद भी आज एपीडीआरपी के तहत जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लगभग सारी योजनाएं आज बिहार में चल रही हैं। उसके लिए धनराशि भी आबंटित की गई है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। हमने यह कहा कि जो केन्द्र का बकाया है, जो पैकेज देने की बात थी, उसे माफ करके धनराशि देकर विद्युत बोर्ड को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था वहां सरकार करना चाहती है या नहीं चाहती है? इस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि कम से कम उसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिए ताकि देश यह जाने कि बिहार के प्रति केन्द्र की क्या सोच है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: बिहार के प्रति केन्द्र की भूमिका सहयोग करने की है। हर क्षेत्र में केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों को सहयोग किया जा रहा है और इसीलिए एपीडीआरपी के तहत जितनी भी योजनाएं चलाई जा सकती हैं, आज बिहार में चल रही हैं और उसके लिए आवश्यक धन भी आबंटित किया गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य: राज्य विद्युत बोर्ड के घाटे के बारे में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष-दर-वर्ष उन राज्यों में भी राज्य विद्युत बोर्ड के घाटों में वृद्धि हुई है जहां बिजली और विद्युत क्षेत्र में सुधार वर्ष 1997-98 में शुरू हुआ था। माननीय मंत्री ने बताया है कि पिछले वर्ष घाटे में लगभग 4000 मे.वा. कमी आई। इन राज्यों ने घाटा कम करने हेतु क्या कदम उठाए और घाटे में कमी आने के क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, राज्यों के विद्युत बोर्डों के घाटे को कम करने के लिए एपीडीआरपी के तहत इसेंटिव की स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत जो राज्य विद्युत बोर्ड घाटा कम करेंगे, उस राज्य को 50 प्रतिशत भारत सरकार की ओर से इंसेंटिव के रूप में धन की सहायता की जाएगी। राज्य विद्युत बोर्डों में जो घाटा हो रहा है, उसका मुख्य कारण टेक्नीकल लासेज तो है ही, साथ ही बड़ी मात्रा में बिजली चोरी भी है। जब से विद्युत कानून 2003 लागू हुआ है, तब से सभी राज्यों को बताया गया है कि चोरी रोकने के लिए सख्त कानून बनाकर लागू किया जाए। कई राज्यों ने इस प्रकार के कानून बनाकर उसको लागू भी किया है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल ने इस प्रकार का कानून बनाकर लागू किया है और उसके अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। वहां बिजली चोरी भी कम हुई है, बकाया भी वसूला जा रहा है और धन की प्राप्ति भी बढ़ी है।

श्री दिलीप संघाणी: गुजरात के विद्युत बोर्ड का घाटा कम करने के लिए और विद्युत आपूर्ति के लिए वहां पिपारापोर्ट में गैस आधारित बिजली प्लांट लगाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लम्बित है। यदि वहां गैस दे दी जाए तो बिजली बोर्ड का घाटा कम हो सकता है और वहां की जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली भी मिल सकी है। मैं सरकार से जानना चाहता

हूं कि गुजरात में गैस आधारित प्लांट लगाने के लिए गैस कब तक दे दी जाएगी?

श्री अनंत गंगाराम गीते: यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। अगर अलग से पूछेंगे तो उसका जवाब दे दिया जाएगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मंत्री जी ने बिहार के बारे में जानकारी दी, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई खबर वहां के बारे में नहीं दी। जो धन केन्द्र से वहां जाता है, क्या वहां उसका उपयोग होता है या नहीं, इस बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए और यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि बिजली उत्पादन की वहां कितनी क्षमता है और ग्रामीण इलाकों में लोगों को बिजली मिल रही है या नहीं। जहां तक बिजली बोर्ड के घाटे की स्थिति है, जैसा प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि जिस समय बिहार राज्य का बंटवारा हुआ था, उस समय केन्द्र की ओर से बिहार को पैकेज देने की बात कही गई थी और राज्य बिजली बोर्ड का ऋण माफ करने की भी बात थी। क्या मंत्री जी ने इस बात की जानकारी ली कि वहां जिस योजना के तहत पैसा दिया जाता है, क्या वह उसी योजना में खर्च होता है या नहीं और क्या राज्य सरकार उस पैसे को रखती है या लौटाती है या उसे डाइवर्ट करके अन्य किसी योजना में लगा देती है? बिहार राज्य के बंटवारे के समय राज्य के बिजली बोर्ड का ऋण माफ करने की जो बात कही गई थी, क्या उसमें कोई पहल भारत सरकार की ओर से हुई है या नहीं, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई?

श्री अनंत गंगाराम गीते: एपीडीआरपी के तहत बिहार में योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहां से जो धन का आबंटन किया जाता है, बिहार सरकार ने निर्णय करके इन सारी योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी पावर ग्रिड कार्पोरेशन को दी है। इस वजह से एपीडीआरपी के तहत जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, उनको पावर ग्रिड कार्पोरेशन के माध्यम से पूरा करने का काम राज्य सरकार का है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: आप दोनों को जोड़ रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते: पावर ग्रिड कार्पोरेशन और एनटीपीसी दोनों पावर मिनिस्ट्री की एजेंसी हैं। जिनके ऊपर एपीडीआरपी की स्कीम की मानिटरिंग करना और उसको सलाह देने का काम या राज्य सरकार को जो भी सहयोग चाहिए, वह करती है। ये काम इन दोनों सरकारी उपक्रमों के ऊपर हैं। बिहार एपीडीआरपी के ज्यूरीडिक्शन में आता है इसलिए बिहार सरकार ने एपीडीआरपी की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी यहां से धन आबंटित किया है, उन योजनाओं का कार्यान्वयन पावर ग्रिड कार्पोरेशन के माध्यम से होगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: राज्य विद्युत बोर्ड का ऋण माफ करने की क्या योजना है?

अध्यक्ष महोदय: आपको अगर किसी भी विषय की डिटेल इंफार्मेशन चाहिए तो आप चर्चा के लिए बात कर सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: पावर ग्रिड कार्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है, यह दूसरी बात है। प्लानिंग कमीशन ने 365 करोड़ रुपए पावर ग्रिड कार्पोरेशन को स्वीकृत किए थे, वह वहां ट्रांसमिशन का काम करने जा रही है, यह अलग बात है। लेकिन राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित जो सवाल पूछा जा रहा है, उसका उत्तर नहीं आ रहा है। बिहार राज्य के बंटवारे के समय केन्द्र सरकार की ओर से पैकेज देने की बात कही गई थी और जो बकाया राशि है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि बिहार के हित के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या उस ऋण को माफ करेंगे?

श्री अनंत गंगाराम गीते: उसके लिए आप अलग से प्रश्न करेंगे तो जवाब दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब आप बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमारे सवालों का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ट्रांसमिशन का काम अलग है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: जो प्रश्न हमारे साथियों ने उठाया है, उसका जवाब नहीं आया।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: हमारे प्रश्न को भी इसके साथ मिला दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: जब मैंने यह प्रश्न लिया था, उस समय मैंने कहा था कि आपके प्रश्न को भी इसके साथ लिया जाए, लेकिन तब आप सदन में नहीं थे। इसलिए वह प्रश्न नहीं लिया गया।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: राजकुमारी रत्ना सिंह जी के साथ मेरा भी नाम था।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमारे सवाल का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने कहा है कि प्रश्न पूछें उसका उत्तर मिल जाएगा।

श्री रघुनाथ झा: इसी सदन में घोषणा की गई थी।

अध्यक्ष महोदय: जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उसका उत्तर मंत्री जी नहीं दे सकते, उनकी तैयारी नहीं है। अगली बार दे देंगे। अब इसमें क्या कठिनाई है इसलिए आप बैठिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: इसी सदन में घोषणा की गई थी।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उत्तर बिहार के लिए कहा गया था। योजना आयोग ने पैसा दिया था।

श्री अनंत गंगाराम गीते: ऊर्जा मंत्रालय का जो भी बकाया है, उसमें 60 प्रतिशत की छूट दी गई है। उसके बाद भी बकाया वसूल नहीं हुआ है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: ऋण माफ करने की जो बात है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो जानकारी थी, मंत्री जी ने वह दे दी है। इसलिए आप बैठिए, क्योंकि इस तरह से हाउस नहीं चलेगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सदन में सरकार की ओर से तब घोषणा की गई थी, जब बिहार राज्य का बंटवारा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय: मैं खड़ा हूं, आप बैठिए। प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना प्रश्न काल में नहीं होता। आपने एक प्रश्न पूठा, बाद में भी पूछा, मंत्री जी ने जो जानकारी उनके पास थी, वह दी। उत्तर आने के बाद यदि कोई शंका है तो आप इस सवाल पर आधे घंटे की चर्चा ला सकते हैं, मैं उसे चर्चा के लिए स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: राज्य विद्युत बोर्ड के भारी ऋण भार, विद्युत सुधार के प्रति नए दृष्टिकोण तथा देश में विद्युत उत्पादन के लिए दसवीं योजना लक्ष्य को भी देखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अनेक राज्यों में पुनर्गठित राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कार्य शुरू किए जाने के बाद दसवीं योजना में कितना उत्पादन होने का अनुमान है? क्या मंत्री महोदय सभा को बता सकते हैं कि दसवीं योजना का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न राज्य विद्युत बोर्ड के घाटे को लेकर है और राज्य सरकारों पर विद्युत बोर्डों का जो बकाया है उसके संबंध में यह प्रश्न है। माननीय दासमुंशी जी जैनरेशन के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, वह अगर अलग से प्रश्न पूछें तो जवाब दिया जायेगा।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: मूल प्रश्न मेरा आया था लेकिन आपने मुझे अलाउ नहीं किया, यह मेरे साथ अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय: देखिये, मैंने इस प्रश्न पर 10 उप-प्रश्न दिये लेकिन और ज्यादा अलाउ करना मुश्किल है। आप इस पर आधे घंटे की चर्चा मांगिये मैं इसी हफ्ते चर्चा देने के लिए तैयार हूं। आप बैठ जाइये क्योंकि जब आपका नाम सदन में पुकारा गया था, उस समय आप सदन में उपस्थित नहीं थे। अब हम प्रश्न नम्बर 44 पर आते हैं।

कच्चे तेल की शोधन क्षमता

*44. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कच्चे तेल की स्थापित तेल शोधन क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2003 तक की वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या देश में आवश्यकता को पूरा करने के लिए रसोई गैस का आयात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाकर आत्म निर्भर बनने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) 2002-03 के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की 104.126 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) की समग्र खपत की तुलना में 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार कुल संस्थापित शोधन क्षमता 116.97 एम एम टी प्रति वर्ष थी। वर्तमान में देश

घरेलू आवश्यकता के एक भाग को पूरा करने के लिए एलपीजी का आयात करता है। वर्ष, 2002-03 के दौरान 1.073 एम एम टी एल पी जी का आयात किया गया क्योंकि एल पी जी का घरेलू उत्पादन वर्ष के दौरान देश की कुल 8.351 एम एम टी की एल पी जी मांग से कम था। जून, 1998 से रिफाइनरियां स्थापित करना/रिफाइनरियों का विस्तार करना लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। कुछ मौजूदा रिफाइनरियों के जारी विस्तार से देश में एल पी जी उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: माननीय अध्यक्ष जी, पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आज इस प्रश्न का महत्व बहुत बढ़ जाता है कि हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की जो शोधन क्षमता है वह कितनी है? माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 31 मार्च 2003 तक हमारी शोधन क्षमता 116.97 मिलियन मीट्रिक टन है और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 104.126 मिलियन मीट्रिक टन है। जब हमारी शोधन क्षमता ज्यादा है और खपत कम है तब भी हमारे पेट्रोलियम उत्पाद देश की जरूरत के मुताबिक जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे जो विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और वार्षिक आवश्यकता देश में कितनी है? साथ ही हमारा वार्षिक उत्पादन इन सारे उत्पादों का कितना है?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष जी, पैसा मैंने कहा और माननीय सदस्य ने भी समझा है कि आज हमारे देश में इन उत्पादों की क्षमता 117 मिलियन मीट्रिक टन है। पहले ऐसा होता था कि क्रूड आयल के साथ पेट्रोल, डीजल और एलपोजी भी हम आयात करते थे लेकिन आज सारा काम हम अपने देश में ही कर रहे हैं। केवल आज हम क्रूड आयल ही आयात करते हैं और वैल्यू एड करके डीजल, पेट्रोल और एलपीजी बेचते रहते हैं। हमारी क्षमता आवश्यकता से केवल 10 प्रतिशत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। आज 90 प्रतिशत हमारी रिफाइनरीज अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रही हैं और आने वाले समय में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में हम तीन नयी रिफाइनरीज बनाने जा रहे हैं। एक पारादीप में, दूसरी भटिंडा में और तीसरी बीना में। इन उत्पादों की क्षमता हम 24 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर 161 मिलियन मीट्रिक टन हमारी क्षमता हो जाएगी और हमारा प्रयास होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सभी जगह पहुंचे। इसी दिशा में अब काम हो रहा है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि देश में विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थों का वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या हैं? माननीय मंत्री जी ने मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं दिया। माननीय मंत्री जी, पेट्रोल, डीजल और केरोसीन की अलग-अलग वार्षिक क्षमता कितनी है यह बताइये?

श्री राम नाईक: यही तो जानकारी मैंने दी है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: सबकी जानकारी अलग-अलग दीजिए।

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, ऐसे अलग-अलग नहीं होता है, हर चीज की आवश्यकता पूरी की जाती है। क्रूड आयल से जो चीजें बनाते हैं, उसमें एलपीजी का निर्माण कम होता है। चूंकि एलपीजी का निर्माण कम होता है, तो देश की एलपीजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम एलपीजी का आयात करते हैं। सवाल एलपीजी के संबंधित है, इसलिए हमने कहा है कि देश में एलपीजी की रिक्वायरमेंट 8.351 मिलियन मिट्रिक टन है और हम 1.073 मिलियन मिट्रिक टन आयात करते हैं। एलपीजी का ज्यादा उत्पादन नहीं होता है, यह जानकारी उत्तर में दी हुई है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरा प्रश्न है, विभिन्न उत्पादों की वास्तविक क्षमता क्या है, मेरे पहले सप्लीमेन्ट्री का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी एक बार फिर आप वही जवाब दे दीजिए।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने वही जवाब दिया है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अगर मंत्री जी चाहें, तो पैट्रोलियम के उत्पाद के बारे में लिखित रूप में जवाब भिजवा दें।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप लिखित रूप में भेज दें।

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को क्या चाहिए, वे लिखित रूप में मुझे बता दें, तो मैं जवाब उनको भिजवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: दोनों ही लिखित रूप में करेंगे।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। हमारे देश में एलपीजी की मांग बढ़ रही है और इस बात को मंत्रीजी ने खुद स्वीकार किया है कि हमारे देश में एलपीजी का प्रोडक्शन कम है और इस वजह से एलपीजी विदेशों से आयात करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता

हूं कि कितना प्रतिशत एलपीजी का आयात करना पड़ता है और इसके साथ ही यह आयात न करना पड़े, इसके लिए उन्होंने अगले पांच-सात सालों के लिए कोई पालिसी बनाई है, जिससे देश को फायदा हो?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, कितना आयात करना पड़ता है, इस बारे में बताया है। हम आने वाले दिनों में रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और यह कैपेसिटी जैसे-जैसे बढ़ेगी, वैसे-वैसे आयात की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड-आयल उत्पादन और गैस उत्पादन की परस्पर औसतन उत्पादन दर क्या है? साथ ही अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बताते हुए यह भी बता दें कि अपने देश में क्रूड-आयल उत्पादन और गैस उत्पादन की न्यूनतम और अधिकतम दर क्या-क्या है और न्यूनतम तथा अधिकतम उत्पादन देश के किस-किस संस्थान में होता है?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक प्रकार से नहीं समझ पाया हूं, अगर वे दोबारा बतायें, तो जवाब दे सकता हूं।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में जो क्रूड-आयल और गैस उत्पादन होता है, उसकी औसतन दर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है?

श्री राम नाईक: महोदय, अभी की स्थिति में हमें लगभग अपने देश की आवश्यकता के अनुरूप 30 प्रतिशत ही क्रूड-आयल का निर्माण होता है और 70 प्रतिशत आयात करना पड़ता है। पिछले साल हमें 84 हजार करोड़ रुपए का आयात करना पड़ा देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसैंस पालिसी बनाई गई है।

श्री नवल किशोर राय: महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्रूड-आयल और गैस उत्पादन की उत्पादन औसतन दर क्या है?

श्री राम नाईक: महोदय, देश में इसका उत्पादन बढ़ाने की बात है और इसके लिए हमने 91 ब्लाक्स दिए हैं। दो दिन पहले ही सरकार ने और 21 ब्लाक्स देने की मान्यता दी है। कुल मिलाकर इसके आधार पर जब उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन कितना है, गैस कितनी है, उसके आधार पर निर्णय होगा।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे प्रश्न से उस उत्तर का क्या वास्ता है, आप यह बात डिसाइड कर लें। क्रूड आयल और गैस के उत्पादन की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या औसत दर है और अपने देश में क्या दर है, मैंने यह सवाल पूछा। मैंने उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं पूछी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी इसका उत्तर भेज देंगे। उनके पास अभी इसका उत्तर नहीं है। वह उसे बाद में भेज देंगे।

श्री नवल किशोर राय: मैंने अलग से क्वैश्चन नहीं पूछा है। वह मूल प्रश्न से जुड़ा प्रश्न है।

श्री राम नाईक: क्या यह दर से मतलब वैल्यू या प्राइज की बात कर रहे हैं? माननीय सदस्य यह प्रश्न मुझे लिख कर दें, मैं उन्हें उसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने क्वैश्चन किया था और बैलेट में मेरा नाम आया। मैंने मूल प्रश्न से जुड़ा सीधा प्रश्न पूछा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नवल किशोर जी, आपने तीन बार प्रश्न पूछा और मंत्री जी ने दो बार जवाब दिया। उन्होंने यही कहा कि वह इस विषय की सूचना लेकर आपको लिख कर देंगे। ऐसे में आपके पास उत्तर आ जाएगा।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, सदन में क्वैश्चन करने के लिए हम प्रश्न लिख कर देते हैं और बैलेट में आने के बाद हमें उसका जवाब मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हर प्रश्न का उत्तर मंत्री जी के पास तैयार नहीं हो सकता है। आपका बहुत डिटेल से प्रश्न है। वह इसका उत्तर भेज देंगे।

श्री नवल किशोर राय: मेरा मूल प्रश्न से जुड़ा सीधा प्रश्न है। अच्छा होता यदि मैं अतारांकित प्रश्न देता तो उसका जवाब आ जाता।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, क्या इस वर्ष 18 अक्तूबर को प्रधान मंत्री जी ने पानीपत रिफाइनरी का कार्य विस्तार किया था? यदि हां तो उन योजनाओं पर कितना खर्चा आने वाला है? क्या तेल के क्षेत्र में विश्व का ...*(व्यवधान)* क्या तेल शोधन के मामले में यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है? इस पर कितनी राशि खर्च होने वाली है और किन राज्यों को इस योजना का फायदा होने वाला है? इसके साथ मेरा एक और प्रश्न है कि हम एलपीजी का आयात कर रहे हैं। देश में इस समय गैस सिलैंडरों की दिक्कत चल रही है क्योंकि स्टील के प्राइज बढ़ जाने से ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिलैंडरों का निर्माण कम हो रहा है। उसे पूरा करने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री राम नाईक: जहां तक सिलैंडरों के उत्पादन का सवाल है, उनकी देश में कहीं कमी नहीं है लेकिन बीच में स्टील की शार्टेज हो गई थी और उसके कारण लगभग 4-5 महीने पहले इसके उत्पादन में कठिनाई निर्माण हुई थी। अब ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। यदि किसी क्षेत्र में ऐसी कोई कठिनाई हो तो वह मुझे बता दें। मैं निश्चित तौर पर उसे दूर करूंगा। जहां तक पानीपत रिफाइनरी का सवाल है, एक्सपैंशन प्रोग्राम के दौरान उसका भूमि पूजन किया गया था। उस समय आप भी उपस्थित थे। आपको मालूम है कि किस प्रकार से उसका काम करने की बात तय हुई थी। उसका एक्सपैंशन होने के बाद देश में जो सरकारी उपक्रम हैं, उनमें से सबसे बड़ी यह रिफाइनरी बनेगी। आज निजी क्षेत्र में जो रिलायंस की रिफाइनरी है, वह देश में ही नहीं दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उसकी 27 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता है। पानीपत रिफाइनरी का काम जब पूरा हो जाएगा, तब वह आएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 45

श्री उत्तमराव वि. पाटील – उपस्थित नहीं

श्रीमती श्यामा सिंह – उपस्थित नहीं

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 46

अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास

+

*46. **श्री रामशकल:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना और अन्य देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य बलों के अभ्यास आयोजित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए थे;

(ग) इससे क्या लाभ हुआ और देश की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या निकट भविष्य में इसी तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज तक, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, ताजिकिस्तान, सिंगापुर, ओमान, रूस और चीन की सशस्त्र सेनाओं के साथ द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किए हैं।

भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यासों की 'मिलान' श्रृंखला भी आयोजित की है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की नौसेनाएं शामिल थीं। पोर्ट ब्लेयर में 11 से 15 फरवरी, 2003 तक आयोजित मिलान-03 में आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के पोतों और कार्मिकों ने भाग लिया।

ऐसे अभ्यास सशस्त्र सेनाओं को बहुमूल्य अनुभव उपलब्ध कराते हैं और उन्हें उपस्करों, प्रौद्योगिकी, युद्ध-पद्धति में नवीनतम प्रगति और सैन्य संक्रियाओं से संबंधित संकल्पनाओं और सिद्धांतों की अद्यतन जानकारी होती है, दूसरों की तुलना में हमारी सशस्त्र सेनाओं की सैन्य दक्षता की परीक्षा होती है और इनसे आपसी समझ-बूझ तथा सहयोग को बढ़ावा मिलता है। सरकार द्वारा हमारे राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाने के निर्णय लिए जाते हैं।

हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा अन्य देशों की सशस्त्र सेनाओं के साथ निकट भविष्य में संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाने के कतिपय प्रस्ताव विचाराधीन हैं। फ्रांस के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव आयोजन के अंतिम चरण में है। तत्संबंधी ब्यौरा उजागर करना समय-पूर्व होगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम रक्षा मंत्री की उपस्थिति के विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.49 बजे

(इस समय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष जी, इन लोगों का जाना तय है क्योंकि लोगों ने इनकी दुर्गति कर दी है। इनकी बिजली गुल हो गई है। इन लोगों को जाना है, इसलिये हाउस चलाया जाये।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन इस संबंध में आपका प्रश्न क्या है?

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष जी, ये लोग आते हैं लेकिन इनका तो सही हिसाब है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, श्रीमती श्यामा सिंह तो कांग्रेस की सदस्या हैं, वे प्रश्न कैसे पूछ सकती हैं?

श्री राम शकल: अध्यक्ष जी, भारतीय सेना और अन्य देशों की सेवाओं के बीच संयुक्त सैन्य बलों के अभ्यास आयोजित किये गये थे। मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि पिछले तीन वर्षों में किन-किन देशों के साथ हमारी सैन्य बलों के साथ अभ्यास किये गये जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक अमरीका, फ्रांस, पाकिस्तान, सिंगापुर, ओमान, चीन, रूस के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किये गये। मेरा प्रश्न है कि इस प्रकार के सैन्य अभ्यासों से देश को क्या लाभ होता है और इस प्रकार देश की सुरक्षा को क्या लाभ है, देश की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ता है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, जहां तक सैन्यबलों के अभ्यास से देश को होने वाले लाभ का प्रश्न है, जिन राष्ट्रों के साथ जाइंट एक्सरसाइसेज होती हैं, उनकी काबलियत के बारे में कि उनके पास किस प्रकार की सामरिक सामग्री है, इसकी जानकारी ऐसे मौकों पर हम लोग एक-दूसरे की समझ पाते हैं। इसके साथ-साथ संयुक्त सैन्य बलों के अभ्यास में लगे हुये लोगों को एक-दूसरे के मनोबल के बारे में जानकारी हासिल होती है। इसमें दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आपसी बातचीत आदि का मौका मिलता है, एक दूसरे की शक्ति के बारे में पहचान व्यक्तिगत रूप से रिश्ते और उनकी कमजोरी आदि क्या है, उसकी पहचान भी होती है। यह सब सामरिक क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ एक्सरसाइज करने से हासिल होती है।

श्री राम शकल: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों—पाकिस्तान, चीन और बांगलादेश के साथ क्या इसी प्रकार का सैन्य अभ्यास करने का प्रस्ताव है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, यह सोचा नहीं जा सकता लेकिन थल सेना और वायु सेना को छोड़कर, विशेषकर नौ सेना के साथ हमारी सीमा तटों पर अन्य देशों के साथ एक्सरसाइज होती है।

[अनुवाद]

गाड़ी दुर्घटनाएं

*47. + **श्री रघुनाथ झा:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 2003 तक माल गाड़ियों सहित छोटी/बड़ी रेल दुर्घटनाओं का दुर्घटना-वार ब्यौरा और इनके क्या कारण हैं;

(ख) कितने मूल्य की रेल सम्पत्ति का नुकसान हुआ और कितने लोग मारे गए एवं घायल हुए तथा मृतकों के परिवारजनों एवं घायलों को दुर्घटना-वार कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(ग) दुर्घटना-स्थल पर समय पर राहत दल के साथ पर्याप्त राहत सामग्री न भेजने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने वाले हैं कि दुर्घटना स्थल पर समय पर पर्याप्त राहत सामग्री पहुंचे;

(ङ) इन दुर्घटनाओं के लिए गठित जांच आयोगों के निष्कर्षों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) दोषी पाए गए अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध दुर्घटवा-वार क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जुलाई, 2003 से नवम्बर, 2003 तक की अवधि के दौरान 149* परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

दुर्घटनाओं की किस्म	जिनमें यात्री गाड़ियां शामिल थीं	जिनमें अन्य (माल) गाडियां शामिल थीं	जोड़*
टक्कर	02	1	03
पटरी से उतरना	53	45	98
चौकीदार वाले समपार पर दुर्घटनाएं	03	01	04
बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	31	06	37
गाड़ी में आग/विस्फोट	04	–	04
विविध	03	–	03
जोड़	96	53	149*

*अनंतिम

जुलाई से नवम्बर, 2003 की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण इस प्रकार थे

प्रमुख कारण*	दुर्घटनाओं की संख्या*
रेल कर्मचारियों की विफलता	84
रेल कर्मचारियों से इतर की विफलता	42
उपस्कर की खराबी	01
तोड़फोड़	07
मिश्रित कारक	–
आकस्मिक	08
कारण, जिनका पता नहीं चला	01
जांचाधीन	06
जोड़	149

*अनंतिम

(ख) जुलाई, 2003 से नवम्बर, 2003 की अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

	टक्कर	पटरी से उतरना	चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	गाड़ियों में आग/विस्फोट	विविध	जोड़*
मारे गए	04	29	03	53	01	–	90
घायल	21	58	02	59	18	45	203

*आंकड़े अनंतिम हैं

जुलाई-नवम्बर, 2003 की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं में लगभग 26.83 करोड़ रुपए* की रेल सम्पत्ति की हानि थी। इन दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को देय क्षतिपूर्ति रेल दावा अधिकरण द्वारा तय की जाती है। बहरहाल, घायलों और मृतकों के आश्रितों को 38.56 लाख रुपए* की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) और (घ) दुर्घटनाओं में शीघ्र राहत और बचाव कार्य किए गए थे और अवधि के दौरान अपर्याप्तता का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। बहरहाल, आपदा प्रबंधन की प्रणाली की उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की गई है और समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। स्वीकृत सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ङ) जुलाई-नवम्बर, 2003 की अवधि के दौरान कोई जांच आयोग गठित नहीं किया गया है। बहरहाल, रेल संरक्षा आयुक्त

द्वारा दुर्घटनाओं की वैधानिक जांच 14 दुर्घटनाओं में की गई थी। अंतिम जांच रिपोर्ट 8 मामलों में प्राप्त हो गई है और उसमें की गई सिफारिशें मुख्यत: चालक दल के कौशल, डीजिटल वायस रिकार्डर, 'सैंड हम्प्स'' के अभिकल्प की समीक्षा, ड्राइवरों के खून की जांच, कार्य स्थलों का पर्यवेक्षण आदि से संबंधित हैं। रेल संरक्षा आयुक्त की सिफारिशों की जांच व्यवहार्यता, व्यावहारिकता और परिचालनिक निहितार्थों आदि सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है। स्वीकृत सिफारिशों पर कार्रवाई करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(च) दुर्घटना जांच कार्यवाहियों के परिणामों के अनुसार अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है और उनके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। विभिन्न दुर्घटनाओं जिनकी कार्यवाही को अवधि के दौरान अंतिम रूप दे दिया गया है, के लिए चूक के लिए 92 अधिकारी जिम्मेवार पाए गए हैं। 24 अधिकारियों पर बड़ी शास्ति और 68 अधिकारियों पर छोटी शास्ति लगाई थी। (ये अवधि में होने वाली दुर्घटनाओं से आवश्यक रूप से संबंधित नहीं होते)

(छ) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) गतायु परिसंपत्तियों जैसे रेलपथ, पुल, चल स्टाक और सिगनल गियरों के बकाया नवीकरण को 6 वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की एक व्यपगत न होने वाली विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है। इस निधि का अक्टूबर 2001 से उपयोग हो रहा है।

(2) उत्तर रेलवे पर प्रोटोटाइप टक्कर रोधी उपकरण (ए सी डी) का विस्तारित फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम और उत्तर रेलों पर लगभग 3500 मार्ग किलोमीटर पर टक्कर रोधी उपकरण की व्यवस्था संबंधी कार्य स्वीकृत हो चुका है। 10,000 मार्ग किलोमीटर के लिए भी टक्कर रोधी उपकरण संबंधी सर्वेक्षण स्वीकृत किया जा चुका है।

(3) समूचे ''ए'', ''बी'', ''सी'', ''डी'', और ''डी'' स्पेशल मार्गों पर जहां गति 75 किमी. प्र.घं. से अधिक है, उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेल परिपथन का कार्य पूरा हो गया है।

(4) मुम्बई उपनगरीय खंडों पर सहायक चेतावनी प्रणाली कार्य कर रही है।

(5) 200 से अधिक ब्लाक खण्डों पर धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच शुरू की गई है और धीरे-धीरे इसे और ब्लाक खंडों पर भी लागू किया जा रहा है।

(6) रेलपथ स्ट्रेस और श्रांति से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जब कभी अपेक्षित होता है रेलपथ संरचना को, कंक्रीट स्लीपरों पर 60 किलोग्राम भार वाली पटरियों का उपयोग करके योजनाबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जाता है। रेल पटरियों के निर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली स्टील की किस्म को अपग्रेड किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय रेल यूनियन (यूआईसी) की विशिष्टियों के अनुरूप है।

(7) अनुरक्षण में सुधार और बेहतर परिसम्पत्ति विश्वसनीयता के लिए रेलें पटरियों की झलाई करके सभी इकहरी पटरियों को यथासंभव लम्बी झलाई युक्त पटरियों में बदल कर रेलपथ पर फिश प्लेट ज्वाइंटों को निरंतर समाप्त कर रही हैं। पुन: लाइनें बिछाने/नई लाइनों के निर्माण/आमान परिवर्तन के दौरान यथासंभव कंक्रीट स्लीपरों पर लम्बी झलाई युक्त पटरियां बिछाई जाती हैं। टर्नआउटों को भी व्यवस्थति तरीके से बेहतर बनाया जा रहा है।

(8) सभी उत्पादन इकाईयों, अधिकांश कारखानों और कुछ शेडों/डिपो ने आईएसओ 9001 गुणवत्ता मानकों के अनुसार ''गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली'' विकसित और लागू की है। सभी अन्य महत्वपूर्ण विनिर्माण/अनुरक्षण इकाईयों को भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू करने के लिए कहा गया है। धुरों में खराबियों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य जांच उपस्कर का उपयोग किया जा रहा है।

(9) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई टेम्पिंग और ब्लास्ट क्लीनिंग मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। परिष्कृत ट्रैक रिकार्डिंग कारों, पराश्रव्य दोष पता लगाने, सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कारों, दोलनलेखी कारों और पोर्टेबल एक्सलरोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(10) रेलपथ का यथापेक्षित जब नवीकरण किया जाना होता है तो उनका नवीकरण किया जाता है।

(11) आधुनिक पुल निरीक्षण और प्रबंधकीय प्रणाली को अपनाया जा रहा है जिससे नान-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग तकनीक, पानी के अंदर जांच, फाइबर कंपोजिट रैपिंग, मैपिंग अननोन फाउंडेशन और इंटेग्रिटी टेस्टिंग आदि हो सके।

(12) मानसून, ग्रीष्म काल और शीत काल के दौरान भेद्य स्थलों पर रेलपथ पर गहन रूप से गश्त लगाई जाती है।

(13) समपारों पर अंतर्पाशन, चौकीदार वाले समपारों पर टेलीफोन की व्यवस्था जैसे कुछ अन्य संरक्षा उपाय रेलों पर संस्थापित किए जा रहे हैं।

(14) बेहतर संरक्षा और सिगनल प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए नए प्रौद्योगिकीय इनपुट जैसे सालिड स्टेट अंतर्पाशन, अंकीय धुरा काउंटर, हाई परफारमेन्स मशीनों का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है।

(15) तीव्र संचार के लिए सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी मुहैया कराये गये हैं। ड्राइवरों और गार्डों को परम्परागत मिट्टी के तेल से जलने वाले सिगनल लैम्पों के बदले उत्तरोत्तर बेहतर दृश्यता वाले एलईडी आधारित इलेक्ट्रोनिक फ्लैशिंग लैम्प और हैंड सिगनल लैम्प भी मुहैया कराए जा रहे हैं।

(16) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का इस्तेमाल करना भी शामिल है। प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 73 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं और आपदा प्रबंधन माड्यूल भी विकसित किए जा रहे हैं।

(17) गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कमियां पाई जाती है उन्हें क्रैश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए प्रतीक्षित संरक्षा कर्मचारियों को गाड़ी की ड्यूटी करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है।

(18) विभिन्न विभागों की टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की आवधिक संरक्षा संबंधी जांच शुरू की गई है। अंत: रेलवे निरीक्षण और रेलवे बोर्ड की टीमों द्वारा निरीक्षण करना भी शुरू किया गया है।

(19) ड्राइवरों की ड्यूटी पर आने के समय उन्होंने शराब पी रखी है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ब्रेथलाइजर जांच की जाती है और दोषियों की पहचान करने के लिए अचानक जांच भी की जाती है।

(20) अचानक निरीक्षण और छद्म जांच करने पर जोर दिया जाता है। शार्ट कट तरीके अपनाने को रोकने के लिए रात के समय निरीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और दोषी पाये जाने वालों पर कार्रवाई की जाती है।

(21) दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए एंटी-क्लाइम्बिग फीचर वाले सवारी डिब्बें शुरू किए गए हैं। सेंटर बफर कपलर (सी बी सी) वाले सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है।

(22) सवारी डिब्बों की फर्निशिंग के लिए अग्नि रोधी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

(23) अग्निरोधी पीवीसी फ्लोरिंग, अंदरूनी पैनेलिंग, सीलिंग, अपहोलेस्ट्री आदि का प्रयोग किया जा रहा है।

(24) बिजली संबंधी फिटिंगों, फिक्सचरों जैसे एमसीबी, लाइट फिटिंग, टर्मिनल बोर्डों, कनेक्टरों आदि में उपयोग की गई सामग्री में सुधार किया गया।

(25) ज्वलनशील सामान ले जाने से यात्रियों को रोकने के लिए गहन प्रचार अभियान चलाए जाना।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में इस बात को स्वीकारा है कि चौकीदार वाले जितने समपार है, वहां केवल तीन दुर्घटनायें हुई हैं लेकिन जिन समपारों पर चौकीदार नहीं हैं, वहां 53 दुर्घटनायें हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां चौकीदार नहीं हैं, क्या वहां चौकीदारों की नियुक्तियां करना चाहते हैं ताकि भविष्य में दुर्घटना न हो?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, रेलवे में लगभग 21 हजार से ज्यादा ऐसे समपार हैं, जिन पर चौकीदार नहीं हैं, यानी वे अनमैन्ड हैं, इनकी मैनिंग करने के लिए हम लोगों ने हर साल फंड का प्रोविजन किया है। लेकिन माननीय सदस्य ने जहां चौकीदार नहीं है, जो चौकीदार रहित समपार हैं, उन्हें चौकीदार सहित बनाने या उनकी मैनिंग करने के बारे में कहा है, उनकी मैनिंग करना शायद संभव नहीं हो पायेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। लेकिन हां, हर साल मैनिंग के लिए जो क्राइटीरिया बनाया गया है, उसके हिसाब से उसकी स्वीकृति दी जा रही है और यह कोशिश है कि उस क्राइटीरिया में जो समपार आते हैं, उनकी मैनिंग की जाए, यह इसमें रखा गया है और हमारे पास एक फंड है, उसका एक हिस्सा हर साल हम ईयरमार्क करते हैं।

श्री रघुनाथ झा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें इनके

सेफ्टी कमिश्नर ने जो जांच की है, जांच के उपरांत सिर्फ छोटे तबके के अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारियों को दंडित किया गया है। क्या किसी बड़े पदाधिकारी को इसमें दंडित किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, जब भी किसी दुर्घटना की जांच होती है तो उसमें जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाती है और उसमें तीन प्रकार से जवाबदेही देखते हैं—प्रथम-प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, द्वितीय-सैकिंडरी रिस्पांसिबिलिटी और तृतीय-ब्लेम वर्दी यानी तीन प्रकार से उसमें लोगों का निर्धारण होता है, किसकी कितनी जवाबदेही है, उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें कर्मचारी और पदाधिकारी दोनों तरह के लोग होते हैं, जिन पर कार्रवाई होती है। चूंकि माननीय सदस्य ने संख्या नहीं पूछी है वरना हमने जो आकलन किया है उसमें पाया है कि जितनी भी जवाबदेही सुनिश्चित होती है उसमें सख्त कार्रवाई या मेजर पैनल्टी लगभग 35 प्रतिशत मामलों में होती है और 65 प्रतिशत मामलों में माइनर पैनल्टी होती है। आपने कर्मचारियों और पदाधिकारियों के बारे में जो अलग-अलग पूछा है, वह हमारे पास अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 48, श्री टी. गोविन्दन-अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 49 श्री रामजी मांझी और श्री विनय कुमार सोराके - अनुपस्थित।

[अनुवाद]

रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर राजसहायता

*50. + **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रसोई गैस और मिट्टी तेल पर राजसहायता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजसहायता का भार सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों और निजी क्षेत्र के उत्पादकों पर डालने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजसहायता समाप्त करने हेतु इन कंपनियों पर उसका भार डालने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की समाप्ति पर सरकारी निर्णय के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी पर राजसहायता 1.4.2002 से प्रभावी तीन से पांच वर्ष में समाप्त की जानी है। सरकारी राजसहायता समान दर आधार पर है और उसके लिए गणना करने के बाद तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) इन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बदलाव के अनुरूप खुदरा बिक्री मूल्यों में बदलाव कर सकती हैं।

पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी जन खपत के घरेलू ईंधन हैं। इन उत्पादों के अपेक्षाकृत ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को घरेलू बिक्री मूल्यों में अंतरित करना उपभोक्ताओं को कठिनाई में डालना हुआ होता। अत: इस मामले की पुन: जांच की गई और उपभोक्ता हित में यह निर्णय लिया गया कि ओ एम सीज इन उत्पादों के बिक्री मूल्यों में वर्ष 2003-04 के दौरान वृद्धि नहीं करेंगी और ओ एम सीज की परिणामी न्यून वसूलियां तेल कंपनियों के बीच समावेशित/विभक्त कर ली जाएंगी। तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी एस यूज) के बीच पूर्वोक्त न्यून-वसूलियों को विभक्त करने की क्रियाविधि को तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विचारों पर गौर करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तेल क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कौन-कौन सी कंपनियां हैं तथा उन पर राजसहायता का कितना हिस्सा वहन करना होगा तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को राजसहायता का कितना हिस्सा वहन करना होगा। कमर्शियल उपयोग के लिए दिये जाने वाले गैस सिलैन्डर और मिट्टी के तेल पर इस समय कितनी सब्सिडी है तथा इसे समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री राम नाईक: अध्यक्ष जी, इस समय पब्लिक सैक्टर में 12 कंपनियां हैं और प्राइवेट सैक्टर में प्रत्यक्ष उत्पादन करने वाली रिफाइनरी केवल एक है जो रिलायंस की है। जहां तक सब्सिडी

का सवाल है, सरकारी ने यह निर्णय किया है कि यह सब्सिडी धीरे-धीरे तीन से पांच साल तक समाप्त की जायेगी। इस समय लगभग दो प्रकार की सब्सिडी है, एक बजट के माध्यम से आती है, उसमें फ्लैट रेट सब्सिडी आती है। यह एक सिलैन्डर पर 45.17 रुपये है और जो अंडर रिकवरी है, वह सामान्यत: 84.85 रुपये है। इस प्रकार दोनों को मिलाकर इस समय 130 रुपये सब्सिडी एक सिलैन्डर पर दी जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को विश्व बैंक का ऋण

***42. श्री अरुण कुमार:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से अब तक कितनी राशि का ऋण लिया गया है;

(ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ऋण पर ब्याज के रूप में प्रति वर्ष अब तक कितनी राशि व्यय कर चुका है; और

(ग) इन ऋणों के भुगतान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने विश्व बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है। एनएचपीसी ने 31.3.2003 तक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं/बाजार बाण्डों आदि के माध्यम से कुल 12,433 करोड़ रुपये तक का ऋण आहरित किया है। इसमें से 4926 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है 31.3.2003 तक 7507 करोड़ रुपये बकाया है।

(ख) विगत 5 वित्तीय वर्षों के दौरान एनएचपीसी द्वारा लिए गए ऋण पर अदा की गई ब्याज राशि के ब्यौरे निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1998-1999	496
1999-2000	492
2000-2001	507
2001-2002	506
2002-2003	564

(ग) एनएचपीसी द्वारा ऋण अदायगी अर्थात् ब्याज भुगतान एवं ऋण आदि की पुन:अदायगी, अपने पास उपलब्ध निधियों अर्थात् आंतरिक संसाधनों व बाह्य उधारों के माध्यम से की जा रही है। एनएचपीसी का आरंभ से ही ऋण व्यवस्था संबंधी रिकार्ड अच्छा रहा है और उसे अपने ऋणों की अदायगी में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

कार्पोरेट संरक्षा योजना

***45. श्री उत्तमराव पाटील:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **रेल मंत्री** कार्पोरेट संरक्षण योजना के बारे में 7 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2584 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003 से 2013 तक के लिए ऐसी 10-वर्षीय कापोर्रेट संरक्षा योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितना निवेश/धनराशि परिकल्पित की गई और ऐसी धनराशि से चालू वर्ष के दौरान शीर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई/व्यय की जाने वाली है; और

(ङ) इस योजना के क्रियान्वयन से देश में रेल दुर्घटनाओं को कम करने में कितनी मदद मिलेगी?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ग) 2003-2013 की अवधि के लिए भारतीय रेल की "समवेत संरक्षा योजना" को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे 19 अगस्त, 2003 को सभा पटल पर रखा गया था।

(ख) और (ङ) समवेत संरक्षा योजना में उन उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों का उल्लेख है जिन्हें भारतीय रेलें अगले दशक में प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगी। इस प्रलेख में वित्तीय निवेशों की आकलित अनुमानित आवश्यकता के साथ-साथ संरक्षा संबंधी कार्यों की व्यापक प्राथमिकताएं और समय-अवधि शामिल है।

योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में अनुमानित कमी इस प्रकार है:

(1) 2002-03 में 0.44 प्रति मिलियन समग्र परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं को 2012-13 में 0.17 तक कम करने का लक्ष्य।

(2) टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी) और अन्य उपायों का गहन उपयोग करके टक्करों को समाप्त करने का लक्ष्य।

(3) गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं में 60% कमी।

(4) आग न पकड़ने वाले सवारी डिब्बों का प्रयोग करके और मौजूदा सवारी डिब्बों में अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग करके आग लगने की घटनाओं में कमी और परिणामस्वरूप होने वाले हताहतों की संख्या में 80% की कमी।

(5) समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं के बढ़ते रुख को रोकना।

(6) क्रैशवर्दी सवारी डिब्बों और एंटी-क्लाइमिंग विशेषताओं सहित टाइट लाक कपलरों का उपयोग करके गंभीर दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या में कमी करने का लक्ष्य।

(7) तात्कालिक आधार पर सभी संरक्षा कोटि के पदों को भरना।

(8) 50 से 57 वर्ष के आयु वर्ग के गैंगमैन और ड्राइवरों के लिए संरक्षा संबद्ध सेवा-निवृत्ति योजना (एस आर आर एस) का प्रस्ताव।

(घ) योजना अवधि के दौरान इस योजना में पहचाने गए और वर्णित संरक्षा संवर्द्धन कार्यों पर जोर दिया जाएगा। दस वर्ष की अवधि (2003-2013) के दौरान संरक्षा योजना में सूचीबद्ध विभिन्न संरक्षा संवर्द्धन कार्यों के लिए कुल निवेश 31,835 करोड़ रुपए होगा। इसमें से 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था विशेष रेल संरक्षा निधि (वि.रे.सं.नि.) से और 8911 करोड़ रुपए की व्यवस्था रेल संरक्षा निधि (रे.सं.नि.) से की जानी है। योजना को पूरा करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

विभिन्न योजना शीर्षों के लिए वि.रे.सं.नि. और रे.सं.नि. के अंतर्गत शुद्ध बजट आबंटन और सितम्बर, 2003 के अंत तक शुद्ध खर्च नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

योजना शीर्ष	2003-04 में बजट अनुमान (शुद्ध)		सितम्बर 2003 तक खर्च (शुद्ध)	
	रे सं नि	वि रे सं नि	रे सं नि	वि रे सं नि
चल स्टाक	–	219	–	171
सड़क संरक्षा कार्य-समपार	120	–	28	–
सड़क संरक्षा कार्य-ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल	313	–	26	–
रेलपथ नवीकरण	–	1407	–	740
पुल संबंधी कार्य	–	210	–	52
सिगनल और दूर संचार संबंधी कार्य	–	460	–	156
मशीन और संयंत्र	–	13	–	12
अन्य बिजली संबंधी कार्य	–	1	–	–
अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	–	1	–	–
जोड़	433	2311	54	1131

उपर्युक्त के अलावा, रोजमर्रा के नवीकरणों और बदलावों के लिए संरक्षा संबंधी योजना शीर्षों पर खर्च की व्यवस्था भी मूल्यह्रास आरक्षित निधि से की जाती है। इन योजना शीर्षों पर कुछ खर्च विकास निधि, पूंजी आदि जैसे अन्य स्रोतों से भी किया जाता है।

कोंकण मार्ग पर मानसून का प्रभाव

***48. श्री टी. गोविन्दन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोंकण रेल मार्ग पर विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान समस्याओं का सामना किया जा रहा है, जिसके कारण रेल यातायात नियमित रूप से बाधित होता है;

(ख) यदि हां, तो यातायात के बाधित होने, गाड़ियों के रद्द किए जाने तथा यात्रियों को हो रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2003 के दौरान कोंकण रेलवे पर यातायात बाधित होने की 15 घटनाएं हुई थीं, जब गाड़ियां 4 घंटे से अधिक समय तक रोकी गई थीं। गाड़ियों का विवरण और उनके बाधित होने का समय दर्शाने वाला विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) मानसून के मौसम के दौरान भेद्य स्थलों की गश्त करने के अलावा यात्री गाड़ियों के गुजरने से पहले चौबीसों घंटे रेल इंजनों द्वारा गश्त और 40 किमी. प्रति घंटा के अस्थायी गति प्रतिबंध जैसे तत्काल अस्थायी उपाय किए गए थे। 12 मीटर से अधिक गहराई की सभी गहरी कटिंगों में "रक्षा धागा" नामक दृश्य-श्रव्य चेतावनी उपकरण लगा दिए गए हैं। जहां सुरंगें शुरू होती हैं वहां सैंड बैक बफर्ज रखे गए हैं। 15 मीटर और उससे अधिक कटिंग वाली चट्टानों में विशेष स्टील बोल्डर नेट लगाने, अन्य प्रकार की कटिंग में राक बोल्टिंग और शाटक्रेटिंग लगाने, टो प्रोटेक्शन दीवार सहित लाइन के साथ नाली या ढाल के साथ-साथ खुदाई के कार्य किए जा रहे हैं। लेटराइट राक/साइल डीप कटिंग, साइड स्लोपों को 1:1 में चपटा बनाया जा रहा है और अतिरिक्त बर्मों की व्यवस्था की जा रही है। पूर्ण संरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कोंकण रेलवे ने एक समवेत संरक्षा योजना (2003-2013) तैयार की है।

विवरण

गाड़ी रुकौनी की सूची (2003 के दौरान कोंकण रेलवे का 4 घटों से अधिक समय तक)

क्र.सं.	तारीख	समय	कि.मी.	गाड़ी रुकौनी
1	2	3	4	5
1.	19/6/03	3:45	526/4-5	6346 - 6 घंटे 39 मिनट 6338 - 4 घंटे 05 मिनट
2.	21/6/03	18:58	508/4-5	2620 - 9 घंटे 54 मिनट
3.	21/6/03	22:30	532/7-9	2619 - 4 घंटे 15 मिनट 6337-चिपलुन (विनियमित)-5 घंटे 30 मिनट के मंगलौर-वरुणा पैसेंजर और वरुणा मंगलोर पैसेंजर रद्द की। 2618, 2617, 6345, 6346 मार्ग बदला गया।
4.	22/6/03	7:33	579/01	कि.मी. 532 पर गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण गाड़ियों का पहले ही रद्द/विनियमित/मार्ग परिवर्तित किया गया था।
5.	22/6/03	9:35	522/03	कि.मी. 532 पर गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण गाड़ियां पहले ही प्रभावित हुई थी।
6.	22/6/03	14:05	626/0-1	कि.मी. 532 पर गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण गाड़ियां पहले ही प्रभावित हुई थी।
7.	22/6/03	17:45	83/7-8	2052-चिपलुन में टर्मिनेट की गई। 165-दिवान खावाती में टर्मिनेट की गई।

1	2	3	4	5
8.	22/6/03	21:15	278/5-6	4 दिन के लिए यातायात पूर्णतया बाधित रहा
9.	06/07/03	9:35	478/5-6	मंगलौर-वरुणा पैसेंजर कारवाड़ में टर्मिनेट की गई वरुणा-मंगलौर पैसेंजर कारवाड़ से चलाई गई 1097 - 4 घंटे 30 मिनट 6337 - 2 घंटे 10 मिनट
10.	07-07-03	6:20	230/9-0	2619 - 7 घंटे 45 मिनट 6335 - 10 घंटे 15 मिनट 2620 - 2 घंटे 35 मिनट 0111 - 6 घंटे 50 मिनट 2432 - 3 घंटे 35 मिनट डाउन गुड्स - 5 घंटे 31 मिनट एम ई स्पेशल - 1 घंटे 04 मिनट 104 - 2 घंटे 25 मिनट सावंतवाड़ी-दिवा सिन्धुदुर्गा पैसेंजर 5 घंटे 28 मिनट
11.	07-07-03	9:10	508/4-6	2977 - 7 घंटे 50 मिनट के मंगलौर वरुणा पैसेंजर कुमता में टर्मिनेट की गई वरुणा मंगलौर पैसेंजर कुमता से चलाई गई
12.	19/7/03	0:35	257/2-3	2619 - 4 घंटे 37 मिनट 2620 - 2 घंटे 55 मिनट 0112 - 4 घंटे 14 मिनट
13.	14/08/03	21:15	242/0-1	2619 - 5 घंटे 54 मिनट 0112 - 4 घंटे 43 मिनट 2620 - 3 घंटे 27 मिनट
14.	21/10/03	4:50	478/2-4	कारवाड़ मडगांव शटल रद्द की गई 2617 - 5 घंटे 27 मिनट 6346 - 2 घंटे 44 मिनट

खराब गोलों की आपूर्ति

***49. श्री रामजी मांझी:**
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना ने टी-72 प्रमुख युद्धक टैंकों के लिए देश में ही बने 87000 गोलों को बेकार घोषित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तत्पश्चात् सेना ने 11 माह के 'आपरेशन पराक्रम' के दौरान उपयोग के लिए इस्राइल से 25000 गोलों (राउन्ड्स) की खरीद की थी;

(घ) क्या आयुद्ध कारखाने प्रमुख युद्धक (बैटल) टैंक पर लगी '125 एम.एम. स्मूथ बोर गन' में उपयोग हेतु स्वीकार्य गुणवत्ता के गोलों के उत्पादन में सक्षम है; और

(ङ) यदि हां, तो इस्राइल से इन गोलों की और खरीद के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) सेना ने 88000 चक्र 125 मि.मी. एफ एस ए पी डी एस (फिन स्टेबलाइज आर्मर पेनिट्रेटिंग डिस्कार्डिंग सेबाट) हाइब्रिड गोलाबारूद की अप्रयोज्य के रूप में छंटनी की है। छंटनी किया गया यह गोलाबारूद रूस तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डिजाइन का हाइब्रिड श्रेणी का गोलाबारूद है। टैंक के युद्धक कक्ष के भीतर जलते टुकड़ों तथा कारतूस खोल से टुकड़ों के गिरने के कारण हाइब्रिड गोलाबारूद का विनिर्माण रोक दिया गया है। आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा मौजूदा विनिर्माण केवल देशी डिजाइन के अनुसार है। जून, 2001 में उत्पादन फिर से शुरू किए जाने से लेकर आयुध निर्माणी बोर्ड ने एफ एस ए पी डी एस गोलाबारूद के 1,30,000 चक्रों से अधिक की आपूर्ति की है। यह गोलाबारूद सभी गुणता मापदण्डों को पूरा करता है तथा निर्धारित स्वीकार्यता की कसौटी पर सही उतरता है।

इससे पहले आपरेशन पराक्रम के दौरान, सेना द्वारा, अप्रयोज्य के रूप में 88,000 चक्रों की छंटनी किए जाने से भण्डार में हुई कमी को पूरा करने के लिए, तात्कालिक आधार पर गोलाबारूद का आयात करने का मामला उठाया गया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा 3 सितंबर, 2003 को इजराइल से 20,000 चक्रों का आयात करने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा आपूर्ति के बावजूद बाकी रही कमी को आंशिक रूप से पूरा किया जा सके। आयुध निर्माणी बोर्ड एवं इजराइल से प्राप्त गोलाबारूद को हिसाब में लेने के बाद 31 मार्च, 2003 को इस गोलाबारूद के 3,47,193 चक्रों की कमी थी।

आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा पूर्व में आपूर्ति किए गए हाइब्रिड गोलाबारूद के 88,000 चक्रों के इस्तेमाल/सुधार के बारे में विचार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है।

विकलांग बच्चों के लिए पब्लिक स्कूलों को सहायता

***51. श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'सेरेब्रल पाल्सी' आदि से पीड़ित बच्चों की शिक्षा की सुविधाओं वाले पब्लिक स्कूलों को कोई सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी शिक्षा के लिए पब्लिक स्कूलों द्वारा लिए जा रहे शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) आदि के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पब्लिक स्कूल ऐसे बच्चों से अत्यधिक शिक्षण शुल्क वसूल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) जी, नहीं। सरकार विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाले पब्लिक स्कूलों को अनुदान या सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित नहीं करती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के लिए एक समान नियम

***52. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मल्टीप्लेक्स एसोशिएशन आफ इंडिया ने उनसे मिलकर सिनेमा विनियामक उपबन्धों में बदलाव के लिए जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा किन-किन परेशानियों का सामना किया जा रहा है; और

(ग) देश में सभी राज्यों पर लागू होने वाले व्यापक आदर्श विनियम का प्रारूप तैयार करने और उद्योग के लिए नियम आसान बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ (फिक्की) के तत्वावधान में मल्टीप्लैक्स एसोसिएशन आफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने इस मंत्रालय को बहुपरिसर क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेषकर पुराने और विषम विनियमों से उत्पन्न मुश्किलें जो कि इस क्षेत्र की वृद्धि में रुकावट डालती हैं, से अवगत कराया है। इस मंत्रालय ने फिक्की को संरचित आदर्श सिनेमा और सिनेमा से संबंधित विनियमों को बनाने का कार्य सौंपा है जिसमें फिल्म क्षेत्र के लिए एक समान विकास पद्धति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुपरिसरों को चलाने के लिए स्वस्थ्य वातावरण प्रदान करने के पहलू को शामिल किया जा सकता है।

क्योंकि ''प्रमाणन के अलावा सिनेमा राज्य का विषय है इसलिए फिल्मों के प्रदर्शन के लिए कानूनों को राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किया जाता है। इस मंत्रालय ने मनोरंजन क्षेत्र के विकास हेतु एक समिति गठित की है जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों में मनोरंजन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, अनुकूल नीतिगत ढांचे का सुझाव देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हाल ही में अक्तूबर, 2003 को हुई इस समिति की बैठक में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों के प्रतिनिधियों, अध्यक्ष, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन आफ इंडिया तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को शामिल करके एक समिति गठित की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ फिक्की द्वारा बनाए गए विनियमों की जांच करेगी और समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।'' तब समिति की अन्तिम सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ परिचालित कर दी जाएगी।

इसके अलावा इस बात को महसूस करते हुए कि बेहतर प्रदर्शन अवसंरचना फिल्म क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी, भारत सरकार ने वर्ष 2002-2003 के बजट में निगम सीमाओं से बाहर बहु-परिसर स्थापना हेतु करावकाश का प्रस्ताव किया है।

राज्य बिजली बोर्डों को पारेषण और वितरण हानियां

***53. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारेषण और वितरण में वार्षिक 30,000 करोड़ से भी अधिक की हानि होने के कारण राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए;

(ग) क्या सरकार का पारेषण और वितरण हानियां कम करने हेतु राज्यों की मदद के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करने के प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं और राज्यों का ब्यौरा क्या है जो प्रोत्साहन के लिए अब तक योग्य पाए गए हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय व्यावहारिकता में सुधार करने के लिए सरकार ने त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शुरू किया है। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं, यथा निवेश घटक तथा प्रोत्साहन घटक। निवेश घटक के अंतर्गत केन्द्र सरकार गैर-विशेष समूह वाले राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों को 50% अनुदान तथा 50% ऋण के रूप में वितरण प्रणाली के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए कुल परियोजना लागत में से 50% लागत हेतु सहायता प्रदान करती है। विशेष समूह वाले राज्यों (पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और सिक्किम) के मामले में भारत सरकार परियोजना की 100% लागत हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो 90% अनुदान तथा 10% ऋण के रूप में दिया जाता है।

कार्यक्रम के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत राज्यों को रा.वि. बोर्डों/यूटिलिटियों को हुई वास्तविक नकदी हानि में कमी के लिए 1:2 रूप में अनुदान दिया जाता है, अर्थात् प्रत्येक 2 रुपये के नकदी हानि में कमी के लिए 1 रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान चार राज्यों, यथा महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान ने क्रमश: 579.74 करोड़ रु., 1072.30 करोड़ रु. 210.98 करोड़ रु. और 275.42 करोड़ रु. की नकदी हानि में कमी हासिल की है और इस प्रकार वे क्रमश: 289.87 करोड़ रु., 536.15 करोड़ रु., 105.49 करोड़ रु. तथा 137.71 करोड़ रु. के प्रोत्साहन के हकदार हो गए हैं। 31 मार्च, 2003 को महाराष्ट्र, गुजरात एवं हरियाणा को क्रमश: 137.89 करोड़ रु., 236.37 करोड़ रुपए और 5.01 करोड़ रु. प्रोत्साहन के रूप में अंतरिम रूप से जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा की शेष प्रोत्साहन राशि तथा राजस्थान को प्रोत्साहन का भुगतान वर्ष में कर दिया जाएगा।

नि:शक्तों की दुर्दशा के बारे में एन.जी.ओ. और सरकार की बैठक

***54. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त व्यक्तियों की दुर्दशा के बारे में गैर-सरकारी संगठनों और सरकार के बीच कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देने में अधिक पारदर्शिता बरतने हेतु दिए गए आश्वासनों या किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विमान दुर्घटना

***55. श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003 के दौरान श्रेणी-वार और स्थान-वार कितने सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं में कितने विमानचालक और नागरिक मारे गए और उनके आश्रितों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या हैं और प्रत्येक मामले में कराई गई जांच के क्या परिणाम निलकले;

(घ) क्या सरकार ने इन विमानों की जांच कराई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या प्रत्येक मामले में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार पुराने मिग विमानों को चरणबद्ध ढंग से हटाने का है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (झ) कैलेंडर वर्ष 2003 के दौरान हुई रक्षा विमानों की श्रेणी 1 की दुर्घटनाओं के ब्यौरे, उनके कारण तथा इन दुर्घटनाओं में मारे गए चालकों तथा सिविलियनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मारे गए चालकों और सिविलियनों के आश्रितों को समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

प्रत्येक दुर्घटना के बाद, विमान की जांच करने तथा दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच अदालत बिठाई की जाती है। यदि दुर्घटना का कारण मानवीय चूक हो तो आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। तकनीकी खराबियों के कारण दुर्घटना होने के मामले में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड/मूल उपस्कर विनिर्माता के साथ परामर्श करने के उपरांत कार्रवाई शुरू की जाती है।

28 जनवरी, 4 जून तथा 14 जुलाई, 2003 को हुई दुर्घटनाएं विवरण में क्रम सं. 2, 6 तथा 9), जो मानवीय चूक के कारण हुई थीं, के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि चालक दुर्घटनाओं में मारे गए थे। 22 जुलाई, 2003 को हुई दुर्घटना विवरण में क्रम सं. 10) के मामले में चालक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मिग विमानों के चरणबद्ध तरीके से हटाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि सभी विमानों को, उनकी कुल तकनीकी आयु पूरी होने पर चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	दुर्घटना की तारीख	विमान	सेवा	दुर्घटना का स्थान	जांच अदालत द्वारा निर्धारित दुर्घटना का कारण	मारे गए चालकों की संख्या	मारे गए सिविलियनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	24 जनवरी, 03	चीता हेलीकाप्टर	सेना	बड़ौदा	तकनीकी खराबी	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	28 जनवरी, 03	जगुआर	वायुसेना	नल (भुज)	मानवीय चूक (चालक दल)	1	शून्य
3.	26 मार्च, 03	सी किंग हेलीकाप्टर	नौसेना	गोवा तट	जांच अदालत ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है।	शून्य	शून्य
4.	4 अप्रैल, 03	मिग-23	वायुसेना	हलवारा	तकनीकी खराबी	शून्य	7
5.	7 अप्रैल, 03	मिग-21	वायुसेना	अंबाला	तकनीकी खराबी	शून्य	शून्य
6.	4 जून, 03	मिग-21	वायुसेना	उत्तरलाई	मानवीय चूक (चालक दल)	1	शून्य
7.	18 जून, 03	एच पी टी-32	वायुसेना	तंबरम	तकनीकी खराबी	शून्य	शून्य
8.	7 जुलाई, 03	मिग-23	वायुसेना	हलवारा	तकनीकी खराबी	शून्य	शून्य
9.	14 जुलाई 03	मिग-21	वायुसेना	श्रीनगर	मानवीय चूक (चालक दल)	2	शून्य
10.	22 जुलाई, 03	जगुआर	वायुसेना	अंबाला	मानवीय चूक (चालक दल)	शून्य	शून्य
11.	31 जुलाई, 03	चेतक	वायुसेना	हाकिमपेट	तकनीकी खराबी	2	शून्य
12.	24 अगस्त, 03	सी हैरियर	नौसेना	गोवा तट	जांच अदालत का कार्य पूरा नहीं हुआ है।	शून्य	शून्य
13.	6 नवंबर, 03	किरण	वायुसेना	हाकिमपेट	जांच अदालत का कार्य पूरा नहीं हुआ है।	2	शून्य
14.	28 नवंबर, 03	मिग-21	वायुसेना	नल (भुज)	जांच अदालत का कार्य पूरा नहीं हुआ है।	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

सेट टाप बाक्स का मूल्य निर्धारण

***56. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''सशर्त उपागम प्रणाली (कैस)'' के क्रियान्वयन के लिए देश में अब तक कितने सेट टाप बाक्सों का आयात किया गया है;

(ख) इन उपकरणों को किस मूल्य और किन शर्तों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) क्या सेट टाप बाक्स के मूल्य निर्धारण और विभिन्न चैनलों को दिखाने हेतु लगाए जा रहे प्रभार से संबंधित मुद्दे का समाधान कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का क्रय विनियामक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 16.08.2003 तक सशर्त पहुंच प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु देश में 1,59,580 सेट टाप बाक्सों का आयात किया गया।

यह अनुमान लगाया गया है कि एक सादृश्य सेट टाप बाक्स की कीमत लगभग 2500 रुपये होगी और एक डिजिटल सेट टाप बाक्स की कीमत 2700 रुपये से 4000 रुपये (विशेषताओं के आधार पर) के बीच होगी। बहु-प्रणाली संचालक और केबल आपरेटर आदि ने सेट टाप बाक्स खरीदने के लिए ग्राहकों को कई विभिन्न विकल्प अर्थात आसान किश्तों पर/किराया खरीद पर/तुरन्त खरीद, उधार योजना आदि प्रस्तुत किए हैं। इसलिए ग्राहकों को यह कीमत कीफायती होगी। उदाहरण के तौर पर इन केबल नेट के डिजिटल सेट टाप बाक्स का परिचायक प्रस्ताव किया है, जो ग्राहकों को 999 रुपये प्रतिदेय जमा करने और प्रतिदिन नाममात्र का 1 रुपया किराया देने पर उपलब्ध होगा। सिटी केबल और हैथवे भी इसी प्रकार प्रतिदेय जमा तथा प्रतिदिन नाममात्र के किराये पर सेट टाप बाक्स उपलब्ध करा रहे हैं। जबकि सरकार ने न्यूनतम

फ्री-टू-एयर ऐसे 30 चैनलों की कीमत 72 रुपये (स्थानीय कर के अतिरिक्त) निर्धारित की है, पे चैनलों की कीमत बाजार के आधार पर तय की जाएगी। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) नियमावली, 1994 को 6 जून, 2003 को एक अधिसूचना जारी कर संशोधित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पे चैनल के शुल्क दरों को प्रसारित करने का तरीका तथा केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। केबल आपरेटर 15 जून, 2003 तक यह घोषणा करेगा कि कौन सा चैनल ''पे चैनल होगा और कौन सा फ्री-टू-एयर'' और साथ ही पे चैनलों की दरें तथा छूट, यदि कोई हो, भी घोषित करेगा।

संशोधित नियमों में यह भी व्यवस्था है कि यदि केबल आपरेटर प्रसारक द्वारा सूचना न देने के कारण 31 अगस्त, 2003 तक यह घोषणा नहीं कर पाएंगे कि कौन सा चैनल ''पे चैनल है या कौन सा फ्री-टू-एयर'' है और पे चैनल का शुल्क क्या है, तो 08.09.2003 को जारी अधिसूचना जो मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एम आई बी. एन आई सी. इन पर उपलब्ध है के अनुसार केबल आपरेटर 31 अगस्त, 2003 के बाद अपने नेटवर्क से ऐसे चैनल प्रसारित नहीं कर पाएंगे।

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का सृजन

***57. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के सृजन हेतु श्रेणी-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्यवार और श्रेणीवार अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्त्रोतों के दोहन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) देश में 10वीं और 11वीं योजनाओं में नई विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि का 10 प्रतिशत भाग अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों अर्थात पवन, लघु पनबिजली, बायोमास और सौर से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में 10वीं योजना में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से 3075 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि करने पर विचार किया गया है। इसके अलावा विभिन्न विकेन्द्रित अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में 10वीं योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं।

(ख) 10वीं योजना के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस मंत्रालय हेतु सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 4000 करोड़ रु. रखी गई है। वर्ष 2002-03 अर्थात् 10वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान जारी की गई राज्यवार और श्रेणीवार निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के दोहन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रियायती सीमा और उत्पाद शुल्कों सहित विभिन्न वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनुसंधान एवं विकास के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के फलस्वरूप बायोगैस, बायोमास गैसीकरण और सौर तापीय क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियां लगाई गई।

विवरण I

10वीं योजना के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य

क. 10वीं योजना के दौरान अक्षय स्त्रोतों से विद्युत

स्त्रोत		लक्ष्य (मेगावाट)
पवन विद्युत	–	1500
लघु पनबिजली	–	600
बायोमास विद्युत/खोई सहउत्पादन	–	700
बायोमास गैसीकरण	–	50
अपशिष्ट से ऊर्जा	–	80
सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	–	5
सौर तापीय विद्युत	–	140
कुल	–	3075

ख. 10वीं योजना के दौरान विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियां

प्रणाली		लक्ष्य
बायोगैस संयंत्र (सं. लाख में)	–	10
सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं. लाख में)	–	2.5
सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र/अन्य प्रणालियां (मेवा.)	–	4
सौर प्रकाशवोल्टीय पंप (सं.)	–	8,000
सौर प्रकाशवोल्टीय जेनरेटर (सं.)	–	10,000
पवन पंप (सं.)	–	800
हाइब्रिड प्रणालियां (किलोवाट)	–	800
सौर जल तापन प्रणालियां (वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र लाख में)	–	5
सौर वायु तापन प्रणालियां (वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र)	–	5,000
सौर कुकर (सं. लाख में)	–	2.05

ग. दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण	–	सभी दूरस्थ बिना बिजली वाले गांवों का विद्युतीकरण

विवरण II

(करोड़ रु. में)

10वीं योजना के वर्ष 2002-03 के दौरान जारी की गई राज्यवार और श्रेणीवार निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस	सीबीपी/ आईबीपी/ एनबीपी	उन्नत चूल्हा	सौर विद्युत	एसएचपी	बायोमास विद्युत	बायोमास गैसी-फायर	अपशिष्ट से ऊर्जा	सौर तापीय	एसपीवी प्रदर्शन	पवन पंप एवं लघु एरोजेनरेटर	एसपीवी पंप	पवन विद्युत	आईआर ईपी	ऊर्जा पार्क	ग्रामीण विद्युतीकरण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	4.280	0.000	0.2500	0.480	2.200	10.697	0.009	1.6700	0.480	1.6700	0.006	0.000	0.040	0.164	0.460	1.085	23.490
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.130	0.030	0.0000	0.000	12.900	0.068	0.283	0.0000	0.000	0.3900	0.000	0.000	0.000	0.104	0.320	0.934	15.158
3.	असम	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.050	0.005	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.290	0.460	0.805
4.	बिहार	0.000	0.000	0.0253	0.000	0.002	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	0.047
5.	छत्तीसगढ़	2.520	0.000	0.1188	0.000	0.000	0.024	0.003	0.0000	0.000	0.3300	0.000	0.000	0.000	0.148	0.320	5.680	9.144
6.	गोवा	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	गुजरात	2.470	0.000	0.500	0.000	0.000	0.035	0.599	0.0208	0.000	2.0500	0.430	0.920	0.000	0.030	0.370	0.000	6.975
8.	हरियाणा	0.160	0.200	0.1637	0.050	0.000	0.060	0.030	0.0000	0.050	2.6800	0.000	2.450	0.020	0.191	0.470	0.000	6.525
9.	हिमाचल प्रदेश	0.220	0.000	0.0069	0.000	6.680	0.000	0.000	0.0000	0.000	1.2000	0.000	0.000	0.000	0.145	0.000	0.000	8.252
10.	जम्मू-कश्मीर	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.0000	0.000	1.0900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	1.190
11.	झारखंड	0.030	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.078	0.0268	0.100	0.2500	0.000	0.000	0.000	0.098	0.490	1.058	2.132
12.	कर्नाटक	5.730	0.000	0.3057	0.000	0.820	1.994	0.190	0.0000	0.000	1.2100	0.000	0.000	1.040	0.50	0.510	0.000	11.849
13.	केरल	0.090	0.250	0.1150	0.000	0.000	0.000	0.062	0.0000	0.000	0.3800	0.000	0.000	0.000	0.365	0.000	0.000	1.262
14.	मध्य प्रदेश	3.980	0.000	0.0000	0.000	0.270	0.000	0.063	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	1.090	5.453
15.	महाराष्ट्र	2.800	0.730	0.0500	0.000	0.170	0.088	0.000	0.0000	0.000	0.2300	1.680	0.000	2.500	0.000	0.620	0.000	8.868
16.	मणिपुर	0.190	0.000	0.0000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.300	7.622
17.	मेघालय	0.250	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.020	0.060	0.0000	0.000	0.0690	0.000	0.114	0.000	0.120	0.100	3.230	3.963
18.	मिजोरम	0.350	0.000	0.000	0.000	0.060	0.000	0.301	0.0000	0.000	0.5700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.281
19.	नागालैंड	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.030	0.000	0.168	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.420	0.000	0.618
20.	उड़ीसा	2.550	0.000	0.7024	0.000	0.000	0.000	0.003	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.255
21.	पंजाब	0.000	0.330	0.0608	1.492	1.740	1.033	0.000	0.0000	1.490	0.5700	0.000	8.380	0.000	0.396	0.580	0.000	16.073
22.	राजस्थान	0.070	0.400	0.0000	0.265	0.000	0.343	0.000	0.0000	0.270	6.3400	0.000	0.000	0.000	0.106	0.040	0.000	7.834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23.	सिक्किम	0.250	0.000	0.0016	0.000	6.720	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.2100	0.000	0.000	0.000	0.023	0.000	0.000	7.204
24.	तमिलनाडु	0.270	0.000	0.1500	0.000	0.080	0.090	0.537	0.0000	0.000	0.7400	0.001	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	1.907
25.	त्रिपुरा	0.150	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.010	1.047	0.0000	0.000	3.7800	0.010	0.000	0.000	0.075	0.000	0.000	5.276
26.	उत्तर प्रदेश	0.000	0.380	0.0000	0.046	0.025	0.331	0.072	8.2833	0.046	7.3400	0.010	0.000	0.000	1.222	0.530	0.000	18.285
27.	उत्तरांचल	0.150	0.480	0.0039	0.100	1.820	0.000	0.072	0.0000	0.100	2.1700	0.000	0.154	0.000	0.274	0.584	1.880	7.788
28.	पश्चिम बंगाल	4.140	0.100	0.3051	0.087	2.790	0.060	0.532	0.0000	0.087	3.2200	0.110	0.000	1.560	0.000	0.320	2.200	15.510
29.	अंडमान और निकोबार	0.000	0.000	0.0000	0.889	3.000	0.000	0.000	0.0000	0.890	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.779
30.	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.0000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.050	0.0770	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	0.000	0.188
31.	दादर और नागर हवेली	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दमन एवं दीव	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
33.	दिल्ली	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.1800	0.000	0.000	0.000	0.030	0.400	0.000	0.610
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.0000	3.920	0.000	0.000	0.000	0.0000	3.920	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.840
35.	पांडिचेरी	0.000	0.000	0.0000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.100	0.0500	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	७.275
36.	अन्य	14.000	0.500	0.3076	0.105	0.130	1.877	1.440	0.0000	0.110	3.9800	0.00	0.000	4.600	0.000	0.090	0.000	27.140
	कुल	44.780	3.400	2.6168	7.584	39.487	16.780	5.554	10.0009	7.693	40.8580	2.261	12.232	9.760	3.552	7.124	24.917	238.599

सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी -सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र

एसएचपी-लघु पनबिजली, एसपीवी - सौर प्रकाशवोल्टीय, आईआरईपी - एकीकृत ग्राम उर्जा कार्यक्रम

[हिन्दी]

नशा मुक्ति केंद्रों का खोला जाना

***58. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नशे की लत के शिकार व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) सरकार द्वारा नशाखोरी को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) देश में नशा मुक्ति केंद्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इस समस्या के समाधान हेतु चालू वर्ष के दौरान अपेक्षित ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत राज्य-वार और स्थान-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता प्राप्त उपचार व पुनर्वास केंद्रों पर 2002-03 के दौरान पंजीकृत मद्यपान और नशीली दवा के व्यवसनियों की संख्या 261707 थी।

यह स्वीकार करते हुए कि मद्यपान और नशीला पदार्थ दुरूपयोग एक मनौवैज्ञानिक, सामाजिक और चिकित्सीय समस्या है जो व्यक्ति और परिवार को प्रभावित करती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिकित्सा उपचार, परामर्श, अनुवर्ती कार्रवाई तथा पुनर्वास के माध्यम से निवारणात्मक जागरूकता एवं व्यसनियों की नशामुक्ति की कार्यनीति अपनायी है। मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण योजना पंजीकृत संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

इस योजना के तहत मंत्रालय का 25.50 करोड़ रुपए का बजट आबंटन है जिसमें से उपचार व पुनर्वास केंद्रों, नशीली दवा के प्रति जागरूकता, परामर्श एवं सहायता केंद्र, कार्यस्थल निवारण कार्यक्रम तथा नशामुक्ति शिविर लगाने के लिए पात्र गैर-सकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है। मंत्रालय 444 केंद्रों की सहायता कर रहा है जिसमें 68 नशीली दवा के प्रति जागरूकता, परामर्श और सहायता केंद्र तथा 376 कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित उपचार व पुनर्वास केंद्र हैं। ये केंद्र 361 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हैं।

(ग) और (घ) उपचार व पुनर्वास केंद्र के नाम से ज्ञात 376 नशामुक्ति केंद्र मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे हैं, इन केंद्रों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

निधियां उपलब्ध होने पर और वित्तीय साख, अवसंरचनात्मक क्षमता और अनुभव के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्राथमिकता क्षेत्रों में नए केंद्र आरंभ किए जाते हैं। राज्यवार और स्थानवार निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

अल्कोहल और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नशा मुक्ति केन्द्रों (जिन्हें उपचार-सह पुनर्वास केन्द्र जाना जाता है) की संख्या

(31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नशामुक्ति केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17
2.	असम	8
3.	बिहार	15
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	10
7.	हरियाणा	20
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर	2
10.	झारखण्ड	3
11.	कर्नाटक	17
12.	केरल	22
13.	मध्य प्रदेश	10
14.	महाराष्ट्र	63
15.	मणिपुर	19
16.	मेघालय	2
17.	मिजोरम	8
18.	नागालैंड	7
19.	उड़ीसा	30
20.	पंजाब	15
21.	राजस्थान	10
22.	तमिलनाडु	18
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	45
25.	उत्तरांचल	4
26.	पश्चिम बंगाल	14
27.	चंडीगढ़	1
28.	दिल्ली	7
29.	पांडिचेरी	1
	योग	376

[अनुवाद]

विक्रांत युद्धपोत का विखंडन

***59. श्री किरीट सोमैया:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विक्रांत युद्धपोत का विखंडन करने के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित किया है;

(ख) क्या पिछले छः महीनों के दौरान इस संबंध में केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अनेक बैठकें हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या केन्द्र सरकार विक्रांत संग्रहालय परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो विक्रांत संग्रहालय परियोजना की वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) विक्रांत युद्धपोत को संग्रहालय में परिवर्तित करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए पिछले छह महीनों में तीन बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) यह निर्णय लिया गया था कि इस परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें पहले चरण में पोत को जमाने और संग्रहालय स्थापित करने तथा दूसरे चरण में पोत पर राजस्व पैदा करने वाले कार्यकलापों की स्थापना किए जाने का कार्य शामिल है।

(घ) संघ सरकार ने विक्रांत के अनिवार्य अनुरक्षण के लिए जून 2003 में 5 करोड़ रुपए दिए हैं। इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा और वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) विक्रांत को नौसेना द्वारा अपने संग्रहालय के रूप में कमीशन किया गया है और उसे नवंबर 2001 में जनसाधारण के लिए खोल दिया गया था।

विदेशी समाचार चैनलों का अपलिंकिंग

***60. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तर्ज पर विदेशी समाचार चैनलों के अपलिंकिंग हेतु कोई नए मागनिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, पूर्व के मार्गनिर्देशों में क्या परिवर्तन किए गए गए और ऐसे परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उन विदेशी समाचार चैनलों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे अपलिंकिंग के लिए आवेदन किया है; और

(घ) नए मार्गनिर्देश कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) विशेषकर समाचार और समसामयिक विषयक चैनलों की अपलिंकिंग के संबंध में विदेशी इक्विटी मानकों/दिशा-निर्देशों की जांच करने के उल्लंघनों को रोकने के लिए उनको मजबूत बनाने तथा दिशा-निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन को सुविधाजनक बनाने और ऐसी किसी खामी को भी दूर करने के उपायों की चर्चा करने जिसके रहते कोई कम्पनी विदेशी इक्विटी मानकों को मात देते हुए हेरा-फेरी करने एवं प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानकों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2003 को एक अन्तर-मंत्रालयीय समूह का गठन किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप भारत से विदेशी समाचार चैनलों को अपलिंक करने हेतु दिशा-निर्देश जोकि दिनांक 26.03.2003 को जारी किए गए थे, दिनांक 28.08.2003 को पात्रता मापदण्डों के संदर्भ में संशोधित किए गए हैं। संशोधित पात्रता मापदण्ड की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) विदेशी इक्विटी/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले सभी मौजूदा चैनलों द्वारा एक वर्ष के अन्दर ही अर्थात 25.03.2004 तक नई प्रणाली का अनुपालन करना अपेक्षित है। पहले मैसर्स स्टार न्यूज ब्राडकास्टिंग लिमिटेड, बी.बी.सी., ने जो कि 100 प्रतिशत विदेशी कम्पनियां थी, समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों को भारत से अपलिंक करने के लिए आवेदन किया था। संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उन्हें पुनः आवेदन करने की सलाह दी गयी थी। तथापि, दिनांक 28.08.2003 को इन दिशा-निर्देशों के पात्रता मापदण्डों में संशोधन के पश्चात किसी भी पूर्ण-स्वामित्व वाली कम्पनी ने भारत से समाचार एवं समसामयिक विषय चैनल की अपलिंकिंग हेतु आवेदन नहीं किया है।

(घ) संशोधित पात्रता मापदण्डों के साथ नए दिशा-निर्देश दिनांक 28.08.2003 को पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

विवरण

भारत से समाचार और समसामयिक विषयक टी वी चैनलों की अपलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश

भारत से समाचार और समसामयिक विषयक टी वी चौनलों की अपलिंकिंग से संबंधित दिशा-निर्देशों में पात्रता मानदंड़ों को निम्न प्रकार से संशोधित कर दिया गया है। 26 मार्च, 2003 को जारी दिशा-निर्देशों में अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

2. पात्रता मानदण्ड

भारत से समाचार और समसामयिक विषयक चैनल(लों) को अपलिंक करने की इच्छुक आवेदक कम्पनी को पात्र समझा जाएगा यदि वह निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करती हो:

(क) यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत/निगमित कम्पनी है।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आवेदक कम्पनी की 26 प्रतिशत चुकता इक्विटी से अधिक नहीं होगा।

(ग) अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी जहां नई संस्था में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(क) में यथापरिभाषित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित इक्विटी के अतिरिक्त वृहद भारतीय शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी कुल इक्विटी की कम से कम 51 प्रतिशत है। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त वृहद भारतीय शेयर होल्डर शब्द में कोई अथवा निम्नलिखित का संयोजन शामिल होगा:

(1) व्यक्तिगत शेयरधारी के मामले में,

(क) व्यक्तिगत शेयरधारी

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थ में शेयरधारी का एक संबंधी

(ग) एक कम्पनी/कम्पनियों का समूह जिसमें व्यक्तिगत शेयरधारी/एच यू एफ जिससे वह संबंधित है, के पास प्रबंधन और नियंत्रण अधिकार है।

(2) एक भारतीय कम्पनी के मामले में,

(क) भारतीय कम्पनी

(ख) उसी प्रबंधन और स्वामित्व नियंत्रण के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियों का एक समहू।

इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, ''भारतीय कम्पनी'' वह कम्पनी होगी जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अंतर्गत यथा परिभाषित एक आवासीय भारतीय अथवा एक संबंधी/एच यू एफ अवश्य हो जिसके पास एकल रूप से अथवा संयोजन धारिता के रूप में कम से कम 51 प्रतिशत शेयर हो।

बशर्ते की उपरोक्त अनुच्छेद (1) और (2) में उल्लिखित सभी अथवा किन्हीं संस्थाओं के संयोजन के मामले में प्रत्येक पक्ष आवेदक कम्पनी के मामलों के प्रबंधन में कानूनी रूप से एक एकल एकक के रूप में काम करने के लिए अनुबंधित हो।

(घ) आवेदक कम्पनी की इक्विटी में 26 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की गणना करते समय आवेदक कम्पनी की भारतीय शेयरधारी कम्पनियों की इक्विटी में विदेशी धारिता घटक, यदि कोई हो तो उसकी यथाअनुपात आधार पर विधिवत रूप से गणना की जाएगी।

(ङ) कम्पनी आवेदन के समय उन शेयरधारक अनुबंधों, ऋण अनुबंधों और ऐसे अन्य अनुबंधों जिनको अंतिम रूप दिया जाता है अथवा जिनको किए जाने का प्रस्ताव है, को पूरी तरह से स्पष्ट करेगी। चालू अनुबंधों में बाद में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को किसी परिवर्तन के 15 दिन के अन्दर अवगत कराया जाएगा।

(च) आवेदक कम्पनी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उपरोक्त अनुच्छेद (ग) में यथा उल्लिखित विदेशी शेयर धारिता पद्धतियों और वृहद भारतीय शेयरधारियों की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन अथवा उपरोक्त अनुच्छेद (ङ) में यथा उल्लिखित किसी अन्य अनुबंधों में परिवर्तन करने से पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति ले।

(छ) कम्पनी को कम्पनी के निदेशक मंडल में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित उन गैर-आवासीय भारतीयों के नाम और ब्यौरों की सूचना देनी होगी।

(ज) कम्पनी को परामर्शदाता (किसी अन्य हैसियत से) के रूप में वर्ष में 60 दिन से अधिक अथवा नियमित कर्मचारियों के रूप में कम्पनी में नियोजित/कार्य पर लगाए जाने वाले किसी भी विदेशी अथवा अप्रवासीय भारतीयों का नाम और ब्यौरा देना होगा।

(झ) कम्पनी के निदेशक मंडल के निदेशक और सभी प्रमुख कार्यकारी और सम्पादकीय स्टाक में से कम से कम 3/4 आवासीय भारतीय होंगे।

(ञ) कम्पनी के निदेशक मंडल जहां तक सम्भव हो सके शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

(ट) आवेदक कम्पनी द्वारा प्रमुख कार्मिक (कार्यकारी और सम्पादकीय) की सभी नियुक्तियां ऐसे व्यक्तियों में से की जाएंगी जो किसी भारतीय अथवा विदेशी कम्पनी का न हो।

(ठ) आवेदक कम्पनी के पास सम्पूर्ण प्रबंध नियंत्रण, परिचालन स्वतंत्रता और इसके संसाधनों और परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण होना जरूरी है और इसके पास एक समाचार और समसामयिक विषयक टीवी चैनल को चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता होनी जरूरी है।

(ड) किसी पदनाम द्वारा जाना जाने वाला आवेदक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और/अथवा चैनल का प्रमुख आवासीय भारतीय होगा।

[हिन्दी]

झारखंड में लंबित विद्युत परियोजनाएं

372. **श्री राम टहल चौधरी:**
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान झारखंड को कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी और उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी विद्युत का उत्पादन किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या झारखंड सरकार ने अनुमोदन हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो यह कब से लंबित है और इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या धन की कमी के कारण राज्य में कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो संकट से निपटाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की दशा में वर्ष 2006-07 तक प्रत्याशित विद्युत मांग व आपूर्ति की स्थिति निम्नवत् है:

व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम उपलब्धता (मेगावाट)	व्यस्ततम कमी (-)/ अधिशेष (+) (मेगावाट)	ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	ऊर्जा उपलब्ध (मि.यू.)	ऊर्जा कमी (-)/ अधिशेष (+) (मि.यू.)
933	1389	+456	4903	8625	+3722

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास स्वीकृति हेतु झारखंड सरकार की कोई परियोजना लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) राज्य क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड में 10वीं योजना विद्युत परियोजना कार्य अभी तक आरंभ नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

राज्यों में सी एन जी स्टेशन

373. **श्री अमर रायप्रधान:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कितने सी एन जी फिलिंग स्टेशन हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य में राज्य-वार कितने नए सी एन जी स्टेशन प्रतिष्ठापित किए जाने हैं;

(ग) क्या वाहनों की मांग को पूरा करने के लिए सी एन जी स्टेशनों की संख्या पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का प्रस्ताव इस संबंध में क्या कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार 30 जून, 2003 को देश में 168 सी एन जी स्टेशन थे-

मुंबई, महाराष्ट्र	-	50
दिल्ली	-	112
गुजरात	-	6

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक क्रियाशील होने वाले सी एन जी स्टेशनों की संचयी संख्या निम्नवत् होगी:

मुंबई, महाराष्ट्र	–	88
दिल्ली	–	120
गुजरात	–	6

(ग) और (घ) वर्तमान संभावना के आधार पर यह मुंबई तथा दिल्ली में सी एन जी में रूपान्तरित वाहनों की सी एन जी मांग को कमोबेश रूप से पूरा करेगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केलट्रान और केलटेक एककों का अधिग्रहण

374. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केलट्रान और केलटेक का अधिग्रहण करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सरकार का केलट्रान तथा केलटेक की यूनिटों के अधिग्रहण का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस संबंध में किए गए अनुरोधों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड और केलट्रान एवं केलटेक के बीच दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के लिए संभावित क्षेत्रों की जांच तथा पहचान करने के लिए एक कार्य-दल का गठन किया गया था। कार्य-दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

एपीडीआरपी की समीक्षा बैठक

375. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की हाल में ही समीक्षा बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और योजना आयोग की इस लिखित टिप्पणी कि कुछ राज्यों ने सुधार कार्यान्वयन की बजाय अन्य प्रयोजनों में धनराशि का उपयोग किया है, पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस चर्चा का निष्कर्ष क्या रहा और धनराशि के ऐसे "प्रयोजन इतर" उपयोग को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम प्रस्तावित हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) जी, हां। विद्युत मंत्रालय के लिए 12 सितंबर, 2003 को तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक (प्रथम तिमाही 2003-04) योजना आयोग में आयोजित की गई थी।

(ख) बैठक में विद्युत मंत्रालय के लिए वार्षिक योजना (2002-03) के साथ त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की समीक्षा भी की गई थी। अन्य बातों के मध्य यह देखा गया था कि यदि कुछ राज्यों ने अपनी एपीडीपी/एपीडीआरपी निधियां अन्य क्षेत्रों को अंतरित कर दी हों, तो वसूली प्रक्रिया आरंभ करने के लिए मामले वित्त मंत्रालय के साथ उठाये जाएंगे।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों 9 (एसईबीज)/यूटिलिटीज को एपीडीआरपी निधियों के अंतरण में विलंब के मुद्दे और संबंधित मुद्दों पर दिनांक 28.11.2003 को संचालन समिति में चर्चा की गई थी तथा तदनुसार यह निर्णय लिया गया था कि:

(1) विशेष मामलों में, वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य सहायता जारी करने से पहले, इसे अनिवार्य बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय वित्त मंत्रालय को सूचित करेगा।

(2) सभी राज्य सरकारों को लिखना कि वे कार्यान्वयन एजेन्सिओं को एपीडीआरपी निधियां जारी करने के लिए राज्य वित्त विभाग के अनुमोदन के साथ अपनी सहमति दें।

(3) जहां राज्य सरकारें निधियां जारी नहीं करती, वहां एपीडीआरपी संस्वीकृतियां वापस लेना।

नई रेल पटरियों का बिछाया जाना

376. श्री रूप चंद मुर्मू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई रेल पटरियां बिछाने के लिए राज्यवार किए गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है तथा उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक ऐसी रेल पटरियां नहीं बिछाई गई हैं;

(ख) सरकार ने इन नई पटरियों को बिछाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इन नई रेल पटरियों के बिछाए जाने के कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) 2000-2001 से हाल ही में जहां नई लाइनों के सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं और जहां परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू रेलवे परियोजनाओं के भारी थ्रो-फारवर्ड तथा संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्तावित लाइनों को शुरू व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य
1	2	3
1.	पोर्ट ब्लेयर-दिगलीपुर	अंडमान और निकोबार द्वीप
2.	फलकनुमा-उम्दानगर-एयरपोर्ट	आंध्र प्रदेश
3.	पंडुरंगपुरम-भद्राचलम्	आंध्र प्रदेश
4.	डोनाकोंडा-वोडारेवू	आंध्र प्रदेश
5.	पाट्टनचेरू से आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
6.	जगायापेट-मिर्यागुड्डा	आंध्र प्रदेश
7.	पाट्टनचेरू-जोगीपेट	आंध्र प्रदेश
8.	जहीराबाद-सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश
9.	धारवाड बेलगम वाया बेहोंगगाल और किटिस	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
10.	डींगरी-धोला	असम
11.	सार्थाबारी से चंगासारी	असम
12.	माकुम से शेखोआ घाट	असम
13.	जीबीबाम-इम्फाल (तुपुई)	असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र
14.	डिगारू से बरनीहाट	असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र
15.	प्रतापगंज-भीमनगर-बथनाहा	बिहार
16.	सीमामढ़ी से जयानगर वाया सोनबरसाई और जनकपुर से जयानगर वाया मधुबनी	बिहार
17.	सुपौल-अररिया वाया त्रिवेंजीगंज और रानीगंज	बिहार
18.	बांका-नवाद	बिहार
19.	बांका-बाराहाट	बिहार
20.	कोपरिया-बिहारीगंज वाया सोनबरसराज-आलमनगर	बिहार
21.	डेही-आन-सोन से बनजारी	बिहार, झारखंड
22.	कोडरमा-तिलैया	बिहार, झारखंड
23.	बरवाडीह से चिरमिर रेलवे लाइन की बहाली	बिहार, छत्तीसगढ़
24.	मोडासा-शामलाजी	गुजरात
25.	नदियाड-कपड़वंज-मोडासा को उदयपुर से जोड़ना	गुजरात
26.	दहारू रोड-नासिक रोड	गुजरात, महाराष्ट्र
27.	सिस्सा-हिसार वाया फतेहाबाद और अमरोहा	हरियाणा
28.	जाखल-फतेहाबाद वाया बहुना-रतिया	हरियाणा
29.	कैथल-यमुनानगर वाया करनाल	हरियाणा
30.	रोहतक से हिसार वाया मेहम और हांसी	हरियाणा
31.	रेवाड़ी-बहादुरगढ़ वाया झज्जर	हरियाणा
32.	जिंद-सोनीपत	हरियाणा
33.	अबोर-तोहाना	हरियाणा, पंजाब
34.	पानीपत-मुजफ्फरनगर वाया कैराना	हरियाणा, उत्तर प्रदेश
35.	ऊना-जयजोन दोआबा	हिमाचल प्रदेश, पंजाब
36.	लोहारदगा से कोरबा	झारखंड, छत्तीसगढ़
37.	बोजापुर-अथनी-शेदबल	कर्नाटक
38.	नीपानी-रायबाग वाया चिकोडी	कर्नाटक
39.	बागलकोट-कुडाची	कर्नाटक
40.	मैसूर-मगलोर वाया मेडिकेरी और सुब्रमण्या	कर्नाटक
41.	हैदराबाद-रायचूर	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
42.	शोरुवण्णूरपुर पर बल्ब रेल लाइन	केरल
43.	वैकम-वैकम रोड	केरल
44.	रातेगांव-पुंथम्बा	महाराष्ट्र
45.	पूणे-नासिक	महाराष्ट्र
46.	वर्धा-पुसाद-नांदेड	महाराष्ट्र
47.	कोंकण रेलवे पर कोल्हापुर से रत्नागिरि वाया तलवाडे	महाराष्ट्र

1	2	3
48.	वडसा-आरमोरी-गडचिरोली	महाराष्ट्र
49.	कुर्ला-माहूल	महाराष्ट्र
50.	धुले-नरदाना-शिरपुर	महाराष्ट्र
51.	परली-वैजनाथ-घटनादुर	महाराष्ट्र
52.	जालना-खामगांव	मध्य प्रदेश
53.	कटंगी से तिरोडी	मध्य प्रदेश
54.	इंदौर और बुधनी	मध्य प्रदेश
55.	जबलपुर से पन्ना वाया दामोह	मध्य प्रदेश
56.	राजनंदगांव-जबलपुरम	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
57.	बिलासपुर से जबलपुर	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
58.	पेन्द्रा रोड-कोरबा/गेरवा रोड	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
59.	उज्जैन-रामगंजमंडी वाया आगर, ससनेर झालावार	मध्य प्रदेश, राजस्थान
60.	अगरतला से सबरूप वाया बेलोनिया	पूर्वोत्तर क्षेत्र
61.	बिमलागढ़ से तालचेर	उड़ीसा
62.	जयपोर से नवारंगपुर	उड़ीसा
63.	नवापारा से बारागढ़ रोड वाया पदमापुर	उड़ीसा
64.	फुलवाणी से ब्रह्मपुर	उड़ीसा
65.	तालचेर/हिंदोल रोड से ब्रह्मपुर/गोपालपुर	उड़ीसा
66.	पूरी-कोणार्क	उड़ीसा
67.	तालचेर स्टेशन से तालचेर-संबलपुर लाइन	उड़ीसा
68.	अंबिकापुर-बरबाडीह (बरबाडीह-चिरमिरि)	उड़ीसा
69.	राजयपुर-झारसुगुडा वाया खारटापालन, बलोड बाजार, भटगांव और सरंगढ़	उड़ीसा, छत्तीसगढ़
70.	सरना-मोधोपुर	पंजाब
71.	सेहनेवाल-लाडोवाल	पंजाब
72.	फिरोजपुर कैंट-तरण-तारण	पंजाब
73.	बाडोवाल-सहनेवाल	पंजाब
74.	चंडीगढ़ से देहरादून वाया जगाधरी	हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल
75.	मेडता सिटी से ब्यावार	राजस्थान
76.	जालौर-फलना	राजस्थान
77.	कोलायत-पोकरण बारमेड़	राजस्थान
78.	चुरू से तारानगर	राजस्थान
79.	नोखा-सिकर वाया बेदसर और सुजानगढ़	राजस्थान
80.	बरण-शिवपुरी	राजस्थान, मध्य प्रदेश
81.	दुर्गापुर से रतलाम वाया बंशवारा	राजस्थान, मध्य प्रदेश
82.	रामगंज मंडी भोपाल	राजस्थान, मध्य प्रदेश
83.	मदुरै-तुतीओरीन वाया परमबुट्टी अरूपकोटाई-विलपकुलम	तमिलनाडु
84.	कुम्बाकोरम-नाम्माकल	तमिलनाडु
85.	जोलारपेट्टै से होसूर वाया कृष्णागिरी	तमिलनाडु
86.	तारामणि (चेन्नई) महाबलीपुरम	तमिलनाडु
87.	काटपाडी-चेन्नई वाया गुइंडी-पुनामल्ली	तमिलनाडु
88.	टिंडीवनम से कुड्डीलोर वाया पांडिचेरी	तमिलनाडु
89.	मदुरै-तुतीकोरीन वाया विरुद्धनगर, अरूपकोट्टाई और विलातीकुलम	तमिलनाडु
90.	बेरहन से इटा वाया शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश
91.	अलीगढ़-झींझक वाया सिकंदरा मैनपुर	उत्तर प्रदेश
92.	पंकी से मंधाना	उत्तर प्रदेश
93.	हमीरपुर-हमीरपुर रोड	उत्तर प्रदेश
94.	बेरहन-एटा लाइन से शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश
95.	अलीगढ़-झींझक वाया सिकंदरारो और मैनपुरी	उत्तर प्रदेश
96.	संभल से गजरौला	उत्तर प्रदेश
97.	हस्तीनापुर रेल लिंकिंग	उत्तर प्रदेश
98.	संभल से राजघाट	उत्तर प्रदेश
99.	बाद-भैंसा	उत्तर प्रदेश

1	2	3
100.	दौराला-हस्तीनापुर	उत्तर प्रदेश
101.	शाहगंज-अमेठी वाया सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश
102.	पनियाहवा और तमकुही रोड	उत्तर प्रदेश
103.	भिंड-ओराई-हरपालपुर/मोहबा	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
104.	मारीपत-तुगलकाबाद	उत्तर प्रदेश, दिल्ली
105.	ऋषिकेश से देहरादून	उत्तरांचल
106.	हरिद्वार-काठवारा-रामनगर	उत्तरांचल
107.	दानकुनी से शियाखला	पश्चिम बंगाल
108.	दानकुनी-चम्बादांगा वाया शियाखला और शियाखला से बरगचिया	पश्चिम बंगाल
109.	कृष्णानगर से करीमपुर	पश्चिम बंगाल
110.	मुरसीदाबाद-कांडी वाया खगराघाट और बहरामपुर	पश्चिम बंगाल
111.	सिवोक से गंगटोक वाया गेलेखोले और सिंगटम	पश्चिम बंगाल
112.	परित्यक्त मगरा-तारकेश्वर छो.ला. की बहाली	पश्चिम बंगाल
113.	बेहरामपुर-कांडी	पश्चिम बंगाल

कनिंग रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाना

377. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैनिंग रेलवे स्टेशन, जिसे आदर्श स्टेशन घोषित किया गया है, पर आधुनिकीकरण और विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) कैनिंग स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए नामित किया गया है। इससे संबंधित कार्यों की कुल लागत के लिए 54 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इन कार्यों पर अभी तक 14 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इन कार्यों को पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसम्बर 2004 है।

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं

378. श्री अनन्त नायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) क्या इन रेलवे स्टेशनों पर भी दिल्ली हवाई अड्डे की तरह प्रीपैड टैक्सी/स्कूटर सेवाओं को विनियमित किया जाएगा;

(ग) क्या इन स्टेशनों पर टैक्सी और स्कूटर किराए पर लेने वाले यात्रियों की परेशानी खत्म करने के लिए भी कदम उठाये जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) दिल्ली मेन स्टेशन (पुरानी) दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) से (घ) इन स्टेशनों पर पूर्व-भुगतान टैक्सी और आटो-रिक्शा सेवाएं दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा चलाई जा रही है। आटो-रिक्शा के लिए पूर्व-भुगतान योजना इन सभी स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। बहरहाल, टैक्सी आपरेटर संघ और दिल्ली यातायात पुलिस के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय में कोर्ट केस के परिणामस्वरूप टैक्सी आपरेटरों ने इन स्टेशनों के पूर्व भुगतान बूथ पर आना बंद कर दिया है। बहरहाल, नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट साइड पर रेन्ट-ए-कार प्रणाली कार्यरत है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

379. श्री जे.एस. बराड: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 अक्टूबर, 2003 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में विद्युत की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) कमी वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में विद्युत आपूर्ति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन राज्यों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति करने के प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संकलन पश्चात् राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों समेत देश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की मांग व ऊर्जा खपत के ब्यौरों का वार्षिक रूप में संकलन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तथापि, 16वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत क्रमश: 173232 मि.यू. और 105787 मि.यू. अनुमानित की गई है अर्थात् जो देश में सभी क्षेत्रों की कुल ऊर्जा खपत का 37% और 22.6% है।

(ख) अप्रैल-अक्टूबर, 2003 के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन ऊर्जा दोनों की राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दी गयी है।

विद्युत एक समवर्ती विषय है और राज्य में विद्युत वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों की होती है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। देश में विद्युत की आपूर्ति और विद्युत की उपलब्धता सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादन बढ़ना।

(2) अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को उत्तर क्षेत्रीय विद्युत अंतरण बढ़ाना।

(3) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के उप पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सशक्तीकरण/विस्तार हेतु निधियां प्रदान की जा रही हैं।

(4) मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता एवं संवर्धन उपायों को प्रोत्साहन।

(5) पुरानी और अदक्ष विद्युत उत्पादन यूनिटों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार स्कीमों के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ब्याज आर्थिक सहायता के साथ ऋण का संवितरण।

(6) सभी क्षेत्रों (राज्य+निजी+केन्द्रीय) में 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग 41,110 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्षित की गई है।

(ग) जी, हां। तथापि, अक्षय ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन आधारित है और इसका दोहन केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां ये संसाधन उपलब्ध हैं। पूर्वोक्त समस्या पर विचार किए बिना अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना मुश्किल है। विद्युत की कमी वाले राज्यों की समस्याओं को कम करने के लिए परंपरागत विद्युत को अक्षय ऊर्जा से पूरा किए जाने की प्रत्याशा है जहां तक कि तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से यह व्यवहार्य हो।

(घ) 31.3.2003 की स्थितिनुसार देश में अक्षय ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता 3944.30 मेगावाट है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार दीर्घकाल में अर्थात् 11वीं योजना के अंत तक अक्षय स्रोतों यथा पवन, लघु जल विद्युत और बायोमास के जरिए लगभग 10% अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की स्थापना करने का उद्देश्य रखता है।

(ङ) उपरोक्त (ग) और (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण I

वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	आवश्यकता (मि.यू.)	अप्रैल-अक्टूबर, 2003		
		उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष (+) कमी (-) (मि.यू.)	अधिशेष (+) कमी (-) (%)
1	2	3	4	5
चंडीगढ़	693	692	-1	-0.1
दिल्ली	12620	12430	-190	-1.5

1	2	3	4	5
हरियाणा	12653	12141	-512	-4.0
हिमाचल प्रदेश	1999	1992	-7	-0.4
जम्मू-कश्मीर	4014	3764	-250	-6.2
पंजाब	20677	20041	-636	-3.1
राजस्थान	13835	13737	-98	-0.7
उत्तर प्रदेश	26914	23226	-3688	-13.7
उत्तरांचल	2390	2348	-42	-1.8
उत्तरी क्षेत्र	95795	90371	-5424	-5.7
छत्तीसगढ़	5823	5623	-200	-3.4
गुजरात	31232	27826	-3406	-10.9
मध्य प्रदेश	16130	14112	-2018	-12.5
महाराष्ट्र	48845	44559	-4286	-8.8
दमन और दीव (*)	183	183	0	0.0
दादरा और नागर हवेली (*)	291	291	0	0.0
गोवा	1125	1125	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	103629	93719	-9910	-9.6
आंध्र प्रदेश	26369	25445	-924	-3.5
कर्नाटक	19716	16684	-3032	-15.4
केरल	7422	7162	-260	-3.5
तमिलनाडु	2579	25550	-241	-0.9
पांडिचेरी	869	869	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	80167	75710	-4457	-5.6
बिहार	4422	3369	-1053	-23.8
डीवीसी	4756	4696	-60	-1.3
झारखंड	1870	1775	-95	-5.1
उड़ीसा	8039	7912	-127	-1.6
पश्चिम बंगाल + सिक्किम	13539	13254	-285	-2.1
पूर्वी क्षेत्र	32625	31008	-1620	-5.0

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	113	111	-2	-1.8
असम	2078	1963	-115	-5.5
मणिपुर	275	270	-5	-1.8
मेघालय	621	600	-21	-3.4
मिजोरम	157	153	-4	-2.5
नागालैंड	172	170	-2	-1.2
त्रिपुरा	425	402	-2.3	-5.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3841	3669	-172	-4.5
अखिल भारत	316068	294475	-21583	-6.8

(*) दमन एवं दीव और दादरा-नागर हवेली के अप्रैल-अगस्त, 2003 के आंकड़े गुजरात में शामिल हैं।

विवरण II

व्यस्ततमकालीन मांग

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल-अक्टूबर, 2003			
	आवश्यकता (मे.वा.)	उपलब्धता (मे.वा.)	अधिशेष (+) कमी (-) (मे.वा.)	अधिशेष (+) कमी (-) (%)
1	2	3	4	5
चंडीगढ़	188	188	0	0.0
दिल्ली	3389	3284	-105	-3.1
हरियाणा	3465	3278	-187	-5.4
हिमाचल प्रदेश	665	665	0	0.0
जम्मू-कश्मीर	1268	1218	-50	-3.9
पंजाब	5922	5622	-300	-5.1
राजस्थान	3820	3711	-109	-2.9
उत्तर प्रदेश	7218	6134	-1084	-15.0
उत्तरांचल	766	726	-40	-5.2
उत्तरी क्षेत्र	23817	21961	-1856	-7.8

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	1669	1485	-184	-11.0
गुजरात	9238	6965	-2273	-24.6
मध्य प्रदेश	4919	4456	-463	-9.4
महाराष्ट्र	13612	11078	-2534	-18.6
दमन और दीव (*)	203	203	0	0.0
दादरा और नागर हवेली (*)	315	315	0	0.0
गोवा	321	321	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	28147	22811	-5336	-19.0
आंध्र प्रदेश	8679	7143	-1536	-17.7
कर्नाटक	6213	4913	-1300	-20.9
केरल	2442	2174	-268	-11.0
तमिलनाडु	6772	6710	-62	-0.9
पांडिचेरी	235	235	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	21788	19944	-1844	-8.5
बिहार	973	741	-232	-23.8
डीवीसी	1275	1156	-120	-9.4
झारखंड	539	468	-73	-13.5
उड़ीसा	2215	2004	-211	-9.5
पश्चिम बंगाल + सिक्किम	3836	3652	-184	-4.8
पूर्वी क्षेत्र	8594	7710	-884	-10.3
अरुणाचल प्रदेश	50	50	0	0.0
असम	738	635	-103	-14.0
मणिपुर	115	111	-4	-3.5
मेघालय	198	195	-3	-1.5
मिजोरम	71	68	-3	-4.2
नागालैंड	62	62	0	0.0
त्रिपुरा	190	153	-37	-19.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1259	1071	-188	-14.9
अखिल भारत	81577	72679	-8998	-11.0

(*) दमन एवं दीव और दादरा-नागर हवेली के अप्रैल-अगस्त, 2003 के आंकड़े गुजरात में शामिल हैं।

असम में तेल और गैस का उत्पादन

380. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर के जन प्रतिनिधियों ने असम में तेल तथा गैस के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता और कच्चे तेल की कमी, जिसके कारण असम की तेल शोधनशालाएं अपनी क्षमता से कम स्तर पर कार्य कर रही हैं, को पूरा करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ 28 नवम्बर, 2002 को हुई बैठक में उत्तर-पूर्वी राज्यों से आने वाले संसद सदस्यों ने सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ और अधिक अन्वेषण क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) पर प्रभाव डालने के लिए अनुरोध किया था ताकि नए क्षेत्र प्राप्त हों तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, विशेषतया नागालैण्ड तथा असम में कच्चे तेल के उत्पादन की स्थिति में सुधार हो सके।

ओ एन जी सी तथा ओ आई एल के प्रयासों के अलावा भारत सरकार ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए निजी प्रतिभागिता आमंत्रित की है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वर्षों से वास्तविक निवेश के रूप में अन्वेषण क्रियाकलापों की वृद्धि हो रही है तथा ओ एन जी सी एवं ओ आई एल द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में अन्वेषण निवेशों के लिए उच्चतर लक्ष्य योजनाबद्ध किए गए हैं। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के तहत अन्वेषण ब्लाक, जिनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित ब्लाक सम्मिलित हैं, नियमित आधार पर निर्धारित किए जाते हैं तथा वैश्विक बोली प्रणाली के आधार पर प्रस्तावित किए जाते हैं।

जहां अन्वेषण एवं उत्पादन क्रियाकलापों की वृद्धि करने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा रहे है; वहीं मई, 2003 से बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी आर पी एल) को प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) मात्रा की सीमा तक राव्वा कच्चा तेल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

एल.एन.जी. की मूल्य संरचना

381. श्रीमती प्रभा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोनेट एल एन जी और रास गैस के प्रमोटर्स ने कतर से आपूर्ति होने वाली एल एन जी की मूल्य संरचना को औपचारिक रूप देने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कतर से आपूर्तित एल एन जी की मूल्य संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में गैस की पहली खेप कब तक आने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। सितम्बर, 2003 के अंतिम सप्ताह में, पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) के प्रवर्तक अर्थात् आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने कतर से प्राप्त की जाने वाली एल एन जी के मूल्य को औपचारिक रूप देने के लिए रास गैस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। चर्चा के बाद पी एल एल और रास गैस, जो जापानी कस्टम्स क्लीयर्ड (जे सी सी) क्रूड आयल मूल्य से संबंधित है, के बीच मूल्य संरचना को अंतिम रूप दिया गया।

(ग) एल एन जी की पहली खेप गुजरात में दहेज स्थान पर पी एल एल के तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) टर्मिनल पर जनवरी, 2004 में प्राप्त होने की संभावना है।

भेल का कार्यकरण

382. श्री मोहन रावले: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर निर्यात की दृष्टि से भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेल ने देश में विद्युत संवितरण व्यवसाय में उतरने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भेल इस व्यवसाय में उतरने की पूरी तरह तैयार है; और

(च) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में उतरने से पूर्व क्या उपाय किये जाने हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार निर्यात के साथ-साथ भेल के निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करती रही है। निर्यात क्षेत्र में क्रयादेश में वर्ष 1998-99 में 250 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-2003 में 1455 करोड़ रुपये हो गया है। वास्तविक निर्यात टर्नओवर 1998-99 में 69 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-2003 में 637 करोड़ रुपये हो गया।

(ग) और (घ) भेल की विद्युत वितरण प्रणाली में दीर्घावधि आधार पर प्रवेश करने की योजनाएं हैं। भेल पहले से ही स्वीच गियर, ऊर्जा मीटर, इन्सुलेटर्स, सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा एक्वीजीशन इत्यादि जैसे उपकरण एवं प्रणाली की आपूर्ति कर रहा है। भेल 33 एवं 11 केवी सब स्टेशन की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए टर्न-की आधार पर ठेके भी लेता है।

(ङ) और (च) भेल पहले से ही हाई वोल्टेज डायरेक्टर करेन्ट (एच.वी.डी.सी.) एवं हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करेन्ट (एच.वी.ए.सी.), कम्पेनसेशन और इम्प्रूवमेंट प्रणाली, ट्रांसफार्मर एवं स्वीच गीयर, कन्ट्रोल, कैपैसिटर्स, इन्सूलेटर्स, एनरजी मीटर्स आदि जैसे अपने सिस्टमों और उत्पादों में ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय करा रहा है। इसके अलावा, इसके पास अपनी निर्माणकारी यूनिटों और टाउनशिपों में प्रत्यायोचित वितरण नेटवर्क का प्रबन्ध करने का भी अनुभव है। इन शक्तियों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, भेल संभावित व्यवसायिक अवसरों पर पकड़ बनाने के प्रति आशावान है।

तालचेर-बिमलागढ़ रेल मार्ग

383. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी समिति और योजना आयोग ने तालचेर-बिमलागढ़ रेल मार्ग को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रेल मार्ग का कब तक निर्माण होने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रस्तावित मार्ग वन और खनिज सम्पन्न क्षेत्र तथा सघन आदिवासी क्षेत्र से गुजरता है तथा जिसका आर.ओ.आर. उस नये शुरू किए गए तथा छोड़े गये गैर-लाभकारी मार्ग की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसे हाल ही में पुन: शुरू किया गया है; और

(च) यदि हां, तो किस विचार से सरकार पूर्व तट और दक्षिणा पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले लंबे समय से मांग किये जा रहे इस रेलमार्ग को नहीं बना पा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) 2001-02 में तालचेर-बिमलागढ़ नई लाइन परियोजना के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि इस 154 किमी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत लगभग 606.60 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु योजना आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है।

(ङ) सर्वेक्षण रपट के अनुसार, प्रस्तावित लाइन वन और खनिज संपन्न क्षेत्र से गुजरती है और संरेखण के साथ आदिवासियों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर आबादी है। प्रश्न में किसी विशेष लाइन का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे तुलना की गई है और इसीलिए कोई टिप्पणी करना व्यावहारिक नहीं है।

(च) आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा।

नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना की स्थिति

384. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरी किए जाने की संभावना है और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) से (ग) नाथपा-झाकरी विद्युत परियोजना 250 परियोजना 250 मेगावाट की छ: यूनिटों से मिलकर बनी है, इसकी प्रत्येक यूनिट 250 मेगावाट है। 250 मेगावाट की पहली यूनिट 20 सितम्बर, 2003 को ग्रिड के साथ जोड़ी गयी थी और 6 अक्टूबर, 2003 की तिथि से व्यावसायिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित की जा चुकी

है। 250 मेगावाट की दूसरी यूनिट 23 नवम्बर, 2003 को ग्रिड के साथ मिला दी गयी थी और बहुत जल्द ही व्यावसायिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया जाना संभाव्य है।

शेष चार यूनिटों के लिए सिविल, इलैक्ट्रो-मकैनिकल और हाइड्रो-मकैनिकल कार्य प्रगति की अंतिम अवस्था में हैं और ये यूनिटें 2004 में शुरू की जानी निश्चित है।

एच आर डी मानकों का संशोधन

385. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने कार्मिकों को सेना को छोड़ना आसान बनाने के लिए एच आर डी मानकों को संशोधित किया है और सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुन: नियोजित करना पूरी तरह समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायुसेना ने आई आई टी और व्यावसायिक संस्थानों के नए स्नातकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायुसेना में विशेषज्ञों की रिक्तियों को भरने के लिए क्या रणनीति बनाई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के सेना छोड़ने से संबंधित मानदण्डों को उदारीकृत किया गया है। इस समय सेवानिवृत्त कार्मिकों का पुन: नियोजन नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करने वाले आई आई टी और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के नए स्नातकों को नियुक्त करना भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसके अलावा, पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा जागरूकता अभियान, भर्ती रैलियां, मीडिया में विज्ञापन, इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार, शैक्षणिक संस्थानों के दौरे आदि किए जाते हैं।

[हिन्दी]

अवेरी में सैन्य छावनी की स्थापना

386. श्री सुरेश चंदेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अवेरी में सैन्य छावनी स्थापित करने के लिए कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है; और

(ख) भूमि अधिग्रहण के पश्चात् इस क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) एक नये सैन्य स्टेशन की स्थापना करने हेतु आवेरी पट्टी, तहसील निर्वांद, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में अब तक 1259 बीघा, 16 बिस्वा भूमि का अर्जन किया गया है। अर्जित भूमि के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु उपर्युक्त भूमि में 165 बीघा, 16 बिस्वा भूमि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को सौंप दी गई है। तदनुसार, अर्जित भूमि के हिस्से पर रहने वाले परिवार अब चले गए हैं।

सैन्य स्टेशन आवेरी के लिए स्थानीय योजना स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है। अर्जित क्षेत्र के भीतर कई टुकड़ों में राज्य सरकार की 261 बीघा, 16 बिस्वा भूमि जिसके अंतरण हेतु मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

झारखण्ड में दूरदर्शन/आकाशवाणी

387. श्री प्रदीप यादव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखण्ड के विशेषकर गोड्डा, दुमका, देवधर जिलों के अन्तर्गत आने वाले वे कौन से शहर हैं जिनमें अब तक दूरदर्शन/आकाशवाणी की प्रसारण सुविधाएं अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं;

(ख) इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इनमें से कुछ केन्द्रों की प्रसारण क्षमता अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो झारखण्ड में दूरदर्शन/आकाशवाणी की सुविधाओं को क्रमोन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) गोड्डा, डुमका और देवधर जिलों सहित झारखण्ड राज्य को जनसंख्या की दृष्टि से आकाशवाणी ट्रांसमीटरों द्वारा पूरी तरह से कवर किया जाता है। तथापि, इस समय टी.वी. कवरेज राज्य की लगभग 97.4 प्रतिशत जनसंख्या को

उपलब्ध होने का अनुमान है। इस समय झारखण्ड में गोड्डा, डुमका और देवधर स्थित 3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों सहित 27 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। इस समय झारखण्ड राज्य में और कोई ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। देश में केवर न किए गए क्षेत्रों में टी.वी. कवरेज की व्यवस्था की के.यू. बैंड में उपग्रह प्रसारण के जरिए परिकल्पना की गई है और 2004 के मध्य तक प्रसारण के शुरू होने की आशा है।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, रांची को दसवीं योजना के दौरान संबंधित किए जाने की आशा है। रांची में एक और टी.वी. स्टूडियो को स्थापित करने की स्कीम को चालू योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित कर दी गई है।

[अनुवाद]

कली नगर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का ठहराव

388. श्री महबूब जाहेदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वी रेलवे में समुद्रगढ़ और कटवा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल सेवा के प्रचालन के लिए कली नगर रेलवे स्टेशन खोलने का निर्णय लिया था और तदनुसार कली नगर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों को रोकने के लिए अवसंरचनात्मक ढांचा निर्माण किया था;

(ख) क्या उपर्युक्त के बावजूद भी कली नगर स्टेशन पर रेल गाड़ियां नहीं रुक रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे ने कली नगर स्टेशन पर ठहराव उपलब्ध कराने और जीर्ण-शीर्ष अवसंरचना की मरम्मत करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) से (घ) कालीनगर में क्रासिंग स्टेशन की व्यवस्था एक स्वीकृत कार्य है। यह कार्य प्रगति पर है। कालीनगर में पैसेंजर गाड़ियों के ठहराव का निर्णय प्राप्त होने वाले यात्री यातायात और इसके वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाएगा।

प्रसारण विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

389. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकार और निजी मीडिया द्वारा प्रसारित की जाने वाली सूचनाओं, संचार और मनोरंजन कार्यक्रमों के जांच के लिए प्रसारण विनियामक प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया है;

(ग) प्रस्तावित विनियामक प्राधिकरण और प्रसार भारती के कार्य किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होंगे; और

(घ) संसद में इस संबंध में कब तक विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) यह मामला इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

भुवनेश्वर में गैंगमैनों की भर्ती में अनियमितताएं

390. श्री परसुराम माझी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेलवे भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर में गैंगमैनों और अन्य पदों पर भर्ती में हुई भारी अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) रेल भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर द्वारा गैंगमैन की अभी तक कोई भर्ती नहीं की गई है। अन्य पदों की भर्ती में अनियमितता की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कल्याण रेलवे स्टेशन के भवन का गिराया जाना

391. श्री सईदुज्जमा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को रेलवे द्वारा 1998 में कल्याण में अनधिकृत शैक्षिक संस्थान के भवन को गिराए जाने के बारे में भूतपूर्व सासंदों, मंत्रियों में कितने पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी तक किए गए सभी सर्वेक्षणों ने उपर्युक्त संस्थान के पक्ष में रिपोर्ट दी है;

(घ) रेलवे को इन रिपोर्टों के आधार पर निर्णय देने में क्या कठिनाई हो रही है; और

(ङ) सरकार टी एल आर की रिपोर्ट पर कब तक निर्णय लेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) सात।

(ख) उपयुक्त उत्तर भेजे जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) भूमि रिकार्ड के टाउन इंस्पेक्टर ने अपने सर्वेक्षण में संस्थान के पक्ष में टिप्पणी की थी। रेलवे ने इसके खिलाफ अपील की है और थाणे के अधीक्षक भूमि रिकार्ड से नक्शे को ठीक करने का अनुरोध किया है जिसमें रेलवे की चारदीवारी में कुछ खामियां दर्शायी गई हैं। राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा, मामला अभी भी न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

ब्रिटिश पे चैनलों के माध्यम से दूरदर्शन

392. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने विदेशों में अपने कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु ब्रिटिश पे चैनलों के उपयोग के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दूरदर्शन को इससे क्या लाभ होंगे;

(ग) क्या देश में अपनी बाजार हिस्सेदारी को बनाये रखने में दूरदर्शन की रुचि समाप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन इस समय बीस्काईबी प्लेटफार्म का प्रयोग करके ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों और अप्रवासी भारतीयों को अपने कार्यक्रम पहुंचाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में डी.डी. इंडिया चैनल के सिग्नलों के वितरण की संभावना की जांच कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एकरा और दिग्घी समपारों पर सड़क उपरिपुल

393. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन पर एकरा और दिग्घी समपारों पर सड़क उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस काम के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) हाजीपुर-बिहुपुर खंड पर डिग्गी के निकट किमी. 266/0-265/15 पर समपार सं. 54/ए के बदले ऊपरि सड़क पुल का निर्माण तथा हाजीपुर और सराय स्टेशनों के बीच इकरा के निकट किमी. 6/11-12 पर समपार सं. 47 के बदले ऊपरि सड़क पुल के निर्माण की लागत में भागीदारी के आधार पर वर्ष 2002-03 के दौरान स्वीकृत किया गया था। रेलवे पुल खास (रेलपथ पर) का निर्माण करेगी और राज्य सरकार पहुंच मार्गों का। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक कार्य के लिए परिव्यय के रूप में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की थी। राज्य सरकार द्वारा अभी पहुंच मार्गों के सामान्य प्रबंधन आरेख और अन्य तकनीकी ब्यौरे सौंपे जाने हैं। इंजीनियर इन चीफ/पी डब्ल्यू डी/राज्य सरकार के साथ पिछली समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया था कि वित्तीय तंगियों के कारण वे कार्य शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं। राज्य सरकार से सामान्य प्रबंधन आरेख और अन्य ब्यौरे प्राप्त होने और साथ-साथ उनके द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू किये जाने पर रेलवे कार्रवाई करेगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का दोहन

394. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक विशेषकर बिदर जिले में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के दोहन के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) जी हां। सरकार कर्नाटक सहित देश भर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंत्रालय को कर्नाटक के बिदर जिले में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए कोई विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कर्नाटक में 31.3.2003 तक विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

कर्नाटक में 31.3.2003 तक विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी उपलब्धियां

क. कर्नाटक में अक्षय स्रोतों से विद्युत

क्र. सं.	कार्यक्रम	31.3.2003 तक संचयी उपलब्धि (मेगावाट)
1.	पवन विद्युत	124.30
2.	लघु पनबिजली	182.38
3.	बायोमास विद्युत/खोई सहउत्पादन	109.38
4.	अपशिष्ट से ऊर्जा	1.00
5.	सौर विद्युत	0.03
6.	बायोमास गैसीफायर	4.50

ख. कर्नाटक में विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियां

क्र.सं.	कार्यक्रम	31.3.2003 तक संचयी उपलब्धि
1	2	3
1.	पारिवारिक प्रकार के बायोगेस संयंत्र (संख्या लाख में)	3.65
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (संख्या)	63
3.	उन्नत चूल्हा (संख्या लाख में)	16.52
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां	
	(1) सौर सड़क रोशनी प्रणाली (संख्या)	1009
	(2) घरेलू रोशनी प्रणाली (संख्या)	6135
	(3) सौर लालटेन (संख्या)	7334
	(4) सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र (किलोवाट पीक)	18.91
5.	सौर तापीय	
	(1) सौर कुकर (संख्या)	250
	(2) आदित्य सौर दुकान (संख्या)	1
6.	(1) पवन पम्प (संख्या)	20
	(2) एयरो जनरेटर/हाइब्रिड प्रणाली (किलोवाट)	7.75
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप (संख्या)	337
8.	बैटरी चालित वाहन (संख्या)	6
9.	ऊर्जा पार्क (संख्या)	11
10.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (ब्लाकों की संख्या)	42

घुसपैठ रोकने के लिए स्काउटों की भर्ती

395. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोकने हेतु गांवों से स्काउटों की भर्ती करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इससे पहले भी गांवों से स्काउटों की भर्ती की थी;

(घ) क्या ऐसी भर्ती से अपेक्षित नतीजा हासिल करने में सफलता मिली है जिसके लिए पूर्व अवसरों पर उनकी भर्ती की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) लद्दाख स्काउट, गढ़वाल स्काउट, कुमांऊ स्काउट तथा डोगरा स्काउट जैसी स्काउट बटालियनें नियमित बटालियनें हैं जो भारतीय सेना का हिस्सा हैं। इस तरह की बटालियनों के लिए कार्मिकों की भर्ती स्थानीय आधार पर की जाती हैं ताकि स्थानीय भाषा के उनके ज्ञान और उस भू-भाग से उनकी सुपरिचितता का लाभ उठाया जा सके और उन्हें हमारी उत्तरी सीमाओं पर उनसे संबंधित क्षेत्रों का तैनात किया जाता है।

[हिन्दी]

लाइसेंसमुक्त एफ.एम. प्रसारण

396. **श्री पुन्नू लाल मोहले:**
श्री पी.आर. खुंटे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव एफ.एम. प्रसारण को लाइसेंसमुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने 24 जुलाई, 2003 को फेस-2 में रेडियों प्रसारण के लिए सिफारिश करने हेतु एक समिति गठित की थी। इस समिति के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न शहरों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर व्यवहार्य लाइसेंस शुल्क ढांचे (एकमुश्त प्रवेश नियत लाइसेंस शुल्क, राजस्व भागीदारी आदि) का मूल्यांकन करना शामिल था। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस समिति ने 17 नवम्बर, 2003 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

फेस-2 रेडियो प्रसारण के लिए सिफारिशें करने हेतु सरकार द्वारा 24 जुलाई, 2003 को गठित समिति के विचारणीय विषय

(1) आवृत्तियों के आवंटन हेतु पारदर्शी और प्रभावशाली बोली/निलामी प्रक्रिया के अपनाने को निश्चित करना।

(2) विभिन्न शहरों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर व्यवहार्य लाइसेंस शुल्क ढांचे (एकमुश्त प्रवेश शुल्क, नियत लाइसेंस शुल्क, राजस्व भागीदारी आदि) का मूल्यांकन।

(3) अन्य क्षेत्रों में पद्धतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निजी एम.एम. को आर्थिक रूप से और अधिक व्यवहार्य/धारणीय बनाने हेतु विदेशी इक्विटी भागीदारी की सीमा के संबंध में सुझाव।

(4) फेस-2 के लिए अलग लाइसेंस पद्धति प्रस्तावित होने की स्थिति में फेस-1 में लाइसेंसधारियों की लाइसेंस पद्धति में बदलाव करने के लिए कानूनी अड़चनों और इसकी वांछनीयता का अध्ययन।

(5) प्रसारित की जा रही विषय वस्तु में सुधार के लिए सुझाव और समाचार सम्मिलित करने पर विचार।

(6) उन्हीं वाणिज्यिक प्रसारकों द्वारा परिचालित किए जाने वाले लाइसेंस दिए जाने वाले गैर-वाणिज्यिक, गैर-विज्ञापन चालित चैनलों की संभावना की जांच उनके नियमन एवं शर्तें, इस बात पर विचार कि क्या इन चैनलों की विषय वस्तु में भारत की विरासत और संस्कृति से संबंधित विषय शामिल हो सकते हैं।

(7) कार्यक्रम संबंधी मामलों में एक आचार संहिता और इसके उल्लंघन के लिए सख्त प्रवर्तन की विधि हेतु सिफारिशें।

(8) इस बात का निर्धारण कि क्या सह-स्थलन आवश्यक और वांछनीय है और अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो महानगरों में अपनाए जाने वाला दृष्टिकोण जहां सह-अवस्थित ढांचों में भारी निवेश किया गया है और वे परिचालन में हैं।

(9) इस पद्धति की कानूनी विवक्षा, जो मौजूदा पद्धति की तुलना में प्रस्तावित की जा सकती है, को निश्चित करना।

(10) बोली दस्तावेज और निविदा/लाइसेंस अनुबंध मसौदा तैयार करना।

(11) समय-समय पर समिति के पास भेजे जा सकने वाले अन्य मामले।

[अनुवाद]

प्रतीक्षालयों पर अवैध कब्जा

397. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रेल में बड़ी संख्या में प्रतीक्षालयों/विश्रामगृहों पर राजकीय रेल

पुलिस या अन्य अनधिकृत लोगों का कब्जा है जिससे आम लोग इस सुविधा से वंचित हैं और रेलवे प्रशासन अनधिकृत लोगों के कब्जे से इस परिसर को खाली कराने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

398. श्री सुबोध राय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार ने कुल कितने प्रस्ताव भेजे हैं और केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने की जरूरत को ताप विद्युत उत्पादन के लिए अब आवश्यक नहीं रखा गया है। तथापि, हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन की स्थापना करने का इरादा रखने वाली किसी कंपनी को इसे स्वीकृति के लिए प्राधिकरण के पास भेजना होगा, यदि इस स्कीम की अनुमानित लागत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित राशि से अधिक होगी।

योजना आयोग ने बिना किसी सीमा के ही विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए राज्यों को पूरा अधिकार दिया है। योजना आयोग से स्वीकृति केवल उन्हीं जल विद्युत परियोजनाओं, जहां अंतर-राज्यीय मामले शामिल हैं, तक सीमित है।

इस समय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा भेजी गई कोई जल विद्युत परियोजना, तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लंबित नहीं है।

रेलगाड़ियों में मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली

399. श्री अशोक एन. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चलती रेलगाड़ियों में मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चलती रेलगाड़ियों में ऐसी प्रणाली स्थापित करने हेतु कितनी धनराशि की जरूरत है;

(ग) इस प्रणाली की विस्तृत विशेषतायें क्या हैं और इस प्रणाली को शुरू करने में कितना समय लगने की संभावना है;

(घ) उक्त प्रणाली शुरू में किन मार्गों पर शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) समूचा रेल नेटवर्क कब तक इस प्रणाली के अंतर्गत लाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां। उत्तर, पूर्व, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर 2415 मार्ग किलोमीटर में मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार (एम टी आर सी) प्रणाली की व्यवस्था करने संबंधी कार्य को अनुमोदित किया गया है जिसकी लागत लगभग 184.83 करोड़ रुपए हैं।

(ग) इस प्रणाली में ट्रेन कर्मीदल, स्टेशनों, नियंत्रण कार्यालय तथा अनुरक्षण कर्मियों के बीच संपूर्ण डुप्लैक्स मोबाइल संसूचना की व्यवस्था है। इस प्रणाली में प्रसारण काल, ग्रुप काल तथा आपातकालीन काल करने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। अनुमोदित कार्य 2005-06 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) जिन मार्गों पर एम टी आर सी कार्य अनुमोदित किए गये हैं, वे निम्नलिखित हैं:-

(1) नई दिल्ली-अंबाला-लुधियाना

(2) लुधियाना-पठानकोट-जम्मू तवी-अमृतसर

(3) हावड़ा-मुगलसराय

(4) नई दिल्ली-झांसी

(5) बरसोई-कटिहार-मालदा टाउन-बरसोई-न्यू जलपाईगुड़ी

(6) न्यू जलपाईगुड़ी-बोंगाईगांव-गुवाहाटी

भारतीय रेलों के अन्य मार्गों पर इस प्रणाली के विस्तार पर अनुमोदित कार्यों के सफल समापन के बाद ही विचार किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

भटिण्डा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधायें

400. श्री भान सिंह भौरा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में भटिण्डा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन की अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) भटिण्डा रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास करने के लिए नामित किया गया है। भटिण्डा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुख-सुविधाओं के उन्नयन की निर्माण लागत के लिए 25.22 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। कार्य प्रगति पर है और उसे 30.6.2004 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका में पेट्रोल पम्प

401. श्री कमलनाथ:
डा. चरणदास महंत:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां श्रीलंका में पेट्रोल पम्पों का अधिग्रहण करने की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप इन तेल कंपनियों को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) श्रीलंका में पेट्रोल पंपों का अधिग्रहण करने के लिए इच्छुक हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) ने खुदरा विपणन के लिए श्रीलंका में लंका आई ओ सी प्रा.लि. (एल. आई ओ सी) नाम की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की है और इसने श्रीलंका में सरकारी स्वामित्व वाली सीलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन (सी पी सी) से 100 खुदरा बिक्री केन्द्रों का अधिग्रहण करने के बाद 18.2.2003 से वाणिज्यिक प्रचालन आरम्भ कर दिए हैं। चौदह फ्रैंचाइजी (डीलर स्वामित्वाधीन) खुदरा बिक्री केन्द्रों का भी एल आई ओ सी द्वारा अधिग्रहण किया गया है।

सी पी सी ने और 107 खुदरा बिक्री केन्द्र तृतीय खिलाड़ी को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. ने इन खुदरा बिक्री केन्द्रों में रुचि दिखाई है।

(ग) ओ एम सीज को किसी भी पड़ौसी देश में विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। श्रीलंका में एक विकासशील बाजार है और वहां निवेशों के लाभप्रद होने की संभावना है। ओ एम सीज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुदरा विपणन में अनुभव अर्जित करेंगी।

[हिन्दी]

राजस्व चोरी

402. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के विभिन्न विभागों में राजस्व चोरी के कारण करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पकड़े गये लोगों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) इस पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई है, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
2001	6305
2002	6898
2003 (जनवरी से सितंबर 2003 तक)	3924

विवरण

यात्री, पार्सल तथा माल बुकिंग, स्क्रैप के निपटान तथा कर्मचारियों को भुगतान करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व की चोरी के कारण हो रहे घाटों की समस्या से निजात पाने के लिए रेल मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। परिणाम परक कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

यात्री, पार्सल तथा माल बुकिंग

यात्रियों की बुकिंग में, वाणिज्यिक विभाग द्वारा की जा रही नियमित टिकट जांचों के अलावा रेलवे सतर्कता द्वारा बुकिंग/आरक्षण, प्लेटफार्मों तथा गाड़ियों सहित महत्वपूर्ण स्टेशनों पर गहन निवारक जांचें की जाती हैं। पार्सल तथा बुकिंग में, गलत वर्गीकरण तथा अधिक लदान के मामलों का पता लगाने के लिए जांचें की जाती हैं। माल रेकों में अधिक लदान की मामलों का पता लगाने के लिए अचानक जांचें की जाती हैं। मौजूदा यांत्रिक तुलाचौकियों के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर इलेक्ट्रानिक-इन-मोशन तुलाचौकियां स्थापित की गई हैं ताकि बिना रुकौनी के संचलित रेकों की जांच की जा सके।

स्क्रैप का निपटान

स्क्रैप निपटान के क्षेत्र में राजस्व की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(क) चोरी के मामलों में कमी लाने तथा कदाचारों को रोकने के लिए गहन जांचें की जाती हैं।

(ख) मौजूदा यांत्रिक तुलाचौकियों के अलावा, डिपुओं तथा शेडों में इलेक्ट्रानिक तुलाचौकियां मुहैया कराई गई हैं जहां स्क्रैप सामग्री क्रेता को सौंपी जाती हैं।

(ग) पटरी तथा रेलपथ सामग्री के लेखे-जोखे को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

कर्मचारियों को भुगतान

कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, बोनस, ऋण/अग्रिम के भुगतान तथा छुट्टी के हिसाब-किताब वाले विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय रेलों द्वारा की जा रही जांचों में तेजी लाई गई है और धोखाधड़ी/अधिक भुगतान संबंधी मामलों का पता लगाने के लिए इन क्षेत्रों में रेलवे बोर्ड द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

खतरनाक रेल जोन

403. **श्री श्रीनिवास पाटील:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने खराब सुरक्षा रिकार्ड वाले रेलवे जोनों और डिवीजनों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जोनों के प्रमुखों और खराब सुरक्षा रिकार्ड के लिये जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन जोनों और डिवीजनों की स्थिति सुधारने और भविष्य में दुर्घटना को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों, मंडलों और खंडों आदि के संरक्षा निष्पादन पर विभिन्न स्तरों पर निरंतर निगरानी की जाती है। आवश्यकता होने पर उचित शोधक उपाय भी किए जाते हैं। इस प्रकार के चिह्नित खण्ड, मंडल और क्षेत्रीय रेलें आवधिक समीक्षा के आधार पर बदलती रहती है।

(ग) से (ङ) दुर्घटना जांच रिपोर्ट के नतीजों और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए चूकों की गंभीरता के आधार पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी तय की जाती है और दंड का निर्धारण किया जाता है। संरक्षा के मामलों में लगातार लापरवाही और संरक्षा प्रणाली की गंभीरता और व्यापक विफलता का पता लगने पर क्षत्रीय तथा मंडल प्रमुखों को दोषी ठहराया जाता है।

(च) भारतीय रेलों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समय-समय पर उचित कदम उठाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं, प्रासंगिक आधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करना, मानव संसाधनों का उन्नयन और अधिक प्रभावी तथा दक्ष पर्यवेक्षण। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मियों को "सेवा से हटाने" और बर्खास्त करने जैसे सख्त दंड भी दिए जाते हैं। रेलपथ, पुलों, चल स्टाक, सिगनल गियरों आदि जैसे गंतायू परिसंपत्तियों के बकाया को छह वर्षों की अवधि के भीतर निपटाने के लिए अक्टूबर, 2001 से एक विशेष रेलवे संरक्षा निधि शुरू की गई है। कर्मियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जुलाई 2003 से "संरक्षा संवाद" संबंधी बैठकें आयोजित की गई ताकि रेलों के संगठित श्रमिकों और फील्ड रेलकर्मियों के बीच तालमेल बन सके।

टाइगर स्क्वायड का गठन

404. **श्रीमती कांति सिंह:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विशेषकर बिहार में पूर्वी मध्य रेलवे के सोनपुर डिवीजन में ऐसे अति महत्वपूर्ण यात्रियों से निपटने के लिए टिकट जांच स्टाफ के ''टाइगर स्क्वायड'' का गठन किया है जो टिकट जांच स्टाफ के मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा करते हैं ताकि उन्हें इस बात का एहसास कराया जा सके कि वे अपने व्यवहार के लिए खामियाजा भुगतने से बच नहीं सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे की यह कार्रवाई अति महत्वपूर्ण यात्रियों की स्थिति को बिगाड़ने के समान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस तरह के स्क्वायड के गठन के क्या कारण हैं जबिक देशभर में सभी रेलगाड़ियों में सामान्य जांच उपलब्ध है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल पर टिकट जांच कर्मचारियों का एक ''टाइगर स्क्वायड'' बनाया गया है ताकि विशेष रूप से वातानुकूलित श्रेणी और आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोका जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) स्क्वायड वातानुकूलित तथा अन्य आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश से होने वाली कठिनाइयों तथा आरक्षित स्थानधारियों को हो रही असुविधा की रोकथाम करने के लिए प्राप्त रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर विशिष्ट मंडल द्वारा बनाया गया है।

एशियाई विकास बैंक के ऋण से रेल परियोजनायें

405. **श्री गुनीपाटी रमैया:**
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक कुछ रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) ए.डी.बी. द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है; और

(घ) विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची क्या है और ए.डी.बी. के अलावा अन्य विभिन्न एजेंसियों से लिये गये ऋण का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां। एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) ने रेल क्षेत्र की परियोजनाओं में सुधार करने के लिए 313.6 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने अब तक इस ऋण से निम्नलिखित चार उप-परियोजनाओं के वित्त पोषण की सहमति दी है:

परियोजना का नाम	आबंटित राशि (मिलियन अमेरिकी डालर में)
गुत्ती-पुलामपेटा दोहरीकरण	66.6
दैतारी बन्सपानी नई रेल संपर्क का क्योंझार-तोमका	37.7
महानदी पर दूसरा पुल	18.0
बिलासपुर-उरकुरा तीसरी लाइन का भतपारा-उरकुरा	30.9

(ग) 313.6 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित है।

(घ) निम्नलिखित रेल परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता का उपयोग किया जा रहा है:

(1) विश्व बैंक (डब्ल्यू बी) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी) जिसमें दोनों रेल और सड़क घटक हैं, में वित्तपोषण कर रहा है। अर्थात् इंटरनेशनल बैंक फोर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डवलेपमेंट (आई बी आर डी) से 463.0 मिलियन अमेरिकी डालर (रेल घटक के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डालर सहित) का ऋण और इन्टरनेशनल डवलेपमेंट एसोशिएशन (आई डी ए) से 79 मिलियन अमेरिकी डालर का उधार (रेल घटक के लिए 60 मिलियन अमेरिकी डालर सहित)। इस परियोजना के रेल घटक की अनुमानित लागत 3125 करोड़ रुपए है। यह ऋण 6 नवम्बर, 2002 से लागू है।

(2) गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिगनलिंग के आधुनिकीकरण परियोजना के वित्तपोषण के लिए क्रेडिटानस्टाल्ट फार ब्राइड्राफबाऊ (के एफ डब्ल्यू), जर्मनी द्वारा 185 मिलियन डी एम का ऋण दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 425 करोड़ रुपये है। यह ऋण 31.12.2006 तक वैध है।

नई ऑटो ईंधन नीति

406. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती कांति सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आटो ईंधन नीति पर आर.ए. माशेलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नई आटो ईंधन नीति को लागू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नई नीति उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में यूरो 2, 3 या 4 प्रौद्योगिकी को लाए जाने संबंधी दिये गये निर्देश के अनुरूप है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो दोनों के बीच क्या अंतर है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (च) विशेषज्ञ समिति, जिसके अध्यक्ष डा. आर.ए. मशेलकर थे, कि सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सारे देश के लिए आटो ईंधन नीति को अंतिम रूप दे दिया है। यह नीति अन्य बातों के साथ-साथ उपयोग में आने वाले, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तौर-तरीके निर्धारित करने के अलावा उत्सर्जन का एक दिया हुआ स्तर हासिल करने के लिए ईंधन गुणवत्ता तथा वाहन प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों हेतु एक स्पष्ट रोडमैप निर्धारित करती है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करेंगे।

(छ) और (ज) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि दिल्ली के बराबर अथवा दिल्ली से अधिक प्रदूषित शहरों में प्रदूषण स्तरों को कम करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। यह आटो ईंधन नीति वाहन प्रौद्योगिकी तथा ईंधन गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों का समाधान करती है।

डी.डी. समाचार चैनल को शुरू किया जाना

407. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डी.डी. समाचार कार्यक्रमों को सातों दिन चौबीसों घंटे प्रसारित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे निजी समाचार चैनलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा डी.डी. समाचार चैनल को लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस चैनल को चलाने के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृति की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डी.डी.-2 (मेट्रो चैनल) के स्थान पर 3 नवम्बर, 2003 से एक चौबीस घंटे का समाचार चैनल चालू कर दिया गया है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस चैनल के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया अन्य प्राइवेट समाचार चैनलों की तुलना में दर्शक संख्या निर्धारण के रूप में काफी उत्साहवर्धक रही है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डी.डी. समाचार चैनल के परिचायक दर कार्ड को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह विज्ञापकों के बहुत ही आकर्षक हो।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस स्कीम को 54 करोड़ रुपये की वार्षिक आवर्ती लागत पर अनुमोदित किया गया था और साथ ही इसके लिए चालू वित्त वर्ष हेतु स्वीकृत राशि 20 करोड़ रुपये है।

रक्षा सेवा परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करना

408. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दी को रक्षा सेवा भर्ती परीक्षा का एक माध्यम बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय से हिन्दी क्षेत्र के आकांक्षी उम्मीदवारों को लाभ होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा सभी मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं को रक्षा सेवा भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी तथा संयुक्त रक्षा सेवा की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ किस्म के होते हैं तथा केवल अंग्रेजी में मुद्रित किए जाते हैं। केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर 11 सितंबर, 2003 को यह निर्णय किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी तथा संयुक्त रक्षा सेवा की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को हिन्दी माध्यम के प्रयोग के विकल्प की अनुमति भी दे दी जाए। सरकार ने अंग्रेजी भाषा के प्रश्न-पत्रों को छोड़कर इन दोनों परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों को द्विभाषी रूप में मुद्रित कराने का निर्णय किया है।

भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम के रूप में शामिल किए जाने का प्रश्न, इस संबंध में डा. सतीश चन्द्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर सरकार के विचाराधीन रहा है। समति की सिफारिशों के आधार पर इस संवेदनशील मामले पर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सुखोई-30 विमान में दोषयुक्त पुर्जे

409. **श्री वाई.वी. राव:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए सुखोई-30 विमान के उन्नत विमानों के पुर्जे दोषयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिर्माताओं से दोषयुक्त पुर्जों को नि:शुल्क बदलवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सुखोई-30 विमानों को देश में निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुखोई-30 एम के आई चरण-1 विमान की एक साल की वारंटी है जिसके दौरान आपूर्तिकर्त्ता से ठीक से काम न कर रहे हिस्से-पुर्जों का नि:शुल्क प्रतिस्थापन/मरम्मत अपेक्षित है। इस अवधि के दौरान, भारत में तैनात किए गए रूसी वारंटी दल द्वारा साधारण उड़ान के दौरान अप्रयोज्य हो गए हिस्से-पुर्जों का नि: शुल्क प्रतिस्थापन/मरम्मत की गई है।

(घ) सुखोई-30 एम के आई चरण-3 विमान के लिए तैयारी स्तर को अभी तक स्थिर नहीं किया गया है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (हि.ए.लि.), सुखोई-30 एम के आई विमान के अंतिम रूपांतरण का लाइसेंसशुदा उत्पादन करेगा। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड इस विमान और इसके हिस्स-पुर्जों का स्वदेशी उत्पादन करने के लिए सुविधाएं स्थापित करेगा।

अलाभकारी रेल लाइनें

410. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान नीति के अंतर्गत रेलवे का प्रस्ताव अलाभकारी रेल लाइनों को कतिपय विनियमों और शर्तों के अंतर्गत निजी एजेंसियों को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जोरावनगर-सायला (एन जी) रेल लाइन (पश्चिम रेलवे) के परिचालन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत अर्थ मूवर्स का कार्य-निष्पादन

411. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल) की कर्नाटक में कितनी शाखायें हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन इकाइयों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार मैसूर संयंत्र में अपनी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र को बेचने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के मैसूर में कोलार, गोल्डफील्ड और कर्नाटक में बेंगलूर में तीन विनिर्माण संयंत्र है तथा मार्केटिंग और बिक्री के उपरांत सेवा का व्यापक नेटवर्क है। संयंत्रों और मार्केटिंग डिवीजन का कर-पूर्व लाभ नीचे दिए अनुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

	2000-01	2001-02	2002-03
के जी एफ	35.29 (-)	21.11 (-)	-0.28 (-)
मैसूर	10.82 (-)	6.28 (-)	19.28 (+)
बेंगलूर	19.57 (-)	20.33 (-)	30.10 (-)
मार्केटिंग डिवीजन	76.33 (+)	60.73 (+)	48.97 (+)
कुल	10.65 (+)	13.01 (+)	37.87 (+)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भाप के इंजनों का प्रयोग

412. **श्री पदम सेन चौधरी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कुल कितने भाप के इंजन हैं;

(ख) क्या सरकार की योजना देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भाप के इंजनों के प्रयोग को बढ़ाने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) इस समय, भारतीय रेलों पर 33 भाप रेल इंजन कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) जी हां। भाप रेल इंजनों के धरोहर मूल्य और पर्यटन संभाव्यता के दृष्टिगत भारतीय रेल ने नीलगिरि माउंटेन और रेलवेज और दार्जीलिंग हिमालयन रेलवेज को भाप कर्षण द्वारा क्रमश: मीटर लाइन और छोटी लाइन पर चलाने का विनिश्चय किया है। इसके अलावा, भारतीय रेल के 150वें वर्ष के दौरान पुराने भाप इंजनों को चालू करके मुंबई-थाणे, शिमला-काठलीघाट, बोलारम-मोमोहराबाद और हावड़ा-बंडेल खण्डों पर भाप इंजन द्वारा कर्षित गाड़ियां चलाई गई थीं।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशन पर संदूषित पानी/रेल नीर की बिक्री

413. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेलवे स्टेशन पर रेल नीर में संदूषित पानी/जल का पानी बेचे जाने की जानकारी है जैसाकि दिनांक 27 सितम्बर, 2003 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या नल के पानी की आपूर्ति करने और इस प्रकार यात्रियों को धोखा देने के जिम्मेदार अधिकारियों या एजेंसियों का पता लगाने हेतु कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और जिम्मेदार अधिकारियों/एजेंसियों को क्या दण्ड दिया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां। 25.09.2003 को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर माननीय रेल राज्य मंत्री द्वारा अचानक निरीक्षण किया गया था और रेल नीर बोतलों की सीलिंग में कुछ कमियां पाई गई थीं और ऐसा लगा कि ये चार स्टालों/ट्रालियों के वेंडरों द्वारा पुन: भरी गई थीं। भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लि (आई आर सी टी सी) ने सील कैप की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं।

(ग) और (घ) उत्तर रेलवे और आई आर सी टी सी द्वारा गहराई से जांच की गई थी जिससे पता चला है कि किसी भी रेलपदाधिकारी की कोई गलती नहीं थी। बहरहाल, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुन: भरी गई रेल नीर की बोतलों को बेचने के लिए जिम्मेवार स्टालों/ट्रालियों के वेंडरों को उपयुक्त रूप से दंडित किया गया। रेल नीर की बोतलों में नल का पानी भरने से रोकने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा निवारक जांच अब गहन कर दी गई है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में लूटमार, डकैती और हत्या की घटनाएं

414. **श्री अजय सिंह चौटाला:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जमालपुर रेलवे स्टेशन पर हुई हिंसा की घटना पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है और उसमें जानमाल की कितनी हानि हुई है;

(ग) वर्ष 2003 के दौरान तथा आज की तारीख तक विभिन्न रेलगाड़ियों में गाड़ीवार लूटमार, डकैती और हत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(घ) प्रत्येक मामले में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं;

(ङ) घायल/लूटे गए व्यक्तियों तथा मृतक के परिवारों को कितनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान, यदि कोई हो, किया गया; और

(च) भविष्य में रेलगाड़ियों/स्टेशनों पर ऐसी घटनाओं पर काबू पाने हेतु सुरक्षा को बढ़ाने हेतु क्या कठोर कदम उठाए गए/उठाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) गुवाहाटी में ग्रुप ''घ'' के पदों की परीक्षा के दौरान बिहारी उम्मीदवारों को रोकने के विरोध में 12.11.2003 को 9.33 बजे जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशनों पर लगभग 300 स्थानीय लोग और विद्यार्थी (तीन सौ बाद में 3000 हो गए) इकट्ठे हो गए और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली और पूर्वोत्तर दिशा से आने वाली रेल गाड़ियों जैसे 4084 (महानंदा एक्सप्रेस), 4055/4056 (ब्रह्मपुत्र मेल) और 5647/5648 (दादर-गुवाहाटी एक्सप्रेस) को निशाना बनाया गया। जब ये रेल गाड़ियां जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशनों पर पहुंची, उपद्रवियों ने यात्रा कर रहे यात्रियों पर पत्थर फेंके, पूर्वोत्तर राज्यों के यात्रियों की पिटाई की और उनके सामान को लूटा। छेड़-छाड़ और अभद्र व्यवहार द्वारा सवारी डिब्बों में यात्रा कर रही महिला यात्रियों को परेशान किया। इन दुर्घटनाओं में 52 यात्री और एक रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी घायल हुए थे। इस संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस/जमालपुर ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और रेल अधिनियम, 1989 के तहत 4 मामले दर्ज किए गए। अभी तक 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जान-माल की हानि की कोई सूचना नहीं मिली है। नुकसान की सीमा और रेलवे परिसंपत्ति की हानि का आकलन अभी किया जाना है।

रेलों पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपराध को कम करना राज्य सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। ''पुलिस व्यवस्था'' राज्य सरकार का विषय होने से चलती रेल गाड़ियों सहित रेलों पर अपराधियों को रोकना और उनका पता लगाना राजकीय रेलवे पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

बहरहाल, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के यात्रियों पर किए गए आक्रमण की घटना की गंभीरता और अन्य राज्यों में इसके गंभीर प्रतिक्रिया की संभावना को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री ने इस मुद्दे को गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के साथ उठाया था ताकि स्थिति को शीघ्र नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और यात्रियों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए बिहार, विशेषकर मालदा और क्यूल के बीच, से गुजरने वाली रेल गाड़ियों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली तथा पूर्वोत्तर से आने वाली सभी रेल गाड़ियों में मालदा और क्यूल के बीच राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल के एक-एक निरीक्षक की तैनाती कर दी गई थी। मार्ग रक्षण की व्यवस्था अभी भी जारी है।

(ग) और (ङ) ''पुलिस व्यवस्था'' राज्य सरकार का विषय होने से चलती रेल गाड़ियों सहित रेलों पर अपराधों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना राजकीय रेलवे पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है। रेलों पर अपराध के मामले राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। अत: प्रश्न में मांगी गई सूचना रेल मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ) राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. रेलवे परिसरों और रेल गाड़ियों से असामाजिक तत्वों को रेल सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से हटाया जाता है।

2. लावारिस वस्तुओं, संदिग्ध वस्तुओं और संदिग्ध व्यक्तियों जो यात्रियों को नशीली/जहरीली वस्तुएं खाद्य पदार्थों में मिलाकर देते हैं उनसे यात्रियों को सावधान रहने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम और क्लोज सर्किट टेलीविजनों के माध्यम से उद्घोषणाएं की जाती हैं।

3. सभी स्तरों पर रे.सु.ब. और रा.रे.पु. के बीच विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

4. रेलों पर असामाजिक तत्वों से निपटाने के लिए रा.रे.पु. और रे.सु.ब. द्वारा संयुक्त रणनीति तैयार की गई है।

5. विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के लिए रेलवे प्लेटफार्मों, यार्डों आदि पर रे.सु.ब. के खोजी कुत्तों, जहां कहीं भी उपलब्ध हों, को लगाया जा रहा है।

6. रेल गाड़ियों में जघन्य अपराधों को नियंत्रित करने के लिए रा.रे.पु. के साथ समन्वय में रा.रे.पु. की सहायता के लिए रे.सु.ब. के कर्मियों को आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है।

[अनुवाद]

कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करना

415. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** दिनांक 8 मई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6764 और 6653 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों और उन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय राजकोष में अपनी देयता तथा अपने विरुद्ध अनेक मामले लंबित होने के बावजूद अपने कार्यक्रमों को लगातार स्वीकृत करा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) प्रसार भारती जो कि प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अनुसार एक संवैधानिक स्वायत्तशासी निकाय है ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता में तथाकथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए श्री एम.एल. मेहता, सदस्य, प्रसार भारती बोर्ड की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर दी गई थी। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह प्रसार भारती के जांचाधीन।

[हिन्दी]

जैव-डीजल का उत्पादन

416. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ''जैव-डीजल'' का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए रतनजोत ''जटरोपा'' का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इसके लिए कई करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय बनाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जटरोपा करकास के वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। हाल में उक्त मिशन के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उस मंत्रालय द्वारा एक अंतर्मंत्रालयीन बैठक आयोजित की गई थी।

[अनुवाद]

डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) संबंधी नीति

417. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में डी.टी.एच. सेवाओं की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रसारण/दूरदर्शन फर्मों को समाचार शुरू करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रसारणकर्त्ताओं द्वारा इस सुविधा का दुरूपयोग करने को रोकने हेतु क्या सुरक्षोपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कम्पनियों को उनके समाचार तथा समसामयिक विषयक टी.वी. चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई है:

1. टी.वी. टू-डे नेटवर्क लिमिटेड
2. जैन स्टूडियोस लिमिटेड
3. उषोदय एन्टरप्राइजिज लिमिटेड
4. नई दिल्ली टी.वी. लिमिटेड
5. टी.वी. लाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. टेलीविजन एटिन इंडिया लिमिटेड
7. इन्डिपेन्डेन्ट न्यूज सविर्सिज प्राइवेट लिमिटेड
8. पोजिटिव टी.वी. प्राइवेट लिमिटेड
9. एसोसिएटिड ब्रोडकास्टिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

अन्य मौजूदा समाचार तथा समसामयिक विषयक चैनलों को अपने आपको 25 मार्च, 2004 तक संशोधित दिशानिर्देशों को अनुकूल बनाना अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) समाचार तथा समसामयिक विषय टी.वी. चैनलों को भारत से अपलिंक करने के दिशानिर्देश 26 मार्च, 2003 को जारी किए गए थे जिन्हें पात्रता मानदण्डों के संबंध में 28 अगस्त, 2003 को फिर से संशोधित किया गया था। समाचार या समसामायिक विषयक टी.वी. चैनलों के अपलिंक संबंधी दिशानिर्देश की एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एमआईबीएन आई सी.इन में उपलब्ध है। अपलिंक हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सरकार ने प्रसारकों द्वारा संभावित दुरूपयोग से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था भी की है।

केबल के माध्यम से दूरदर्शन चैनल

418. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती सरकार से केबल आपरेटरों हेतु सभी तीनों दूरदर्शन चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य बनाने के लिए उन्हें प्राधिकृत करने हेतु अनुरोध कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवश्यक परिवर्तनों के लिए केबल टेलीविजन अधिनियम को संशोधित करने का है ताकि दूरदर्शन के निदेशक को अनिवार्य प्रसारण हेतु समर्थ बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8(1) के अनुसार देश में सभी केबल आपरेटरों के लिए स्थलीय प्रसारण वाली आवर्तिता के अलावा अन्य आवर्तिताओं पर प्राइम बैंड में दूरदर्शन के कम से कम दो स्थलीय चैनलों और राज्य के एक क्षेत्रीय भाषायी चैनल का वितरण करना अनिवार्य है।

(ख) और (ग) इस समय केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रसार भारती के कार्यालयों को प्राधिकृत कार्यालयों के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव है।

सुरक्षा खामी की जांच

419. श्री रामजीवन सिंह:
श्री जे.एस. बराड़:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन सुरक्षा खामियों की गहराई से जांच की है जिनके फलस्वरूप उग्रवादी जम्मू-कश्मीर में उच्च सैन्य अधिकारियों और मुख्यालय पर हमला कर सके;

(ख) अप्रैल, 2003 से जम्मू-कश्मीर में सेना मुख्यालय और उच्च सैन्य अधिकारियों पर कितनी बार उग्रवादी हमले हुए हैं और इन हमलों में कितने सुरक्षाकर्मी और अधिकारी मारे गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सुरक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) निम्नलिखित दो घटनाओं, जिनमें आतंकवादियों ने सैन्य कैंपों पर आत्मघाती हमले किए थे, की अभी भी जांच चल रही है:

(1) दो आतंकवादियों ने 28 जून, 2003 को संजूवान छावनी में इन्फैंट्री बटालियन पर आत्मघाती हमला किया। दोनों आतंकवादी मारे गए तथा तेरह सैनिक शहीद हो गए और छह सैनिक घायल हो गए।

(2) आतंकवादियों ने 22 जुलाई, 2003 को टांडा (अखनूर) में एक ई एम ई बटालियन पर आत्मघाती हमला किया। सभी तीनों आतंकवादी मारे गए तथा दस सैनिक शहीद हो गए और 13 सैनिक घायल हो गए।

(ग) सुरक्षा बढ़ाने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) शीघ्र एवं कारगर जवाबी कार्रवाई करने की प्रक्रिया की पुनरीक्षा।

(2) सुरक्षा के खतरे की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान।

(3) सुरक्षा के खतरे की संभावना वाले क्षेत्रों की सफाई।

(4) सैन्य क्षेत्रों तक आने-जाने पर नियंत्रण।

(5) वास्तविक सुरक्षा के उपायों को पुख्ता करना।

(6) विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए तकनीकी विद्यालय खोलना

420. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकलांग लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों के लिए तकनीकी विद्यालय खोले हैं अथवा खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पठानकोट-जोगिन्दर नगर लाइन पर रेलवे गेट/ऊपरि पुल का निर्माण

421. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पठानकोट-जोगिन्दर नगर संकरी रेल लाइन के रेलवे क्रासिंग सं.-डी-331 पर रेलवे गेट/ऊपरि पुल के निर्माण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, माननीय संसद सदस्य के पत्र के साथ "घ" श्रेणी के कैटल समपार सं. डी-331 को बिना चौकीदार वाले समपार में बदलने का अनुरोध करते हुए ग्राम पंचायत वडेहार और मटारू के ग्रामवासियों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) रेलवे की मौजूदा नीति संरक्षा की दृष्टि से मौजूदा लाइनों पर बिना चौकीदार वाले नए समपारों के निर्माण की अनुमति नहीं देती है। अत: मांग स्वीकार करना संभव नहीं था। बहरहाल, मांग वाली जगह पर चौकीदार वाले समपार या ऊपरि सड़क पुल के निर्माण पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि समपार/ऊपरि सड़क पुल के निर्माण की आरंभिक लागत और आवर्ती अनुरक्षण की एक-बारगी पूंजीगत लागत वहन करने की सहमति प्रदान करते हुए राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से प्रस्ताव प्राप्त हो। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कारगिल सेक्टर में गोलीबारी

422. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेना गत दो महीनों की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में कारगिल और अन्य सेक्टरों में रुक-रुक कर गोलीबारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप कितने सैनिक और नागरिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) कारगिल में नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों में गोलीबारी होती रहती है। पिछले दो महीनों के दौरान दिनांक 25-11-2003 तक गोलीबारी की प्रक्रिया में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) दिनांक 26-9-2003 से 25-11-2003 तक की अवधि के दौरान 12 सेना कार्मिक शहीद हुए हैं और 45 सेना कार्मिक घायल हुए हैं।

दिनांक 15-9-2003 से 15-11-2003 तक की अवधि के दौरान 17 सिविलियन मारे गए हैं तथा 46 घायल हो गए हैं।

(ग) पाकिस्तानी सेना को गोलीबारी करने से रोकने के लिए, पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी गोलीबारी करती है। इसके अलावा, रक्षा कार्यों में सुधार करके नियंत्रण रेखा पर तैनात किए गए सैन्य दलों के सुरक्षा संबंधी स्तर पर लगातार उन्नयन किया जा रहा है। नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती गांवों में दुश्मन की गोलीबारी से सिविलियनों को सुरक्षित रखने के लिए सेना और सिविल प्रशासन द्वारा शेल्टरों का निर्माण किया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) की विस्तार योजना

423. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन हेतु कोई विस्तार योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एनएचपीसी ने क्रमश: 10वीं और 11वीं योजना के दौरान 4357 मेगावाट और 16004 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की है। इन परियोजनाओं की क्षमता और अनुमानित लागत दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/जिला	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत	
				लागत	मूल्य स्तर
1	2	3	4	5	6
क. निर्माणाधीन स्कीमें					
1.	दुलहस्ती	जम्मू व कश्मीर/डोडा	390	4190.50	नवंबर-01
2.	चमेरा-2	हि.प्र./चम्बा	300	1684.02	अगस्त-98
3.	धौलीगंगा-1	उत्तरांचल/पिथौरागढ़	280	1578.31	अगस्त-99
4.	तीस्ता-5	सिक्किम/पूर्वी सिक्किम	510	2198.05	अप्रैल-99
5.	सेवा-2	जे एंड के/कठुआ	120	665.46	सितंबर-02
6.	तीस्ता लो डैम चरण-3	प. बंगाल/दार्जिलिंग	132	768.92	दिसंबर-02

1	2	3	4	5	6
ख. नई परियोजनाएं					
7.	तीस्ता लो डैम चरण-4	प. बंगाल/दार्जिलिंग	168*	1114.26	जुलाई 03
8.	बाव-2	महाराष्ट्र/रत्नागिरि	37	214.21	मार्च-03
ग. संयुक्त उद्यम परियोजनाएं					
9.	इंदिरा सागर	म.प्र./खंडवा	1000	3527.54	सितंबर-00
10.	ओंकारेश्वर	म.प्र./खंडवा	520	2041.93	नवंबर-02
11.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज	प. बंगाल/पुरूलिया	900	3157.25	जनवरी-03
		11वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम			
क. निर्माणाधीन स्कीमें					
1.	लोकतक डी/एस	मणिपुर	90	578.62	अप्रैल-99
2.	पार्बती-2	हि.प्र.	800	3919.59	दिसंबर-01
3.	सुबानसिरी लोअर	अरूणाचल प्रदेश	2000	6285.33	दिसंबर-02
ख. जांच एवं सर्वेक्षण के अधीन परियोजनाएं					
4.	उड़ी-2	जे एंड के	240	1946.09	जुलाई-03
5.	पार्बती-3	हि.प्र.	520	2228.41	जुलाई-03
6.	चमेरा-3	हि.प्र.	231	1384.18	अक्टूबर-03
7.	बरसर	जे एंड के	1020	4378.19	अप्रैल-01
8.	पकाल डल	जे एंड के	1000	3480.14	अप्रैल-01
		11वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम			
9.	सुबानसिरी मिडिल	अरुणाचल प्रदेश	1600	6406.18 (एएलटी-1)	जून-02
				7579.67 (एएलटी-2)	जून-02
10.	सुबानसिरी अपर	अरुणाचल प्रदेश	2000	8753.06 (एएलटी-1)	जून-02
				10157.01 (एएलटी-2)	जून-02
11.	सियांग मिडिल	अरुणाचल प्रदेश	1000	4699.81	अगस्त-03
12.	अपर कृष्ण प्रोजेक्ट	कर्नाटक	810	984.59	सितंबर-03

1	2	3	4	5	6
13.	निम्मो बाजगो	जे एंड के	45	593.01	नवंबर-02
14.	चुटक	जे एंड के	30	543.00	जून-03
15	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	3000	–	
16.	बाव चरण-1	महाराष्ट्र	18	–	
17.	किशनगंगा	जे एंड के	330	3309.55	अगस्त-03
18.	लखवरी व्यासी	उत्तरांचल	420	–	
19.	कोटली भेल	उत्तरांचल	850	–	

*अधिष्ठापित क्षमता जैसा डीपीआर में प्रस्तुत की गई है 160 मेगावाट

मूराद रेलवे पुल पर रेलगाड़ियों की गति

424. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मूराद रेलवे पुल पर रेलगाड़ियां रुकती हैं और फिर 15 कि.मी. प्रति घंटे से कम की गति से चलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) बडगरा और तिकोट्टि स्टेशनों के बीच पुल पर 20 कि.मी. प्रति घंटा की गति सीमा है। फिर भी गाड़ियां पुल पर नहीं रुक नही हैं।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त ने पुल पर, बंगलौर वैधानिक निरीक्षण के उपरांत, कतिपय अवशिष्ट कार्यों और पाए गए भार जांच की मांग करते हुए पुल पर गति प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकांश अवशिष्ट कार्य पूरा कर दिया गया है तथा टेस्ट पाइल के भार जांच के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

ओ.एन.जी.सी. के खुदरा बिक्री केन्द्र

425. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. द्वारा सारे देश में खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. की एजेंसियां खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ओ.एन.जी.सी. द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना की समय-सीमा क्या है और क्या योजना व्यापक आधार वाली है;

(घ) ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों से ओ.एन.जी.सी. को क्या लाभ होने की संभावना है;

(ङ) क्या एक बड़ा बिक्री नेटवर्क स्थापित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो ओ.एन.जी.सी. की ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) जी, हां। ओ एन जी सी की 3-4 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध ढंग से देश के 12 राज्यों/संघ शासित राज्यों में 1100 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की योजना है। तथापि ओ एन जी सी द्वारा कोई एल पी जी एजेंसी स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) विश्वव्यापी पेट्रोलियम कंपनियों के समान ही ओ एन जी सी ने पेट्रोलियम के अपस्ट्रीम/डाऊनस्ट्रीम कारोबार को एक साथ करना शुरू किया है। अपस्ट्रीम तथा डाऊन स्ट्रीम कारोबार में परिवर्ती समय मानचक्र पर विचार करते हुए, ऐसी सहक्रियाओं के परिणामत: नकद प्रवाह को बल मिलता है।

(ङ) और (च) अभी तक ओ एन जी सी ने कोई खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

सिनेमाकर्मियों के लिए रोजगार सुरक्षा

426. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनुमानित सिनेमा कर्मियों संबंधी कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक सामान्य सिनेमाकर्मी हेतु कोई रोजगार सुरक्षा अथवा बीमा नहीं है जबकि एन.एफ.डी.सी. का संबंध केवल सुपरिचित फिल्म कलाकारों से ही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य सुपरिचित सिनेमाकर्मियों के लिए रखे गए कल्याण कोष से इन सामान्य सिनेमाकर्मियों के कल्याण कार्य करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ङ) सिने का कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1981 श्रम मंत्रालय द्वारा बनाया गया और प्रशासित किया जाने वाला अधिनियम है। श्रम मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में लगभग 64,483 सिनेमा कर्मचारी हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत फीचर फिल्मों के निर्माताओं से उगाहे जाने वाले उपकर का उपयोग इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल सिनेमा कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है। शुरू किए गए कल्याण कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सिनेमा कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम।

2. (क) हृदय रोगों (ख) किडनी प्रतिरोपण (ग) कैंसर उपचार के लिए वित्तीय सहायता सहित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं।

3. प्रथम स्तर से व्यवसायिक उपाधि कक्षाओं तक सिनेमा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड ने सार्वजनिक परमार्थ न्यास के रूप में भारतीय सिनेमा कलाकार कल्याण निधि की स्थापना की है जो विगत वर्षों के गरीब सिनेमा कलाकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस न्यास की स्थापना फीचर फिल्म गांधी के 5 प्रतिशत लाभ के रूप में प्राप्त धनराशि से की गई थी।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि

427. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्चे तेल की कीमत में अचानक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार की इस स्थिति से निपटने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) 1.4.2002 से प्रभावी, प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली के समाप्त होने के साथ ही, ओ एन जी सी तथा ओ आई एल के देशी कच्चे तेल के मूल्य, बाजार निर्धारित हो गए हैं। ओ एन जी सी तथा ओ आई एल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित कच्चे तेल आपूर्ति करार के अनुसार, ओ एन जी सी तथा ओ आई एल के कच्चे तेल मूल्य अंतरराष्ट्रीय मार्कर कच्चे तेलों से जुड़े होंगे। इसलिए, कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में किसी परिवर्तन से ओ एन जी सी तथा ओ आई एल के घरेलू तेल मूल्य भी प्रभावित होते हैं। कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं, जैसे ओपेक का अपने सदस्य देशों के उत्पादन कोटे पर निर्णय, मौसमी मांग, उत्पादक देशों से आपूर्तियों में बाधाएं आदि।

[अनुवाद]

सैनिक अड्डे स्थापित करना

428. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ नए सैनिक अड्डे स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये नए सैनिक अड्डे किन-किन राज्यों में खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उड़ीसा में कोई नया सैनिक अड्डा खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सेना आनंदपुर साहिब (पंजाब), ऊना (हिमाचल प्रदेश) और कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में जमीन अर्जन करने की कार्रवाई कर रही है ताकि इन स्थानों पर नए मिलिटरी स्टेशन बनाए जा सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गांधीनगर-अहमदाबाद-दिल्ली बड़ी रेल लाइन

429. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदाबाद-दिल्ली बड़ी रेल लाइन से गांधीनगर को जोड़ने वाली रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कलोल मोती-अदराज की बड़ी रेल लाइन को पूरा करने हेतु कितनी समय-सीमा निर्धारित की गयी है और इसके लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) 45 हैक्टर भूमि में से 30 हैक्टर भूमि अधिग्रहीत की गई है। मिट्टी डालने तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों में है।

(ख) और (ग) अदरज मोती-कलोल के आमान परिवर्तन सहित संपूर्ण परियोजना को वर्ष 2004-05 के दौरान संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पूरा करने की योजना है। इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 49.96 करोड़ रुपए है। वर्ष 2003-04 के दौरान परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

गहरे समुद्र में ड्रिलिंग हेतु बोलियां

430. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में ड्रिलिंग कार्यक्रम, ''सागर समृद्धि'' हेतु बोलियां आमंत्रित करने हेतु वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) कितनी मात्रा में गैस/तेल मिलने की संभावना है;

(घ) क्या यह भविष्य में देश में पेट्रोलियम की बढ़ती मांग को पूरा कर पायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्यम में कितना निवेश होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने गहन जल रिगों को भाड़े पर लिए जाने के लिए दिसम्बर, 2002 में बोली प्रस्तावों के लिए विश्व स्तर पर निविदाएं मांगी थी। इस निविदा के प्रत्युत्तर में 29 कंपनियों में निविदा दस्तावेज खरीदे थे जिनमें से 25 विदेशी कंपनियां और 4 भारतीय कंपनियां थी।

(ग) और (घ) पूर्व और पश्चिम तट के अपतटीय संपूर्ण गहन जल क्षेत्र के पूर्व अनुमानित हाइड्रोकार्बन संसाधन करीब 7 बिलियन टन तेल समतुल्य (बी टी आई) होने का अनुमान है। नामांकन आधार तथा नई अन्वेषण लाइसेंसी पालिसी (एन ई एल पी) के विभिन्न दौरों के तहत ओ एन जी सी को दिए गए गहन जल खण्डों में हाइड्रोकार्बन संभाव्यता की प्राप्ति की दिशा में ओ एन जी सी का ''सागर समृद्धि'' एक आगे का कदम है।

जैसा कि अन्वेषण और उसके परिणाम संभाव्यता की प्रकृति के हैं, तेल और गैस की प्रमात्रा मिली हुई होती है, इसलिए इन्हें अलग-अलग नहीं बताया जा सकता।

(ङ) दिसम्बर, 2002 में विश्व स्तर पर मांगी गई निविदाओं के आधार पर दी गई संविदाओं का अनुमानित व्यय करीब 3550 करोड़ रुपए है।

दोषयुक्त पहिये

431. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा खरीद की गयी सभी घटिया सामग्रियों को अस्वीकृत करने हतु रेलवे में कौन-सी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है;

(ख) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि उनकी बोगियों के लिए दोषयुक्त पहियों का प्रयोग हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की गयी घटिया सामग्रियों को अस्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे की योजना वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे दोषयुक्त पहियों की पहचान करने और उन्हें अस्वीकृत करने हेतु एक व्यापक सर्वेक्षण कराने की है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि. द्वारा चरण निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रित की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्तृत प्रक्रिया मौजूदा है कि घटिया सामग्री स्वीकृत न की जाए।

(ख) दोषपूर्ण पहियों को सेवा में नहीं लगाया जाता है। निर्माता की दोषपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के कारण कुछ पहिये अपनी सेवा अवधि के समापन से पहले खराब हो गए। बहरहाल, रेलवे के अभियान के जरिये सभी संदिग्ध पहियों को सेवा से हटा दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संबंधित एहतियात के तौर पर, रेलवे की उन सभी पहियों, जो अपनी सेवा अवधि के समापन के नजदीक हैं, का गहन सर्वेक्षण करने की योजना है ताकि दोषपूर्ण लक्षण वाले पहियों को हटाया जा सके।

(ङ) रेलवे कारखानों को ऐसे सभी पहियों का पूर्णत: गैर-विनाशी परीक्षण करने को कहा गया है यथा व्हील रिमों की अल्ट्रासानिक टेस्टिंग, स्टील सम्मिश्रण में कार्बन का प्रतिशत और अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन के मानकों के अनुसार पहियों का निरीक्षण।

ग्रामीण विद्युतीकरण

432. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति जारी रखने के प्रति निजी वितरण कंपनियों की अनिच्छा पर गौर किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) गांवों का विद्युतीकरण राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। 3 मार्च, 2001 को हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण को पूरा करने का संकल्प लिया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति में निजी क्षेत्र, पंचायतों और स्थानीय निकायों की भागीदारी के लिए अधिकार देने वाले प्रावधान हैं।

विदेशों में तेल और गैस क्षेत्र में भागीदारी

433. डा. (श्रीमती) राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अनेक अन्य देशों में तेल और गैस क्षेत्र में भागीदारी करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) म्यांमार में अपतटीय अन्वेषण ब्लाक का पता लगाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारतीय हाईड्रोकार्बन झलक-2025 (आई एच वी-2025) में यथा परिकल्पित, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां वास्तव में विदेशों में तेल और गैस क्षेत्रों में हिस्सेदारी प्राप्त करने में रुचि लेती रही हैं।

आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ एन जी सी-विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) ने पहले से ही ईरान, इराक, लीबिया, म्यांमार, रूस, सूडान वियतनाम में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए सहयोग समझौते किए हुए हैं और सीरिया में भी ऐसा करने का प्रस्ताव रखती हैं। उपर्युक्त के अलावा, गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई ओ सी), और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) की म्यांमार और ईरान में अन्वेषण ब्लाकों में हिस्सेदारी है जहां वो वी एल भी भागीदार है।

(ग) प्रथम अन्वेषण कूप के रूप में पहचान किए गए अन्वेषण ब्लाक-ए-1, म्यांमार में भूकंपीय आंकड़े अर्जित किए गए और इस कूप का वेधन मध्य नवंबर, 2003 में आरंभ हो गया।

[हिन्दी]

बिहार में तेल व गैस की खोज

434. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में तेल व गैस का पता लगाने हेतु कोई प्राथमिक सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सर्वेक्षण पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) कितने ब्लाकों को चिह्नित किया गया है तथा उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण में शामिल किया गया है और जहां पेट्रोल और गैस मिलने की संभावना है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यापक सर्वेक्षण हेतु आमंत्रित निविदाओं के क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) राष्ट्रीय तेल कंपनियां उदाहरणार्थ आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) तथा हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) ने बिहार राज्य के अररिया, बेगूसराय, भोजपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारन, दरभंगा, गोपालगंज, खगरिया, किशनगंज, कटिहार, माधेपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सहरसा, सासाराम, सीतामढ़ी और सीवान जिलों में वायु चुंबकीय, भू गरुत्वाकर्षण-चुम्बकीय और 2डी भूकंपीय सर्वेक्षणों जैसे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में फैलाए गए अन्वेषणात्मक प्रयासों में 17595 गरुत्वाकर्षण-चुंबकीय केन्द्र, 17,500 व. कि.मी. हाई रेजोल्यूशन वायु चुंबकीय सर्वेक्षण (एच आर ए एस) और 7766 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जी एल के) 2डी भूंकपीय सर्वेक्षण शामिल हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर छह अन्वेषण कूपों का वेधन किया गया।

(ग) और (घ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के तीसरे दौरे के तहत पी ए-ओ एन एन-2001/1 नामक एक अन्वेषण ब्लाक का प्रस्ताव किया गया। जिसके लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। बिहार राज्य में पड़ने वाला जी वी-ओ एन एन-2002/1 नाम के एक और अन्वेषण ब्लाक की पहचान की गई और इसे एन ई ए पी के चौथे दौर के तहत प्रस्तावित किया गया जिसके लिए एक बोली प्राप्त हुई।

[अनुवाद]

निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

435. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे में सेवाओं और आमदनी दोनों में सुधार लाने हेतु प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेन्द्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या रेलवे ने राजस्व में हो रही कमी और परियोजनाओं के पूरा होने में होने वाली देरी के मद्देनजर विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता महसूस की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) भारतीय रेलवे के पास पहले से ही क्षेत्रीय रेलों/इकाइयों के महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित सुव्यवस्थित विकेंद्रीकृत ढांचा है। बहरहाल, शक्तियों का प्रत्यायोजन एक सतत प्रक्रिया है और क्षेत्रीय रेलों को समय-समय पर शक्तियों का प्रत्यायोजन परिचालनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं और क्षेत्रीय रेलों/इकाइयों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोंगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र का पुनरुद्धार

436. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निचले असम के बोडोलैंड क्षेत्र में स्थिति एकमात्र विद्युत उत्पादक परियोजना अर्थात बोंगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र (बीटीपीएस) सालकाटी को एनटीपीसी के साथ विलय करके अथवा पिछड़े जनजातीय क्षेत्र में इसी विद्युत परियोजना के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और नवीकरण हेतु वांछित धनराशि प्रदान करके उसका पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण व नवीकरण करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने असम में विशेषकर बोडोलैंड क्षेत्र में सभी जनजातीय गांवों में पिछड़े जनजातीय लोगों को विद्युत उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना और कार्ययोजना बनायी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) और (ख) 10वीं योजना के दौरान पुनरुद्धार, नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु बोंगाईगांव थर्मल पावर स्टेशन (4×60 मेगावाट) की पहचान की गई है। यूनिट-1 तथा 2 को पहले चरण में तथा यूनिट 3 और 4 को दूसरे चरण में हाथ में लिया जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) बोंगाईगांव टीपीएस में थर्मल यूनिटों के नवीकरण में परामर्शदाता की भूमिका के लिए सहमत हो गया है। अपशिष्ट जीवन मूल्यांकन (आरएलए) अध्ययनों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) को आर्डर दे दिया गया है। आरएलए अध्ययनों को पूरा करने के पश्चात् एलई कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और पूर्वोत्तर राज्य सरकारों के साथ दिनांक 22.1.2000 को हुई बैठक में यह घोषित किया कि पूर्वोत्तर राज्यों में 165 आदिवासी गांवों को प्रधानमंत्री के सामाजिक-आर्थिक पैकेजों के अंतर्गत अनुमानत: 25.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विद्युतीकृत किया जाएगा ताकि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हो सके। इसके अलावा बोडोलैंड के गांवों समेत असम राज्य के 20 आदिवासी गांवों को अनुमात: 1.35 करोड़ रुपये की लागत से, विद्युतीकरण करने हेतु हाथ में लिया गया है। 10 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है और शेष 10 गांवों में कार्य प्रगति पर है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में बिजली कटौती

437. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में बिजली की अत्यंत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक को और अधिक बिजली प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) अप्रैल-अक्टूबर, 2003 के दौरान कर्नाटक में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत् थी:

ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन (मेगावाट)	
आवश्यकता	19716	व्यस्ततमकालीन मांग	6213
उपलब्धता	16684	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	4913
कमी	3032	कमी	1300
प्रतिशतता (%)	15.4	प्रतिशतता (%)	20.9

(ख) विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की होती है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के जरिए राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। कर्नाटक को दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (सीजीएस) में 727 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र के तालचेर एसटीपीएस चरण-2 (4×500 मेगावाट) में 396 मेगावाट का सुनिश्चित आबंटन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक को दक्षिणी क्षेत्र के सीजीएस में अनाबंटित कोटे से 237 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र के एनटीपीसी स्टेशनों में लौटाई गई हिस्सेदारी/अनाबंटित कोटे से 100 मेगावाट का आबंटन किया गया है ताकि राज्य में मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके।

राष्ट्रीय राइफल्स का विस्तार

438. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राइफल्स का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राइफल्स के कितने अतिरिक्त बटालियन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने लगातार पांच वर्षों तक संबंधित आधारभूत अवसंरचना सहित प्रत्येक वर्ष छह राष्ट्रीय राइफल बटालियनें खड़ी करने का वर्ष 2000 में निर्णय लिया था। वर्ष 2001-2003 के दौरान अठारह अतिरिक्त राष्ट्रीय राइफल बटालियनें

खड़ी की गई हैं। प्रत्येक वर्ष में बटालियनों को खड़ी करने की आवश्यकता पर निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा वार्षिक पुनरीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली-मुरादाबाद और गरगरा हाल्ट-शाहजहांपुर रेल लाइन का दोहरीकरण

439. श्री अमीर आलम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-मुरादाबाद और गरगरा हाल्ट-शाहजहांपुर रेल मार्ग का दोहरीकरण करने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उपरोक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) क्या इन रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) दिल्ली से हापुड़ तक पहले ही दोहरी लाइन मौजूद है। हापुड़-मुरादाबाद के दोहरीकरण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। अमरोहा-मुरादाबाद खंड का दोहरीकरण 2003-04 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। कोई गरगरा हाल्ट नहीं है। बहरहाल, माननीय सदस्य शाहजहांपुर के समीप गर्राह पुल का उल्लेख कर रहे हैं। गर्राह पुल पर इकहरी लाइन को छोड़कर गर्राह पुल-शाहजहांपुर खंड पहले ही दोहरी लाइन वाला खंड है। गर्राह पुल के दोहरीकरण के कार्य को बजट 2003-04 में शामिल कर लिया गया है और प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू कर दिए गये हैं। यह कार्य 2004-05 के दौरान शुरू होने की संभावना है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त खंडों का दोहरीकरण आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

(ग) दिल्ली-गाजियाबाद खंड पहले ही विद्युतीकृत है। इस समय, गाजियाबाद-मुरादाबाद तथा गर्राह पुल-शाहजहांपुर खंड को विद्युतीकृत किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

50,000 मेगावाट पहल योजना

440. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "50,000 मेगावाट पहल के तहत विकसित करने हेतु चिह्नित योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं को राज्यों में भी कार्यान्वित करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसी योजना को कार्यान्वित करने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) से (घ) भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 24.5.2003 को 50,000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता का शुभारंभ किया। इस पहल में 16 राज्यों में अवस्थित 50,560 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के लिए 162 जल विद्युत योजनाओं की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इन योजनाओं के व्यवहार्यता अध्ययनों/पीएफआर की पूर्णता के पश्चात् राज्य सरकारों के साथ परामर्श से परियोजना कार्यान्वयन की ओर आगामी कदम चरणबद्ध रूप में उठाए जायेंगे। अभिज्ञात की गई जल विद्युत योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) हेतु जल विद्युत स्कीमों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	स्कीम/परामर्शक	नदी/बेसिन	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश			
नीपको			
1.	भरेली लिफ्ट बांध-2	कामेंग	330.0
2.	भरेली लिफ्ट बांध-1	कामेंग	240.0
3.	कपाक लियाक	कामेंग	195.0
4.	बदाओ	कामेंग	120.0
5.	पाक्के	कामेंग	120.0
6.	सेबा	कामेंग	105.0
7.	चांदा	कामेंग	110.0
8.	किमी	कामेंग	535.0

1	2	3	4
9.	कामेंग	कामेंग	1100.0
10.	बिछोम-2	कामेंग	205.0
11.	पापू	कामेंग	160.0
12.	तलोंग	कामेंग	150.0
13.	उतुंग	कामेंग	110.0
14.	टेंगा	कामेंग	275.0
15.	बिछोम स्टोरेज-1	कामेंग	190.0
		कुल (नीपको)	3945.0
	एनएचपीसी		
16.	हीगियो	सुबानसिरी	250.0
17.	इमीनी	दिहांग-दिबांग	295.0
18.	अमुलिन	दिहांग-दिबांग	235.0
19.	अगोलाइन	दिहांग-दिबांग	235.0
20.	रिगोंग	दिहांग-दिबांग	130.0
21.	कुरूंग बांध-2	सुबानिसरी	115.0
22.	टाटो-2	दिहांग-दिबांग	360.0
23.	ओजू-2	सुबानसिरी	2580.0
24.	अत्तूनी	दिहांग-दिबांग	175.0
25.	नाबा	सुबानसिरी	1290.0
26.	इमरा-2	दिहांग-दिबांग	870.0
27.	इटालियन	दिहांग-दिबांग	3045.0
28.	नेइंग	दिहांग-दिबांग	495.0
29.	ओजू-1	सुबानसिरी	1925.0
30.	नियारे	सुबानसिरी	1405.0
31.	इमरा-1	दिहांग-दिबांग	275.0
32.	मिनियिंग	दिहांग-दिबांग	195.0
33.	इलांगो	दिहांग-दिबांग	180.0
34.	दुइमुख स्टोरेज	सुबानसिरी	170.0
35.	मिराक	दिहांग-दिबांग	160.0
36.	हिरोंग	दिहांग-दिबांग	180.0
37.	मलिनई	दिहांग-दिबांग	335.0
38.	मिहुमडन	दिहांग-दिबांग	145.0
39.	डेम्भे	दिहांग-दिबांग	3000.0
40.	कुरूंग बांध-1	सुबानसिरी	200.0
		कुल (एनएचपीसी)	18245.0
	वैपकॉस		
41.	हुतोंग	लुहित	950.0
42.	कलाई	लुहित	2550.0
		कुल (वैपकॉस)	3500.0
		कुल जोड़ (अरुणाचल प्रदेश)	25690.0
	आंध्र प्रदेश		
	वैपकॉस		
1.	दुम्मगडैम	गोदावरी	360.0
2.	सिंगारेड्डी	गोदावरी	250.0
3.	पोंडुगाला	कृष्णा	95.0
		कुल जोड़ (आंध्र प्रदेश)	705.0
	छत्तीसगढ़		
	वैपकॉस		
1.	नुगुर-2	इन्द्रावती	270
2.	नुगुर-1	इन्द्रावती	160
3.	कोटरी	गोदावरी	70
4.	दुनियाधीन	सोन	80
		कुल जोड़ (छत्तीसगढ़)	580

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
एपीएसईबी			
1.	जांगी थोपन	सतलेज	410
2.	घारोपा	ब्यास	85
3.	लुहरी	सतलेज	425
4.	गोंधाला	चेनाब	90
5.	खोकसर	चेनाब	80
6.	बरदांग	चेनाब	145
7.	छतरू	चेनाब	140
8.	सेली	चेनाब	150
9.	सचखास	चेनाब	70
10.	टिडांग-1	सतलेज	90
		कुल (एचपीएसईबी)	1685
एसजेवीएनएल			
11.	खाब-1	सतलेज	1640
12.	खाब-2	सतलेज	425
		कुल (एसजेवीएनएल)	2065
		कुल जोड़ (हिमाचल प्रदेश)	3750
जम्मू व कश्मीर			
एनएचपीसी			
1.	हतियां	झेलम	215
2.	चेनारी	झेलम	475
3.	करकिट	सिंधु	190
4.	कनियुंचे	सिंधु	105
5.	खालसी	सिंधु	170
6.	तकमाचिंग	सिंधु	75
7.	दुमखार	सिंधु	130
		कुल (एनएचपीसी)	1360
वैपकॉस			
8.	रतले	चेनाब	515
9.	उझ	रावी	96
10.	क्वार	चेनाब	440
11.	किरू	चेनाब	295
12.	शामनोट	चेनाब	200
13.	बिचलारी	चेनाब	75
		कुल (वैपकॉस)	1621
		कुल जोड़ (जम्मू व कश्मीर)	2981
कर्नाटक			
केपीसीएल			
1.	कालीनदी-3 (मारदी)	मांडवी-शरावती	175.0
2.	कृष्णापुर	मांडवी-शरावती	210.0
3.	गंगावली-2	मांडवी-शरावती	105.0
4.	जलदुर्ग	कृष्णा	270.0
5.	नारायणपुर	कृष्णा	70.0
		कुल	830.0
केरल			
वैपकॉस			
1.	बड़ापोल-2	वाराही-कुटियाडी	85
2.	पेरिंजाकुट्टी	पेरिंजाकुट्टी	120
		कुल	205
महाराष्ट्र			
वैपकॉस			
1.	कुंघारा	गोदावरी	115.0
2.	घरगांव	गोदावरी	105.0
3.	सामदा	गोदावरी	95.0

1	2	3	4
4.	कसारी-1	कसारी	215.0
5.	कडवी	वामा	215.0
6.	कुंभी-1	कृष्णा	170.0
7.	हिरण्याक्षी-2	वेदगंगा	405.0
8.	प्राणहिता	प्राणहिता	310.0
9.	वैनगंगा	गोदावरी	150.0
		कुल जोड़ (महाराष्ट्र)	1780.0

मणिपुर

वैपकॉस

1.	नंगलीबान	बराक व अन्य	85
2.	खोंगनेम चाखा-2	बराक व अन्य	90
3.	पबाराम	बराक व अन्य	232
		कुल जोड़ (मणिपुर)	407

मेघालय

वैपकॉस

1.	सुशेन	बराक व अन्य	150
2.	उमजौत	बराक व अन्य	85
3.	उमदुना	बराक व अन्य	95
4.	किंशी-2	बराक व अन्य	175
5.	उमियम-उमत्रु-6	कलांग	145
6.	नोंगलैत	बराक व अन्य	180
7.	माब्लेई स्टोरेज	बराक व अन्य	100
8.	क्यांशी स्टोरेज-1	बराक	295
9.	उमनगोट स्टोरेज	बराक	265
		कुल जोड़ (मेघालय)	1490

मिजोरम

वैपकॉस

1.	काकजाम	बराक व अन्य	545
2.	लंगलैंग स्टोरेज	बराक व अन्य	690
3.	बोइनु स्टोरेज	बराक व अन्य	635
		कुल जोड़ (मिजोरम)	1870

मध्य प्रदेश

एनएचपीसी

1.	बसानिया	नर्मदा	60
		कुल जोड़ (मध्य प्रदेश)	60

नागालैंड

नीपको

1.	यांग्न्यू स्टोरेज	उत्तरी ब्रह्मपुत्र	135
2.	तिजू	बराक एवं अन्य	365
3.	दिखू बांध	उत्तरी ब्रह्मपुत्र	470
		कुल जोड़ (नागालैंड)	970

उड़ीसा

वैपकॉस

1.	बालजोरी	बैतरणी	393
2.	नारज	महानदी	215
3.	टिक्करपारा	महानदी	205
4.	लोअर कोलाब		375
		कुल जोड़ (उड़ीसा)	1188

सिक्किम

एनएचपीसी

1.	पानन	तीस्ता	230
2.	नामलुन	तीस्ता	175
3.	दिक्चू	तीस्ता	90
4.	रांगयोंग	तीस्ता	175
5.	लिंगजा	तीस्ता	160
6.	रूकेल	तीस्ता	90
7.	रोंगनी स्टोरेज	तीस्ता	95

1	2	3	4
8.	जिदांग	तीस्ता	185
9.	रिंगपी	तीस्ता	160
10.	तीस्ता चरण-1	तीस्ता	320
		कुल (जोड़ सिक्किम)	1680

उत्तरांचल

वैपकॉस

1.	बद्रीनाथ	अलकनंदा	260
2.	खारतोली लुमती तल्ली	शारदा	105
3.	हरसिल बांध	भागीरथी	350
4.	नेलांग	जड़गंगा	190
5.	जड़ गंगा	जड़गंगा	110
6.	करमाली	जड़गंगा	190
7.	गंगोत्री	भागीरथी	70
8.	कालिका दांतरू	शारदा	140
9.	मपांग बोगुदयार	शारदा	185
10.	सेला उरथिंग	शारदा	165
11.	सिक्करी भियोल रस बागर	शारदा	145
12.	सोबला झिमरीगांव	शारदा	145
13.	सिक्करी भियोल बोगुदियार	शारदा	240
14.	झंगेर चल	शारदा	145
15.	ऋषि गंगा-2	ऋषिगंगा	65
16.	बोकांग बैलिंग	शारदा	145
17.	देवड़ी	ऋषिगंगा	65
18.	ऋषि गंगा-1	ऋषिगंगा	115
19.	जालेम तमक	धौलीगंगा	150
20.	मलारी झेलम	धौलीगंगा	90
21.	देवसारी बांध	पिंडर	78
22.	खासियाबारा	शारदा	280
23.	गरबा तवाघाट	शारदा	195
24.	गोहाना ताल	भिराही गंगा	95
25.	गारजिया बांध	शारदा	295
26.	भैरों घाटी	भागीरथी	60
		कुल (वैपकॉस)	4073

यूबीजेएनएल

27.	तपोवन चुनार	धौलीगंगा	485
28.	लता तपोवन	धौलीगंगा	320
29.	भेला टिपरी	भागीरथी	100
30.	नंदप्रयाग लांगसू	अलकनंदा	180
31.	तमक लता	धौलीगंगा	200
32.	खेत तवाघाट	शारदा	225
33.	उरथिंग सोबला	शारदा	340
34.	रामगंगा बांध	शारदा	75
35.	पिंडर घाटी	पिंडर	112
36.	अरकोट तुईनी (नकोटी प्लासू)	यमुना/उत्तरांचल	70
37.	जकोल संकरी	यमुना/उत्तरांचल	60
38.	बगोली बांध	पिंडर	64
39.	नैतवार मोरी	यमुना/उत्तरांचल	70
		कुल (यूजेवीएनएल)	2301
		कुल जोड़ (उत्तरांचल)	6374
कुल जोड़ (अखिल भारत)		स्कीमों की संख्या	162
		अधिष्ठापित क्षमता मेगावाट	50560

परामर्शक

यूजेवीएनएल: उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड
एनएचपीसी: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
वैपकॉस: वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज इंडिया लि.
नीपको: नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
एसजेवीएनएल: सतलुज जल विद्युत निगम लि.
केपीसीएल: कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.
एचपीएसईबी: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

[अनुवाद]

दक्कन ओडिसी लक्जरी ट्रेन

441. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा संकल्पित अति आरामदेह रेलगाड़ी ''दक्कन ओडिसी'' जिसका विशिष्ट उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है शुरू हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाडी की मुख्य विशेषताएं और इसका किराया कितना है तथा उन दर्शनीय व पर्यटन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां से रेलगाड़ी गुजरेगी; और

(ग) इससे कितनी अनुमानित वार्षिक आय होगी तथा इस आय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस प्रकार से विभाजित किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) एक लक्जरी पर्यटक गाड़ी, जो मुम्बई से प्रारंभ होगी और मुम्बई में टर्मिनेट होगी और जिसमें रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, गोवा, पुणे, औरंगाबाद, नासिक पर्यटक स्थल शामिल हैं, चलाने के लिए भारतीय रेलवे और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रेलवे गाड़ी के परिचालन के लिए उत्तरदायी होगी जबकि महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम रेल सेवाओं, में स्थानीय दृश्यावलोकन आदि के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मुहैया करेगा। गड़ी चलाने की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

जंग-रोधी पटरियां

442. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जंग लगी पटरियों से दरार पड़ने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जंग-रोधी पटरियां विकसित करने हेतु कोई महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक शुरू होने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने रेलवे के अनुरोध पर हाल ही में जंगरोधी पटरियों का विकास किया है।

(ग) विकास चरण पूरा हो चुका है और फिलहाल परियोजना परीक्षणाधीन है। परीक्षण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परियोजना में स्वदेशी क्षमता का ही उपयोग किया गया है और इस प्रयोजन के लिए कोई अलग से आबंटन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाओं के संबंध में उत्तरदायित्व

443. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आज तक सर्वाधिक रेल दुर्घटनाएं तेरहवीं लोक सभा के दौरान हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्च पदों पर आसीन प्रशासकों के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि सिर्फ छोटे रेल कर्मियों को दंडित किया गया है;

(ग) क्या सरकार रेल बोर्ड के एक सदस्य को पूर्णतया रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु निगरानी करने के लिए नियुक्त करने पर विचार कर रही है जिसके समकक्ष जोनल और डिवीजनल रेलवे में होंगे तथा क्या इस संबंध में उत्तरदायित्व को भी निर्धारित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) अक्तूबर, 1999 (13वीं लोक सभा) से नवम्बर, 2003 तक परिणामी रेल गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 1994-95 से 1998-99 तक की पांच वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान 2073 की तुलना में 1725 (आंकड़े अनंतिम) थी। बहरहाल, विगत तीन वर्षों के दौरान, परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 473 (2000-01 के दौरान) से घटकर 2001-02 की अवधि के दौरान 414 हो गई तथा 2002-03 की अवधि के दौरान

और घटकर 351 (अनंतिम आंकड़े) हो गई है। भारतीय रेलों पर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की यह न्यूनतम संख्या है। इसके अलावा, प्रति मिलियन रेलगाड़ी किलोमीटर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या जो संरक्षा निष्पादन की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत निर्धारित संख्या है, अब 0.44 है जो कि गत 40 वर्षों में न्यूनतम आंकड़ा है।

जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों के अनुसार समुचित स्तरों पर जिम्मेदारी तय करने की प्रणाली विद्यमान है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.ओ.सी.एल. द्वारा विद्युत और एल.एन.जी. संयंत्रों की स्थापना

444. श्री तूफानी सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का विचार कुछ राज्यों में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त निगम का विचार अन्य देशों के साथ मिलकर एल.एन.जी. संयंत्रों को भी स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) पानीपत, हरियाणा में 360 मे.वा. के विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की योजना बना रही है। इस परियोजना का क्रियान्वयन आई ओ सी और मारूबेनी कारपोरेशन, जापान की एक संयुक्त उद्यम कंपनी पानीपत पावर कंसोर्टियम लिमिटेड के जरिए किए जाने की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ) दाहेज और कोच्चि में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल), गेल (इंडिया) लि. (गेल) और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) की जारी एल एन की परियोजनाओं को अतिरिक्त आई ओ सी को मलेशिया की पेट्रोनाश इंटरनेशनल कारपोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम की बी पी ग्लोबल इन्वेस्टमैंट लि. और भारत की काकीनाड़ा सी पोर्ट्स लि. के साथ सहयोग से आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा गहरे पानी वाले बन्दरगाह में एल एन जी आयात टर्मिनल की स्थापना की योजना बना रही है, गेल के साथ मिलकर आई ओ सी, एल एन जी के आयात के लिए ईरान की नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी के साथ भी चर्चा कर रही है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में बढ़ोत्तरी

445. श्री सुरेश कुरूप: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान डीजल, पेट्रोल और एल.पी.जी. की बिक्री में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है तथा उक्त अवधि के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल.पी.जी. वितरकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान डीजल, पेट्रोल तथा एल पी जी की बिक्री/खपत में वृद्धि निम्नवत है:

(टी एम टी)

उत्पाद		2000-01	2001-02	2002-03
डीजल	बिक्री/खपत	379.58	365.46	366.45
	प्रतिशत वृद्धि	-3.4	-3.7	0.3
पेट्रोल	बिक्री/खपत	6613	7011	7570
	प्रतिशत वृद्धि	11.9	6.0	8.0
एल पी जी	बिक्री/खपत	7016	7728	8351
	प्रतिशत वृद्धि	9.3	10.1	8.1

विगत तीन वर्षों में खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप संख्या में वृद्धि निम्नवत है:

		2000-01	2001-02	2002-03
खुदरा बिक्री केन्द्र	संख्या*	18239	18848	19809
	प्रतिशत वृद्धि	2.8	3.3	5.1
एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप	संख्या*	6477	7486	7910
	प्रतिशत वृद्धि	5.1	15.6	5.7

*वित्तीय वर्ष के अंत में।

इरकॉन की परियोजनाएं

446. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को सेना हेतु आवासीय इकाइयों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां निर्माण कार्य शुरू हो चुका है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पूरी की गयी बड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां, रक्षा कार्मिकों के लिए हाउसिंग परियोजनाओं का टर्न-की निर्माण शुरू करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) कार्य तीन स्थानों अर्थात् इलाहाबाद, झांसी तथा भोपाल में अभी शुरू किया जाना है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पूरी होने का महीना	मूल्य लाख रुपए में	ठेका देने की तिथि	पक्षकार का नाम
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2000-01					
1.	भोपाल में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र और प्रेक्षागृह भवन-भोपाल अस्पताल परियोजना चरण-3 का निर्माण	अप्रैल, 2000	709	30.01.1997	अस्पताल सर्विस कंसलटेन्सी का. (इंडिया) लिमि.
2.	बैंगलूरू विकास प्राधिकरण के लिए बैंगलूरू में सड़क कार्यों और सीडी कार्यों का निर्माण	जून, 2000	2520	16.9.1998	बैंगलूरू विकास प्राधिकरण
3.	मायकोलॉजी एवं प्लांट पैथोलॉजी भवन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के तीसरे स्कंध का निर्माण	जुलाई, 2000	407	31.3.1995	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
4.	गुजरात टोल रोड कंपनी लिमिटेड के लिए वड़ोदरा-हलोल सड़क परियोजना	सितंबर, 2000	5323	22.2.1999	गुजरात टोल रोड कंपनी लिमिटेड
5.	आंध्र प्रदेश राजमार्ग परियोजना-एपीएसएच-1 वारंगल-करीमनगर-रायपट्नम (115 किमी)	अक्तूबर, 2000	8633	1.5.1998	मुख्य इंजीनियर (आर एंड बी) प्रशासन एवं ईएपी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार
6.	जयपुर बाईपास चरण-1	जनवरी, 2001	6112	7.9.1998	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

1	2	3	4	5	6
7.	आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग परियोजना-एपीएसएच-3 कुडुपा-ताड़ीपत्री (70 किमी)	जनवरी, 2001	5359	1.5.1998	मुख्य इंजीनियर (आर एंड बी) प्रशासन एवं ईएपी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार
वर्ष 2001-02					
1.	मलेशिया में पालाबुहन-तंजुंग-पेलेपास जोहर से रेल लिंक	जनवरी, 2002	58602	13.7.1999	कारेतपी तानाह मेलायू बेरहद (केटीएमबी) परिवहन मंत्रालय, मलेशिया
2.	सियालहेट-तामाबिल-जफलॉग सड़क सुधार परियोजना, बांग्लादेश	मार्च, 2002	3261	2.8.2001	संचार मंत्रालय, सड़क एवं राजमार्ग विभाग (आरएचडी), बांग्लादेश
3.	सीरिया में पीईडीईईई के लिए ग्रिड सब-स्टेशन	मार्च, 2002	4393	24.5.2000	पब्लिक स्टेबलिशमेंट फार डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लायटेशन आफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी (पीईडीईईई)
4.	सालेशी, आइजवल, मिजोरम में पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कालेज परिसर का निर्माण	जून, 2001	2498	31.1.1997	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, आईआरओ आईएसईएमबीए, इम्फाल, मणिपुर
5.	सीएमडीए के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के आसपास विभिन्न स्थलों पर आईपीपी-8 के अंतर्गत मेटरनिटी अस्पताल तथा क्लिनिक और हैल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट/भवन का निर्माण	अगस्त, 2001	820	23.4.1999	कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण
6.	सेक्टर विकास परियोजना, नोयडा	जनवरी, 2002	2900	23.6.1998	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोयडा)
7.	दुरलावपुर में मेजीया थर्मल पावर परियोजना के लिए एमजीआर	मार्च, 2002	10799	18.11.1988	दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी)
8.	आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स भवन	मार्च, 2002	306	10.9.1996	नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स (एनबीपीजीआर)
वर्ष 2002-03					
1.	एमएसआरडीसी (चरण-1) के लिए रेलवे लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल पर आस्थिगत भुगतान	मई, 2002	9000	1.3.1997	महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास कारपोरेशन
2.	पारादीप में यांत्रिकृत कोल हैंडलिंग सुविधाएं	जून, 2002	3350	2.8.1997	पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट
3.	एमएसआरडीसी (चरण-2) के लिए रेलवे लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल पर आस्थिगत भुगतान	सितंबर, 2002	8500	1.3.1997	महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास कारपोरेशन
4.	बैंगलूरू में मागधी रोड और तुमकुर रोड के बीच बाहरी रिंग रोड का निर्माण	नवंबर, 2002	2400	27.1.2001	बैंगलूरू विकास प्राधिकरण
5.	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर, आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली	जनवरी, 2003	5207	9.6.1995	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
6.	फतुहा पूर्व रेलवे की इस्लामपुर बड़ी आमान रेल लाइन परियोजना	जनवरी, 2003	3441	12.10.1998	पूर्व रेलवे
7.	बैंगलूरू में केबल स्टेयड ब्रीज और एप्रोच का निर्माण	जनवरी, 2003	3967	5.8.1998	दक्षिण रेलवे
8.	न्यू टाउन/राजरहाट (कांट्रेक्ट-1) में भूमि विकास कार्य	मार्च, 2003	4572	12.11.1999	पश्चिम बंगाल गृह अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड

1	2	3	4	5	6
9.	मापूसा, गोवा में 400 केवी पीजीसीआईएल सब-स्टेशन कार्य	मार्च, 2003	3321	16.3.2001	पीजीसीआईएल
वर्ष 2003-004					
1.	चेन्नै में एमटीपी (रेलवे) के लिए ब्लास्ट रहित रेलपथ का निर्माण	अक्तूबर, 2003	2539	27.9.2002	एमटीपी (रेलवे), चेन्नै
2.	बंगबंधु (जमुना) ब्रीज रेल लिंक परियोजना—बांग्लादेश	अक्तूबर, 2003	24174	19.10.1999	संचार सड़क और रेल डिवीजन मंत्रालय, बांग्लादेश गणतंत्र
3.	केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, वरसोवा, मुंबई के लिए नया शैक्षणिक भवन	लगभग पूरा हो चुका है	7400	24.12.2001	केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान

रेलवे में भर्ती

447. श्रीमती रानी नरह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास क्षेत्रीय आधार पर रेलवे की भर्ती को पूरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) का अखिल भारतीय स्वरूप है। रेलवे भर्ती बोर्ड अराजपत्रित पदों के कर्मचारियों की विभिन्न भर्ती पूरे देश के उम्मीदवारों से आवेदन मंगाकर करता है। भर्ती उम्मीदवार के राज्य, जाति, लिंग मत या धर्म को ध्यान में न रखकर परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

निजी तेल कम्पनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र

448. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को देश में डीजल और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा सरकार को रायल्टी अथवा बोली के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) वे कब तक अपने खुदरा बिक्री केन्द्र पूरे देश में खोलने जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान तेल कंपनियों की विपणन योजना को प्रभावित नहीं करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 8 मार्च, 2002 के अपने संकल्प के अनुसार जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड तथा मैसर्स एस्सार आयल इंडिया लिमिटेड को खुदरा बिक्री कन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने सरकार को कोई रायल्टी या बोली राशि नहीं दी है।

(ग) से (ङ) ये निजी कंपनियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अपनी-अपनी वाणिज्यिक अपेक्षाओं के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

'नेपा' लिमिटेड का पुनरुद्धार

449. श्री सुनील खां: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागालैंड पल्प एंड पेपर लिमिटेड के निधि के अभाव में बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने बेरोजगार युवकों को नयी नौकरियां उपलब्ध कराने हेतु उस कंपनी का पुनरुद्धार करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कंपनी का पुनरुद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) प्रचालनात्मक बाध्यताओं के कारण कंपनी का उत्पादनकारी कार्य अक्टूबर, 1992 से बंद है।

(ख) और (ग) वित्तीय सहायता की मांग नहीं की गई है। हालांकि, कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एक प्रस्ताव, जैसाकि परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया है, सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

झारखंड में विद्युत की कमी

450. श्री रामटहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार झारखंड और महाराष्ट्र में वर्तमान में विद्युत की भारी कमी से निपटने के लिए अर्थोपायों का अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्यों में विद्युत की वर्तमान कमी के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान विद्युत संकट से निपटने के लिए उन राज्यों को सरकार का किस प्रकार सहायता देने का विचार है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) और (ख) विद्युत एक समवर्ती विषय है। किसी राज्य में विद्युत की आपूर्ति और उसका वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार सीपीएसयूज के माध्यम से केन्द्रीय सेक्टर में विद्युत संयंत्रों की स्थापना और राज्यों में विद्युत उपलब्धता विस्तार के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है। इसके अलावा भारत सरकार सामान्यत: विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की मानीटरिंग के माध्यम से देश (झारखंड तथा महाराष्ट्र समेत) में किसी राज्य में विद्युत की भारी कमी को दूर करने संबंधी उपायों और साधनों का अध्ययन करती है। देश में विद्युत उत्पादन और उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नांकित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र, राज्य तथा निजी क्षेत्रों में 41, 110 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 22832 मे.वा. का लक्ष्य केन्द्रीय सेक्टर में रखा गया है।

(2) मांग पक्ष प्रबंधन एवं ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा तथा ऊर्जा संरक्षण के उपाय।

(3) समग्र उत्पादन निष्पादन में सुधार के लिए पुरानी तथा अकुशल उत्पादन यूनिटों के लिए नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार स्कीमों का क्रियान्वयन।

(4) अंत:क्षेत्रीय पारेषण संपर्क सुदृढ़ीकरण और अंतत: राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करने के माध्यम से अंत: राज्य तथा अंत: क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को प्रोत्साहन।

(5) वितरण में सुधार के लिए भारत सरकार ने त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडजीआरपी) का अनुमोदन किया है ताकि औसत पारेषण तथा वाणिज्यिक हानियों में कमी को दूर करने के तहत राज्यों में उप-पारेषण प्रणाली का उन्नयन हो सके और विद्युत क्षेत्र वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त कर सके।

(ग) और (घ) अप्रैल-अक्टूबर, 2003 के दौरान झारखण्ड और महाराष्ट्र राज्यों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

झारखंड

ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन (मे.वा.)	
जरूरत	1870	व्यस्ततमकालीन मांग	539
उपलब्धता	1775	व्यस्ततमकालीन आपूर्ति	466
कमी	95	कमी	73
%	5.1	%	13.5

महाराष्ट्र

ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन (मे.वा.)	
जरूरत	48885	व्यस्ततमकालीन मांग	13612
उपलब्धता	44559	व्यस्ततमकालीन आपूर्ति	11078
कमी	4286	कमी	2534
%	8.8	%	18.6

झारखंड पूर्वी क्षेत्र का एक घटक है जिसके पास सरप्लस विद्युत है और पर्याप्त विद्युत नियमित आधार पर पूर्वी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को निर्यात की जा रही है। झारखंड राज्य में विद्युत की भारी कमी प्राथमिक रूप से व्यावसायिक कारणों और उसके अपने ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के अपेक्षाकृत कम संयंत्र भार घटक के कारण है।

झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

झारखंड:

* विद्युत की उपलब्धता का सुधार करने के लिए, दसवीं योजना के दौरान नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, उत्थान और जीवन-विस्तार के लिए लगभग 1750 मेगावाट की कुल क्षमता वाली उत्पादन यूनिटों की पहचान की गई है।
* दसवीं योजना के दौरान राज्य में 320 मेगावाट की थर्मल क्षमता जोड़े जाने पर विचार किया गया है।
* दसवीं योजना में लक्षित नयी केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं में राज्य की पात्रता होगी।

महाराष्ट्र:

* पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों के आबंटित न किए गए कोटे में से राज्य को 229 मेगावाट का आबंटन किया गया है।
* पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों के आबंटित न किए गए कोटे में से राज्य को 80 मेगावाट विद्युत का आबंटन किया गया है।
* द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत ग्रिडको (पूर्वी क्षेत्र) की ओर से 400 मेगावाट का लाभ उठाना।
* दसवीं योजना के दौरान नवीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन और जीव-विस्तार हेतु 2760 मेगावाट की कुल क्षमता वाली उत्पादन यूनिटों की पहचान की गई है।
* दसवीं योजना के दौरान राज्य/निजी क्षेत्रों में 1994 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
* दसवीं योजना में लक्षित पूर्वी क्षेत्र की नयी केन्द्रीय और संयुक्त क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं में राज्य की हकदारी होगी।

[अनुवाद]

न्यू जलपाईगुड़ी-गंगटोक लाइन का सर्वेक्षण

451. श्री अमर रायप्रधान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यू-जलपाईगुड़ी से गंगटोक तक प्रस्तावित नई रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काफी समय पहले गंगटोक-न्यू जलपाईगुड़ी के बीच रेल संपर्क था;

(घ) यदि हां, तो रेल द्वारा गंगटोक से न्यू जलपाईगुड़ी को फिर से जोड़ने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस रेल संपर्क को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक तक नई रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन 2000-2001 में सेवोक से गंगटोक तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक कठिन टोपोग्राफी के कारण सिंगतम से आगे गंगटोक तक रेल लाइन का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है। सेवोक से सिंगतम तक 59.65 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत 1099.79 करोड़ रुपए आकलित की गई थी। मौजूदा परियोजनाओं के बड़ी मात्रा में बकाया चालू कार्यों और संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्तावित लाइन पर विचार नहीं किया जा सका। इसके अलावा, सेवोक से गाइलिखोला तक बड़ी लाइन की बहाली के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) गंगटोक तक कोई रेल संपर्क नहीं था। बहरहाल, न्यू जलपाईगुड़ी और गाइलिखोला बरास्ता सेवोक के बीच छोटी लाइन मौजूद थी, जो कि 1950 में बह गई। सेवोक से गाइलिखोला तक लाइन की बहाली का कार्य सर्वेक्षण के परिणाम और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मोटरमैन के केबिन का आधुनिकीकरण

452. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई उपनगरीय रेल में मोटरमैन के केबिन के आधुनिकीकरण और वातानुकूलन से संबंधित काम पूरे हो गए हैं;

(ख) पश्चिमी रेल तथा मध्य रेल दोनों में स्थिति क्या है;

(ग) मोटरमैन केबिन को हमले तथा पत्थर फेंकने, कानून व्यवस्था की समस्या जैसी स्थिति के दौरान सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इससे उपनगरीय रेल के कार्यकरण में किस प्रकार सुधार होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) मोटरमैनों के केबिन सहित चल स्टाक का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। मध्य तथा पश्चिम दोनों रेलों के मुम्बई उप-नगरीय क्षेत्र के लिए विनिर्मित की जाने वाली नई ईएमयू गाड़ियों में गैर-वातानुकूल आधुनिक केबिन होंगे।

(ग) पत्थर फेंकने, कानून एवं व्यवस्था की समस्या जैसे हमले के दौरान मोटरमैन के केबिन की सुरक्षा के लिए न टूटने वाले तथा पत्थर से भी न टूटने वाले लुकआउट शीशे तथा दरवाजे खिड़की के लूवर्स की व्यवस्था की गई है।

(घ) इन परिवर्तनों से मोटर मैनों को बेहतर सुविधा तथा सुरक्षा मुहैया होगी।

सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि

453. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस उद्देश्य के लिए इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किन क्षेत्रों का चयन किया गया है तथा कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गयी है;

(घ) इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में गैर-सरकारी संगठनवार इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) से (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों अर्थात् इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बाह्य मीडिया आदि के जरिए अपनी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की समाजिक जागरूकता सृजन करने के लिए प्रचार कर रहा है। इस संबंध में शुरू किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम "संवरती जाएं जीवन की राहें" का प्रसारण किया जाता है। (2) इस मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों पर रेडियो स्पाटों/तुकबन्दियों का प्रसारण/टेलीकास्ट किया जा रहा है। (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्र प्रचार निदेशालय का क्षेत्र प्रचार यूनिट भी मीडिया यूनिट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता संबंधी फिल्में दिखाता है। (4) देश भर में समाचार-पत्रों में दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विशिष्ट अवसरों से संबंधित विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं, जिनमें इस मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सूचना दी जाती है। (5) इस मंत्रालय के कार्यकलापों को प्रचारित करने के लिए बाह्य मीडिया जैसे बस के पीछे पैनलों, ट्रेन पैनलों तथा सजीवता प्रदर्शित बोर्डों और होर्डिंगों का उपयोग भी किया जाता है। इस मंत्रालय के पास एक वेबसाइट एचटीटीपी/डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सोशलजस्टिस-एनआईसी.इन है जो इसकी योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। इससे संबंधित क्षेत्रों में रुचि लेने वाले व्यक्तियों तक इस सूचना का प्रसार करने में बहुत ही सहायता मिली है।

ये सभी जागरूकता कार्यक्रम केन्द्र द्वारा शुरू किए जाते हैं न कि राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से इसलिए न तो राज्य सरकारों को और नही गैर-सरकारी संगठनों को निधियों की संस्वीकृत/निर्मुक्ति प्रदान की जाती है।

पश्चिम बंगाल में कैनिंग स्टेशन पर आरक्षण सुविधा का अभाव

454. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में कैनिंग स्टेशन पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में आरक्षण सुविधा के अभाव के कारण यात्री भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) लंबी दूरी की गाड़ियों में आरक्षण पाने के इच्छुक कैनिंग स्टेशन के यात्री, सोनारपुर में उपलब्ध कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) केंद्र से आरक्षण करा सकते हैं जो ईएमयू गाड़ियों द्वारा कैनिंग से भली-भांति जुड़ा हुआ है। बहरहाल, कैनिंग स्टेशन में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र स्थापित करने के बारे में 2004-04 की वार्षिक योजना में विचार किया जाएगा।

तीस्ता पन बिजली परियोजना

455. श्री अनन्त नायक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीस्ता पन बिजली परियोजना चरण-3 को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य तिथि क्या है;

(ख) उस परियोजना को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस विद्युत परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) से (ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम चरण-3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (132 मेगावाट) की स्थापना किए जाने को 30 अक्टूबर, 2003 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

परियोजना हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के अनुसार परियोजना को पूरा करने का कार्यक्रम मार्च, 2007 है। पश्चिम बंगाल सरकार 12% नि:शुल्क विद्युत का परित्याग करने और इस परियोजना से उत्पादित समस्त विद्युत को खपाने के लिए राजी हो गयी थी। तथापि, विद्युत खपाने और विद्युत हेतु भुगतान करने में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोई चूक किए बिना यदि विद्युत मंत्रालय इस परियोजना की विद्युत का आबंटन अन्य राज्यों को करता है, तो पश्चिम बंगाल सरकार 12% नि:शुल्क विद्युत प्राप्त करेगी।

ए.पी.डी.पी.आर. के अन्तर्गत असम राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता

456. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित विद्युत विकास और सुधार परियोजना (एपीडीआरपी) के अंतर्गत 430 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे वित्तपोषित होने वाले परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस परियोजना के संबंध में कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) सरकार ने वर्ष 2000-01 और 2002-03 के दौरान त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत 428.56 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें 116.99 करोड़ रुपए अभी तक जारी किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ) एपीडीआरपी के अंतर्गत असम को स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) एपीडीआरपी के अंतर्गत परियोजनाएं टर्न-की आधार पर क्रियान्वित की जानी अपेक्षित हैं। निविदा आमंत्रित करने के नोटिस व बोली दस्तावेजों की तैयार और टन-की आधार पर ठेका प्रदान करने में देरी होना विलंब के कारण है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	जारी निधियां	समुपयोजन
1	2	3	4	5	6
2000-01	1.	डिब्रूगढ़ में एसटी एंड डी परियोजना	20.02	20.02	5.05

1	2	3	4	5	6
	2.	गुवाहाटी-2 में एसटी एंड डी परियोजना			
	3.	जोरहाट में एसटी एंड डी परियोजना			
2001-02		शून्य			
2002-03	1.	डिब्रूगढ़ में एसटी एंड डी परियोजना	23.71	96.97	0.80
	2.	गुवाहाटी-2 में एसटी एंड डी परियोजना	17.83		
	3.	जोरहाट में एसटी एंड डी परियोजना	29.90		
	4.	कच्छार-1 में एसटी एंड डी परियोजना	39.95		
	5.	बोंगइगांव में एसटी एंड डी परियोजना	18.15		
	6.	सिबसागर में एसटी एंड डी परियोजना	28.23		
	7.	गुवाहाटी-1 में एसटी एंड डी परियोजना	52.38		
	8.	नौगांव में एसटी एंड डी परियोजना	46.22		
	9.	रांगिया में एसटी एंड डी परियोजना	44.24		
	10.	कच्छार-2 में एसटी एंड डी परियोजना	26.78		
	11.	तेजपुर में एसटी एंड डी परियोजना	38.59		
	12.	मंगोलडोई में एसटी एंड डी परियोजना	19.46		
	13.	कोकराझार में एसटी एंड डी परियोजना	23.10		
		कुल	408.54	96.97	0.80
		कुल जोड़	428.56	116.99	5.85

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में गांवों का विद्युतीकरण

457. श्री बीर सिंह महतो: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में गांवों के विद्युतीकरण के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में 2800 गांवों के विद्युतीकरण लक्ष्य के विपरीत, उसी अवधि के दौरान 1230 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय हानियों और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(ग) मार्च, 2007 तक राज्य में सभी गांवों को विद्युतीकृत किया जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नीति

458. श्रीमती प्रभा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस को पहुंचाने, वितरण, आपूर्ति और भण्डारण हेतु विनियामक की नियुक्ति सहित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को गैस कुंओं से गैस बेचने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैस क्षेत्र को प्रोत्साहित तथा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय परामर्श परिषद की स्थापना करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने विभिन्न हिस्सा धारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विकास के लिए प्रारूप नीति जारी कर दी थी। अन्य विशिष्टताओं के अतिरिक्त, प्रारूप प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नीति में परिकल्पित किया गया है कि किसी भी गैस उत्पादक को विनियामक (और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार) की पूर्वानुमति के अध्यधीन कूप शीर्ष अथवा उतराई वाले बिन्दु के 100 कि.मी. के भीतर ग्राहकों को सीधे गैस बिक्री करने और इस प्रयोजनार्थ पाइपलाइन बिछाने का अधिकार होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रारूप नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसमें गैस ग्रिड प्रणाली के हिस्सा धारक शामिल होंगे। यह परिषद शामिल होंगे। यह परिषद सरकार को और यदि वांछित हो तो, विनियामक को भी उक्त मामलों पर सलाह देगी।

तमिलनाडु में आमान परिवर्तन परियोजनाएं

459. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार तमिलनाडु में मीटर लाइन की कुल लंबाई और दूरी कितनी है;

(ख) कितनी दूरी की मीटर लाइन पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है;

(ग) तमिलनाडु में आमान परिवर्तन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) तमिलनाडु में आमान परिवर्तन परियोजना अब तक चालू वर्ष के लिए पृथक आबंटन सहित कुल कितना आबंटन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) 01.04.1992 को तमिलनाडु राज्य में कुल 2907 कि.मी. मीटर लाइन रेलपथ मौजूद था जिसमें से 31.3.2003 तक 995 कि.मी. को बड़ी लाइन में तब्दील कर दिया गया है। 1280 कि.मी. में कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(ग) तमिलनाडु में आमान परिवर्तन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 2928.09 करोड़ रुपए है।

(घ) मार्च, 2003 तक आमान परितर्वन परियोजनाओं के लिए 1338.65 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है और 2003-04 के दौरान तमिलनाडु राज्य में सभी आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए कुल बजट परिव्यय 92.89 करोड़ रुपए है।

एन सी सी कैडेटों की संख्या

460. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कैडेट कोर के कैडेटों की विभिन्न स्कंध में कनिष्ठ तथा वरिष्ठ स्तर पर आबंटन और वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कनिष्ठ तथा वरिष्ठ प्रत्येक स्तर पर राज्य-वार और स्कंध-वार राष्ट्रीय कैडेट कोर में कैडेटों की संख्या बढ़ायी गयी है; और

(ग) राज्यों के बीच संख्या आबंटन में विसंगति के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्कंधों में कनिष्ठ तथा वरिष्ठ दोनों स्तरों पर एन सी सी केडेटों की आबंटित तथा वास्तविक नफरी का ब्यौरा संलग्न विवरण I से VI में दिया गया है।

(ख) नवंबर, 2001 तथा अक्तूबर, 2002 में कैडेट नफरी में क्रमश: 76,560 तथा 23,440 की वृद्धि की गई है। यद्यपि एन सी सी में नई कैडेट नफरी दो चरणों में बढ़ाई गई थी तथापि यह बढ़ी हुई नफरी संबंधित राज्य सरकारों के अतिरिक्त कैडेट नफरी

के अनुरोध के अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्य निदेशालयों को आबंटित की गई है। वरिष्ठ तथा कनिष्ठ प्रभाग में राज्य-वार तथा स्कंध-वार वितरण संलग्न विवरण VII तथा VIII में दिया गया है।

(ग) राज्यों में कैडेट नफरी के आबंटन में अंतर अतिरिक्त नफरी के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध तथा आर्थिक सहायता के प्रति उनकी वचनबद्धता के कारण है।

विवरण I

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार जे डी/जे डब्ल्यू कैडेटों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सेना		नौसेना		वायुसेना		जे डब्ल्यू		कुल	
		आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	40150	38741	4900	4900	4650	4650	15400	14794	65100	63085
2.	बिहार	38650	30984	2950	1850	3100	2750	3500	3061	48200	38645
3.	दिल्ली	17650	16381	1700	1400	2200	2200	4400	3413	25950	23394
4.	गुजरात	24850	22570	1400	1400	1450	1350	4100	3631	31800	28951
5.	दमन दीव	200	150	0	0	0	0	200	200	400	350
6.	जम्मू-कश्मीर	6850	6189	800	700	0	0	1900	1848	9550	8737
7.	कर्नाटक	22700	21875	6450	6020	6350	5554	5000	4750	40500	38199
8.	गोवा	850	730	1250	1250	0	0	50	50	2150	2030
9.	केरल	35750	34405	4950	4850	2150	2150	5150	5150	48000	46555
10.	लक्षद्वीप	0	0	650	650	0	0	0	0	650	650
11.	मध्य प्रदेश	33630	33364	2200	2150	1650	1300	5600	5330	43080	42144
12.	छत्तीसगढ़	10300	10300	0	0	750	750	1250	1100	12300	12150
13.	महाराष्ट्र	47500	47225	3450	3450	3550	3550	5400	5300	59900	59525
14.	अरुणाचल प्रदेश	3400	3104	0	0	200	180	225	225	3825	3509
15.	असम	19350	16924	2450	1875	2500	2100	3325	2593	27625	23492
16.	मणिपुर	3450	3450	50	0	1100	200	650	650	5250	4300
17.	मेघालय	1550	1055	100	0	300	0	1120	743	3070	1798
18.	मिजोरम	900	950	0	0	0	0	200	250	1100	1200
19.	नागालैंड	2100	2100	0	0	200	200	200	200	2500	2500
20.	त्रिपुरा	1800	1837	0	0	0	0	500	541	2300	2378
21.	उड़ीसा	28790	26896	2200	2200	2150	2150	2700	2600	35840	33846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	पंजाब	23350	21156	1200	1200	2950	2700	2750	2277	30250	27333
23.	हरियाणा	14400	13693	450	450	1450	1246	1400	1000	17700	16389
24.	हिमाचल प्रदेश	18250	16155	700	617	250	100	1500	1500	20700	18372
25.	चंडीगढ़	950	950	550	550	200	200	350	350	2050	2050
26.	राजस्थान	21300	20588	3350	3325	5300	5000	2200	2200	32150	31113
27.	तमिलनाडु	54844	51851	5350	5271	5150	4770	6000	5425	71344	67317
28.	पांडिचेरी	2440	2440	300	300	0	0	200	200	2940	2940
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	750	555	400	400	100	100	250	186	1500	1241
30.	उत्तर प्रदेश	28650	27900	650	550	3150	3150	3150	3250	35600	34850
31.	उत्तरांचल	9500	9350	350	350	0	0	650	650	10500	10350
32.	पश्चिम बंगाल	50750	47313	1650	1450	2850	2500	3500	3250	58750	54513
33.	सिक्किम	1000	1000	0	0	0	0	300	300	1300	1300
	कुल	566604	532181	50450	47158	53700	48850	83120	77017	753874	705206

विवरण II

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार एस डी/एस डब्ल्यू कैडेटों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सेना		नौसेना		वायुसेना		एस डब्ल्यू		कुल	
		आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	24900	24180	1500	1500	1400	1400	7100	6587	34900	33667
2.	बिहार	29648	22099	200	150	400	350	2200	1991	32448	24590
3.	दिल्ली	4560	3975	400	400	400	400	5120	4172	10480	8947
4.	गुजरात	15640	15398	600	600	600	600	4210	4064	21050	20662
5.	जम्मू-कश्मीर	3800	3008	300	220	0	0	1280	927	5380	4155
6.	कर्नाटक	24730	24196	1100	1100	1200	1200	2400	2295	29430	28791
7.	गोवा	640	640	200	200	0	0	320	320	1160	1160
8.	केरल	20080	18950	1300	1184	200	200	4470	4470	26050	24804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	लक्षद्वीप	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50
10.	मध्य प्रदेश	15586	15357	850	850	400	400	3907	3479	20743	20086
11.	छत्तीसगढ़	3857	3803			200	200	640	628	4697	4631
12.	महाराष्ट्र	25640	25250	1900	1724	600	600	6020	5820	34160	33394
13.	अरुणाचल प्रदेश	320	255	0	0	0	0	30	30	350	285
14.	असम	8360	7861	400	400	400	381	2770	2304	11930	10946
15.	मणिपुर	960	960	0	0	200	200	200	200	1360	1360
16.	मेघालय	1040	869	0	0	0	0	320	302	1360	1171
17.	मिजोरम	200	200	0	0	0	0	120	120	320	320
18.	नागालैंड	400	400	0	0	200	200	200	200	800	800
19.	त्रिपुरा	700	737	0	0	0	0	200	215	900	952
20.	उड़ीसा	6760	6615	600	600	200	200	800	800	8360	8215
21.	पंजाब	13110	11708	400	275	800	800	4480	3830	18790	16613
22.	हरियाणा	10400	9576	200	200	400	400	1600	1490	12600	11666
23.	हिमाचल प्रदेश	2680	2599	200	200	200	200	800	800	3880	3799
24.	छत्तीसगढ़	960	960	200	200	200	168	640	640	2000	1968
25.	राजस्थान	12020	11806	400	400	800	800	1910	1910	15130	14916
26.	तमिलनाडु	16425	16172	1200	1200	1100	1050	3715	3605	22440	22027
27.	पांडिचेरी	400	400	200	200	200	200	200	200	1000	1000
28.	अंदमान और निकोबार द्वीप	160	158	50	50	0	0	0	0	210	208
29.	उत्तर प्रदेश	60006	58581	600	600	800	800	11560	11135	72966	71116
30.	उत्तरांचल	12214	12057	200	200	0	0	2615	2592	15029	14849
31.	पश्चिम बंगाल	28590	25169	400	400	800	842	3240	3135	33030	29546
32.	सिक्किम	160	160	0	0	0	0	215	176	375	336
	कुल	344946	324099	13450	12903	11700	11591	73282	68437	443378	417030

विवरण III

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार जे डी/जे डब्ल्यू कैडेटों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सेना		नौसेना		वायुसेना		जे डब्ल्यू		कुल	
		आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	40150	39061	4900	4500	4650	4500	15400	13684	65100	61745
2.	बिहार	38650	30984	2950	1850	3100	2750	3500	3061	48200	38645
3.	दिल्ली	17650	16050	1700	1500	2200	1800	4400	3325	25950	22675
4.	गुजरात	24850	22570	1400	1400	1450	1350	4100	3631	31800	28951
5.	दमन दीव	200	150	0	0	0	0	200	200	400	350
6.	जम्मू-कश्मीर	7050	6076	800	670	0	0	1900	1794	9750	8540
7.	कर्नाटक	22700	22350	6450	6450	6350	5900	5050	5050	40550	39750
8.	गोवा	850	850	1250	1150	0	0	50	50	2150	2050
9.	केरल	35750	35162	4950	4900	2150	2150	5150	5053	48000	47265
10.	लक्षद्वीप	0	0	650	650	0	0	0	0	650	650
11.	मध्य प्रदेश	33630	33275	2100	1900	1650	1250	5600	4900	42980	41325
12.	छत्तीसगढ़	10300	10050	0	0	850	750	1250	1250	12400	12050
13.	महाराष्ट्र	47500	46250	3450	3150	3550	3450	5400	5550	59900	58400
14.	अरुणाचल प्रदेश	3400	2315	0	0	200	140	225	175	3825	2630
15.	असम	19350	14622	2450	1975	2500	1494	3325	1523	27625	19614
16.	मणिपुर	3450	3388	50	0	1100	200	650	650	5250	4238
17.	मेघालय	1550	1781	100	100	300	0	1120	630	3070	2511
18.	मिजोरम	900	950	0	0	0	0	200	250	1100	1200
19.	नागालैंड	2100	2100	0	0	200	200	200	200	2500	2500
20.	त्रिपुरा	1800	1837	0	0	0	0	500	541	2300	2378
21.	उड़ीसा	28790	27643	2200	2200	2150	2150	2700	2600	35840	34593
22.	पंजाब	23350	21003	1200	1170	2950	2800	2750	2287	30250	27260
23.	हरियाणा	14500	13439	450	450	1450	1300	1400	900	17850	16089
24.	हिमाचल प्रदेश	18250	16022	700	688	250	200	1500	1500	20700	18410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	चंडीगढ़	950	850	550	550	200	200	350	350	2050	1950
26.	राजस्थान	21300	20260	3350	3190	5300	4750	2200	2200	32150	30400
27.	तमिलनाडु	54844	51689	5350	5146	5150	4520	6000	5100	71344	66455
28.	पांडिचेरी	2440	2440	300	300	0	0	200	200	2940	2940
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	800	550	400	400	100	100	250	200	1550	1250
30.	उत्तर प्रदेश	30650	29450	650	650	3150	3050	3150	2950	37600	36100
31.	उत्तरांचल	7500	7100	350	350	0	0	650	550	8500	8000
32.	पश्चिम बंगाल	50750	47922	1650	1446	2850	2544	3500	3149	58750	55061
33.	सिक्किम	1000	1000	0	0	0	0	300	300	1300	1300
	कुल	567004	529189	50350	46735	53800	47548	83170	73803	754324	697275

विवरण IV

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार एडी/एसडब्ल्यू कैडेटों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सेना		नौसेना		वायुसेना		एस डब्ल्यू		कुल	
		आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	24900	23675	1500	1500	1400	1400	7100	6460	34900	33035
2.	बिहार	29648	22099	200	150	400	400	2200	1991	32448	24640
3.	दिल्ली	4560	4229	400	400	400	400	5120	4787	10480	9816
4.	गुजरात	15640	15398	600	600	600	600	4210	4064	21050	20662
5.	जम्मू-कश्मीर	3800	3307	300	275	0	0	1280	1258	5380	4840
6.	कर्नाटक	24780	24265	1100	1100	1200	200	2400	2400	29480	28965
7.	गोवा	640	640	200	200	0	0	320	320	1160	1160
8.	केरल	20080	19750	1300	1250	200	200	4470	4200	26050	25400
9.	लक्षद्वीप	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50
10.	मध्य प्रदेश	15266	14441	850	850	400	400	3907	3686	20423	19377
11.	छत्तीसगढ़	4177	4177	0	0	200	200	640	587	5017	4964
12.	महाराष्ट्र	25640	25250	1900	1731	600	600	6020	5320	34160	32901
13.	अरुणाचल प्रदेश	320	251	0	0	0	0	30	30	350	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	असम	8360	7139	400	400	400	161	2770	2076	11930	9776
15.	मणिपुर	960	879	0	0	200	200	200	200	1360	1279
16.	मेघालय	1040	892	0	0	0	0	320	262	1360	1154
17.	मिजोरम	200	200	0	0	0	0	120	120	320	320
18.	नागालैंड	400	400	0	0	200	200	200	120	800	720
19.	त्रिपुरा	700	737	0	0	0	0	200	215	900	952
20.	उड़ीसा	6760	6473	600	500	200	200	800	800	8360	8073
21.	पंजाब	13110	11987	400	385	800	800	4480	3914	18790	17086
22.	हरियाणा	10400	9549	200	200	400	400	1600	1544	12600	11693
23.	हिमाचल प्रदेश	2660	2627	200	197	200	200	800	800	3880	3824
24.	चंडीगढ़	960	960	200	200	200	200	640	640	2000	2000
25.	राजस्थान	12020	11895	400	400	800	800	1910	1910	15130	15005
26.	तमिलनाडु	16425	15770	1200	1200	1100	1100	3715	3551	22440	21621
27.	पांडिचेरी	400	400	200	200	200	200	200	200	1000	1000
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप	160	160	50	50	0	0	0	0	210	210
29.	उत्तर प्रदेश	64445	63586	600	600	800	800	12195	11770	78040	76756
30.	उत्तरांचल	7775	7295	200	200	0	0	1980	1765	9955*	9260
31.	पश्चिम बंगाल	28590	24959	400	400	800	828	3240	3170	33030	29357
32.	सिक्किम	160	160	0	0	0	0	215	166	375	326
	कुल	344996	323550	13450	13138	11700	11489	73282	68326	443428	416503

विवरण V

31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार जे डी/जे डब्ल्यू कैडेटों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सेना		नौसेना		वायुसेना		जे डब्ल्यू		कुल	
		आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	52700	40725	5250	4450	4950	4350	17150	12858	80050	62383
2.	बिहार	26550	20139	2250	1400	1550	1450	2500	1900	32850	24889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	झारखंड	12000	5786	700	0	1550	1325	1100	770	15350	7881
4.	दिल्ली	17900	16511	1700	1700	2400	1800	4400	3656	26400	23667
5.	गुजरात	24850	22270	1400	1400	1450	1250	4100	4088	31800	29008
6.	दमन दीव	200	150	0	0	0	0	200	200	400	350
7.	जम्मू-कश्मीर	9450	6743	1250	610	0	0	2750	1886	13450	9239
8.	कर्नाटक	222700	21779	650	6142	6350	5781	5050	4845	40550	38547
9.	गोवा	850	780	1250	1100	0	0	50	50	2150	1930
10.	केरल	35750	35150	4950	4900	2150	2150	5150	5050	48000	47250
11.	लक्षद्वीप	0	0	650	0	0	0	0	0	650	0
12.	मध्य प्रदेश	33630	32530	2100	1950	1650	1500	5600	5100	42980	41080
13.	छत्तीसगढ़	10300	10050	0	0	850	750	1250	1100	12400	11900
14.	महाराष्ट्र	47500	46409	3450	3150	3550	3475	5400	5400	59900	58434
15.	अरुणाचल प्रदेश	3600	2755	0	0	200	120	425	175	4225	3050
16.	असम	21950	12805	2450	1975	2500	1311	4375	1779	31275	17870
17.	मणिपुर	3500	3041	50	0	1100	200	650	650	5300	3891
18.	मेघालय	1950	1042	100	0	300	0	1670	562	4020	1604
19.	मिजोरम	1150	950	0	0	0	0	550	250	1700	1200
20.	नागालैंड	3300	2100	0	0	200	200	1300	200	4800	2500
21.	त्रिपुरा	1800	1607	0	0	0	0	500	650	2300	2257
22.	उड़ीसा	28790	27740	2200	2200	2150	2050	2700	2400	35840	34390
23.	पंजाब	23350	21071	1200	1200	2950	2525	2750	2287	30250	27083
24.	हरियाणा	14550	13640	450	450	1450	1250	14000	925	17850	16265
25.	हिमाचल प्रदेश	18250	15617	700	683	250	250	1500	1500	20700	18050
26.	चंडीगढ़	950	950	550	550	200	200	350	350	2050	2050
27.	राजस्थान	21450	20451	3350	2954	5450	4587	2350	2104	32600	30096
28.	तमिलनाडु	54844	52472	5350	5171	5150	5070	6000	5420	71344	68133
29.	पांडिचेरी	2440	2400	300	300	0	0	200	200	2940	2900
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	800	600	400	400	100	100	250	200	1550	1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	उत्तर प्रदेश	30650	28650	650	550	3150	2650	3150	3350	37600	35200
32.	उत्तरांचल	7500	7500	350	350	0	0	650	550	8500	8400
33.	पश्चिम बंगाल	50750	47884	1650	1550	2850	2550	3500	3263	58750	55247
34.	सिक्किम	1000	950	0	0	0	0	300	300	1300	1250
	कुल	585954	523247	51150	45135	54450	46894	89270	74018	781824	689294

विवरण VI

31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार एस डी/एस डब्ल्यू कैडेटों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सेना		नौसेना		वायुसेना		जे डब्ल्यू		कुल	
		आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती	आबंटित	भर्ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	25060	22567	1550	1550	1400	1400	7312	6321	35322	31838
2.	बिहार	22568	17139	200	200	200	200	1574	1511	24542	19050
3.	झारखंड	7028	5433	0	0	200	200	678	624	7906	6257
4.	दिल्ली	4560	4186	450	400	400	200	5120	4577	10530	9363
5.	गुजरात	15640	15190	600	600	600	600	4210	3947	21050	20337
6.	जम्मू-कश्मीर	4470	3727	350	264	0	0	1710	1170	6530	5161
7.	कर्नाटक	24780	23621	1100	1100	1200	1111	2400	2389	29480	28221
8.	गोवा	640	640	200	200	0	0	320	320	1160	1160
9.	केरल	20080	19780	1300	1250	200	200	4470	4192	26050	25422
10.	लक्षद्वीप	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
11.	मध्य प्रदेश	15266	14090	850	850	400	400	3907	3639	20423	18979
12.	छत्तीसगढ़	4177	3951	0	0	200	200	640	587	5017	4738
13.	महाराष्ट्र	25640	25428	1900	1772	600	600	6020	6020	34160	33820
14.	अरुणाचल प्रदेश	480	280	0	0	0	0	30	30	510	310
15.	असम	9479	7019	400	400	400	2300	3255	1948	13534	9597
16.	मणिपुर	960	954	0	0	200	200	200	200	1360	1354
17.	मेघालय	1573	719	0	0	0	0	853	163	2426	882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	मिजोरम	200	200	0	0	0	0	120	120	320	320
19.	नागालैंड	400	400	0	0	200	200	200	120	800	720
20.	त्रिपुरा	700	376	0	0	0	0	200	200	900	576
21.	उड़ीसा	6760	6732	600	600	200	200	800	748	8360	8280
22.	पंजाब	13110	11595	400	345	800	800	4480	4014	18790	16754
23.	हरियाणा	10400	9585	200	200	400	400	1600	1490	12600	11675
24.	हिमाचल प्रदेश	2680	2585	200	199	200	200	800	800	3880	3784
25.	चंडीगढ़	960	960	200	200	200	200	640	640	2000	2000
26.	राजस्थान	12123	11880	600	600	800	800	2170	1960	15693	15240
27.	तमिलनाडु	16425	15830	1200	1200	1100	1100	3715	3465	22440	21595
28.	पांडिचेरी	400	400	200	200	200	200	200	200	1000	1000
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	160	160	50	50	0	0	0	0	210	210
30.	उत्तर प्रदेश	64445	64139	600	600	800	800	12195	12410	78040	77949
31.	उत्तरांचल	7775	7775	200	200	0	0	1980	1765	9955	9740
32.	पश्चिम बंगाल	28590	25664	400	400	800	826	3240	3185	33030	30075
33.	सिक्किम	160	140	0	0	0	0	215	137	375	277
	कुल	347689	323145	13800	13380	11700	11267	75254	68892	448443	416684

विवरण VII

31 मार्च, 2002 से 31 मार्च 2003 तक नफरी में वृद्धि—एस डी/एस डब्ल्यू

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सेना आबंटित	नौसेना आबंटित	वायुसेना आबंटित	जे डब्ल्यू आबंटित	कुल आबंटित
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2828	150	0	2175	5153
2.	बिहार	-6280	0	-200	-146	-6626
3.	झारखंड	7028		200	678	7906
4.	दिल्ली	0	50	0	0	50
5.	गुजरात	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
6.	जम्मू-कश्मीर	820	50	0	440	1300
7.	कर्नाटक	0	0	0	0	0
8.	गोवा	0	50	0	280	330
9.	केरल	0	0	0	0	0
10.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	2082	0	0	1068	3150
12.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
13.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
14.	अरुणाचल प्रदेश	160	0	0	0	160
15.	असम	1545	0	0	920	2465
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	533	0	0	653	1066
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0
20.	त्रिपुरा	368	0	0	53	421
21.	उड़ीसा	0	0	0	0	0
22.	पंजाब	0	0	0	0	0
23.	हरियाणा	0	0	0	0	0
24.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
25.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
26.	राजस्थान	103	200	0	260	563
27.	तमिलनाडु	1240	150	250	572	2212
28.	पांडिचेरी	50	0	0	0	50
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
31.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0
32.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
33.	सिक्किम	0	0	0	0	0
	कुल	10477	650	250	6823	18200

विवरण VIII

31 मार्च, 2002 से 31 मार्च 2003 तक नफरी में वृद्धि—जे डी/जे डब्ल्यू

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सेना आबंटित	नौसेना आबंटित	वायुसेना आबंटित	जे डब्ल्यू आबंटित	कुल आबंटित
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	22700	350	300	5700	29050
2.	बिहार	-11300	-700	-1550	-1000	-14550
3.	झारखंड	12000	700	1550	1100	15350
4.	दिल्ली	250	0	200	0	450
5.	गुजरात	0	0	0	0	0
6.	दमन दीव	0	0	0	0	0
7.	जम्मू-कश्मीर	2500	350	0	850	3700
8.	कर्नाटक	0	0	0	0	0
9.	गोवा	0	0	0	250	250
10.	केरल	0	0	0	0	0
11.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
13.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
15.	अरुणाचल प्रदेश	300	0	0	200	500
16.	असम	2950	50	200	16509	4850
17.	मणिपुर	850	0	50	1250	2150
18.	मेघालय	400	0	0	550	950
19.	मिजोरम	350	0	0	350	700
20.	नागालैंड	1400	0	0	1350	2750
21.	त्रिपुरा	1050	0	0	450	1500
22.	उड़ीसा	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	0	0	0	0	0
24.	हरियाणा	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
25.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
26.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
27.	राजस्थान	400	0	150	150	1000
28.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
29.	पांडिचेरी	0	0	100	0	100
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
32.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0
33.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
34.	सिक्किम	0	0	0	0	0
	कुल	10477	1050	1000	12850	48750

[हिन्दी]

राजस्थान में विद्युत की मांग और आपूर्ति

461. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में विद्युत की वर्तमान कुल मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में सयंत्र-वार वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) विद्युत की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) अक्टूबर, 2003 के महीने में और अप्रैल-अक्टूबर 2003 की अवधि के दौरान राजस्थान राज्य में उपलब्ध विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	
	अक्टूबर, 2003	अप्रैल-अक्टूबर, 2003	अक्टूबर, 2003	अप्रैल-अक्टूबर, 2003
आवश्यकता	2288	13835	3662	3820
उपलब्धता	2284	13737	3662	3711
कमी	4	98	0	109
(%)	0.2	0.7	0	2.9

(ख) राजस्थान में संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन परियोजनाओं से राज्य क्षेत्र/हिस्से में संयंत्र-वार विद्यमान विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नवत है:

परियोजना	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
राजस्थान के स्वामित्वाधीन परियोजनाएं:	
कोटा थर्मल पावर स्टेशन	1045
सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	1250
मही बजाज सागर हाइड्रो	140
अनूपगढ़ हाइड्रो	9
रामगढ़ गैस टरबाइन + स्टीम टरबाइन	114
लघु जल विद्युत	15
निजी क्षेत्र सहित पवन विद्युत	28
उप-योग	2601
संयुक्त रूप से स्वामित्व अधीन परियोजनाओं से हिस्सा:	
मध्य प्रदेश में सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन	125
गांधी सागर	
राणाप्रताप सागर	193
जवाहर सागर	
उप-योग	318
कुल योग	2919

राणा प्रताप सागर (472 मे.वा.) में 50% हिस्सा, राजस्थान में स्थापित जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना (99 मेगवाट) और मध्य प्रदेश में स्थापित गांधी सागर जल-विद्युत परियोजना (115 मेगावाट)।

(ग) विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य यूटिलिटी का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से क्षमता अभिवृद्धि के द्वारा राज्य सरकार के प्रयत्नों को बढ़ाती है। राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों में 1515 मेगावाट और भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की संयुक्त परियोजनाओं में 466 मेगवाट का एक निश्चित आबंटन प्राप्त है। इसके अलावा, रावी सिंचाई मांग का ध्यान रखने के लिए, राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र में सीजीएस के आनाबंटित कोटे में से 20% विद्युत (158 मेगावाट) उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में, राजस्थान में विद्युत आपूर्ति की स्थिति कुल मिलाकर काफी अच्छी है।

वाहनों में रसोई गैस का उपयोग

462. श्री सुरेश चन्देल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहनों के लिए रसोई गैस को पर्यावरण अनुकूल ईंधन माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो वाहनों के लिए रसोई गैस के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोल तथा रसोई गैस की कीमतों के बीच ऐसा उचित अंतर बनाए रखने के लिए एक योजना बनाने का है ताकि लोगों को पेट्रोल से अधिक रसोई गैस के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने एल पी जी की आटो ईंधन के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दे दी है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) साथ ही गैर-सरकारी कंपनियां अपनी-अपनी वाणिज्यिक मांग के अनुसार आटो एल पी जी वितरण केन्द्रों को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कंपनियां एल पी जी आयात के लिए भी स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) आयात समता आधार पर ओ एम सीज आटो एल पी जी के मूल्य का निर्धारण कर रही हैं।

[अनुवाद]

एझिमला नौसेना अकादमी का आरम्भ

463. श्री टी. गोविन्दन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004 में केरल में एझिमला नौसेना अकादमी शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) एझीमला नौसेना अकादमी को दिसंबर, 2004 में कमीशन किए जाने की योजना है ताकि जुलाई, 2005 में पहले बैच के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सके।

हसन-मंगलौर बड़ी लाइन परियोजना के लिए सहायता

464. श्री जी.एस. बसवराज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने हसन मंगलौर रेल बड़ी लाइन परियोजना के लिए 18 करोड़ रु. स्वीकृत करने के रेल बोर्ड के निर्णय को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इस वर्ष के बजट में परियोजना के लिए मंत्रालय द्वारा आबंटित 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त था;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गयी;

(घ) इस परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) अरसीकेरे-हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन परियोजना 312 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत की गई है जिसमें 31.3.2002 तक 179 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। शेष कार्य विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) अर्थात हसन-मंगलौर रेल विकाक सं. (एचएमआरडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। आकस्मिकता तथा ब्याज प्रभारों सहित 1.4.2002 को परियोजना की शेष लागत 110 करोड़ रु. की इक्विटी के माध्यम

से तथा 40 करोड़ रु. के ऋण के माध्यम से वित्त पोषित की जानी है। रेल मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार एच एम आर डी सी की इक्विटी में 45-45 करोड़ रु. का अंशदान करेगी, 2 करोड़ रु. का अंशदान के-राइड (रेल अवसंरचना विकास कंपनी लि.-कर्नाटक) द्वारा किया जाएगा तथा शेष 18 करोड़ रु. का अन्य सामरिक निवेशकों द्वारा अंशदान किया जाएगा।

(ग) रेलवे निधियों के माध्यम से 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान अब तक लगभग 42 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है।

(घ) और (ङ) अरसीकेरे-हसन-सकलेशपुर तथा कांकानाडी (मंगलौर) से कबकापुत्तूर तक आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो गया है। कबकापुत्तूर से सुब्रमण्या रोड तक का आमान परिवर्तन 2003-04 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है तथा शेष 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने की प्रत्याशा है। बहरहाल, यह शेयर होल्डरों द्वारा निधियों की व्यवस्था किए जाने पर निर्भर करेगा।

बंगलौर में डिजिटल भू-केन्द्र

465. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर को डिजिटल बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दृश्य श्रव्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक डिजिटल भू-केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक राज्य में सशर्त उपागम प्रणाली भी शुरू की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) श्रव्य एवं दृश्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए बंगलौर स्थित-भू-केन्द्र का अक्तूबर, 2003 से डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

(ग) डिजिटल भू-केन्द्र के एक साथ दो टी.वी. कार्यक्रमों को अपलिंक करना संभव है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

466. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत और अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को बिना विलंब स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का प्रावधान है:

परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी	क्षमता (मे.वा.)
रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन एसटी 2यू-3 और यू-4	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी)	1000
फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी एसटी 3	एनटीपीसी	210
परीच्छा थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेंशन यूनिट-3 और 4	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिट्स (यूपीबीयूएनएल)	420
अन्पारा, सीटीपीपी यूनिट 1 और 2	यूपीआरवीयूएनएल	1000
रोसा टीपीपी यूनिट 1 और 2	रोसा पावर सप्लाइ कं. लि.	567

(ख) से (ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्य क्षेत्र (स्टेट सेक्टर) के अंतर्गत किसी विद्युत परियोजना (पावर प्रोजेक्ट) को मंजूरी नहीं दी गई है। इसके अलावा, नई व्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग ने बिना किसी सीमा के ही विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए राज्य सरकारों को पूरा अधिकार दिया है। योजना आयोग से स्वीकृति केवल उन्हीं जल विद्युत परियोजनाओं तक सीमित है, जहां अंतर-राज्यीय मामले शामिल हैं।

[अनुवाद]

हीलियम आधारित गुब्बारा

467. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की सीमा पर 152 मीटर ऊंचे हीलियम आधारित गुब्बारों में निगरानी उपकरण लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह सीमा निगरानी और प्रक्षेपास्त्र का पता लगाने की क्षमता बढ़ाने में कितना उपयोगी होगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में विवरण प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।

हिमधाव के कारण हुई मौतें

468. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के ऊंचे शिखरों पर हिमधाव के कारण भारी संख्या में जवान हताहत हुए हैं जहां जवान भारी बर्फ में फंस गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सैन्य कर्मियों की इस प्रकार के हताहतों की संख्या कितनी है;

(ग) हाल के वर्षों में अधिक हताहत होने के कारण क्या हैं;

(घ) इस प्रकार के हताहतों की संख्या रोकने के लिए क्या विशेष उपाय अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार उन देशों से सहायता ले रही है जो इन समस्याओं से निपटने में अधिक सफल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जम्मू तथा कश्मीर के हिमवाधित क्षेत्रों में सर्दी के महीनों में हिमधाव नियमित रूप से होता रहता है। पिछले जाड़ों में अभूतपूर्व रूप से भारी हिमपात हुआ था। 1 जनवरी, 2003 से 26 नवंबर, 2003 तक की अवधि के दौरान भारतीय सेना के 53 कार्मिक हताहत हुए।

(घ) सैन्य कार्मिकों को हिमधाव से हताहत होने से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(1) चौकियों को हिमधाव वाले क्षेत्रों से पृथक स्थल पर स्थापित करना।

(2) हिमधाव प्रवण स्थलों से बचने के लिए मार्गों का चयन।

(3) हिमधाव वाले क्षेत्रों में आवाजाही सुबह-सवेरे करना।

(4) हिमधाव की चेतावनी वाली अवधि के दौरान आवाजाही से बचना।

(5) तोपखाने के राउंड और राकेट दागकर कृत्रिम रूप से हिमधाव शुरू करना।

(ङ) और (च) हिम और अवधाव अध्ययन स्थापना, स्विटजरलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा आदि जैसे अन्य देशों की अनुसंधान प्रयोगशालाओं से संपर्क बनाए हुए हैं। इस खतरे का सामना करने के लिए वे वैसी ही प्रौद्योगिकी का अनुगमन कर रहे हैं, परन्तु अधिक ऊंचाई और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम जैसी भू-दशाओं के कारण उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं।

[हिन्दी]

सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

469. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ग) क्या इस धनराशि का राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस धनराशि का दुरुपयोग करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती।

वद्ध व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूर्व में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2002-03 से राज्य योजना में अंतरित कर दिया गया था। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत, 65 वर्ष तथा इससे ऊपर की आयु के निराश्रितों, को 75 रुपए की मासिक पेंशन के भुगतान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी। इनकी संख्या का अनुमान राज्य जनसंख्या, गरीबी अनुपात तथा कुल जनसंख्या में 65+ आयु समूह के अनुपात जैसे पैरामीटरों के आधार पर लगाया था। वर्ष 2000-01 से 2003-04 के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की गई निधियों के दुरुपयोग के संबंध में भारत सरकार के ध्यान कोई अनियमितता नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4360.76	4355.65	6541.26	4360.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	66.60	45.42	256.87	171.20
3.	असम	2344.31	2482.52	32320.00	0.00
4.	बिहार	4268.85	4801.24	6227.38	4150.80
5.	छत्तीसगढ़	1005.13	965.47	2042.80	1361.60
6.	गोवा	27.94	19.54	38.70	25.76
7.	गुजरात	370.53	338.63	617.22	0.00
8.	हरियाणा	450.14	453.89	577.38	384.88
9.	हिमाचल प्रदेश	200.12	199.72	273.38	182.24
10.	जम्मू-कश्मीर	228.02	162.54	378.72	252.40
11.	झारखंड	1250.95	1174.43	1631.43	0.00
12.	कर्नाटक	2899.69	2581.38	3422.13	2280.96
13.	केरल	947.96	1096.62	1763.32	1175.36
14.	मध्य प्रदेश	3056.14	3297.74	5406.38	3603.60
15.	महाराष्ट्र	3161.48	2560.97	4932.70	3287.84

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	251.00	315.92	323.39	0.00
17.	मेघालय	297.33	281.00	466.79	311.12
18.	मिजोरम	91.62	91.62	131.62	87.76
19.	नागालैण्ड	221.75	206.28	244.18	0.00
20.	उड़ीसा	2962.35	3837.36	4516.85	3010.64
21.	पंजाब	429.15	329.25	365.58	
22.	राजस्थान	1390.60	1441.85	1826.60	1217.32
23.	सिक्किम	94.57	94.12	127.06	84.72
24.	तमिलनाडु	3086.94	2894.07	4748.64	3166.10
25.	त्रिपुरा	497.93	539.42	754.16	502.72
26.	उत्तर प्रदेश	6629.80	7840.17	9866.29	6576.32
27.	उत्तरांचल	386.00	329.02	456.31	354.66
28.	पश्चिम बंगाल	2965.01	3208.91	4155.73	2770.00
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.00	7.81		
30.	चंडीगढ़	8.83	5.87	15.82	
31.	दादर और नागर हवेली	10.62	10.60	12.00	
32.	दमन और द्वीव	1.95	1.93		
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	273.58	
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00		
35.	पांडिचेरी	24.53	43.84	0.00	
	कुल	43987.60	46014.80	65624.35	39318.20

[अनुवाद]

एच.पी.सी.एल. की निवेश योजनाएं

470. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. ने आगामी वर्षों के लिए कोई निवेश योजना घोषित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) 10वीं योजना (वर्ष, 2002-03 से वर्ष, 2006-07 तक) के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम

कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) की रिफाइनरी, विपणन संबंधी योजनागत परियोजनाओं एवं संयुक्त उद्यमों में एचपीसीएल की समांशता के लिए 7500 करोड़ रुपये तथा विभिन्न गैर-योजनागत परियोजनाओं के लिए 3500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। 19वीं योजना तथा वार्षिक योजना, 2004-05 के दौरान प्रमुख योजनागत परियोजनाओं के संबंध में विचारित परिव्यय निम्न प्रकार हैं:

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	10वीं योजना	वर्ष, 2004-05 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय
1.	पंजाब रिफाइनरी परियोजना (एच पी सी एल की समांशता)	2251.00	10.00
2.	मुंबई रिफाइनरी में ग्रीन फ्यूल्स तथा उत्सर्जन नियंत्रण परियोजना	1152.00	400.00
3.	विसाख रिफाइनरी में स्वच्छ ईंधन परियोजना	1635.00	400.00
4.	उत्पाद पाइपलाइनों का विस्तार	400.00	85.00
5.	प्राइज पेट्रोलियम (तेल अन्वेषण तथा उत्पादन)	490.00	5.00
6.	एल पी जी भराई संयंत्र	284.00	50.00

कोको पम्प

471. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सितंबर, 2003 के महीने में तेल निगमों को और कोको पम्प विकसित न करने और अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार पहले से विकसित कोको को नियमित करने की सलाह दी थी;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त आदेशों को जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्यों में सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों विशेषकर इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कोको के अंतर्गत कितने पम्प विकसित किए गए;

(ग) सरकारी आदेशों के जारी होने के बाद और अधिक कोको के विकास में लगे अधिकारियों के नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार का कोको के लिए भूमि के प्रस्ताव की तारीखों, इन स्थानों को पास करने हेतु तकनीकी समिति के दौरे की तारीखों के संबंध में कोई जांच करने का विचार है ताकि संबद्ध अधिकारियों के निहित स्वार्थों का पता लगाया जा सके;

(ङ) क्या सरकार का इस घोटाले में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का कोई विचार है; और

(च) यदि हां, तो जांच कब तक पूरी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोंकोर पर बकाया राशि

472. श्री अरुण कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान रेल विभाग द्वारा मालभाड़े के रूप में कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया से कितनी राशि अर्जित की गई;

(ख) कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया पर रेल विभाग की मालभाड़े की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) रेल विभाग द्वारा बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) 770 करोड़ रुपए।

(ख) 5.56 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2003 को)

(ग) वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान उक्त राशि में से 5.09 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं तथा 47 लाख रुपए का समाधान किया जा रहा है।

कच्चे तेल का उत्पादन

473. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक सरकारी और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां कच्चे तेल के उत्पादन के काम में लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कच्चे तेल की उत्पादन लागत का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे तेल की उत्पादन लागत और कंपनीवार उन क्षेत्रों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्पादन लागतें अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) देश में तेल उत्पादन के लिए दो राष्ट्रीय तेल कंपनियां अर्थात् आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) तथा निजी/संयुक्त उद्यम (निजी/संयुक्त उद्यम) लगे हुए हैं।

इस तथ्य की दृष्टि में कि विभिन्न कंपनियों के उत्पादक क्षेत्र से संबंधित तकनीकी कारक भिन्न-भिन्न हैं और साथ ही विभिन्न कंपनियां अपनी अलग-अलग लेखा नीतियां और भिन्न-भिन्न लागत अपनाती हैं तथा उनकी राजकोषीय प्रणाली भी अलग-अलग होती है, इसलिए किसी एक निश्चित समय में उत्पादन लागत की एक जैसी तुलना करना संभव नहीं होगा।

तथापि, वर्ष 2002-03 के दौरान ओ एन जी सी, ओ आई एल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों की कच्चे तेल की उत्पादन लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (ङ) सामान्यत: कच्चे तेल के उत्पादन लागत में कई कारक जैसे प्रचालन लागत/उठान लागत, मुआवजा लागत, (नि:शेषण, मूल्यह्रास, समापन), लागत और वित्तपोषण सांविधिक वसूलियां शामिल हैं। ये कारक राजकोषीय व्यवस्था तथा लेखा प्रक्रियाओं के ऊपर निर्भर करते हुए कंपनी दर कंपनी तथा देश दर देश अलग-अलग होते हैं। इसलिए भारत में तेल उत्पादक कंपनियों की उत्पादन लागत की तुलना अन्य देशों की उत्पादन लागत से करना संभव नहीं है।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान कच्चे तेल की उत्पादन लागत

1. राष्ट्रीय तेल कंपनियां

(रु./मीट्रिक टन)

कम्पनी का नाम	तटीय	अपतटीय
ओएनजीसी	6,098	5,203
ओआईएल	5,135	–

नोट: प्रचालन लागत, मुआवजा लागत, वित्तपोषण लागत, सांविधिक वसूलियों आदि सहित

2. निजी कंपनियां/संयुक्त उद्यम

परिसंघ कंपनियों का नाम	क्षेत्र/खण्ड का नाम	उत्पादन लागत (रु. मीट्रिक टन में)
कैर्न एनर्जी इंड पीटीवाई लि. ओएनजीसी वीडियोकान पेट्रोलियम लि. राव्वा आयल (सिंगापुर) लि.	पूर्वी अपतट (राव्वा)	1,392
हार्डी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इंडिया लि. ओएनजीसी-टीपीएल एचओईसी	पूर्वी अपतटीय (पीवाई-3)	4,745
ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इंडिया लि. ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	पश्चिमी अपतट (पन्ना-मुक्ता)	1,446
ज्यो-एन्ग्रो जुबीलियंट एनग्रो लिमिटेड ज्यो-पेट्रोल, ओआईएल	तटीय-अरुणाचल प्रदेश (खरसांग)	3,427
लार्सन एण्ड टूब्रो जोशी टेक्नोलोजी इंकज़	तटीय-गुजरात (ढोलका)	3,530
हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	तटीय-गुजरात (असजोल)	3,271
सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलाजी लिमिटेड	तटीय-गुजरात (इन्दरोरा, बकरौल और लोहार)	3,512

नोट: उपरोक्त लागतों में केवल प्रचालन लागतें और सांविधिक वसूलियां शामिल हैं। उत्पादन हिस्सेदारी संविदा की शर्तों और लेखा प्रक्रियों के अनुसार उत्पादन लागत के अन्य सामान्य कारकों जैसे मुआवजा लागत (नि:शेषण, मूल्यह्रास, समापन) और वित्तीय लागत उपरोक्त लागतों में शामिल नहीं है, किसी भी लाभ पेट्रोलियम का भुगतान करने से पूर्व संविदाकार को सभी निवेशों पर 100% लागत वसूली की अनुमति है।

[अनुवाद]

प्राइवेट टी.वी. चैनलों द्वारा दिशा निर्देशों का उल्लंघन

474. श्री उत्तमराव पाटील:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
डा. चरणदास महंत:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने काफी लंबे समय तक दूरदर्शन की क्रिकेट फुटेज का इस्तेमाल करने के लिए प्राइवेट टी.वी. चैनलों पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राइवेट टी.वी. चैनलों ने हाल ही में हुए क्रिकेट मैचों के प्रसारण में दूरदर्शन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) यह देखने के बाद कि कुछ चैनल दूरदर्शन के पास निहित अधिकार का उल्लंघन करके डी.डी. नेशनल और डी.डी.-स्पोर्टस पर प्रसारित हाल ही में सम्पन्न बीसीसीआई क्रिकेट मैचों का फूटेज अप्राधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे थे, प्रसार भारती द्वारा प्रैस में एक विज्ञापन के जरिए सभी टी.वी. चैनलों को दूरदर्शन के पास निहित अधिकार का उल्लंघन न करने की सलाह दी गई थी जिसके पालन न किये जाने पर दूरदर्शन दोषी चैनलों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी में कलाकारों का चयन

475. श्री रामशकल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल शहरी लोगों को ही दूरदर्शन और आकाशवाणी में कलाकारों के रूप में चुने जाने के अधिकतम अवसर मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कलाकारों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा विकसित हो सके?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में विद्युत की स्थिति

476. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से विद्युत की स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में विद्युत के उत्पादन और पारेषण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2002-2003 में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) से (घ) योजना आयोग ने बिहार में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार हेतु 10 वर्षों की अवधि के लिए 4420 करोड़ रुपये के पैकेज की सिफारिशें की हैं-

(करोड़ रुपये में)

1.	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	421
2.	पारेषण एवं वितरण	994
3.	ग्रामीण विद्युतीकरण	255
4.	जल विद्युत विकास	500
5.	विद्युत उत्पादन	2250
	कुल	4420

बिहार में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 365 करोड़ रुपये की एक स्कीम जिसके साथ बिहार को योजना आयोग द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज (विभाजन के बाद) के अंतर्गत एक विशेष अनुदान भी दिया जाना है, के लिए सहमति हो गई है और इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शीघ्र ही किया जाना है। बिहार में विद्युत की उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

(1) बिहार में राज्य क्षेत्र में 135 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि के अलावा पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 5650 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि की योजना है, जिसमें बिहार का भी अपना हिस्सा होगा।

(2) विद्युत उत्पादन में समग्र सुधार के लिए पुराने एवं अकुशल जेनरेटिंग यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार स्कीम का क्रियान्वयन।

वर्ष 2002-03 के दौरान एसटी एंड की स्कीम के सुधार के लिए त्वरित विद्युत विकास ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बिहार को 737.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 66.11 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें से 15.11.2003 तक 12.48 करोड़ रुपये का उपयोग हो चुका है और 291.49 करोड़ रुपये की निट (नोटिस इन्वाइटिंग टेन्डर) जारी की गई है।

2002-03 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बिहार को आबंटित की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. पीएमजीवाई (प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना) - 24.17 करोड़ रुपये
2. एमएनपी (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) - 68 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

ग्रीष्मकालीन/पूजा स्पेशल गाड़ियों में भोजन यान सुविधा

477. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी ग्रीष्मकालीन स्पेशल और पूजा स्पेशल गाड़ियों में भोजनयान सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इन गाड़ियों में भोजनयान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) जी नहीं, बहरहाल, रेलें मार्गवर्ती स्थैतिक इकाइयों द्वारा समर/पूजा स्पेशल गाड़ियों सहित लंबी दूरी की गाड़ियों में और जहां-कहीं, इन इकाइयों द्वारा संतोषजनक खानपान सेवाएं प्रदान करना संभव नहीं होता है, खानपान सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करती है। वाणिज्यिक तथा परिचालनिक व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए इन लंबी दूरी की गाड़ियों में पैंट्री कार सुविधाएं प्रदान की जाती है।

जवानों को प्रोत्साहन

478. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थलसेना में जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कारगिल युद्ध के दौरान प्रमुख भूमिका निभाने वाले जवानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए;

(ग) भारतीय थल सेना में जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) जवानों को कई पदोन्नति संबंधी तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उन्हें उच्च रैंकों में पहुंचाने का अवसर दिया जाता है। अल्प सेवा कमीशन तथा सेना कैडेट कालेज जैसी विभिन्न प्रविष्टियों के माध्यम से उनके पास अफसर बनने के अवसर भी होते हैं। उन पर विशेष कमीशन प्राप्त अफसर तथा रेजीमेंटल कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में चयन हेतु भी विचार किया जाता है।

पदोन्नति संबंधी अवसरों से लाभ प्राप्त करने में असमर्थ जवानों को वित्तीय राहत पहुंचाने के लिए हाल ही में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम शुरू की गई है। आगे पदोन्नति हेतु नजरअंदाज किए गए सिपाहियों को उनकी मूल नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से तीन वर्ष पूर्व लांस नायक तथा एक वर्ष पहले नायक के रूप में समयमान पदोन्नति प्रदान की जाती है।

वेतन तथा भत्तों के अलावा जवानों को अत्यधिक सक्रिय फील्ड क्षेत्र भत्ता, भील्ड क्षेत्र भत्ता, संशोधित फील्ड क्षेत्र भत्ता, विशेष क्षतिपूर्ति प्रतिविद्रोही भत्ता यथा सियाचिन भत्ता जैसे कई भत्ते प्रदान किए जाते हैं। ये भत्ते कठिन तथा दुष्कर क्षेत्रों में सेवा करने के दौरान उनके द्वारा उठाए गए कष्टों के लिए क्षतिपूर्ति प्रकृति के हैं। सभी जवान पर्याप्त पेंशन संबंधी लाभों के भी हकदार हैं।

युद्ध हताहतों के निकटतम संबंधी उदारीकृत परिवार पेंशन, उपदान, अनुग्रह राशि संबंधी लाभ आदि के हकदार हैं। शत प्रतिशत निशक्त होने पर सेवामुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को युद्ध घायल पेंशन तथा सतत् परिचर्या भत्ते दिए जाते हैं। न्यून चिकित्सा श्रेणी में होने के बावजूद युद्ध में घायल सभी जवान अगले पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं।

एक व्यापक कल्याणकारी पैकेज बनाया गया है तथा इसे कारगिल संघर्ष में मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के लिए लागू किया गया है। पेंशन संबंधी लाभों के अलावा कारगिल संघर्ष में मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को केन्द्र सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय रक्षा कोष से 5 लाख रुपए दिए गए थे तथा सेना केन्द्रीय कल्याण कोष से पितृत्व सहायता तथा बच्चों की शिक्षा संबंधी भत्ते के रूप में प्रत्येक को और 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी।

राकेट लांचर की खरीद

479. श्री गुथा सुकेन्द्र रेड्डी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का टाटा ग्रुप आफ कंपनीज से राकेट लांचर, पिनाका खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के पास मल्टी बैरल राकेट लांचर के व्यवसायिक उत्पादन हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेश में ही विकसित बहुनाल राकेट लांचर प्रणाली, पिनाक के अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। पिनाक का विकास सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की यूनिटों से कई विकास साझेदारों द्वारा किया गया है। इन यूनिटों के नाम हैं लांचर और कमाण्ड पोस्ट वेहीकल के लिए टाटा इलेक्ट्रिक और एल एंड टी, राकेट के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड और लोडर-सह-रिप्लेनिशमेंट वेहीकल के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड और भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड।

(ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन केवल एक अनुसंधान तथा विकास एजेंसी है और यह वाणिज्यिक उत्पादन के लिए नहीं है।

(घ) उत्पादनीकरण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन देश के भीतर निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ विकास के लिए सहयोग करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पिनाक के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया और जिन उद्योगों के पास अपने उत्पादन के लिए आधारभूत अवसंरचना और अनुभव है उनमें ग्राउण्ड वेहीकल और लांचर की गढ़ाई की।

चल अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग

480. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग दलित लोगों तक पहुंचाने तथा अपने कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए चल आयोग की प्रणाली आरंभ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश स्थिति क्षेत्रीय केन्द्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस केन्द्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी चैनलों की अपलिंकिंग अनुमति

481. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी प्रसारकों को भारत से टी.वी. चैनल अपलिंक करने की अनुमति दी है;

(ख) किन कंपनियों को इस प्रकार की अनुमति दी गई है और उनके द्वारा प्रत्येक चैनल के संदर्भ में कौन-कौन से और किस प्रकार के चैनल संचालित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या कुछ कंपनियों द्वारा प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की अनदेखी करने की रिपोर्ट है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) आज तक सरकार ने भारत से 104 चैनलों को अपलिंक करने के लिए उन 39 कम्पनियों को अनुमति दी है जो या तो सामयिक विषयों से संबंधित और या मनोरंजक विषय-वस्तुओं के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इन 39 कम्पनियों में से 12 के पास विदेशी इक्विटी के परिवर्तनशील घटक हैं। ऐसी कम्पनियों/चैनलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) विदेशी निवेश मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात टीवी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

अनुमत टी.वी. चैनलों की सूची जिनमें समाचार और सामयिक विषयों के कार्यक्रम है

कम्पनी का नाम	चैनल का नाम	शेयर धारिता	
		भारतीय	विदेशी
1	2	3	4
एशियानेट कम्यूनिकेशन लि.	एशियानेट (डिजिटल) ग्लोबल	100	0
एशियानेट कम्यूनिकेशन लि.	एशियानेट (एनालोग) मलयालम	100	0
एशोसिएटिड ब्राडकास्टिंग सीपीएल	टी.वी. 9	100	0
ब्राडकास्ट वर्ल्डवाइड लि.	तारा बंगला	93.03	6.97
इंडिपेंडन्ट न्यूज सर्विस प्रा.लि.	इंडिया टी.वी.	100	0
इनडिविसन सेटेलाइट कम्यूनिकेशन लि.	इंडियाविजन	100	0
जैन स्टूडियो लि.	जैन टी.वी.	77.95	22.05
जीवन टेलीकास्टिंग कोरपोरेशन लि.	जीवन टी.वी.	87.52	12.48
मा टी.वी. नेटवर्क लि.	मा टी.वी.	100	0
मलयालम कम्यूनिकेशन लि.	कराली	100	0
माविस सतकाम प्रा. लि.	जया टी.वी.	100	0
नई दिल्ली प्रा. लि.	एनडी टी.वी.	83.53	16.47
नई दिल्ली प्रा. लि.	एनडी टीवी इंडिया	83.53	16.47
राज टी.वी. नेटवर्क लि.	राज टीवी	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा समय यूपी	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा समय नेशनल एण्ड	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा समय बिहार	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा समय मुम्बई	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा समय राजस्थान	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा समय एनसीआर	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा समय एमपी	100	0
स्काई बी. बंगला प्रा. लि.	आकाश बी	100	0
एस टी.वी. इंटरप्राइजिज लि.	पंजाब टूडे	100	0

1	2	3	4
सन टी.वी. लि.	सुर्या टी.वी.	100	0
सन टी.वी. लि.	सुर्या न्यूज	100	0
सन टी.वी. लि.	उदय न्यूज	100	0
सन टी.वी. लि.	सन टी.वी.	100	0
सन टी.वी. लि.	तेजा न्यूज	100	0
सन टी.वी. लि.	सन न्यूज	100	0
टेलीविजन एटिन इंडिया लि.	सीएनबीसी - टी.वी. 18	89.07	10.93
टी.वी. लाइव इंडिया प्रा. लि.	टीवी लाइव	100	0
टी.वी. टूडे नेटवर्क लि.	मुम्बई आज तक	92.5	7.5
टी.वी. टूडे नेटवर्क लि.	आज तक	92.5	7.5
टी.वी. टूडे नेटवर्क लि.	दिल्ली आज तक	92.5	7.5
टी.वी. टूडे नेटवर्क लि.	हैडलाइन टूडे	92.5	7.5
उदय टी.वी. लि.	उदय टी.वी.	92.5	7.5
उसोदया इंटरप्राइजिज लि	ईटीवी 2	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ईटीवी गुजराती	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ईटीवी बंगाली	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ईटीवी मराठी	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ईटीवी कन्नड़	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. उर्दू	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. उड़ीया	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. तेलगु	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. अप हिन्दी	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. एमपी हिन्दी	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. राजस्थानी हिन्दी	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. बिहार हिन्दी	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. असमी	100	0

1	2	3	4
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. मलयालम	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. तमिल	100	0
उसोदया इंटरप्राइजिज लि.	ई.टी.वी. पंजाबी	100	0
विजय ब्राडकास्ट प्रा. लि.	विजय	100	0
जी टेलीफिल्मस लि.	जी टी.वी.	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	अल्फा गुजराती	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	अल्फा न्यूज	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	अल्फा पंजाबी	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	अल्फा बंगाली	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	अल्फा मराठी	42.46	57.54
	अनुमत टी.वी. चैनलों की सूची जिनमें समाचार और सामयिक विषयों के कार्यक्रम नहीं है		
एशियानेट कम्यूनिकेशन लि.	एशियानेट (डिजिटल) मलयालम	100	0
एटीएन इंटरनेशनल लि.	अहिंसा	99.24	0.76
ब्राडकास्ट वर्ल्डवाइड लि.	तारा गुजराती	93.03	6.97
ब्राडकास्ट वर्ल्डवाइड लि.	तारा मराठी	93.03	6.97
ब्राडकास्ट वर्ल्डवाइड लि.	तारा पंजाबी	93.03	6.97
सीएमएम ब्राडकास्टिंग नेटवर्क	आस्था टी.वी.	100	0
सीएमएस ब्राडकास्टिंग नेटवर्क	सीएमएम म्यूजिक	100	0
कोस्वैन टैक्नोलोजी	कोस्वैन	89.85	10.15
कोस्वैन टैक्नोलोजी	सुरसंगीत	89.85	10.15
दिक्सात ट्रांसवर्ल्ड लि.	वीन टी.वी.	100	0
इंटरटेंटमेंट टी.वी. नेटवर्क प्रा. लि.	ईटीसी हिन्दी	100	0
इंटरटेंटमेंट टी.वी. नेटवर्क प्रा. लि.	तेजा टी.वी.	100	0
जेमीनी टी.वी. प्रा. लि.	जेमीनी टी.वी.	100	0
जेमीनी टी.वी. प्रा. लि.	जीसी. वी	100	0
जेमीनी टी.वी. प्रा. लि.	सप्लस टी.वी.	100	0
इनटेलीविजन लि.	एनयूएम टी.वी.	91.30	8.7

1	2	3	4
इनटेलीविजन लि.	एमएच 1	91.30	8.7
एमएच वन टी.वी. नेटवर्क लि.		100	0
पोजीटीव टी.वी. प्रा. लि.	एन.ई. टी.वी.	100	0
राज टी.वी. नेटवर्क लि.	राज डिजिटल प्लस	100	0
रेमिसेंट इंडिया टी.वी. लि.	गुजर्री	100	0
रेमिसेंट इंडिया टी.वी. लि.	लसकारा	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा टी.वी. इंटरटेंटमेंट	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा टी.वी. डिजिटल	100	0
सहारा संचार लि.	सहारा टी.वी.	100	0
सन्देश टेलीफिल्म प्रा. लि.	संध्या	100	0
संस्कार इनफो प्रा. लि.	सतसंग	100	0
संस्कार इनफो टी.वी. प्रा. लि.	संस्कार	100	0
श्री अधिकारी ब्रदर्स टी.वी. नेटवर्क लि.	सब टी.वी.	94.86	5.14
सन टी.वी. लि.	ए.सी.वी.	100	0
सन टी.वी. लि.	यू.एस.एच.ई. टी.वी.	100	0
सन टी.वी. लि.	सन टी.वी.	100	0
सन टी.वी. लि.	के.टी.वी.	100	0
सन टी.वी. लि.	सूर्या टी.वी.	100	0
तमिल कालीकुढ़म प्रा. लि.	तमिल टेलीविजन	100	0
तनु हैल्थ केयर लि.	केयर टी.वी.	98.12	1.66
टैक्नोलोजी मीडिया ग्रुप प्रा. लि.	टी.एम.जी. इंटर	100	0
उदय टी.वी. लि.	उदय टी.वी.-II	100	0
जी टेलीफिल्मस लि.	मंसी	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	कामेडी टी.वी.	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	जी सिनेमा	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	अल्फा भारती	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	अल्फा कावेरी	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	जी म्यूजिक	42.46	57.54
जी टेलीफिल्मस लि.	अल्फा कृष्णा	42.46	57.54

[हिन्दी]

कुलियों द्वारा अनारक्षित डिब्बों में सीटों पर कब्जा करना

482. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनारक्षित डिब्बों में कुली सीटों पर कब्जा कर लेते हैं तथा वे उन सीटों के लिए यात्रियों से धन वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है, और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इस गैर-कानूनी कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) पोर्टरों द्वारा अनारक्षित कोचों में सीटों पर कब्जा करने के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं लेकिन, इस संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। उपलब्ध सूचना को सभा पटल पर रख दिया जाएगा। वाणिज्यिक और सतर्कता विभागों द्वारा रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस के सहयोग से पोर्टरों और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा सीटों को हथियाने के मामलों को रोकने के लिए नियमित जांचें की जाती हैं। इस बुराई को रोकने के लिए कोचों को यार्ड से गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन के प्लेटफार्म पर बंद स्थिति में लाया जाता है और यात्रियों को कतार प्रणाली का पालन करने की सलाह दी जाती है। मुख्य स्टेशनों पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री गाड़ी में कतार में चढ़े, रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस की सहायता ली जाती है।

[अनुवाद]

मेट्रो चैनल को बंद करना

483. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का पूर्व लोकप्रिय मनोरंजन चैनल डी.डी. मेट्रो भारी लाभ अर्जित कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो चैनल द्वारा राजकोष के लिए अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में परिवर्तित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पूरे देश, विशेषकर उप-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मेट्रो चैनल का फ्री एयर प्रसारण चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) प्रसार भारती ने पिछले पांच वर्षों के दौरान डी.डी. मेट्रो द्वारा अर्जित राजस्व की सूचना निम्न प्रकार से दी है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1999-2000	46.18
2000-2001	87.29
2001-2002	83.32
2002-2003	22.77
2003-2004	10.39

(31 अक्तूबर, 2003 तक) प्रसार भारती द्वारा लाभ हानि का लेखा जोखा नहीं रखा जाता है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दर्शकों को विशेष रूप से बिना केबल कनैक्शन वाले दर्शकों के बीच समाचारों की बढ़ती हुई आकांक्षा को पूरा करने का निर्णय ले लिया गया है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डी.टी.एच. दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

484. **श्री विनय कुमार सोराके:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स ए.एस.सी. इंटरप्राइजेस लिमिटेड डी.टी.एच. दिशा-निर्देशों में दिए गए संविदाओं/उपसंविदाओं के आबंटन संबंधी सभी निबंधन और शर्तों का पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त कंपनी ने प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग और अन्य सेवाओं के अपने कुछ अधिकारी जो टेलीफिल्मस लिमिटेड की सहायक कंपनियों को सौंपे हैं;

(ग) क्या यह कंपनी अपलिंकिंग की लागत को 'कास्ट प्लस बेसिस' के आधार पर अपने पास रखती है और अन्य सभी राजस्व डी.टी.एच. दिशानिर्देशों के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करते हुए संविदात्मक करारों के माध्यम से जी टेलीफिल्मस लिमिटेड और/अथवा उसकी सहायक कंपनियों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) डी.टी.एस. दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए कंपनी के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ङ) डायरेक्ट-टू-होम दिशा निर्देशों के अनुसार ए.एस.सी. इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिनांक 16 सितम्बर, 2003 को इसके साथ हस्ताक्षरित लाइसेंस करार से जुड़ी हुई निबंधन और शर्तों का पालन करना है। इस करार में यह निर्धारित है कि लाइसेंस दाता के पूर्व अनुमोदन के बिना लाइसेंसधारी किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके अधिकार को किसी अन्य पक्ष को न तो सौंपेगा अथवा हस्तांतरित करेगा और न ही उप लाइसेंस हेतु कोई करार करेगा और/या किसी तीसरे पक्ष के साथ पूर्ण रूप से अथवा अंशत लाइसेंस की विषय-वस्तु से संबंधित भागीदारी करेगा। तथापि, लाइसेंस करार के उल्लंघन का ऐसा कोई दृष्टांत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

तेलशोधक कारखानों की क्षमता

485. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री परसुराम माझी:
श्री रतन लाल कटारिया:
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलशोधक कारखानों की क्षमता उपयोगिता को ईष्टतम स्तर पर ला दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में नए तेलशोधक कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दसवीं योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इस संबंध में पारादीप तेल शोधक कारखाने का भविष्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) वर्ष 1998 से रिफाइनरियों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दसवीं, ग्यारहवीं योजना के दौरान निम्नलिखित रिफाइनरियों की स्थापना का प्रस्ताव है:-

(1) आई ओ सी एल द्वारा पारादीप पत्तन के पास 9.00 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष (मि.मी.ट.प्र. वर्ष) क्षमता वाली रिफाइनरी। दसवीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के प्रथम चरण के लिए 622 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

(2) एच पी सी एल द्वारा भटिंडा, पंजाब में 6.00 मि.मी. ट. प्र. वर्ष क्षमता वाली रिफाइनरी। दसवीं योजना के दौरान इसके समांशता निवेश के लिए 2251 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(3) बी पी सी एल द्वारा बीना, मध्य प्रदेश में 6.00 मि.मी. ट.प्र. वर्ष क्षमता वाली रिफाइनरी। दसवीं योजना के दौरान निवेश के लिए 501 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की पारादीप रिफाइनरी के ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के बाद के ढाई वर्षों में पूरा होने की संभावना है। उड़ीसा सरकार और आई ओ सी एल के बीच, दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ

486. श्री वाई.जी. राव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थल सेना का सर्दी के महीनों में घुसपैठ रोकने के लिए नियंत्रण रेखा के पास अनेक अग्रिम चौकियों पर तैनात रहने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत सर्दी के बाद जम्मू और कश्मीर सीमा के पास घुसपैठ की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कितने घुसपैठियों का पता लगाया गया है और कितने घुसपैठियों की भारत में प्रवेश लेने की संभावना है;

(घ) घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सर्दी के दौरान थलसेना के वहां पर रहने के सभी प्रबंध कर दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) घुसपैठ का स्तर पिछले वर्षों के समान ही ऊंचा बना हुआ है।

(ग) वर्ष 2003 में आज की तारीख तक घुसपैठ के कुल 104 प्रयास विफल किए गए हैं जिनमें 269 आतंकवादी मारे गए हैं तथा भारी संख्या में आतंकवादियों को घुसपैठ के प्रयास का परित्याग करने हेतु विवश किया गया है। तथापि, यह अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान लगभग 1000 आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ की होगी।

(घ) जम्मू व कश्मीर में घुसपैठ का प्रयास कर रहे आतंकवादी समूहों को पकड़ने तथा उनका सफाया करने के लिए पर्याप्त सैन्य उपाय किए गए हैं। इन उपायों में मानवरहित ग्राउंड सेंसरों की तैनाती, नियंत्रण रेखा पर बाड़ बनाना एवं सैन्य टुकड़ियों की बहुस्तरीय तैनाती सहित घुसपैठ के सभी ज्ञात रास्तों की निगरानी करना शामिल है। आसूचना के आधार पर घुसपैठ रोधी उपायों की लगातार पुनरीक्षा की जाती है। हालांकि इन उपायों के बावजूद, मौजूदा स्थलाकृति एवं जलवायुगत परिस्थितियों की वजह से नियंत्रण रेखा को पूरी तरह से सील करना कठिन है।

(ङ) और (च) सर्दी के महीने में सेना के ठहरने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। नियंत्रण रेखा की भी चौकियों को पूरी तरह से संसाधनयुक्त एवं सुसज्जित किया गया है ताकि वे अपनी तैनाती की मौजूदा स्थिति को कायम रख सकें।

संसद सदस्यों का रसोई कोटा समाप्त करना

487. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संसद सदस्यों का गैस कनेक्शन कोटा समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राज्य सभा के सभापति और लोक सभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि, गत तीन वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा तत्काल मांग पर एल पी जी कनेक्शन जारी करने के कारण संसद सदस्यों द्वारा जारी किए जाने वाले प्राथमिक कूपनों के माध्यम से एल पी जी कनेक्शनों को जारी करने की योजना को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इन कूपनों की मांग में कमी आई है।

बजटीय अनुदानों से रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर राजसहायता

488. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बजटीय अनुदानों से रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तेल कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को कम करने का भी निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस निर्णय के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि होने अथवा कितना लाभ अर्जित होने की संभावना है;

(ङ) पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी पूंजी कम करने के क्या कारण हैं;

(च) गत तीन सालों के दौरान इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने के सरकार के निर्णय के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर सरकारी राजसहायता एक समान दर पर आधारित है और उसका हिसाब लगाने के बाद तेल विपणन कंपनियां इन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तनों के अनुसार खुदरा बिक्री मूल्यों में परिवर्तन कर सकेंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी व्यापक खपत के घरेलू ईंधन हैं। इन उत्पादों के उच्चतर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घरेलू बिक्रियों में अन्रित करने से उपभोक्ताओं को कष्ट हुआ होता। इसलिए मामले की पुन: जांच की गई थी और उपभोक्ता हित में यह निर्णय लिया गया कि तेल विपणन कंपनियां वर्ष 2003-04 के दौरान इन उत्पादों के बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं करेंगे और इसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों की कम वसूलियों को तेल कंपनियां वहन करेगी/ आपस में बांटेंगी।

(ग) विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है और अपनी घोषित नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए सरकार प्रस्तावों पर विचार करती रहती है। सरकार ने बीपीसीएल और एचपीसीएल के अलावा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में सरकार की इक्विटी धारिता के विनिवेश के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है तथा आईबीपी में सरकार की बच रही अंशधारिता की बिक्री ''बिक्री के लिए प्रस्ताव'' के माध्यम से की गई है। एचपीसीएल और बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.09.2003 को एचपीसीएल और बीपीसीएल पर दिए गए निर्णय के अनुपालन में बंद कर दिया गया है। आईबीपी के मामले में ''बिक्री के लिए प्रस्ताव'' की प्रक्रिया अभी चालू है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों का विनिवेश अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को विनिवेश के निम्नलिखित मुख्य लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी:

(1) गैर कार्यनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अवरुद्ध पड़े सार्वजनिक संसाधनों की बड़ी राशि को ऐसे क्षेत्रों में पुनर्नियोजन के लिए प्राप्त करना जो सामाजिक प्राथमिकताओं से अधिक ऊंचे हैं।

(2) सार्वजनिक ऋण की कटौती।

(3) वाणिज्यिक जोखिम को निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करना।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के शेयरों को छोटे निवेशकों और कर्मचारियों को देते हुए सम्पत्ति का व्यापक वितरण।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के शेयरों के विनिवेश द्वारा अधिक गहराई और प्रवाहमयता बढ़ाते हुए पूंजी बाजार को मजबूती प्रदान करना।

(6) सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त करना ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर चयन सुविधा मिले और सेवाओं तथा उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता रियायती दरों पर उपलब्ध हो सके।

(ङ) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति ठप्प होना

489. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री मोहन रावले:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री भास्करराव पाटील:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी ग्रिड में दूसरी बार गड़बड़ी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दिनांक 5 नवंबर, 2003 को पूरे महाराष्ट्र और गुजरात के अनेक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत आपूर्ति ठप्प होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 को पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में उच्च विभव लाइनों के खराब रख-रखाव के कारण ग्रिड में आई गड़बड़ी के बाद विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई थी;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या गत दशक में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कोई अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति नहीं की गई है;

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ज) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी; और

(झ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) हाल ही में 6 अक्तूबर, 2003 तथा 5 एवं 7 नवम्बर, 2003 को पश्चिमी क्षेत्र में आंशिक ग्रिड बाधा उत्पन्न हुई थी।

(ख) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) के अनुसार 5 नवम्बर, 2003 को ग्रिड बाधा के कारण पश्चिमी महाराष्ट्र में

विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसमें पुणे, शोलापुर, सतारा, सांगी, कोल्हापुर तथा थाने एवं रयागढ़ जिलों के कुछ भाग शामिल हैं। गुजरात की विद्युत प्रणाली लोड शेडिंग के कारण सुरक्षित रही।

(ग) ऐसी पारेषण लाइनों की पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के अत्यधिक आयात के कारण ईएचवी प्रणाली में कम वोल्टेज तथा रबी कृषि पम्पिंग लोड समेत पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक लाइन लोडिंग के कारण 5 नवम्बर, 2003 को ग्रिड बाधा उत्पन्न हुई। इस ग्रिड बाधा में पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड पांच भागों (आईलेंड्स) में बंट गया।

(घ) एमएसईबी की सूचना के अनुसार 6 अक्तूबर, 2003 को पश्चिमी महाराष्ट्र में एमएसईबी के 400 केवी के कलवा उप-केन्द्र में बस फाल्ट हो जाने के कारण आंशिक ग्रिड बाधा उत्पन्न हुई, जिससे औरंगाबाद, पुणे के कुछ भाग, नासिक, धुले, थाने, रायगढ़, सिंधूदुर्ग, सतारा, सांगली, शोलापुर एवं कोल्हापुर तथा पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड से सटे गोवा के कुछ भागों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई। किन्तु विदर्भ और मराठवाड़ा में विद्युत आपूर्ति नहीं प्रभावित हुई।

(ङ) 6 अक्तूबर, 2003 को हुई ग्रिड बाधा से जुड़े मामले पर पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड मंच पर चर्चा की गई और संबंधित प्राधिकारियों को पारेषण लाइनों की लोडिंग का विनियमन तथा उप-केन्द्र रखरखाव में सुधार जैसे सुधारकारी उपाय करने की सलाह दी गई।

5 और 7 नवम्बर, 2003 को हुई ग्रिड बाधा के उपरांत सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र के सभी संघटक राज्यों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ 12 नवम्बर, 2003 को मुंबई में एक बैठक आयोजित की और यहां पर इन राज्यों द्वारा कम बोल्टेज एवं लाइनों की ओवरलोडिंग की समस्या के हल के लिए तत्काल उठाए जाने वाले निवारक उपायों की पहचान की गई। यह सहमति हुई कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्य अपनी प्रणाली में डब्लूआरईबी द्वारा 2003-04 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार शंट केपेसिटर स्थापित करेंगे। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत प्रणाली आयोजना की स्थाई समिति पश्चिमी क्षेत्र के उप-पारेषण के संवर्द्धन/सुदृढ़ीकरण के लिए अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक उपायों की जांच कर इनकी अनुशंसा करेंगे।

(च) 1992-93 से लेकर 2002-03 तक की अवधि में राज्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं केन्द्रीय क्षेत्र (इन राज्यों में स्थित विद्युत केन्द्र) में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में क्रमश: 3600 मे.वा. एवं 4200 मे.वा. क्षमता जोड़े गए हैं।

(छ) 10वीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में निम्नलिखित विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना है:

	महाराष्ट्र	गुजरात
राज्य क्षेत्र	500 मे.वा.	431 मे.वा.
निजी क्षेत्र	1444 मे.वा.	500 मे.वा.
केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं में हिस्सा	1100 मे.वा.	945 मे.वा.
संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं में हिस्सा (सरदार सरोवर एचईपी-1450 मे.वा.)	391.5 मे.वा. (27%)	232 मे.वा. (16%)

इसके अलावा पुराने एवं अकुशल जेनरेटिंग यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार कार्य के द्वारा विद्युत उत्पादन में सुधार, पर्याप्त कोयले की आपूर्ति आदि के द्वारा मौजूदा विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय किए जा रहे हैं।

(ज) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सदस्य सचिव, डब्लूआरईबी की अध्यक्षता में 5 और 7 नवम्बर, 2003 को हुई ग्रिड बाधा के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की।

(झ) यह समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची है:-

5 और 7 नवम्बर, 2003 को ग्रिड बाधा पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड में कम बोल्टेज की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई। कम वोल्टेज की स्थिति पश्चिमी क्षेत्र द्वारा पूर्वी क्षेत्र से विद्युत की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अंतर को दूर करने तथा रबी मौसम के मद्देनजर उच्च रिएक्टिव कृषि लोड को कम करने के लिए ऐसी लिंक पर अत्यधिक विद्युत आयात करने के कारण हुई। कुछ क्षेत्रों में ईएचवी पारेषण लाइनों की अत्यधिक लोडिंग तथा प्रणाली में अपर्याप्त शंट केपेसिटर क्षतिपूर्ति, जिससे ग्रिड में रिएक्टिव विद्युत की काफी कमी हो गई, के कारण ग्रिड बाधा उत्पन्न हुई।

गेल द्वारा नेशनल गैस ग्रिड का सृजन

490. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने नेशनल गैस ग्रिड का सृजन करने के लिए खाका तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नेशनल गैस ग्रिड के कार्यान्वयन पर कितने कि.मी. क्षेत्र को कवर किए जाने का प्रस्ताव है और उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) जी, हां। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत लगभग 7900 कि.मी. लंबी गैस पाइपलाइनें बिछाने के लिए योजना तैयार की है; जो निम्नलिखित खण्डों को शामिल करेंगी:-

दहेज	–	विजयपुर
दहेज	–	हजीरा-उरण (पुणे)-दभोल
दाभोल	–	बंगलौर
बंगलौर	–	चेन्नई
काकीनाडा	–	हैदराबाद-पुणे
काकीनाडा	–	कोलकाता
हल्दिया	–	जगदीशपुर
काकीनाडा	–	चेन्नई
कोच्चि	–	कोयम्बटूर-मंगलौर
कोयम्बटूर	–	बंगलौर

[हिन्दी]

भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क

491. **श्री पदम सेन चौधरी:**
डा. अशोक पटेल:
श्री ए. ब्रह्मनैया:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में कोलकाता के रास्ते भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क स्थापित करने हेतु एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सेवा के कब तक आरंभ होने की संभावना है और इस पर व्यय की जाने वाली अनुमानित धनराशि कितनी है;

(ग) क्या इस द्विपक्षीय समझौते में अन्तर्देशीय (इनलैंड) कंटेनर डिपो स्थापित करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक परिवहन के संबंध में होने वाली बचत की धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ङ) कोलकाता के रास्ते भारत-नेपाल रेल संपर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, रक्सौल के रास्ते भारत और नेपाल के बीच मालगाड़ी सेवाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है। नेपाल सरकार द्वारा बीरगंज में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के निर्माण का वास्तविक कार्य तथा रक्सौल तथा बीरगंज के बीच रेल संपर्क कार्य पूरा हो गया है। इस संबंध में औपचारिक करार पर अभी दस्तखत नहीं किए गए हैं।

तेल प्रसंस्करण कंपनियों को कच्चे तेल की बिक्री

492. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियां, विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय दरों पर कच्चे तेल का प्रसंस्करण करने वाली कंपनियों को कच्चे तेल की बिक्री करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों को विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों पर अन्य कंपनियों को कच्चे तेल की बिक्री करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियां विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों पर कच्चे तेल की बिक्री कर भारी लाभ कमाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) के समापन से राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) के स्वदेशी कच्चे तेल के मूल्य बाजार निर्धारित हो गए हैं।

ए पी एम उपरांत ओ एन जी सी तथा ओ आई एल ने सार्वजनिक क्षेत्र शोधन कंपनियों के साथ कच्चा तेल आपूर्ति करार किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्कर कच्चा तेल की पृथक-पृथक किस्मों के लिए उपयुक्त मूल्यनिर्धारित खंड अंतर्विष्ट हैं। इन व्यवस्थाओं के तहत जहां कच्चा तेल के अधिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य एन ओ सीज को लाभान्वित करेंगे वहीं इसके कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इनके हितों के प्रतिकूल जाएंगे।

वर्ष 2002-2003 के दौरान ओ एन जी तथा ओ आई एल का करोपरांत लाभ क्रमश: 10,529.22 करोड़ रुपए तथा 916.70 करोड़ रुपए था।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का रख-रखाव

493. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर व्याप्त अस्वस्थकर स्थितियों की जानकारी है;

(ख) क्या इन स्टेशनों की स्थिति में सुधार लाने हेतु कोई औचक निरीक्षण किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त स्टेशनों पर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) नई दिल्ली, दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई के स्तर में सुधार करने और स्वास्थ्यकर स्थिति को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा अनेक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं जिनमें हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर मशीन द्वारा सफाई चालू करना, सफाई अभियान चलाना, डीलक्स प्रसाधनों का निर्माण, अधिकाधिक कूड़ेदानों की व्यवस्था, कचरे को हटाने के लिए ठेका देना, यात्रियों में साफ-सफाई आदि के बारे में जागरुकता लाने के लिए गैर-सरकारी संगठन की सेवाएं लेना शामिल है।

इसके अलावा, समय-समय पर औचक जांच भी की जाती है और 2003-04 के दौरान (अक्तूबर तक) नई दिल्ली, दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार के 25 जांचें की गई थी।

[हिन्दी]

एडवांस्ड जेट ट्रेनर विमानों की खरीद

494. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन से एडवांस्ड जेट ट्रेनर विमानों का सौदा तय करने के लिए एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त सौदे में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) उक्त विमानों को भारतीय वायु सेना में कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) एडवांस्ड जेट ट्रेनर विमानों के निर्माण में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार ने मेसर्स बी ए ई सिस्टम्स, इंग्लैंड से 24 हाक उन्नत जेट प्रशिक्षण वायुयान उड्डयनशील स्थिति में अधिप्राप्त करने का अनुमोदन दिया है और 42 का विनिर्माण हिन्दुस्तान एनोराटिक्स लि. में लाइसेंस के तहत् किया जाएगा। इस संबंध में इंग्लैंड के साथ कोई करार नहीं किया गया है।

(घ) इन वायुयानों को सप्लायर को अग्रिम की अदायगी किए जाने के बाद लगभग 35 माह में भारतीय वायु सेना में शामिल किए जाने की संभावना है।

(ङ) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि. द्वारा उन्नत जेट प्रशिक्षण वायुयानों का लाइसेंस के तहत् विनिर्माण संविदा होने की तारीख के बाद लगभग 42 माह में शुरू होने की आशा है।

[अनुवाद]

स्क्रैप की बिक्री

495. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 2003 के ''एशियन एज'' में ''नीतीश स्कल्डस जीएम्एस ओवर स्क्रैप लासेज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या रेलवे प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए के स्क्रैप की बिक्री करती है और रेलवे के अधिकारियों और स्क्रैप माफियाओं में जारी सांठ-गांठ के कारण राजकोष को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी अपने प्रतिवेदन में इस घोटाले का उल्लेख किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) रेलें प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए के स्क्रैप की बिक्री करती है। स्क्रैप की बिक्री के क्षेत्र में नियमित जांचें की जाती हैं तथा जहां कहीं अनियमितताएं पायी जाती हैं, उपयुक्त निवारक उपाय किए जाते हैं। रेलवे पदाधिकारियों तथा स्क्रैप माफिया के बीच सांठगांठ की ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आई है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष की बड़ी हानि हुई हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आई.ओ.सी.एल और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का विनिवेश

496. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के विनिवेश को संभावनाओं का पता लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रिमंडल ने उनके मंत्रालय से आई ओ सी एल के विनिवेश के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने आई ओ सी एल के विनिवेश के संबंध से संबंधित अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(च) क्या आई ओ सी एल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विनिवेश का व्यापक विरोध किया था;

(छ) क्या उनके मंत्रालय ने देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश का विरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है अथवा लिया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) एचपीसीएल तथा बीपीसीएल के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16 सितंबर, 2003 के निर्णय पर विचार करते हुए सरकार ने निम्नांकित तीन विकल्पों पर साथ-साथ आगे कार्यवाही करने का निर्णय लिया है:-

(1) उपयुक्त विधिक उपचार मांगने के लिए

(2) सर्वसम्मति बनाकर उपयुक्त विधान अधिनियमित करने के लिए, तथा

(3) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के विपणन संभाग का विनिवेश करने के कार्यकारी विकल्प का पता लगाने के लिए।

विकल्प (3) अब तक विचार की प्रारंभिक अवस्था में है तथा सरकार को अभी इस विकल्प अथवा इसकी रूपात्मकताओं के संबंध में किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचना है।

(च) जी, हां।

(छ) और (ज) सरकार आर्थिक सुधारों, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश सम्मिलित है, को जारी रखने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

देवघर में मिलों का पुनरुद्धार

497. श्री प्रदीप यादव: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कई वर्षों से झारखंड राज्य के देवधर जिले में नसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां और चार रोलिंग मिल बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन इकाइयों और रोलिंग मिलों का पुनरुद्धार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

घटनाओं को प्रसारण में शामिल करने में दूरदर्शन की असफलता

498. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन हाल में मुम्बई में हुए दोहरे बम विस्फोट के समाचार के प्रसारण एवं उसकी खबर देने में पीछे रहा और इसने इस घटना का प्रसारण अन्य चैनलों द्वारा समाचार प्रसारित करने के बाद किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने घटना को सम्मिलित करने में दूरदर्शन की असफलता की कोई जांच की है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विस्फोट के समाचार पहले ही प्रसारित कर दिए गए थे। चूंकि, समाचार के दृश्य देर से पहुंचे थे इसलिए दूरदर्शन को मुख्य समाचार प्रसारित होने के बाद ही उन्हें दिखाना पड़ा था। उन्होंने सूचित किया कि मुम्बई में क्षेत्रीय समाचार एकक के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है और इस प्रकार की देरी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया कि 24 घंटे डी.डी. समाचार चैनल को शुरू होने से समाचार प्रसारण में देरी कम हो जाएगी।

[हिन्दी]

लखनऊ-हावड़ा रेल मार्ग का विद्युतीकरण और दोहरीकरण

499. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लखनऊ-हावड़ा रेल मार्ग के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त परियोजना को तेजी से पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) लखनऊ से उतरतिया और जाफराबाद से हावड़ा के बीच दोहरीलाइन पहले से ही मौजूद है। उतरतिया और जाफराबाद खंड के बीच कहीं-कहीं दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है। इस समय, उतरतिया-चंदरौली, बंधुआ कलां-सुल्तानपुर तथा श्रीकृष्णनगर-जाफराबाद खंडों के बीच कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

जहां तक विद्युतीकरण का संबंध है, हावड़ा से मुगलसराय के बीच रेल लाइन का पहले से विद्युतीकरण किया जा चुका है। मुगलसराय-जाफराबाद खंड के विद्युतीकरण का कार्य रेल बजट 1999-2000 में मुगलसराय-लखनऊ परियोजना के चरण-1 के रूप में शामिल किया गया था, बशर्ते कि इस कार्य संबंधी प्रक्रियाओं के लिए स्वीकृति मिल जाए। प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिली है।

(ख) से (ङ) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण, स्वामित्व, स्थानांतरण (बीओटी) के अंतर्गत उतरतिया-चंदरौली तथा सुल्तानपुर बंधुआ कलां खंडों पर आंशिक कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति सूची में बढ़ई एवं लोहार समुदाय को सम्मिलित करना

500. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के संसद सदस्यों और हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के सदस्यों ने राज्य के नए क्षेत्रों में बसे बढ़ई (कारपेंटर-तरखान) एवं लोहार समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु और इनसे संबंधित विद्यमान विसंगतियों को दूर करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में जैसाकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश की गई तरखान (बढ़ई तथा लोहार समुदाय नहीं) को शामिल करने का प्रस्ताव भारत के महापंजीयक को भेजा गया है। भारत के महापंजीयक से अभिमत प्राप्त होने के बाद अनुमोदित तौर-तरीकों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि प्रस्ताव पर अनेक एजेन्सियों से परामर्श करना अपेक्षित होता है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(2) को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों की वर्तमान सूची में कोई संशोधन संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है, इसलिए इस मामले पर अंतिम निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

प्रक्षेपास्त्र भण्डार

501. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय माल सूची में सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों की सेल्फ-लाइफ लगभग 15 वर्षों की है;

(ख) यदि हां, तो 15 वर्ष से अधिक पुराने प्रक्षेपास्त्र भंडार की मात्रा कितनी है;

(ग) इसको हटाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी तीनों सेनाओं में प्रक्षेपास्त्रों के पुराने भंडार को फिर से नया रूप देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) प्रक्षेपास्त्रों की भारतीय सामान सूची की भंडारण अवधि 6 से 21 वर्ष के बीच है।

(ख) और (ग) सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों का प्रतिस्थापन एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस संबंध में और अधिक जानकारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

(घ) तीनों सेनाओं में पुराने प्रक्षेपास्त्रों का नवीकरण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

एनटीपीसी द्वारा एलएनजी आपूर्ति संविदा हेतु बोली में संशोधन

502. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने कवास गंधार केन्द्रों हेतु तीन मिलियन टन एलएनजी आपूर्ति संविदा के लिए बोली की शर्तों में बड़े संशोधन किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ये संशोधन एनटीपीसी द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक बोली की 17 वर्ष की स्थायी संविदा के लिए खोलने के बाद किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सतर्कता विभाग द्वारा कोई अनियमितता पाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने कवास गंधार स्टेशनों के लिए पात्र बोलीदाताओं को प्रस्ताव दस्तावेज संबंधी अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है। इसके लिए बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व सम्मेलन में परामर्श की रूप रेखा तैयार की गई, जो 15 वे 16 मई, 2003 को आयोजित हुआ। बोली पूर्व परामर्श में बातचीत के आधार आरएफपी की समीक्षा की गई और आरएफपी की कतिपय धाराओं/अनुच्छेदों में संशोधन सभी बोलीदाताओं को जारी किए गए। इसके ब्यौरे और कारण संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विवरण

1. मूल्य मुद्रा

आरएफपी दस्तावेजों के अनुसार, सेवाओं हेतु बोलीकर्त्ताओं और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु बोलीकर्त्ताओं को केवल आईएनआर में भाव बताने की अनुमति है।

संशोधन के अनुसार, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और सेवाएं प्रदान करने हेतु बोलीकर्त्ताओं को अपनी इच्छा से अमरीकी डालर या आईएनआर अथवा अमरीकी डालर और आईएनआर के मिश्रित रूप में भाव बताने की अनुमति है।

2. मूल्य समायोजन

आरएफपी दस्तावेजों के अनुसार, मूल्यों को बिना किसी मूल्य समायोजन के दृढ़ मूल्य आधार पर बताया जाना अपेक्षित है।

संशोधन के अनुसार, प्रचालन लागत के मूल्य में उतार-चढ़ाव हेतु बोलीकर्त्ताओं को मुआवजा देने के लिए संविदा मूल्य के 15% तक मूल्य समायोजन की अनुमति देते हुए एक खंड प्रवर्तित किया गया है।

3. वित्तीय मूल्यांकन

आरएफपी दस्तावेजों के अनुसार, वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन एनपीवी आधार पर किया जाना है। संशोधन के अनुसार, चयन हेतु मापदण्ड वित्तीय प्रस्ताव के खुलने की तारीख पर आरएलएनजी और प्राकृतिक गैस मार्ग में ईंधन आपूर्ति विकल्प का सबसे कम प्रदान किया गया मूल्य होगा।

4. विकास गारंटी (डीजी)

आरएफपी दस्तावेजों के अनुसार, चयनित बोलीकर्त्ता से ईंधन आपूर्ति के आरंभ तक की वैधता के साथ 20 मिलियन यूएस डालर की कीमत की एक विकास गारंटी (डीजी) देने की अपेक्षा है।

संशोधन के अनुसार, डीजी मूल्य एलएनजी/एनजी आपूर्ति के लिए 4 मिलियन यूएस (अमरीकी) डालर अथवा आईएनआर 200 मिलियन का होगा (1 मिलियन यूएस डालर अथवा आईएनआर 50 मिलियन, सेवाएं प्रदान करने के लिए) और डीजी की वैद्यता, सीपी सेटिस्फैक्शन तारीख और 30 दिनों तक की होगी।

5. प्रावधानों से पूर्व शर्तें

आरएफपी दस्तावेजों के अनुसार डीजी की नकद प्राप्ति संतुष्टि पूर्व शर्त के साथ संबद्ध थी। बोलीकर्त्ताओं ने इसे एक जोखिम समझा है। प्रावधानों का पुनर्वलोकन किया गया था और निम्नलिखित सिद्धांतों पर संशोधन किए गए:-

* एनटीपीसी द्वारा अपनी पूर्व शर्तों को हटाने का एकतरफा अधिकार समाप्त कर दिया गया है।
* केवल एनटीपीसी द्वारा सीपी के संतुष्ट होने की स्थिति में विकास गारंटी की नकद प्राप्ति का अधिकार।

6. प्रथम वर्ष में टेक या पे

आरएफपी दस्तावेज में आपूर्ति के प्रथम वर्ष (अर्थात् बिल्प अप अवधि) में किसी टेक या पे प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। बहुत से बोलीकर्त्ताओं ने प्रथम वर्ष में टीओपी प्रदान करने के लिए एनटीपीसी से अनुरोध किया है और तदनुसार उसे सम्मिलित करने के लिए टीओपी के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

7. अति अनुमोदित ग्राहक

आरएफपी दस्तावेज के अनुसार विक्रेता/विकासकर्त्ता को मूल्य और अनुरूप शर्तें देने की अपेक्षा की जाती है जो अन्य ठेकाकृत उपभोक्ताओं से सहमत थी यदि वह ठेका मूल्य एनटीपीसी से सहमत मूल्य से कम होगा।

प्रावधान का "भारत के ग्राहको" तक सीमित करने के लिए संशोधन किया गया है।

8. ब्याज दर

मौजूदा बोली दस्तावेजों में भुगतान में किये गये विलंब के लिए ब्याज दर एलआईबीओआर के अनुसार दर्शाया गया है।

ठेका मूल्य के मामले में एलआईबीआर +1% यूएस डालर में होने के कारण भुगतान में किये गये विलंब के लिए ब्याज दर को संशोधित किया गया है।

9. समापन

(1) बोली दस्तावेज के अनुसार एनपीटीसी को करार समाप्त करने का अधिकार होगा, यदि इसके प्रचालन में किसी भी समय खरीददार लगातार 3 महीनों की अवधि के लिए एलएनजी की कुल खरीद न कर पाए, बशर्ते कि जहां पर खरीददार फोर्स मैजूअर के कारण एलएनजी की कुल खरीद के लिए सक्षम न हो।

संशोधन के अनुसार, यह प्रावधान समाप्त हो गया है। तथापि, एलएनजी की सतत कुल खरीद न होने के

मामले में एनटीपीसी का टीओपी दायित्व सीमित करने के लिए धारा में उपयुक्त संशोधन किया गया है।

(2) मौजूदा बोली दस्तावेज के अनुसार, एनटीपीसी द्वारा भुगतान न करने के मामले में, बोलीदाताओं को डिलिवरी स्थगित करने का अधिकार होगा, फिर भी बोली दाताओं को करार समाप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

करार समाप्त करने हेतु अनुमति देने के लिए इस अनुच्छेद में उपयुक्त संशोधन किये गये हैं।

10. एलएनजी शिप्स

आरएफपी दस्तावेज के अनुसार एलएनजी की ढुलाई के लिए जहाज इंडियन फ्लैग शिप होना चाहिए। बोलीदाताओं ने उपर्युक्त प्रावधान के अनुबंध को कठिन महसूस किया है। जहाज रानी मंत्रालय की स्वीकृति पर आधारित, यह स्पष्ट करते हुए दस्तावेज संशोधित किये गये हैं कि एलएनजी टैंकर, जो इंडियन फ्लैग वेसेल्स नहीं होंगे तो भारत में टनेज टैक्स आरंभ होने के बाद उन्हें इंडियन फ्लैग वेसेल्स बनाया जाएगा।

[हिन्दी]

कैमूर में पंप भंडारण परियोजना

503. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कैमूर में 2580 मेगावाट पनविद्युत उत्पादित करने हेतु पंप भंडारण परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एनएचपीसी द्वारा करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार में विद्युत उत्पादन की कमी के मद्देनजर इस परियोजना को तत्काल कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) से (ग) बिहार स्टेट हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने 2570 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए पम्प स्टोरेज योजनाओं के रूप में बिहार के कैमूर जिले में चार जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात् तिलहार कुण्ड (4 × 100 मे.वा.) सिनाफदार (3 × 115 मे.वा.), पंचगोटिया (3 × 75 मे.वा.) और हथियादह-दुर्गावती (8 × 200 मे.वा.) के कार्यान्वयन हेतु नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड से अनुरोध किया है। बीएचपीसी ने स्वामित्व को अपने अधिकार ने रखते हुए एनएचपीसी को इन संयंत्रों के हस्तानान्तरण करने का प्रस्ताव रखा है। एनएचपीसी ने बीएचपीसी को सूचित किया है कि चूंकि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियां एनएचपीसी द्वारा व्यवस्थित की जानी हैं इसलिए इन परियोजनाओं को स्वामित्व आधार पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए, दूसरी और एनएचपीसी अग्रिम में अपने पास उपयोग हेतु निधियों की व्यवस्था के साथ जमा कार्यों के रूप में इन परियोजनाओं का निष्पादन कर सकती है।

(घ) उपरोक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन विस्तृत सर्वेक्षण और जांच कार्य करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और परियोजनाओं की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

रव्वा तेल एवं गैस क्षेत्रों द्वारा लाभ प्रीमियम

504. श्री जे.एस. बराड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रव्वा तेल एवं गैस की हिस्सेदारी रखने वाला संघ (कन्सार्टियम) सरकार को समझौते की शर्तों के अनुरूप लाभ प्रीमियम का भुगतान नहीं करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देय बकायों की वसूली करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) राव्वा परिसंघ ने आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), कैरन एनर्जी इंडिया प्रा. लि. (सीईआईएल), वीडियोकान पेट्रोलियम लिमिटेड (वीपीएल) और राव्वा आयल (सिंगापुर) प्रा. लि. (आरओएस) शामिल हैं। वीपीएल के अतिरिक्त सभी परिसंघ भागीदार उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अपने निर्वचन के अनुसार परिकलित लाभ पेट्रोलियम का भुगतान कर रहे थे। चूंकि हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा पीएससी के प्रावधानों के निर्वचन के अनुसार संदेय लाभ पेट्रोलियम की राशि अधिक है इसलिए लाभ पेट्रोलियम की परिगणनाओं की विधि पर विवाद पंचाटों की विषय वस्तु हैं। जहां तक वीपीएल द्वारा भुगतान का संबंध है,

सरकार अपने नामितियों हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) और बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (बीआरपीएल) के जरिए जून, 1993 में एकमुश्त भुगतान के रूप में 15 मिलियन अमेरीकी डालर और जून, 2003 से सितंबर, 2003 तक 6 मिलियन अमेरीकी डालर प्रतिमास वसूल किए हैं। इसके बाद सितंबर, 2003 के पंचाट निर्णय के आधार पर अक्तूबर, 2003 से मई, 2004 तक 8 मिलियन अमेरीकी डालर की वर्धित दर पर वसूली की जा रही है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

505. श्री शिवाजी माने: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के मामलों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब्त किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मात्रा कितनी है और दर्ज किए गए मामलों और पकड़े गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) देश में मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) विगत दो वर्षों तथा अप्रैल-सितंबर, 2003 के दौरान देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पता चले एम एस/एचएसडी की मिलावट के मामलों की संख्या निम्नवत हैं:

वर्ष	पता चले मिलावट के मामलों की संख्या
2001-2002	301
2002-2003	303
अप्रैल-सितंबर, 2003	109

मिलावट के सभी मामलों में गलती करने वाले डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) तथा/अथवा डीलरशिप करार एवं एम एस/एच एस डी नियंत्रण आदेश के अनुसार की जाती है। भूमिगत टैंकों में मिलावट किए गए उत्पादों को अलग किया जाता है तथा डीलर की लागत पर ऐसे उत्पादों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुन:संभावित करने के लिए निकटतम रिफाइनरी स्थापना में भेजा जाता है।

(घ) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना के अलावा, संबंधित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वाले मिट्टी तेल को नीला रंग देने, खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित/ओचक निरीक्षण, टैंकर-ट्रकों के लिए टेम्पर प्रूफ लाकिंग सिस्टम की शुरूआत, विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों को और अधिक सख्त बनाते हुए इनका संशोधन, विशेष सतर्कता अभियान इत्यादि जैसे कदम उठाए जाते हैं। गलती करने वाले डीलरों के विरुद्ध ओएमसीज द्वारा कार्यवाही एमडीजी के प्रावधानों तथा/अथवा डीलरशिप करार के अनुसार की जारी है। राज्य सरकारें भी पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए किसी नियंत्रण आदेश के अतिक्रमण में संलिप्त होने वाले किसी डीलर के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करती हैं।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा क्षमता की पहचान

506. श्री परसुराम माझी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा क्षमता की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और विशेषकर तटीय राज्य उड़ीसा से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और अन्य तटीय राज्यों की पवन ऊर्जा क्षमता के दोहन हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सहित 10 राज्यों में सकल पवन विद्युत संभाव्यता 45,195 मेवा. आंकी गई है। तकनीकी संभाव्यता, जो ग्रिड क्षमता द्वारा सीमित है, फिलहाल लगभग 13,390 मेवा. आंकी गई है। उड़ीसा में सकल संभाव्यता लगभग 1700 मेवा. आंकी गई है और तकनीकी संभाव्यता 780 मेवा. तक सीमित है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति मेवा. 2.1 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा सहित अतिरिक्त

पुर्जों और स्थापना कमीशनिंग सहित पवन विद्युत जनरेटरों की लागत के 60% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी विकासकर्त्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं को त्वरित मूल्यांकन, कुछ संघटकों पर रियायती सीमा शुल्क, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था से आवधिक ऋण, उत्पाद शुल्क में छूट आदि जैसे राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2003 के मध्य आंध्र प्रदेश (4.5 मेवा.), गुजरात (6.2 मेवा.), कर्नाटक (90 मेवा.), महाराष्ट्र (322 मेवा.) और तमिलनाडु (219.6 मेवा.) सहित देश में 702 मेवा. की पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है। इस अवधि के दौरान उड़ीसा में कोई पवन विद्युत परियोजना शुरू नहीं की गई है।

विवरण

सकल एवं तकनीकी पवन विद्युत संभाव्यता

क्र.सं.	राज्य	सकल संभाव्यता (मेवा.)	तकनीकी संभाव्यता (मेवा.)
1.	आंध्र प्रदेश	8275	1920
2.	गुजरात	9675	1780
3.	कर्नाटक	6620	1180
4.	केरल	875	605
5.	मध्य प्रदेश	5500	845
6.	महाराष्ट्र	3650	3040
7.	उड़ीसा	1700	780
8.	राजस्थान	5400	910
9.	तमिलनाडु	3050	1880
10.	पश्चिम बंगाल	450	450
	कुल	45195	13390

खुर्दा रोड-बोलांगीर रेल मार्ग हेतु भूमि का अधिग्रहण

507. श्री के.पी. सिंहदेव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा में प्रस्तावित खुर्दा रोड-बोलांगीर रेल मार्ग हेतु भूमि का अधिग्रहण करने हेतु कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) भूमि अधिग्रहण की दिशा में कितनी प्रगति है; और

(घ) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के कब तक पूरी होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और 393 गांवों में से 68 गांवों के लिए कागजात राज्य सरकार को भिजवा दिए गए हैं। अब तक राज्य सरकार द्वारा 26 गांवों में भूमि का कब्जा दे दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को अब तक 9.65 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इस मामले का लगातार अनुसरण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण का वास्तविक समय राज्य सरकार और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भारतीय गैस-प्राधिकरण लिमिटेड की पाईपलाइन परियोजना

508. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में गैस के संचरण हेतु कई पाईप लाइन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की कितनी विद्यमान परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ग) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को ऐसी कई परियोजनाओं की लागत में बढ़ोत्तरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और

(ङ) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) निम्नलिखित बड़ी गैस पाईपलाइन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है:-

- दहेज-विजयपुर पाइपलाइन
- दहेज-हजीरा-उरण पाइपलाइन

- चैंसा-गुड़गांव पाइपलाइन
- ब्ल्यू स्काई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना
- बरेली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन
- दक्षिण गुजरात पाइपलाइन
- थुलेंडी-इफको फूलपुर पाइपलाइन (एचबीजे-III)
- दादरी-आईओसी पानीपत पाइपलाइन (एचबीजे-III)
- छोटे उपभोक्ताओं के लिए कावेरी बेसिन पाइपलाइन

(ग) जी, नहीं। गेल की ऐसी कोई क्रियान्वयनाधीन परियोजना नहीं है जिसकी लागत में बढ़ोत्तरी हुई है।

(घ) विजाग-सिकन्दराबाद पाइपलाइन 31.8.2003 को चालू होनी थी, किन्तु एलपीजी की अनुपलब्धता के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका। पाइपलाइन 22.6.2003 को यांत्रिक रूप से पूरी हो गई थी। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से एलपीजी की प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर लाइन को चालू कर दिया जाएगा।

(ङ) गेल की सभी पाइपलाइन परियोजनाएं अनुमोदित लागत और निर्धारित समय के अन्दर क्रियान्वित की जा रही हैं।

साखलिन तेल क्षेत्र हेतु पाईपलाइन परियोजना

509. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ एन जी सी विदेश ने साखलिन तेल क्षेत्र परियोजना हेतु 700 किलोमीटर लंबी पाईपलाइन परियोजना को मंजूरी देन हेतु सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुदूर-देशों में भारतीय सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम की अत्यधिक संलिप्तता की सीमा का अध्ययन करने के लिए कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ओ एन जी सी विदेश को केवल साखलिन में तेल उत्पादन तक सीमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ओ.एन.जी.सी. द्वारा सुदूर देशों में गैर-तेल उत्पादन क्रियाकलापों को संचालित करने की आवश्यकता का अध्ययन करने हेतु प्रस्तावित कदम क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत हाइड्रोकार्बन झलक-2025 (आईएचवी-2025) ने समांशता तेल के बड़े स्रोत वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें ईरान, इराक, उत्तरी अफ्रीका तथा रूस सम्मिलित हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), जो आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, विदेश में आईएचवी-2025 के अनुसार अवसरों की खोज करती रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्रों में पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना

510. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र में कुछ पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं, जहां इन पनबिजली परियोजनाओं का गठन किया जा रहा है;

(ग) इनमें से प्रत्येक पनबिजली परियोजना की स्थापना क्षमता कितनी है; और

(घ) इन पनबिजली परियोजनाओं का किन निबंधन एवं शर्तों के साथ निजी क्षेत्र को सौंपा गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्राइवेट सेक्टर जल विद्युत परियोजनाएं, जिनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है, के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्थापित क्षमता (मे.वा.)	तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की तारीख	तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के अनुसार अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
क. परियोजनाएं, जिनको 10वीं योजना में लाभ देने की संभावना है					
1.	बसपा-II	हिमाचल प्रदेश	300	29.04.94	949.23
2.	धमवारी सुन्डा	हिमाचल प्रदेश	70	06.07.01	439.96
3.	विष्णु प्रयाग	उत्तरांचल	400	30.06.97	1614.66
4.	महेश्वर	मध्य प्रदेश	400	30.12.96	1673
ख. परियोजनाएं, जो 10वीं योजना के बाद लाभ देंगी					
1.	एलन दुहंगन	हिमाचल प्रदेश	192	20.08.02	922.35
2.	श्रीनगर	उत्तरांचल	330	14.08.00	1699.12
3.	करचम वागचू	हिमाचल प्रदेश	1000	31.03.03	5909.59

उपर्युक्त परियोजनाओं की विद्युत विक्रय से संबंधित निबंधन और शर्तें सीधे संबंधित परियोजना विकासकर्त्ताओं और राज्य सरकार/ राज्य के स्वामित्व की यूटिलिटी के बीच हुए विद्युत खरीद करार (पावर परचेज ऐग्रिमेंट) और कार्यान्वयन करार (इम्प्लीमेंटेसन एग्रिमेंट) आदि में बताई गई हैं।

[हिन्दी]

मुजफ्फरपुर जिले को विद्युत उपलब्ध कराना

511. श्री अमीर आलम:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के सभी गांवों एवं विशेषकर मुजफ्फरपुर जिले के सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराई गई है और अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा बिहार एवं मुजफ्फरपुर के सभी गांवों में विद्युत उपलब्ध कराने हेतु क्या योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) इन योजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) और (ख) जी, नहीं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले में 1790 बसे हुए गांवों की कुल संख्या में से नौवीं योजना अवधि के अंत तक 941 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ग) और (घ) बिहार ने 2007 तक मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी गांवों को विद्युत प्रदान किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

एम.एस.ई.बी. की विद्युत आवश्यकता और उपलब्धता

512. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल विद्युत परियोजना के चरण-II (1444 मेगावाट) की शुरूआत से ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की अतिरिक्त विद्युत को खपाने की अक्षमता के कारण अतिरिक्त विद्युत की समस्या के बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 2003 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की विभिन्न स्रोतों से विद्युत आवश्यकता और उपलब्धता कितनी है और इसके पास कितनी अतिरिक्त विद्युत है;

(ग) अतिरिक्त विद्युत उपयोगिता के लिए तैयार की गई योजना यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्युत खरीद समझौते के संशोधित करने की कोई मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) और (ख) अप्रैल-अक्तूबर, 2003 के दौरान महाराष्ट्र की विद्युत आपूर्ति स्थिति निम्नानुसार थी:

ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततकालीन (मे.वा.)	
जरूरत	48845	व्यस्ततकालीन मांग	13612
उपलब्धता	44559	व्यस्ततकालीन मांग की आपूर्ति	11078
कमी	4286	कमी	2534
%	8.8	%	18.6

इस प्रकार मौजूदा समय महाराष्ट्र रा.वि. बोर्ड (एमएसईबी) के पास सरप्लस विद्युत नहीं है। चूंकि महाराष्ट्र की व्यस्ततकालीन कमी डाभोल विद्युत परियोजना फेज-II (1444 मे.वा.) से अधिक है अतएव एमएसईबी इस परियोजना की विद्युत का आमेलन कर सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस समय बिजली सरप्लस नहीं है।

(घ) और (ङ) मई, 2001 में डाभोल पावर प्रोजेक्ट की बंदी के पश्चात्, एमएसईबी तथा मेसर्स डाभोल पावर कंपनी के बीच अनुबंधात्मक विवादों के कारण विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के नेतृत्व में भारतीय वित्तीय संस्थाओं और महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना को पुनर्जीवित करने के कई प्रयास किए गए हैं। नवीनतम पहल के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा एक अनौपचारिक सलाहकार समिति (आईएसी) का गठन किया गया है ताकि परियोजना को पुनर्गठित व पुनर्जीवित करने के लिए कार्यनीति तैयार की जा सके। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि समिति ने संबंधित स्टेक होल्डरों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है। विद्युत क्रय करार में संशोधन संबंधी कोई निर्णय, यदि हो, संबंधिक स्टेक होल्डरों द्वारा लिया जाएगा।

[हिन्दी]

आई.ओ.सी.एल. द्वारा अमरीका से ऋण

513. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने बैंक आफ अमेरिका से ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का ऋण लिया जाएगा और इस धनराशि का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा; और

(ग) इस ऋण का पुनर्भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के वित्तपोषण के लिए बैंक आफ अमरीका से 100 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लेने की योजना बना रही है। यह अल्पकालिक ऋण होगा जिसे आहरण की तारीख से नौ महीने के भीतर वापस भुगतान करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात-निर्यात

514. श्री मानसिंह पटेल:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने विश्व बाजार में बढ़े हुए तेल मूल्यों का लाभ प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में हाल में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों की वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई दरों से कितनी अतिरिक्त निर्यात धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अप्रैल, 2002 से सितंबर, 2002 तक के दौरान 5,409 टीएमटी की तुलना में अप्रैल, 2003 से सितंबर, 2003 तक की अवधि के दौरान 7,118 टीएमटी है।

(ख) पेट्रोलियम क्षेत्र को 01 अप्रैल, 2002 से प्रभावी मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन से पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं। तेल कंपनियां अब इन उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखने के पश्चात् नियत कर रही हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में उतार-चढ़ावों का पेट्रोल तथा डीजल के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात द्वारा आमदनी अप्रैल, 2002 से सितंबर, 2002 तक के दौरान 5,084 करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल, 2003 से सितंबर, 2003 तक की अवधि के दौरान 7,638 करोड़ रुपए है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर उपगत धनराशि नीचे दी गई है:-

वर्ष		रुपए (करोड़)
2000-01	–	12,093
2001-02	–	7,249
2002-03	–	8,847

स्काई बस सर्विस

515. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के किसी भी भाग में यातायात की सफलता के रूप में स्काई बस प्रचलन में नहीं है;

(ख) यदि रेलवे गोवा में स्काई बस सर्विस आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गोवा जैसे पर्यटक राज्यों में ऐसी सेवाओं की व्यवहार्यता और यात्री लाभ क्या है; और

(घ) अन्य किन-किन शहरों में ऐसी सेवा शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। प्रौद्योगिकी को प्रमाणित करने के लिए अभी प्रयोग किए जाने हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक बार यदि प्रौद्योगिकी सिद्ध हो जाती है और प्रमाणित कर दी जाती है तो भारत के 15 शहरों और विदेश के 7 शहरों ने इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि. को अपनी रुचि जाहिर की है।

आंध्र प्रदेश के पवन ऊर्जा सम्भाव्य स्थल

516. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए तीस सम्भाव्य स्थलों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा राज्य में इन स्थलों की सम्भाव्यता के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य में 50 मी. की ऊंचाई पर 200 डब्ल्यू/एम^2 से अधिक वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व वाले 31 स्थलों की पहचान की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आंध्र प्रदेश में अब तक 92.6 मेवा. की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। राज्य में 6 मेवा. की अतिरिक्त पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

सरकार, प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रति मेवा. 2.1 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के साथ अतिरिक्त पुर्जे और स्थापना कमीशनिंग सहित पवन विद्युत जेनरेटरों की लागत के 60% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित मूल्यह्रास, कुछ मदों के आयात पर रियायती शुल्क, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से आवधिक ऋण आदि जैसे राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं।

राज्य सरकार पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है, जैसे परियोजना लागत के 20% तक पूंजीगत सब्सिडी, जो 25 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है, 20 मेवा. पवन फार्मों की अधिकतम क्षमता के लिए प्राथमिकता आधार पर भूमि आबंटन, वर्ष 1994-95 को आधार मानकर वर्ष 2004 तक प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि के साथ 1.4.1994 को 2.25 रु. प्रति यूनिट पर ऊर्जा का क्रय, 2% पर व्हीलिंग, ऊर्जा बैंक के 2% शुल्क पर 12 महीनों के लिए बैंकिंग, 10 लाख रु. प्रति मेवा. की प्रभार वसूली द्वारा विद्युत निकासी की सुविधाओं का सृजन और आंध्र प्रदेश की अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा तकनीकी परामर्श।

विवरण

आंध्र प्रदेश में 50 मीटर की ऊंचाई पर 200 वाट प्रति वर्गमीटर से अधिक के वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व वाले स्थल

क्र. सं.	केन्द्र	उत्तर अक्षांश		पूर्व देशांतर		ऊंचाई एम.ए.एस.एल.	वार्षिक औसत वार्षिक पवन गति (केएमपीएच)	वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व डब्ल्यू/एम²	
		डिग्री	न्यूनतम	डिग्री	न्यूनतम		20/25 मी. पर मापा गया	20/25 मी. पर मापा गया	50 मी. पर एक्सट्रापोलेट किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अलयंगरपेट्टा*	14	48	77	47	360	20.76	244	272
2.	भद्रमपल्ली कोट्टाला*	14	55	77	24	440	21.30	248	277
3.	भिमुनीपटनम	17	54	83	27	100	19.10	195	282
4.	बंदरापल्ली*	15	1	78	4	438	20.79	240	320
5.	बोरमपल्ली*	14	30	77	9	550	19.40	163	219
6.	बुरुगुला*	15	8	77	57	540	18.40	147	216
7.	चित्राबेबियापल्ली*	13	57	77	37	750	18.50	132	206
8.	जमालमाडुगु I*	14	49	78	23	195	17.50	161	265
9.	जमालमाडुगु II*	14	46	78	22	220	18.60	165	248
10.	कडवाकल्लू*	14	48	77	56	840	22.10	303	325
11.	काकुलाकोंडा	13	43	79	21	981	23.10	332	541
12.	कोडामिथीपल्ली*	15	3	78	3	440	21.22	252	349
13.	कोडुमरु*	15	43	77	45	410	20.83	225	270
14.	कोराकोडू*	14	46	77	15	460	18.67	146	220
15.	मडुगुपल्ली*	14	42	77	51	440	18.70	152	266
16.	एमपीआर डेम	14	54	77	25	450	19.90	228	269
17.	मस्तीकोवना	14	15	77	32	600	20.20	201	237
18.	नल्लाकोंडा*	14	7	77	34	757	22.80	276	324
19.	नरसिम्हाकोंडा	14	30	79	52	100	20.10	186	403
20.	नजीराबाद*	17	11	77	55	664	21.00	176	232
21.	पम्पानूर थान्डा*	14	38	77	24	490	19.60	182	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	पायलकुंटल	14	53	79	2	340	20.10	230	257
23.	रामगिरी-I	14	17	77	31	667	19.50	205	308
24.	रामगिरी-III	14	22	77	32	550	19.40	190	246
25.	सिंहनामला	14	46	77	44	469	23.80	366	392
26.	तल्लीमाडिगुला*	14	22	77	32	540	22.20	260	288
27.	तलारिचीरुबू*	14	57	78	3	360	18.11	144	298
28.	तिरूमला	13	40	79	22	880	20.40	226	374
29.	तिरूमल्वापल्ली	14	54	78	11	451	19.00	154	285
30.	उलिन्डाकोंडा*	15	38	77	59	430	17.54	130	225
31.	वैराकरूर	14	58	77	19	507	19.46	173	243

[हिन्दी]

ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ आई.ओ.सी.एल. का समझौता

517. श्री तूफानी सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने सीरिया से तेल खरीदने हेतु ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने तेल खरीदने हेतु ब्रूनई की कुछ निजी फर्मों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त दो निजी कंपनियों से तेल की खरीद पर अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ेगी; और

(च) यदि हां, तो सरकारी कंपनियों को बजाय निजी कंपनियों से तेल खरीदने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (च) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने 2003-04 के दौरान कच्चे तेल की खरीद के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। आर ओ सी एल ने मैसर्स ब्रूनी शैल पेट्रोलियम कंपनी (बीएसपी) के साथ सरकारी बिक्री मूल्य पर जुलाई से दिसंबर, 2003 के अवधि के लिए 0.25 एमएमटी सीरिया हल्के कच्चे तेल की खरीद के लिए करार किया है जो कि ब्रूनी सरकार और शयल डच/शैल के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम (जेवी) है। सीरिया हल्के कच्चे तेल का सरकारी बिक्री मूल्य ब्रूनी सरकार द्वारा मास दर मास आधार पर अनुमोदित किया जाता है जो कि सभी उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से लागू है। अत: बीएसपी से कच्चे तेल की खरीद के लिए कोई अधिक राशि खर्च नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रूनी के मामले में बीएसपी पर सीरिया हल्के कच्चे तेल की बिक्री करने के लिए एकमात्र अधिकृत इकाई है और उसकी बिक्री ब्रूनी सरकार द्वारा नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

पट्टे पर दी गई रक्षा भूमि

518. श्री रघुनाथ झा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई सोसाइटियों, संगठनों आदि को पट्टे पर रक्षा भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन व्यक्तियों, संगठनों, तथा सोसाइटियों को रक्षा भूमि आवंटित की गई है और तत्संबंधी दर, उद्देश्य और अवधि क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सशस्त्र सेनाएं सैंकड़ों वर्षों से काफी बड़े भूभाग का अधिभोग करती रही हैं। तभी से, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रयोजनों अर्थात् सामाजिक, धार्मिक, खेल-कूद और जन-उपयोग सेवाओं जैसे सड़कों का निर्माण, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और कृषि आदि के लिए राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पंजीकृत सोसाइटियों, कल्याणकारी संगठनों, क्लबों, निजी पार्टियों जैसे विभिन्न संगठनों को कुछ भूमि पट्टे पर दी गई है। इन सभी मामलों में, पट्टे के उद्देश्य तथा उन संगठनों/सोसाइटियों के स्वरूप के आधार पर पट्टे की अवधि तथा किराया निर्धारित किया जाता है, जिन्हें भूमि पट्टे पर दी जाती है। जिस संगठन तथा जिस प्रयोजन के लिए पट्टा दिया जाता है, उसके आधार पर पट्टा 5 वर्ष से लेकर सतत् काल तक अलग-अलग अवधि का होता है।

रक्षा भूमि छावनियों और सैन्य स्टेशनों में निजी पार्टियों को आवंटित की जाती है। यह सूचना किसी भी एक से संबंधित नहीं है। यह सूचना एकत्र करने में खर्च किया गया समय और प्रयास अपेक्षित परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन

519. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेंसर बोर्ड और इसकी क्षेत्रीय समितियों का गठन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सेंसर बोर्ड और इसकी क्षेत्रीय समितियों का पुनर्गठन कब तक किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों या सार्वजनिक मंचों से हिन्दी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फीचर फिल्मों को सेंसर करने के संबंध में कोई तर्क अथवा अनुरोध प्राप्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों का कार्यदल तीन वर्षों की अवधि से अधिक नहीं होता है जबकि क्षेत्रीय सलाहकार पैनल के एक सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होता है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और इसके सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यदि एक फीचर फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और उसे दोबारा बनाया जाता है या हिन्दी में डब किया जाता है तो निर्माता को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के उस क्षेत्रीय कार्यालय में सेंसर प्रमाण पत्र के लिए फिर से आवेदन करना होता है जहां से मूल प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

पन-विद्युत, ताप-विद्युत और आणविक ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन

520. श्री अमर राय प्रधान: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) भारत में (राज्य-वार) विद्युत उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ है;

(ख) पन-विद्युत/ताप-विद्युत/आणविक ऊर्जा और अन्य स्रोतों के माध्यम से राज्य-वार/स्रोत-वार/वर्ष-वार कितना विद्युत उत्पादन हुआ है; और

(ग) कुल विद्युत उत्पादन में केन्द्रीय/राज्य और निजी परियोजना का हिस्सा कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) से (ग) 2000-2001 से 2003-04 तक देश में राज्यवार/श्रेणीवार विद्युत उत्पादन विवरण I में दिया गया है। देश में केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों के माध्यम से विद्युत उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा विवरण II में दर्शाया गया है।

विवरण I

क्षेत्रवार सकल विद्युत उत्पादन (थर्मल+न्यूक्लीयर+हाइडल)

राज्य	2000-01 वास्तविक उत्पादन	2001-02 वास्तविक उत्पादन	2002-03 वास्तविक उत्पादन	2003-04 अप्रैल-अक्टूबर
1	2	3	4	5
दिल्ली थर्मल	7981	7952	8780	5802
कुल दिल्ली	7981	7952	8780	5802
जे एंड के थर्मल	5	0	58	15
जे एंड के हाइडल	5279	5558	5925	5417
कुल जे एंड के	5284	5558	5983	5432
हिमाचल हाइडल	8604	8374	8735	8472
कुल हिमाचल	8604	8374	8735	8472
हरियाणा थर्मल	5841	7943	8664	5324
हरियाणा हाइडल	244	232	244	192
कुल हरियाणा	6085	8175	8908	5516
राजस्थान थर्मल	12741	13772	16761	9338
राजस्थान न्यूक्लीयर	3578	4674	5047	2428
राजस्थान हाइडल	376	542	83	123
कुल राजस्थान	16695	18988	21861	11889
पंजाब थर्मल	14458	14695	13850	8201
पंजाब हाइडल	887	9171	10040	7509
कुल पंजाब	23345	23866	23890	15710
उ.प्र. थर्मल	67489	69425	68788	39465
उ.प्र. न्यूक्लीयर	2088	3332	3595	1674
उ.प्र. हाइडल	5736	2030	1454	1233
कुल उ.प्र.	72615	74787	73837	42372
उत्तरांचल हाइडल	3648	3326	3770	2818
कुल उत्तरांचल	3648	3326	3770	2818

1	2	3	4	5
गुजरात थर्मल	42208	40589	44035	23769
गुजरात न्यूक्लीयर	3504	3570	3659	1931
गुजरात हाइडल	439	287	587	581
कुल गुजरात	46151	44446	48281	26281
महाराष्ट्र थर्मल	56330	57910	57231	34242
महाराष्ट्र न्यूक्लीयर	2409	2503	2544	1512
महाराष्ट्र हाइडल	4813	4906	5372	2646
कुल महाराष्ट्र	63552	65319	65147	38400
म.प्र. थर्मल	27475	28113	31481	16065
म.प्र. हाइडल	1587	2211	1857	1343
कुल मध्य प्रदेश	29062	30324	33338	17408
छत्तीसगढ़ थर्मल	23395	24348	24058	13100
छत्तीसगढ़ हाइडल	233	392	247	152
कुल छत्तीसगढ़	23628	24740	24305	13252
आ.प्र. थर्मल	44232	45057	53048	31143
आ.प्र. हाइडल	7729	6115	3665	1155
कुल आ.प्र.	51961	51172	56713	32298
कर्नाटक थर्मल	10745	12193	13576	7931
कर्नाटक न्यूक्लीयर	1886	2997	3317	1907
कर्नाटक हाइडल	10892	9661	7212	4138
कुल कर्नाटक	23523	24851	24105	13976
केरल थर्मल	2878	2083	3232	2221
केरल हाइडल	6221	6791	4860	2233
कुल केरल	9099	8874	8092	4454
तमिलनाडु थर्मल	35731	38829	42185	24666
तमिलनाडु न्यूक्लीयर	2513	2244	1073	924
तमिलनाडु हाइडल	5441	4350	2728	1203
कुल तमिलनाडु	43685	45423	45986	26793

1	2	3	4	5
पांडिचेरी थर्मल	233	250	265	162
कुल पांडिचेरी	233	250	265	162
बिहार थर्मल	5542	5186	5526	3463
बिहार हाइडल	49	58	59	34
कुल बिहार	5591	5244	5585	3497
झारखंड थर्मल	6470	6358	6813	3635
झारखंड हाइडल	247	248	234	206
कुल झारखंड	6717	6606	7047	3841
उड़ीसा थर्मल	11573	12234	12482	9517
उड़ीसा हाइडल	4612	6456	3153	3102
कुल उड़ीसा	16185	18690	15635	12619
पश्चिम बंगाल थर्मल	29851	31970	35151	21118
पश्चिम बंगाल हाइडल	576	583	651	461
कुल पश्चिम बंगाल	30427	32853	35802	21579
सिक्किम हाइडल	325	383	390	286
कुल सिक्किम	325	383	390	286
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
कुल अंडमान निकोबार	0	0	0	0
असम थर्मल	2293	2308	1909	1216
असम हाइडल	595	549	847	382
कुल असम	2888	2857	2756	1598
मेघालय हाइडल	889	794	822	513
कुल मेघालय	889	794	822	513
त्रिपुरा थर्मल	668	776	845	548
त्रिपुरा हाइडल	70	68	56	38
कुल त्रिपुरा	738	844	901	586
मणिपुर थर्मल	0	0	0	0

1	2	3	4	5
मणिपुर हाइडल	551	569	553	297
कुल मणिपुर	551	569	553	297
नागालैंड हाइडल	73	141	121	131
कुल नागालैंड	73	141	121	131
अरुणाचल प्रदेश हाइडल	13	41	199	773
कुल अरुणाचल प्रदेश	13	41	199	773
मिजोरम थर्मल	0	0	0	0
कुल मिजोरम	0	0	0	0
कुल थर्मल	408139	421987	448538	260941
कुल न्यूक्लीयर	16928	19320	19235	10376
कुल हाइड्रो	74481	73940	63834	45438
कुल अखिल भारतीय	499548	515247	531607	316755

विवरण II

अखिल भारतीय सकल विद्युत उत्पादन–क्षेत्रवार और हिस्सेवार

क्षेत्र	थर्मल (मि.यू.)	न्यूक्लीयर (मि.यू.)	हाइड्रो (मि.यू.)	कुल (मि.यू.)	कुल का % हिस्सा
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय क्षेत्र					
2000-01	159617	16928	20376	196921	39.42
2001-02	162325	19320	20027	201672	39.14
2002-03	171450	19235	22246	212931	40.05
2003-04	101903	10376	17965	130249	41.12
राज्य क्षेत्र					
2000-01	211726	—	52803	264529	52.95
2001-02	221609	—	52167	273776	53.13
2002-03	233032	—	39746	272778	51.31
2003-04	132359	—	25379	157738	49.80
निजी क्षेत्र					

1	2	3	4	5	6
2002-03	44056	—	1842	45898	8.63
2003-04	26674	—	2094	28768	9.08
कुल अखिल भारत					
2000-01	408139	16928	74481	499548	100
2001-02	421987	19320	73940	515247	100
2002-03	448538	19235	63834	531607	100
2003-04	260941	10376	45438	316755	100

सुबनसिरी पन-विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन

521. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम और अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता कितनी है और अखिल भारतीय आंकड़ों से यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग किस तरह से तुलनीय है;

(ख) क्या सुबनसिरी पन-विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् वहां अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो जाएगी; और

(घ) इस अतिरिक्त विद्युत का किस तरह से उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) वर्ष 2001-02 में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत और अखिल भारतीय औसत खपत नीचे दी गई है:-

	प्रतिव्यक्ति खपत * (कि.वा. घंटा)
असम	99.42
अरुणाचल प्रदेश	68.33
मणिपुर	69.43
मेघालय	235.35
मिजोरम	147.09
नागालैंड	57.19
त्रिपुरा	108.75
पूर्वोत्तर क्षेत्र	104.49
अखिल भारतीय	360.97

*ग्रामीण/शहरी द्विभाजन का प्रबंधन नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 11वीं योजना के दौरान संभावित लाभ हेतु सुबनसिरी लोअर एचईपी, 2000 मेगावाट की स्वीकृति दी है। परियोजना के कार्यान्वयन से विद्युत की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता बेहतर होगी। देश के अभाव वाले क्षेत्रों में परियोजना से विद्युत प्राप्ति की संभावना है।

विद्युत क्षेत्र में लाभ

522. श्री सुनील खां: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में विद्युत क्षेत्र विशेषकर उत्पादन में लाभ में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2003-04 में दूसरी तिमाही के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता): (क) विद्युत के उत्पादन में शामिल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नामश: नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), और दामोदर वेली कारपोरेशन (डीवीसी) ने गत कुछ वित्तीय वर्षों के दौरान लाभ दर्शाया है। लेकिन यूटीलिटियां/राज्य विद्युत बोर्डों के पास इन विद्युत उत्पादक कंपनियों को देय बकाया राशि अधिक मात्रा से संचित है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन में शामिल नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन ने वर्ष 2002-03 के दौरान 408.75 करोड़ रुपये की हानि दर्ज की है। राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों की लाभप्रदता या अन्य जो कि समग्र विद्युत उत्पादन का लगभग 62% है उपलब्ध नहीं है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2003-04 की दूसरी तिमाही के दौरान विद्युत उत्पादन वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ निम्नवत है:-

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के नाम	वर्ष 2003-04 की दूसरी तिमाही के दौरान अर्जित लाभ जैसा कि सीपीएसयू द्वारा सूचित किया है (करोड़ रुपये में)
1.	एनटीपीसी	1283.19
2.	एनएचपीसी	126.2
3.	डीवीसी	99.33
4.	नीपको	33.28

(ग) वर्ष 2000-01 के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 207 कि.वा.घं. थी।

अ.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों हेतु कोचिंग सुविधा

523. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षाओं/साक्षात्कारों में बैठने वाले अ.जा. और अ.पि.व. के उम्मीदवारों को कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है या करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई/की जाने वाली प्रत्येक योजना और चयनित संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अ.जा. और अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को अलग-अलग कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के छात्रों को परीक्षापूर्व कोचिंग प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रशिक्षण और संबद्ध सहायता के एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की है जिससे कि वे समाज के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित वर्गों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। उस योजना के अंतर्गत केवल एक लाख रुपए तक की प्रतिवर्ष पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के छात्र सहायता के पात्र होते हैं। यह योजना राज्य सरकार संचालित संस्थानों, विश्वविद्यालय तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव वाले गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह कोचिंग विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति द्वारा जांच करके स्वीकृति के लिए सिफारिश की जाती है। इस योजना के अंतर्गत यह सहायता संस्थान द्वारा कोचिंग दिए गए छात्रों के निष्पादन पर आधारित वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है। इस संबंध में चयनित संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण I, II, III तथा IV में है।

(ग) विभिन्न राज्य संचालित संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को प्रदत्त निधियों के संबंध में सूचना क्रमश: अनुबंध 1 तथा 2 पर है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों तथा उन्हें प्रदान की गई निधियों की सूची क्रमश: संलग्न विवरण III और IV में है।

विवरण I

अनु. जातियों, अ.पि. वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्ताव तथा निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001		2001-2002		2002-2003		2003-04 (21.7.03 तक)	
		प्रस्तावित	निर्मुक्त	प्रस्तावित	निर्मुक्त	प्रस्तावित	निर्मुक्त	प्रस्तावित	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	111.80	111.80	प्राप्त नहीं	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6.00	6.00	प्राप्त नहीं	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.45	5.45	प्राप्त नहीं	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	2.19	2.19	24.68	24.68	प्राप्त नहीं	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
12.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
13.	केरल	8.69	8.69	20.86	20.86	22.01	22.01	प्राप्त नहीं	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	44.03	44.03	शून्य	शून्य	19.99	19.99	प्राप्त नहीं	शून्य
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
17.	मेघालय	1.79	1.79	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	2.50	2.50	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
21.	पंजाब	2.39	2.39	शून्य	शून्य	7.76	7.76	प्राप्त नहीं	शून्य
22.	राजस्थान	43.10	43.10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	11.15	11.15	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	2.61	2.61	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	2.68	2.68	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
31.	दादर और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
32.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
33.	दिल्ली	2.95	2.95	1.90	1.90	10.00	10.00	प्राप्त नहीं	शून्य
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्राप्त नहीं	शून्य
	कुल	102.95	102.95	43.89	43.89	207.69	207.69	0.00	0.00

विवरण II

अनु. जातियों, अ.पि. वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	काकातीय विश्वविद्यालय	3.37	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आंध्र प्रदेश	उस्मानिया यूनिवर्सिटी	शून्य	2.64	शून्य
4.	आंध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी	4.06	शून्य	शून्य
5.	आंध्र प्रदेश	आचार्य एनजी रंगा कृषि यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	3.93
6.	असम	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	5.07
7.	चंडीगढ़	पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	शून्य	शून्य	1.87
8.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी	शून्य	1.28	2.26
9.	हरियाणा	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	शून्य	शून्य	3.43
10.	हरियाणा	गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार	शून्य	शून्य	7.28
11.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी	शून्य	5.18	शून्य
12.	हिमाचल प्रदेश	एचपी कृषि विश्वविद्यालय, पालनपुर	शून्य	शून्य	1.21
13.	कर्नाटक	बंगलौर यूनिवर्सिटी	शून्य	14.68	शून्य
14.	कर्नाटक	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	शून्य	शून्य	2.07

1	2	3	4	5	6
15.	कर्नाटक	मंगलौर यूनिवर्सिटी	शून्य	6.51	शून्य
16.	कर्नाटक	यूनिवर्सिटी आफ मैसूर	शून्य	9.64	शून्य
17.	कर्नाटक	कुवेम्पु यूनिवर्सिटी, शिमोगा	शून्य	शून्य	4.64
18.	मध्य प्रदेश	अवध प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रेवा	शून्य	शून्य	2.63
19.	मध्य प्रदेश	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	शून्य	शून्य	3.58
20.	मध्य प्रदेश	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	6.79	7.53	7.08
21.	मध्य प्रदेश	एम.पी. भोज (ओपेन) यूनिवर्सिटी, भोपाल	शून्य	शून्य	21.95
22.	महाराष्ट्र	बी.आर. अम्बेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	शून्य	शून्य	8.13
23.	महाराष्ट्र	नागपुर विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	10.05
24.	महाराष्ट्र	पुणे विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	2.40
25.	महाराष्ट्र	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव	शून्य	शून्य	3.12
26.	महाराष्ट्र	अमरावती विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	4.33
27.	नई दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	शून्य	3.16	3.26
28.	उड़ीसा	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	शून्य	शून्य	3.20
29.	पांडिचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	शून्य	5.93	शून्य
30.	पंजाब	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	4.41	2.83	3.89
31.	पंजाब	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	10.13	शून्य	23.98
32.	राजस्थान	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	शून्य	6.31	शून्य
33.	राजस्थान	मोहनलाल सुखोदिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	शून्य	5.93	शून्य
34.	सिक्किम	सिक्किम सरकार कालेज	शून्य	शून्य	शून्य
35.	तमिलनाडु	यूनिवर्सिटी आफ मद्रास	शून्य	4.43	शून्य
36.	तमिलनाडु	मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	4.17
37.	तमिलनाडु	गांधीग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट, डिन्डीगुल	शून्य	शून्य	3.71
38.	तमिलनाडु	इलहाबाद विश्वविद्यालय	12.01	14.48	9.29
39.	उत्तर प्रदेश	बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	शून्य	शून्य	2.99
40.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ विश्वविद्यालय	4.45	5.65	9.24
41.	उत्तर प्रदेश	मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	1.06	2.28	4.90

1	2	3	4	5	6
42.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	शून्य	6.77	शून्य
43.	उत्तरांचल	एच.एन. बहुगुना विश्वविद्यालय, गढ़वाल	3.82	5.49	3.25
44.	पश्चिम बंगाल	जादवपुर विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	3.96
		कुल	50.10	110.72	170.87

वर्ष 2003-2004 के दौरान विश्वविद्यालयों को कोई निधियां आवंटित नहीं की गई हैं।

विवरण III

अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग व सम्बद्ध सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों का नाम-पता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	एक्शन फार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसी, सदासिवपेट, अडोनी	शून्य	शून्य	1.21	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	जागृति एजूकेशनल एण्ड कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद	5.62	6.09	6.10	शून्य
3.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुना स्टडी सर्किल, हैदराबाद	15.08	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आंध्र प्रदेश	स्पेशल इंटीग्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, नालगोंडा	3.89	3.09	4.33	शून्य
5.	आंध्र प्रदेश	वेनेला एजूकेशनल एण्ड रूरल डेपलपमेंट सोसाइटी, नालगोंडा	1.60	1.70	3.65	शून्य
6.	आंध्र प्रदेश	सहाय वेलफेयर एसोसिएशन, नालगोंडा	शून्य	शून्य	6.17	शून्य
7.	आंध्र प्रदेश	रवि एकेडमी फार कंपीटिटिव इक्जामिनेशन्स, हैदराबाद	शून्य	शून्य	2.00	शून्य
8.	आंध्र प्रदेश	डा. बी.आर. अम्बेडकर यूथ एसोसिएशन हैदराबाद	शून्य	शून्य	4.33	शून्य
9.	आंध्र प्रदेश	मर्काजी अंजुमन-ए-कादवी, हैदराबाद	शून्य	शून्य	1.21	शून्य
10.	आंध्र प्रदेश	इस्लामिया एजूकेशन सोसाइटी, सिद्दीपेट, मेडक जिला	शून्य	शून्य	0.75	1.21
11.	आंध्र प्रदेश	मेडक जिला ग्रामीण विकास एवं कल्याण एसोसिएशन, जोगीपेट	शून्य	शून्य	1.21	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
12.	आंध्र प्रदेश	उसमानिया मुस्लिम माइनोरिटी एजूकेशनल, कुड्डापा	शून्य	शून्य	2.43	शून्य
13.	आंध्र प्रदेश	विवेकानन्द विद्या संस्था सोसाइटी, गुन्तुर	शून्य	शून्य	2.43	शून्य
14.	आंध्र प्रदेश	श्री राजू एजूकेशनल सोसाइटी, नेल्लोर	शून्य	शून्य	3.64	शून्य
15.	आंध्र प्रदेश	विकास सेवा समिति, तिरूपति	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
16.	आंध्र प्रदेश	राव स्टडी सेंटर, हैदराबाद	शून्य	1.69	शून्य	6.55
17.	आंध्र प्रदेश	गुड होप स्टडी सेंटर, कृष्णा जिला	शून्य	शून्य	शून्य	2.43
18.	आंध्र प्रदेश	एसार अल्पसंख्यक शिक्षा सोसाइटी, अंगोले	शून्य	शून्य	शून्य	2.43
19.	आंध्र प्रदेश	नव चैतन्य युवा संघ मेढक	शून्य	शून्य	शून्य	2.43
20.	आंध्र प्रदेश	प्रशिक्षण पुनर्निर्माण शिक्षा पर्यावरण सोसाइटी, नेल्लोर	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
21.	आंध्र प्रदेश	नव शिक्षा सोसाइटी सिकन्दराबाद	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
22.	असम	शिक्षा प्रतिष्ठान, हैबोरगांव	शून्य	शून्य	3.64	शून्य
23.	असम	बहुमुंखी कृषि और कल्याण समिति, नौगांव	शून्य	शून्य	1.22	शून्य
24.	असम	रागौरदूक क्ल्ब तथा पुस्तकालय करीमगंज	शून्य	शून्य	1.22	शून्य
25.	बिहार	पटना मुस्लिम उच्च स्कूल सह इन्टर कालेज, पटना	शून्य	शून्य	3.73	शून्य
26.	बिहार	यथो रि	शून्य	शून्य	1.86	शून्य
27.	बिहार	अब्दुल कावी कोचिंग संस्था, गया	शून्य	शून्य	3.73	शून्य
28.	बिहार	आदर्श कोचिंग तथा मार्गदर्शन संस्था, खगौल	शून्य	शून्य	3.73	शून्य
29.	बिहार	अल्पसंख्यक कोचिंग संस्था, पटना	शून्य	शून्य	शून्य	6.16
30.	छत्तीसगढ़	महा कौशल प्रशासनिक स्कूल, रायपुर	शून्य	शून्य	2.52	शून्य
31.	दिल्ली	हमदर्द शिक्षा सोसाइटी, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	1.46	1.37
32.	दिल्ली	समेकित प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	4.16	शून्य
33.	दिल्ली	दिल्ली शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली	10.37	18.67	4.67	शून्य
34.	दिल्ली	एस.एन. दास गुप्ता कालेज, नई दिल्ली	3.58	1.95	शून्य	शून्य
35.	दिल्ली	हमदर्द शिक्षा सोसाइटी, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	1.60	शून्य
36.	दिल्ली	हमदर्द शिक्षा सोसाइटी	शून्य	शून्य	1.94	शून्य
37.	झारखंड	दिल्ली शिक्षा केन्द्र, रांची	शून्य	शून्य	4.62	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
38.	कर्नाटक	योगी नारायण शिक्षा न्यास, बंगलौर	शून्य	शून्य	1.39	शून्य
39.	केरल	सिविल शिक्षा संस्थान, कोट्टायम	शून्य	शून्य	1.33	शून्य
40.	मध्य प्रदेश	बी.आर. अम्बेडकर संस्थान, महु	शून्य	शून्य	4.14	शून्य
41.	मध्य प्रदेश	ज्ञान विकास समिति, भोपाल	2.02	शून्य	शून्य	शून्य
42.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोच इन्स्टीट्यूट, जबलपुर	1.80	शून्य	शून्य	शून्य
43.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोच सेंटर, भोपाल	4.20	शून्य	शून्य	शून्य
44.	मध्य प्रदेश	महाकौशल अकादमी, रायपुर	1.94	शून्य	शून्य	शून्य
45.	मध्य प्रदेश	सुरुचि व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, ग्वालियर	2.93	शून्य	शून्य	शून्य
46.	मध्य प्रदेश	ग्राम भारती संस्थान, ग्वालियर	शून्य	शून्य	1.80	शून्य
47.	मध्य प्रदेश	रोशन वेल्फेयर सोसाइटी, भोपाल	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
48.	महाराष्ट्र	कल्पतरू संस्था, धुले	शून्य	शून्य	4.38	शून्य
49.	महाराष्ट्र	ध्यान वर्धिनी एजूकेशनल एण्ड चेरिटेबल फाउण्डेशन, शोलापुर	शून्य	शून्य	4.38	शून्य
50.	महाराष्ट्र	नव भारत सेवा प्रतिष्ठान, लातूर	शून्य	शून्य	2.52	शून्य
51.	महाराष्ट्र	सर्वोदय एजूकेशनल एण्ड वालन्टरी एसोसिएशन, नान्देड़	शून्य	शून्य	2.43	nil
52.	महाराष्ट्र	जीवन रेखा प्रतिष्ठान, लातूर	शून्य	शून्य	2.80	शून्य
53.	महाराष्ट्र	चैतन्य बहुउद्देश्यीय शिक्षण समिति, नागपुर	1.02	3.08	शून्य	शून्य
54.	महाराष्ट्र	चाणक्य मंडल, पुणे	3.96	शून्य	शून्य	शून्य
55.	महाराष्ट्र	स्वामी विवेकानन्द शिक्षण संस्थान, लातूर	2.46	शून्य	2.46	शून्य
56.	महाराष्ट्र	त्रैलोक्य बौद्ध सहायक संघ गण, पुणे	शून्य	शून्य	1.75	शून्य
57.	महाराष्ट्र	कैरियर डेवलपमेंट अकादमी, औरंगाबाद	शून्य	शून्य	4.16	शून्य
58.	महाराष्ट्र	उज्जवल रूरल डेव. सोसाइटी, धुले	शून्य	शून्य	2.52	शून्य
59.	महाराष्ट्र	अहिल्या उद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर	शून्य	शून्य	शून्य	0.76
60.	महाराष्ट्र	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ड हाइजीन, लातूर	शून्य	शून्य	शून्य	0.76
61.	मणिपुर	सोसियल अवेयरनेस एण्ड डेवलपमेंट एजेन्सी, इम्फाल	शून्य	शून्य	1.21	1.21
62.	मणिपुर	सोसियल डेवलपमेंट एण्ड रिहेबिलिटेसन काउन्सिल, थाबल	शून्य	शून्य	2.43	2.43

1	2	3	4	5	6	7
63.	मणिपुर	रूरल इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसिएशन	शून्य	शून्य	2.43	2.43
64.	मणिपुर	इन्स्टीट्यूट आफ सोसल डेवल. फार वीकर सेक्शन, इम्फाल	शून्य	शून्य	1.21	शून्य
65.	मणिपुर	सोसल रिफार्मेसन एण्ड डेवलपमेंटल आर्ग, इम्फाल	शून्य	शून्य	1.21	1.21
66.	मणिपुर	सोसियो-इकोनामिक कल्चरल अपलिफ्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट आर्ग., इम्फाल	शून्य	शून्य	1.21	1.21
67.	मणिपुर	टाइप-राइटिंग इन्स्टी. एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विसेस, थाबल	शून्य	शून्य	2.43	शून्य
68.	मणिपुर	इंटिग्रेटेड एजू. सोसल डेवल. आर्ग. खागमेन	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
69.	मणिपुर	पेरेंट डिवोटीज कांग्रेस, कांचीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
70.	मणिपुर	वीमेन्स इको. डेवल. सोसायटी, इम्फाल	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
71.	मणिपुर	मणिपुर रूरल सर्विस एसोसिएशन, इम्फाल	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
72.	मणिपुर	किशन डेवल. एसोसिएशन, इम्फाल	शून्य	शून्य	शून्य	1.21
73.	उड़ीसा	एल.सी. इन्स्टीट्यूट, भुवनेश्वर	शून्य	2.57	शून्य	शून्य
74.	उड़ीसा	उड़ीसा आईएएस स्टडी सर्कल, भुवनेश्वर	1.24	1.33	शून्य	2.97
75.	राजस्थान	उदयपुर स्टडी सर्कल, उदयपुर	3.94	शून्य	शून्य	शून्य
76.	राजस्थान	अरावली कालेज समिति, जयपुर	शून्य	शून्य	1.21.	शून्य
77.	राजस्थान	विश्व बाल भारती समिति, श्रीगंगानगर	शून्य	शून्य	2.43	शून्य
78.	राजस्थान	राज क्लासेज, कोटा	शून्य	शून्य	4.54	शून्य
79.	तमिलनाडु	आईसीई कैरियर गाइडेंस	3.04	शून्य	8.64	शून्य
80.	तमिलनाडु	डा. जी.आर. दामोदरन, कालेज, कोयम्बटूर	शून्य	5.18	शून्य	शून्य
81.	तमिलनाडु	सेन्थिल चैरिटेबल ट्रस्ट, मदुरै	शून्य	शून्य	4.33	शून्य
82.	तमिलनाडु	लोटस एजू. सो. सेर. चैरि. ट्रस्ट, तिरूचिरापल्ली	शून्य	शून्य	2.00	शून्य
83.	तमिलनाडु	विस्डम एजू. मिमोरियल, तिरूवरूर	शून्य	शून्य	1.06	शून्य
84.	उत्तर प्रदेश	सहारा अकादमी, कानपुर	3.00	शून्य	शून्य	शून्य
85.	उत्तर प्रदेश	अपर्णा सांस्कृतिक संस्थान, लखनऊ	शून्य	शून्य	4.33	शून्य
86.	उत्तर प्रदेश	नव विकास समिति, फैजाबाद	शून्य	शून्य	4.67	शून्य
87.	उत्तर प्रदेश	अमित ग्राम विकास सेवा संस्थान, वाराणसी	शून्य	शून्य	5.18	
88.	उत्तर प्रदेश	के.एन. एजुकेशन सोसाइटी, लखनऊ	शून्य	शून्य	4.33	शून्य

विवरण IV

उन संस्थानों की सूची जिन्होंने वर्ष 2000-01 से आज की तारीख तक अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त किया है

(2.12.03 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ का नाम	विख्यात संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत परियोजना	निर्मुक्त राशि (रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
			2000-01		
1.	उड़ीसा	एल.सी. सोशल तथा अप्लायड सेवाएं भुवनेश्वर, उड़ीसा	1. सिविल सेवा	100000	40
			कुल	100000	40
			2001-02		
1.	आंध्र प्रदेश	वनिला शिक्षा तथा ग्रा.वि. सो. खम्माम, आं.प्र.	1. सिविल सेवा	397000	40
2.	आंध्र प्रदेश	राव स्टडी सर्किल, हैदराबाद	1. सिविल सेवा	244050	40
			2. व्यावसायिक पाठ्यक्रम		40
3.	आंध्र प्रदेश	ए.पी. स्टडी सर्किल, महबुब नगर	1. राज्य सिविल सेवा	126990	40
			2. अधीनस्थ सेवा		40
4.	आंध्र प्रदेश	सो. सं. तथा ग्रा. वि. सो., नालगोंडा, आं.प्र.	1. अधीनस्थ सेवा	55050	40
5.	आंध्र प्रदेश	जागृति शैक्षिक समुदाय वि. सोसाइटी, हैदराबाद	1. सिविल सेवा	614550	40
			2. राज्य सिविल सेवा		40
			3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम		40
6.	आंध्र प्रदेश	डा. बी.आर. अम्बेडकर युवा संघ खम्माम, आंध्र प्रदेश	1. व्यावसायिक पाठ्यक्रम	158450	40
			2. अधीनस्थ पाठ्यक्रम		40
			3. अवर सेवा		40
7.	असम	ट्रस्ट शिक्षा न्यास, नौगांव, असम	1. व्यावसायिक पाठ्यक्रम	150100	80
8.	दिल्ली	एस.एन. दास गुप्ता शिक्षा सोसाइटी, नई दिल्ली	1. अधीनस्थ सेवा	151775	100
			2. अवर सेवा		100
9.	कर्नाटक	श्री योगी नारायण शिक्षा केन्द्र, बंगलूर, कर्नाटक	1. सिविल सेवा	283875	30
10.	केरल	आसरिया जन विद्या केन्द्र, तिरूवअनंतपुरम, केरल	1. अधीनस्थ सेवा	55050	40
11.	केरल	सरकार में प्रबंधन संस्थान, केरल	1. सिविल सेवा	354000	40
12.	मध्य प्रदेश	विद्यालय (अ.जा./अ.ज.जा. कोचिंग केन्द्र), रीवा, मध्य प्रदेश	1. अधीनस्थ सेवा	250200	80
			2. अवर सेवा		240

1	2	3	4	5	6
13.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोचिंग इन्स्टीट्यूट, ग्वालियर	1. राज्य प्रशासनिक सेवा 2. लोवर सर्विस	100290	40 40
14.	मध्य प्रदेश	ग्राम भारती संस्थान, ग्वालियर	1. अधीनस्थ सेवा 2. व्यावसायिक कोर्स	260250	80
15.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल	1. राज्य प्रशासनिक सेवा 2. व्यावसायिक कोर्स 3. लोवर सर्विस	269425	40 40 40
16.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोचिंग इन्स्टीट्यूट, जबलपुर	1. अधीनस्थ कोर्स	55050	40
17.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोचिंग इन्स्टीट्यूट, जबलपुर	1. व्यावसायिक कोर्स	213400	80
18.	मध्य प्रदेश	पद्माकर शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	1. सिविल सेवा 2. राज्य प्रशासनिक सेवा 3. व्यावसायिक कोर्स	612050	40** 40** 40
19.	मध्य प्रदेश	कुन्दन कल्याण समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1. सिविल सेवा 2. अधीनस्थ कोर्स 3. लोवर सर्विस	456900	40 40 40
20.	महाराष्ट्र	चैतन्य बहुद्देश्यीय संस्था, नागपुर	1. सिविल सेवा 2. अधीनस्थ कोर्स 3. लोवर सर्विस	281900	40 40 40
21.	महाराष्ट्र	आदर्श शिक्षण प्रसारक मण्डल, देवपुर, धुले	1. अधीनस्थ कोर्स	67563	40
22.	महाराष्ट्र	नवलभाऊ प्रतिष्ठान विजय कैरियर अकादमी, औरंगाबाद	1. अधीनस्थ कोर्स	110075*	60
23.	मणिपुर	दि वोमेन्स एकोनामी डेवलपमेंट सोसायटी, खोंगमम, इम्फाल	1. अधीनस्थ कोर्स	55050	40
24.	मणिपुर	दि इन्स्टीच्यूट आफ सोसल डेवलपमेंट फार वीकर सेक्सन, इम्फाल	1. व्यावसायिक कोर्स	75050	40
25.	उड़ीसा	एल.सी. इन्स्टीट्यूट आफ सोसल एण्ड अप्लाइड सर्विसेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1. सिविल सेवा (मेन्स) 2. राज्य प्रशासनिक सेवा (मेन्स)	206580	30 30
26.	उड़ीसा	उड़ीसा आइएएस स्टडी सर्किल, भुवनेश्वर	1. राज्य प्रशासनिक सेवा	71940	40
27.	उड़ीसा	सचदेवा न्यू पी.टी. कालेज, पुरी, उड़ीसा	1. सिविल सेवा	169000	30
28.	राजस्थान	मयूर वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी, बंसवारा, राजस्थान	1. अधीनस्थ कोसी	38360	40
29.	उत्तर प्रदेश	आल इंडिया सर्विसेज प्रि-इक्जाम ट्रेनिंग सेन्टर फार एससी/एसटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी	1. सिविल सेवा	246250	50

1	2	3	4	5	6
30.	उत्तर प्रदेश	सोसल साइंस सुधा रिसर्च इन्स्टीच्यूट कल्याणपुर, कानपुर	1. व्यावसायिक कोर्स	75050	40
31.	उत्तर प्रदेश	आंचल, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1. राज्य सिविल सेवा	296100	40
			2. व्यावसायिक पाठ्यक्रम		40
			3. अधीनस्थ पाठ्यक्रम		40
32.	उत्तरांचल	स्टडी प्वाइन्ट समिति, देहरादून	1. सिविल सेवा	71940	40
			कुल	6575312	2470
		2002-03			
1.	आंध्र प्रदेश	डा. बी.आर. अम्बेडकर यूथ एसो. खम्माम, आंध्र प्रदेश	1. व्यावसायिक पाठ्यक्रम	158450	40
			2. अधीनस्थ पाठ्यक्रम		40
			3. निम्न सेवा		40
2.	आंध्र प्रदेश	सोसल इन्टीग्रेटेशन एंड रूरल डेव. नालगोंडा	1. अधीनस्थ पाठ्यक्रम	55050	40
3.	आंध्र प्रदेश	जागृती एजु. कम्यूनिटी डेव. सोसाइटी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	1. सिविल सेवा	614550	40
			2. राज्य प्रशासनिक सेवा		40
			3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम		40
4.	मध्य प्रदेश	कुन्दन कल्याण समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1. सिविल सेवा	456900	40
			2. अधीनस्थ पाठ्यक्रम		40
			3. निम्न सेवा		40
5.	मणिपुर	इन्स्टीच्यूट आफ सोसल डेव. फार वीकर सेक्शन, इम्फाल, मणिपुर	1. व्यावसायिक पाठ्यक्रम-40 उम्मीदवार-3 महीने	75050	40
6.	उड़ीसा	अग्निशिखा, बालासोर, उड़ीसा	1. व्यावसायिक पाठ्यक्रम	135000	40
			2. अधीनस्थ पाठ्यक्रम		40
			कुल	1598400	600
		2003-04 (02.12.2003 तक)			
1.	उड़ीसा	सचदेवा न्यू पी.टी. कालेज, पुरी, उड़ीसा	1. सिविल सेवा	169000	30

[हिन्दी]

उन्नत चूल्हा परियोजना के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि

524. डा. जसवन्तसिंह यादव: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को 'राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा परियोजना' हेतु वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है और व्यय की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा 31 अक्तूबर, 2003 तक उक्त राज्य में उक्त परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान, केन्द्रीय प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (एनपीआईसी) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार को अग्रिम रूप से कोई निधि मंजूर नहीं की गई थी। जबकि वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उन्नत

चूल्हा कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया, उसने हाल में वर्ष 2000-01 में 32.79 लाख रु. तथा वर्ष 2001-02 में 36.63 लाख रु. के व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं, जो कि वर्ष 1999-2000 तक अग्रिम रूप से जारी की गई निधियों के मद्दे नमूना सत्यापन और निपटान के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

(ख) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के अनुमोदन के अध्यधीन, वर्ष 2003-04 से राज्य योजना क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है। तथापि, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इस योजना के वर्ष 2003-04 के दौरान उसकी राज्य योजना के अंतर्गत कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कायमकुलम विद्युत परियोजना हेतु सी.एन.जी.

525. श्री टी. गोविन्दन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कायमकुलम विद्युत परियोजना हेतु सी.एन.जी. की आपूर्ति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, केरल सरकार कोच्चि में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) द्वारा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल, जिसकी योजना नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) की कायमकुलम-विद्युत परियोजना के क्षमता विस्तार के लिए एलएनजी की जरूरत पर विचार करते हुए तैयार की गई है, की स्थापना के विषय में शीघ्रता करने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन करती रही है। चूंकि एनटीपीसी ने कोच्चि एलएनजी टर्मिनल से एलएनजी ऑफ-टेक पर आधारित विस्तार योजनाएं क्रियान्वित नहीं की हैं, इसलिए कोच्चि एलएनजी टर्मिनल प्रगति नहीं कर रहा है।

कूपन वैलिडेटिंग मशीनों द्वारा कार्य न करना

526. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में कूपन वैलिडेटिंग मशीनों में सुधार के बावजूद मुंबई उपनगरीय स्टेशनों में ये मशीनें कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) क्या इन मशीनों के कार्य न करने के कारण यात्रियों को कूपन खंड पर मुहर लगाने हेतु टिकट कलैक्टर से संपर्क करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार ने मुंबई रेलवे प्रवासी संघ और अग्रणीय समाचार पत्र द्वारा किए गए तत्स्थानिक अध्ययन कि 75 प्रतिशत मशीनें कार्य नहीं कर रही हैं, पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) इन मशीनों के कार्य न करने के संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है/की जानी है;

(च) नई दिल्ली स्टेशन पर टिकटों, प्रत्येक मशीन में वैलिडेटेड धनराशि, अनुरक्षण लागत, उसे चलाने की कुल लागत का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उनके अनुपात का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) मुंबई में स्थापित आशोधित की गई कूपन वैलिडेटिंग मशीनें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और उनकी विफलता की दर काफी कम है।

(ख) कुछ गैर-आशोधित मशीनें बीच-बीच में खराब हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर यात्रियों को बुकिंग काउंटर अथवा टिकट चेकिंग स्टॉफ से कूपनों पर हाथ से मुहर लगवानी पड़ती है।

(ग) और (घ) रेलवे ने स्वयं ही कूपन वैलिडेटिंग मशीनों की क्रियाशीलता के संबंध में सर्वेक्षण किया है और मशीनों की खामियों को दूर कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, शिकायतों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। स्लॉट में गैर-मानक कागजों को लगाने आदि जैसे मशीनों के गलत उपयोग के कारण कागजों के अटकने से कूपन वैलिडेटिंग मशीनों के कार्य न करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) कूपन वैलिडेटिंग मशीनों की कार्य प्रणाली की विभिन्न स्तरों पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर मॉनीटरिंग की जा रही है। दोषपूर्ण अनुरक्षण के कारण निर्माण करने वाली कंपनी पर जिसे वार्षिक अनुरक्षण ठेका दिया गया है, दण्ड लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, इन मशीनों के नए रूपांतर का प्रयोग किया जा रहा है।

(च) 1.4.2003 से 30.9.2003 की अवधि के दौरान दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न स्टेशनों पर लगभग 6800 कूपन बुकों की बिक्री की गई थी और इन पुस्तकों की बिक्री से लगभग 252000 रुपये की राशि वसूल की गई थी। इन मशीनों के अनुरक्षण पर

3710 रुपए प्रति मशीन लागत आती है और इस मशीन की कीमत 36698 रुपए प्रति मशीन है।

(छ) दिल्ली क्षेत्र में कुल उपनगरीय यात्रियों का लगभग 1.7% कूपन वैलिडेटिंग मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है।

बंगलौर शहर में वाहनों में सी.एन.जी. का उपयोग

527. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगलौर शहर में सार्वजनिक वाहनों में ईंधन के रूप में सी.एन.जी. के उपयोग हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिलायंस कंपनी कृष्णा-गोदावरी बेसिन में सी.एन.जी. बेस की स्थापना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बंगलौर शहर में सार्वजनिक वाहनों में ईंधन के रूप में सी.एन.जी. के प्रयोग हेतु स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो बंगलौर शहर में इसे कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) फिलहाल, बंगलौर शहर में सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की शुरुआत करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि आसपास ऐसा कोई पाइपलाइन मूलढांचा उपलब्ध नहीं है जिसके जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंगलौर शहर तक सीएनजी प्रयोजनों के लिए की जा सके।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

आकाश मिसाइल परियोजना

528. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकाश मिसाइल परियोजना को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और इसकी असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) मुख्य उद्देश्य 25 कि.मी. की रेंज की धरती से हवाई प्रक्षेपास्त्र की मीडियम रेंज का विकास करना है। उप-प्रणालियों में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। वास्तव में हाल ही में किए गए उड़ान परीक्षण सफल रहे हैं और अगले वर्ष प्रयोक्ता परीक्षण किए जाने की योजना है।

(ग) इस परियोजना पर अब तक 330.00 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

सिर पर मैला ढोने वाले दलितों और सफाई कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति/वार्षिक अनुदान

529. श्री रूपचंद मुर्मू: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिर पर मैला ढोने वाले दलित और सफाई कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति और वार्षिक अनुदान बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बच्चों के लिए पहले और बाद की छात्रवृत्ति और वार्षिक अनुदान की दर क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने अस्वच्छ व्यावसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्वमैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरों तथा वार्षिक अनुदान में 1.4.2003 से वृद्धि की हैं। संशोधन पूर्व तथा संशोधन के बाद छात्रवृत्ति की दरों तथा वार्षिक अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है:

श्रेणी	संशोधन पूर्व दर (रुपए प्रतिमाह)	संशोधन के बाद दस रुपए प्रतिमाह 1.4.2003 से
होस्टलवासी		
III-VIII	200	300
IX-X	250	375
वार्षिक तदर्थ अनुदान	500	600
दीवाछात्र		
I-V	25	40
VI-VIII	40	75
IX-X	50	75
वार्षिक अनुदान	500	550

[हिन्दी]

नबीनगर में रेलवे द्वारा विद्युत संयंत्र की स्थापना

530. श्री अरुण कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार बिहार में नबीनगर में एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना को आरंभ करने में कितना समय लगने की संभावना है;

(घ) उक्त परियोजना में एन.टी.पी.सी. की प्रस्तावित इक्विटी कितनी है; और

(ङ) उक्त परियोजना के आरंभ होने से रेलवे द्वारा कितने रुपये की बचत होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) 4374 करोड़ रुपए की लागत पर प्रत्येक 250 मेगावाट की चार इकाइयां संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लि. (एनटीपीसी) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी ''भारतीय रेल बिजली कंपनी'' स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) मंत्रिमंडल के अनुमोदन की तारीख से लगभग सात वर्ष।

(घ) 49%

(ङ) यातायात के वर्तमान स्तर तथा बिजली कर्षण दर सूची के आधार पर इस परियोजना के शुरू हो जाने से लगभग 400 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होने की प्रत्याशा है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादन

531. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
डा. चरणदास महंत:
श्री अधीर चौधरी:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2003 के दौरान और चालू वर्ष में कुछ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और भारी उद्योग में उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार, ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उत्पादन प्रतिशत में कितनी कमी रही और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और भारी उद्योगों के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) हैवी के रूप में उद्योगों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। जहाँ तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रम हैं। भारी उद्योग विभाग के तहत् सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वर्ष 2002-2003 एवं वर्ष 2003-2004 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य तथा वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 (अक्टूबर, 2003 तक) के दौरान उपलब्धियों की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के उत्पादन में गिरावट के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ क्रयादेशों की कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी, कार्यशील पूंजी की कमी, उच्च उत्पादन लागत और अत्यधिक कामगारों का होना आदि शामिल है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उठाये गये कदमों में वेतन तथा मजदूरी के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना, नवीकरण तथा प्रतिस्थापन संबंधी कार्य करना, वीआरएस के जरिए कामगारों का युक्तिकरण और क्रयादेश प्राप्त करने के लिए सहायता मुहैया कराना शामिल है।

विवरण

भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वर्ष 2002-2003, 2003-2004 के लिए उत्पादन लक्ष्य तथा लक्ष्य के मुकाबले प्राप्त उपलब्धियों का प्रतिशत

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	2002-2003			वर्ष 2003-2004 के लिए	अक्टूबर, 2003 तक	उपलब्धियों का
		लक्ष्य (रुपये करोड़ में)	वास्तविक (रुपये करोड़ में)	उपलब्धियों का प्रतिशत	लक्ष्य (रुपये करोड़ में)	वास्तविक (रुपये करोड़ में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एंड्रू यूल एंड कंपनी लि.	168.00	109.98	65.46	190.52	61.30	32.18
2.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	7600.00	7510.00	98.82	8200.00	2716.00	33.12

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	भारत हैवी प्लेट्स एवं वेसल्स लि.	265.00	220.13	83.07	270.00	29.92	11.08
4.	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि.	5.26	2.54	48.29	2.92	0.05	1.71
5.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि.	75.00	67.71	90.28	90.00	19.61	21.79
6.	भारत वैगन एंड इंजीनियर्स कं. लि.	134.00	39.03	29.13	116.44	10.73	9.22
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	139.47	75.15	53.88	109.62	39.13	35.70
8.	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कं. लि.	38.00	40.13	105.61	40.00	10.79	26.98
9.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि.	415.00	362.63	87.38	410.00	161.58	39.41
10.	बर्न स्टेंडर्ड कंपनी लि.	227.38	208.35	91.63	226.69	81.64	36.01
11.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	166.77	118.20	70.88	293.48	47.16	16.07
12.	इंजीनयरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	400.00	327.69	81.92	512.63	193.10	37.67
13.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	248.33	150.43	60.58	252.08	81.78	32.44
14.	हिन्दुस्तन केबल लि.	594.49	380.36	63.98	773.52	39.02	5.04
15.	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि.	246.17	206.01	83.69	241.50	139.50	57.76
16	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	516.87	551.87	106.77	561.20	309.41	55.13
17.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कं. लि.	24.00	25.03	104.29	37.75	18.44	48.85
18.	हिन्दुस्तान साल्टस लि.	6.67	5.86	87.86	9.94	3.61	36.32
19.	एचएमटी (वेयरिंग) लि.	52.00	19.56	37.62	54.00	10.28	19.04
20.	एचएमटी (चिनार वाचिज) लि.	9.00	2.89	32.11	9.00	0.68	7.56
21.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	90.00	38.43	42.70	91.39	19.93	21.81
22.	एचएमटी (मशीन टूल्स) लि.	289.00	198.36	68.64	300.00	81.43	27.14
23.	एचएमटी (वाचिज) लि.	234.00	44.49	19.01	200.00	10.88	5.44
24.	एचएमटी लि. (धारक कंपनी), ट्रेक्टर डिवी. सहित	440.00	141.45	32.15	320.10	51.98	16.24
25.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.	7.50	11.57	154.27	7.75	4.43	57.16
26.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा	137.50	118.45	86.15	185.00	56.63	30.61
27.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	6.22	3.61	58.04	7.10	0.82	11.55
28.	नेपा लि.	72.41	33.18	45.82	113.75	25.75	22.64
29.	प्रागा टूल्स लि.	10.03	6.29	62.71	16.51	4.22	25.56

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि.	32.00	38.00	118.75	36.05	20.69	57.39
31.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	80.00	42.89	53.61	75.00	12.07	16.09
32.	सांभर साल्टस लि.	8.19	4.50	54.95	9.10	2.22	24.40
33.	स्कूटर (इंडिया) लि.	139.55	140.72	100.84	145.91	83.09	56.95
34.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	30.00	30.22	100.73	35.00	1.91	5.46
35.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	35.00	14.01	40.03	30.00	3.04	10.13
36.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	107.56	108.04	100.45	149.92	80.21	53.50
	कुल	13050.37	11397.76	87.34	14123.87	4433.03	31.39

नोट: (1) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों नामत: भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि., भारत प्रोसेस एंड मकेनिकल इंजी. लि., साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि., आरबीएल लि., नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., रिहैबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि., टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लि. तथा वेबर्ड (इंडिया) लि. को बंद कर दिया गया है।

(2) सरकारी क्षेत्र के 3 उद्यम नामत: भारत लेदर कारपोरेशन लि., नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि. तथा नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. प्रचालन में नहीं हैं।

[अनुवाद]

कमान्ड राइडिंग स्कूल और क्लब का खोला जाना

532. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'कैग' ने लखनऊ में कमान्ड राइडिंग स्कूल और क्लब के खोले जाने पर प्रश्न चिह्न लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) इसका ब्यौरा 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षा, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), सेना तथा आयुध निर्माणियां की 2003 की रिपोर्ट संख्या 6 के लेखापरीक्षा पैरा सं. 13 में दिया गया है। इस लेखापरीक्षा पैरा का कारण यह था कि घुड़सवारी स्कूल और क्लब लखनऊ छावनी में कार्मिकों और घोड़ों की अप्राधिकृत संलग्नता से मंजूरी के बिना खोला गया था।

(ग) की गई कार्रवाई की टिप्पणी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर क्षेत्रीय भाषाओं में 24 घंटों समाचार पैनल

533. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आकाशवाणी और दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषाओं में 24 घंटा समाचार चैनल शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रस्तावित समाचार चैनल पर अनुमानित आवर्ती और अनावर्ती व्यय कितना होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एकसमान मीडिया नीति

534. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया मीडिया ग्रुप के प्रतिनिधि प्रसारण से संबंधित मामलों पर चर्चा करने हेतु अगस्त, 2003 में प्रधान मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री से मिले थे;

(ख) यदि हां, तो कौन से मुद्दों को उठाया गया और चर्चा की गई; और

(ग) उनकी मांगों पर विचार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) भारतीय मीडिया समूह के प्रतिनिधियों ने अगस्त, 2003 में सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान मीडिया और प्रसारण से संबंधी कई विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया/उठाए गए बिन्दुओं को यथा उपयुक्त समझी जाने वाली आगामी कार्रवाई हेतु नोट कर लिया गया है।

इंजन ड्राइवरों के ड्यूटी के घंटे

535. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल इंजन ड्राइवरों ने बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं को कम करने और ड्यूटी के प्रति अपनी लापरवाही के लिए अपने को जिम्मेदार ठहराने के मद्देनजर अपने काम के घंटे 8 घंटों से घटाकर 6 घंटे कराने के लिए रेलवे से अनुरोध किया है;

(ख) क्या उन्होंने अपनी सेवाओं को आकस्मिक सेवाओं की परिधि में शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां। इंजन ड्राइवरों ने अनुरोध किया है कि कार्य घंटे लगातार छह घंटों तक सीमित किए जाएं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इंजन ड्राइवरों के पुन: वर्गीकरण या उनके ड्यूटी घंटों में परिवर्तन पर विभिन्न समितियों/अधिकरणों द्वारा विचार किया गया है जिसकी शुरुआत 1946 में एडजुडिकेटर जस्टिस राजाध्यक्ष द्वारा हुई और बाद में 1969 में न्यायमूर्ति मियाभाय, 1980 में रनिंग अलाउंस समिति और चौथे वेतन आयोग द्वारा विचार किया गया। सभी ने तय किया कि रनिंग कर्मचारियों का मौजूदा वर्गीकरण ''कंटीन्यूअस'' के रूप में जारी रखा जाए।

सैनिक स्कूल खोलना

536. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में और सैनिक स्कूल खोलने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में किन स्थानों की पहचान की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) नागालैंड सरकार का नागालैंड के पुंगलवा में एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

रेलवे स्टेशनों पर सफाई

537. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर खड़ी रेलगाड़ियों के डिब्बों में शौचालय का प्रयोग करने से गंदगी की हालत पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे स्टेशनों को साफ-सुथरा बनाए रखने हेतु कोई नए कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलपथों की साइडों पर गंदगी हटाने का पहले वाला कार्य छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) यद्यपि खड़ी गाड़ियों में शौचालयों का इस्तेमाल न करने के बारे में सभी सवारी डिब्बों में नोटिस लगाये जाते हैं, फिर भी बहुत से यात्री इन अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन स्टेशनों पर जहां सवेरे गाड़ी गुजरती है, गंदगी व्याप्त रहती है।

(ख) नियमित निकासी की सुविधा वाले शौचालयों के मैसर्स लिंके-हाफमैन-बुश (एल एच बी) नए डिजाइन के सवारी डिब्बों को निर्मित करने का प्रस्ताव है जिसमें एक होल्डिंग टैंक की व्यवस्था है जो उस समय खुलता है जब गाड़ी गतिमान अवस्था में होती है और इसीलिए स्टेशन क्षेत्र में गंदगी नहीं होती भले ही स्थैतिक अवस्था में शौचालय का उपयोग किया जा रहा हो। इसके अलावा, शुरुआत में कुछ स्टेशनों पर यांत्रिक सफाई शुरू की गई है और यह व्यवस्था स्टेशनों पर सफाई के स्तर में सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक स्टेशनों पर यथासमय शुरू की जाएगी। इसके अलावा, प्लेटफार्म रेलपथों पर धुलनीय कंक्रीट एप्रेनों की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि साफ-सफाई आसानी से, तेजी से तथा प्रभावशाली तरीके से की जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान वाहक पोतों की खरीद

538. **श्री विनय कुमार सोराके:**
श्री अम्बरीश:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री की मास्को यात्रा के दौरान रूसी विमान वाहक पोत एडमिन. गोर्शकोव प्राप्त करने के लिए अंतिम सौदा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना निवेश करने का विचार है;

(ग) क्या भारत के पास एडमिन. गोर्शकोव की लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन करने की विशेषज्ञता है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सौदे का मूल्यांकन करने हेतु किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ/मूल्यांकनकर्त्ता को लगाए गए थे;

(ङ) एडमिन. गोर्शकोव प्राप्त करने से भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमताओं में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(च) क्या भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने हेतु और विमान वाहक पोत प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में कितना निवेश किये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एडमिरल गोर्शकोव की अधिप्राप्ति से अपेक्षित आक्रामक क्षमता हासिल होगी और यह एक प्रमुख निवारक कारक होगा। यह प्रत्याशित खतरों को निष्प्रभावी कर सकता है और थल सेनाओं की सहायता तथा जल-थल भूमिकाओं के निष्पादन के लिए आक्रामक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

(च) और (छ) सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए एक हवाई रक्षा पोत के देश में ही निर्माण के लिए 1999 में अनुमोदन दे दिया है। हवाई रक्षा पोत के सामरिक महत्व और भूमिका के मद्देनजर, जनवरी, 2003 में 2880 करोड़ रुपये की बढ़ी हुए लागत पर एक उच्च क्षमता वाले युद्ध पोत के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता

539. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग हेतु दक्षिण अफ्रीका के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षिण अफ्रीका के साथ ऐसे समझौते से सरकार और तेल कंपनियों को कितना लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) दक्षिण अफ्रीकी शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष उस देश के राष्ट्रपति थे, के दौरे के दौरान 16 अक्तूबर, 2003 को नई दिल्ली में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच एक करार हस्ताक्षर किया गया था। इस करार का उद्देश्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग के लिए सामान्य फ्रेमवर्क की स्थापना करना है।

(ग) यह करार अन्य बातों के साथ-साथ तेल एवं गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन, संसाधन, शोधन, भंडारण के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोग परिवृद्धि तथा दक्षिण अफ्रीका, भारत साथ ही तीसरे देश में भी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण को सुसाध्य बनाएगा।

धुंध के मौसम में रेलगाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही और समयबद्धता

540. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धुंध के मौसम में रेलगाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु कुछ विशेष व्यवस्था करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजना के लागू करने में कितनी लागत आएगी;

(घ) उक्त योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार धुंध के मौसम में रेलगाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही और समयबद्धता किस प्रकार सुनिश्चित करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) कोहरे के दौरान गाड़ियों को चलाने के लिए विस्तृत अनुदेश मौजूद हैं। बहरहाल, भारतीय रेल पर टक्कररोधी उपकरण/गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था करने का कार्य पहले ही प्रगति पर है। डबल डिस्टेंट सिगनल सहित ऐसी प्रणाली से न सिर्फ सुरक्षित संचलन सुनिश्चित होगा बल्कि गाड़ी चालन में सुधार होगा जिससे कोहरे के दौरान गाड़ियों की समय पाबंदी में सुधार भी होगा।

(ग) और (घ) अनुमान के अनुसार, भारतीय रेल पर टक्कररोधी उपकरण/गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली के प्रावधान के लिए 1877 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसे समवेत संरक्षा योजना 2003-13 में शामिल किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (ख) से (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

उग्रवाद से लड़ने में भारतीय वायुसेना की भागीदारी

541. श्री वाई.वी. राव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना थलसेना के साथ मिलकर उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी; और

(ख) यदि हां, तो उग्रवाद से लड़ने के कार्यों में भारतीय वायुसेना की भागीदारी से समस्या का कितना समाधान हो सकेगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) भारतीय वायुसेना प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है तथा आगे भी जारी रखेगी।

(ख) प्रतिविद्रोही कार्रवाई में भारतीय वायुसेना की भागीदारी से प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य तथा अर्ध-सैन्य संसाधनों की कारगर तथा कुशल तैनाती सुनिश्चित होती है।

शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन

542. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में पार्सल दरों पर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का त्वरित परिवहन किये जाने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं तथा फलों, तरकारियों का पार्सल दर पर परिवहन किए जाने के लिए कोई अलग सूची तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केला को फलों की सूची में शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को संसद सदस्यों से केला को शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की सूची में शामिल करने और इसका पार्सल दर पर परिवहन करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जैसाकि 2003-04 के रेल बजट में घोषणा की गई है, 1.4.2003 के प्रभाव से पार्सल और सामान यातायात की बुकिंग के लिए दर संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसके अंतर्गत नश्य पण्यों सहित सभी प्रकार की वस्तुएं, गाड़ी की किस्म के अनुसार चार विभिन्न स्केल के तहत समान दरें प्रभारित की जाती हैं। नश्य पण्यों के लदान और निकासी को तरजीह देने के अनुदेश मौजूद हैं। यात्री गाड़ियों के अतिरिक्त शीघ्र निकासी की अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु नश्य पण्यों सहित पार्सल यातायात की महत्वपूर्ण शहरों के बीच विशेष पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा भी ढुलाई का जाती है। आम और केले के परिवहन की भारी मांग को पूरा करने के लिए "बनाना स्पेशल और मैंगों स्पेशल" गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सशर्त उपागम प्रणाली (सी.ए.एस.) को लागू करने में एकरूपता

543. श्री नरेश पुगलिया:
श्री अधीर चौधरी:
श्री भास्करराव पाटील:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशर्त उपागम प्रणाली (सी.ए.एस.) को पूरे देश में एकसमान रूप से लागू किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक एक समान रूप से लागू किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 4क में प्रावधान है कि जहां केन्द्र सरकार मानती है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से तथा अलग-अलग राज्यों, शहरों, कस्बों या क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट विभिन्न तारीखों, जैसा भी मामला हो, से प्रत्येक केबल आपरेटर को किसी भी चैनल के कार्यक्रम का प्रसारण/पुनर्प्रसारण संबोधन प्रणाली के द्वारा प्रसारित या पुनर्प्रसारित करना अनिवार्य होगा। सरकार ने प्रारंभ में चार महानगरों, नामत: दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चैन्नई में 15 जुलाई, 2003 से सशर्त पहुंच प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया था। बाद में सितम्बर, 2003 से दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में चरणबद्ध रूप से जबकि चैन्नई में एक बार में ही इसे लागू करने का निर्णय लिया गया था। बाद में दिल्ली में सशर्त पहुंच प्रणाली को लागू करने संबंधी अधिसेचना को वापस ले लिया गया था। कैस को लागू करने के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में काफी मामले भी दायर किये गये हैं। इसलिए इसे एक साथ लागू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

रसोई गैस की उत्पादन क्षमता

544. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रसोई गैस की वर्तमान उत्पादन क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व वर्ष की तुलना में औसत वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या देश में रसोई गैस की इस प्रतिस्थापित उत्पादन क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) पूर्व वर्ष के दौरान उपयोग की गई रसोई गैस की औसत वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी थी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) रिफाइनरियों का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है और तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 1998 से लाइसेंसमुक्त है।

किसी रिफाइनरी की क्षमता क्रूड थ्रुपुट के रूप में होती है और एलपीजी अथवा किसी अन्य उत्पाद की कोई विशिष्ट उत्पादन क्षमता नहीं होती है। पिछले तीन वर्षों के लिए एलपीजी का वार्षिक उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में (एमएमटी)
2000-2001	6149
2001-2002	6992
2002-2003	7288

[अनुवाद]

एनटीपीसी का निजीकरण

545. श्री अनंत नायक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का निजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एनटीपीसी के अंतर्गत सभी विद्युत संयंत्रों का भी निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो निजीकरण हेतु एनटीपीसी के अंतर्गत कौन-सा विशिष्ट प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोयला खनन और कोयला धोवन शालाओं हेतु एनटीपीसी का विविधीकरण कार्यक्रम

546. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी अपने विविधीकरण कार्यक्रम के अनुसार कोयला खनन और कोयला धोवनशालाओं में प्रवेश करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो एनटीपीसी ने तलचेर क्षेत्र में रक्षित कोयला खनन में भागीदारी प्रदान करने हेतु पहले ही कोयला मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और कोयला मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या विद्युत मंत्रालय ने भी एनटीपीसी में 5% की सार्वजनिक पेशकश हेतु विभिन्न मंत्रालयों से टिप्पणियां मांगी हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या टिप्पणियां प्राप्त हो गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित स्क्रीनिंग समिति के आधार पर कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन में सार्वजनिक पेशकश के प्रस्ताव हेतु विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/कार्यालयों से टिप्पणियां प्राप्त की जा रही है।

(ङ) और (च) सभी संबंधितों से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

पवन ऊर्जा का उत्पादन

547. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल कितना पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए और उन उपायों के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार वर्ष 2007 तक 5000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादित करने हेतु एक व्यापक रूपरेखा तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्यों और व्यक्तियों को क्या प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है; और

(च) इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निजी भागीदारी की कितनी भूमिका होने की संभावना है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) देश में 2074 मेगावाट की कुल पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

(ख) पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में पवन वाले क्षेत्रों में पवन मानीटरिंग स्टेशनों की स्थापना की गई। अनुसंधान एवं विकास के समन्वयन, पवन टरबाइनों की जांच और प्रमाणन, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, पवन टरबाइनों की

माइक्रो साइटिंग हेतु तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, जनशक्ति विकास और परामर्शी सेवाओं के लिए पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की गई। 11 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे 208 स्थानों का पता लगाया गया है जहां 50 मीटर की ऊंचाई पर 200 डब्लू/एम से अधिक वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व है।

सरकार द्वारा प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्पेयरस और स्थापना कमीशनिंग सहित, 2.1 करोड़ रु. प्रति मेवा. की अधिकतम सीमा के अंतर्गत पवन विद्युत जनित्रों की लागत का 60% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी विकासकर्त्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं को त्वरित मूल्यह्रास, कुछ संघटकों पर रियायती सीमा शुल्क, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी से आवधिक ऋण, उत्पाद शुल्क से छूट आदि जैसे राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध है।

1 अप्रैल, 2000 और 31 मार्च, 2003 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश (4.5 मेवा.), गुजरात (6.2 मेवा.), कर्नाटक (90 मेवा.), महाराष्ट्र (322 मेवा.), राजस्थान (58.7 मेवा.), तमिलनाडु (219.6 मेवा.) और पश्चिम बंगाल (1.1 मेवा.) सहित देश में 702 मेवा. की पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, सरकार ने वर्ष 2007 तक 1500 मेवा. सहित वर्ष 2012 तक 5000 मेवा. की अतिरिक्त पवन विद्युत क्षमता की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। 10वीं योजना के दौरान अब तक 734 मेवा. की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

(ङ) सरकार द्वारा प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य नोडल एजेंसियों और राज्य विद्युत बोर्डों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देना जारी रखा जाएगा। वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों को 10वीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा।

(च) देश में 2074 मेवा. संस्थापित पवन विद्युत क्षमता में से 2009 मेवा. की क्षमता निजी निवेशों के माध्यम से स्थापित की गई है। इस क्रम के जारी रहने की संभावना है।

एलटीटीई द्वारा नौसेना विंग तैयार करना

548. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एलटीटीई द्वारा सी टाइगर्स नामक एक नौसेना विंग बनाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सी टाइगर्स द्वारा पाक की खाड़ी में नियंत्रण किए जाने की दशा में क्या परिणाम निकलेंगे; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) भारत और श्रीलंका अपनी-अपनी ओर की अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा-रेखा का नियंत्रण करते हैं। दोनों देशों के पोतों द्वारा नियमित गश्त लगाई जाती है। इसके अलावा, नियमित रूप से वायु निगरानी उड़ानें भी भरी जाती हैं। भारत की ओर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा-रेखा पर गश्त लगाने वाली भारतीय नौसेना यूनिटों के कारण पाक की खाड़ी में लिट्टे के सी टाइगर्स द्वारा नियंत्रण किए जाने की संभावना नहीं है।

(ग) एक ही देश अर्थात् श्रीलंका दो नौसेनाएं नहीं रख सकता है। अत: भारत ने श्रीलंका से अपनी चिंताएं जता दी है। भारत श्रीलंका की सुरक्षा में स्थायी रुचि रखता है तथा उसकी संप्रभुता व प्रादेशिक अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय कलाकारों को बढ़ावा देना

549. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा क्षेत्रीय कलाकारों को क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों के माध्यम से बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार क्षेत्रीय कलाकारों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों के प्रसारण समय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

युद्धपोतों की आवश्यकता

550. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना में इसकी आवश्यकता से कम युद्धपोत हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कमी के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय नौसेना की समस्त आवश्यकता यथाशीघ्र पूरी करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौसेा का आधुनिकीकरण और विकास एक सतत् प्रक्रिया है जो मुख्यत: भावी खतरे की संभावना और मौजूदा बाह्य युद्धनीति/सुरक्षा परिवेश तथा नवीन प्रौद्योगिकियों से प्रेरित होती है। उच्च प्रौद्योगिकी को शामिल किए जाने पर काफी जोर दिये जाने के मद्देनजर नौसेना प्लेटफार्मों की प्रौद्योगिकी में आवधिक उन्नयन का कार्यक्रम बनाया जाता है।

रेडियो प्रसारण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

551. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेडियो प्रसारण हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदंड और दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टी.वी., प्रिंट मीडिया और रेडियो प्रसारण हेतु लाइसेंस शुल्क/प्रवेश शुल्क बहुत अधिक है और सरकार का इसे समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ङ) सरकार ने 24 जुलाई, 2003 को फेस 2 रेडियो प्रसारण के लिए सिफारिशें करने हेतु एक समिति गठित की थी। इस समिति के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ (1) अन्य क्षेत्रों में पद्धतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निजी एफ.एम. को आर्थिक रूप से और अधिक व्यवहार्य/धारणीय बनाने हेतु विदेशी इक्विटी भागीदारी की सीमा के संबंध में सुझाव देना और (2) विभिन्न शहरों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर व्यवहार्य लाइसेंस शुल्क ढांचे (एक मुश्त प्रवेश शुल्क, नियत लाइसेंस शुल्क, राजस्व भागीदारी आदि) का मूल्यांकन करना शामिल किया गया था। समिति ने 17 नवम्बर, 2003 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा टी.वी. चैनलों के अपलिंक करने की अनुमति देने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क/प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, कोई लाइसेंस शुल्क/प्रवेश शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि समाचार और समसामयिक विषयों/गैर समाचार तथा गैर सामयिक श्रेणियों में विदेशी निवेश के लिए प्रस्तावों पर विचार करने/कार्रवाई करने हेतु 5000 रु. (पांच हजार रुपए मात्र) का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।

लम्बी दूरी की पाइपलाइन का विनियमन

552. श्री जे. एस. बराड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लम्बी दूरी की पाइपलाइनों का विनियमन करने हेतु एक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति में वर्तमान पाइपलाइनें शामिल होंगी या नहीं; और

(घ) यदि नहीं, तो लम्बी दूरी की पाइपलाइनों का विनियमन करने हेतु एक समान नीति लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सरकार ने दिनांक 20.11.2002 की अधिसूचना मि.सं. पी-20012/5/99-पीपी द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। ये दिशा-निर्देश पाइपलाइनों को वर्गीकृत करते हैं और अन्य बातों के साथ-साथ ''स्वामित्व तथा आगम'', ''प्रशुल्क'' आदि को निर्धारित करते हैं। सामान्य प्रयोग के तहत ये दिशा-निर्देश किसी अन्य औद्योगिक इकाई द्वारा प्रयोग के लिए प्रस्तावक की मांग से अधिक कम से कम 25% अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराते हैं।

ये दिशा-निर्देश, संसद के अधिनियम द्वारा पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड के स्थापित होने तक प्रवृत्त रहेंगे। प्रस्तावित बोर्ड नई तथा मौजूदा पाइपलाइनों, जिन्हें एक सामान्य वाहक घोषित किया गया है, को विनियमित करेगा।

लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

553. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में कुछ लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना में किन राज्यों में इन विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया जा रहा है;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(घ) उनके विद्युत उत्पादन का अनुमानित समय कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 10वीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार विवरण उनकी संस्थापित क्षमता और शुरू किए जाने की संभावित तारीख संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	पूरा होने का प्रत्याशित समय
1.	गिराल टीपीएस मै. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	राजस्थान	1×25	अक्टूबर, 2005
2.	बरसिंहसर टीपीएस मै. नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.	राजस्थान	2×125	यूनिट-1 निवेश निर्णय से 48 माह यूनिट-2 निवेश निर्णय से 54 माह परियोजना के 10वीं योजना से आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3.	अकरीमोटा टीपीएस मै. गुजरात मिनरल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.	गुजरात	2×125	यूनिट-1 सितंबर, 2004 यूनिट-2 दिसंबर, 2004
4.	कच्छ लिग्नाइट विस्तार टीपीएस मै. गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि.	गुजरात	1×75	मार्च, 2006
5.	सूरत लिग्नाइट विस्तार टीपीएस मै. गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि.	गुजरात	2×125	यूनिट-1 जून, 2006 यूनिट-2 दिसंबर, 2006
6.	नैवेली विस्तार मै. नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.	तमिलनाडु	2×210	यूनिट-1 21.10.2002 को तुल्यकालिक बनाई गई। यूनिट-2 22.7.2003 को तुल्यकालिक बनाई गई।
7.	नैवेली-II विस्तार मै. नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.	तमिलनाडु	2×250	यूनिट 1-40 माह यूनिट-2 मुख्य संयंत्र का कार्य सौंपने से 44 महीने। परियोजना के 10वीं योजना से आगे बढ़ जाने की संभावना है।
8.	नैवेली जीरो मै. एस-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी	तमिलनाडु	250	यूनिट 11.10.2002 को तुल्यकालिक बनी

गेल द्वारा खरीद की गई पाइपलाइन प्रौद्योगिकी

554. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने ''लान्गिट्युडिनली सवमर्ज्ड आर वेल्डिड (एल एस ए डब्ल्यु)'' प्रौद्योगिकी नाम की एक नई पाइपलाइन प्रौद्योगिकी की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रौद्योगिकी का विशेष लाभ क्या है;

(घ) इस एलएसएडब्ल्यु प्रौद्योगिकी का उपयोग अनुमानित कितना है; और

(ङ) इस प्रौद्योगिकी की अतिरिक्त लागत कितनी है और कराए गए अध्ययनों के मुताबिक इससे लागत-लाभ कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी नहीं। हालांकि गेल अपने प्रारम्भ से ही अर्थात् करीब 17 वर्षों से इस प्रौद्योगिकी से निर्मित पाइपलाइनों का प्रयोग कर रही है।

(ख) लांगिट्युडिनली सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिड (एलएसएडब्ल्यू) प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च दाब वाले हाइड्रोकार्बनों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाली पाइपों को तैयार करने के लिए अधिकांश पाइप निर्माताओं द्वारा किया जाता है। लांगिट्युडिनली तरीके से सीवन को वेल्ड करते हुए तथा 'यू' या 'ओ' आकार की प्लेटों में ढाल कर इसे प्राप्त किया जाता है।

(ग) ये पाइपलाइनें उच्च दाब गैस परिवहन अनुप्रयोग में सुरक्षित है। साथ ही एलएसएडब्ल्यूयू पाइपों पर रंग लगने की संभावना कम होती है। परिणामत: ये अधिक समय तक चलती है और वेल्ड किए गए सीवन पर यह यदा-कदा ही खराब होती है।

(घ) एलएसएडब्ल्यू पाइपों का प्रयोग गैस, द्रवित हाइड्रोकार्बनों तथा संबद्ध द्रवों के परिवहन के लिए लाइन पाइप के निर्माण के लिए किया जाता है।

(ङ) पाइप की लागत प्रापण के समय प्रचलित विभिन्न कारकों जैसे कच्चा माल लागत, मांग/आपूर्ति दशाओं आदि पर निर्भर करेगी।

रसोई गैस और मिट्टी के तेल के बिक्री मूल्यों का पुनरीक्षण

555. श्रीमती प्रभा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कम्पनियों ने सरकार से घरेलू रसोई गैस और मिट्टी के तेल की बिक्री दरों का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने तेल कम्पनियों को रसोई गैस और मिट्टी के तेल की दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा दरों की किस सीमा तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं को रसोई गैस और मिट्टी के तेल की वर्तमान दरों पर आपूर्ति से तेल कम्पनियों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एमपीएम) के समापन संबंधी सरकारी निर्णय के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर राजसहायता समान दर आधार पर है और इसे लेखा में लेते हुए तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) इन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की अंतरभिन्नताओं के अनुरूप खुदरा बिक्री मूल्य घटा-बढ़ा सकती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी सामूहिक खपत वाले घरेलू ईंधन हैं। इन उत्पादों के उच्चतर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को घरेलू मूल्यों के अंतर्गत स्वीकार करने से उपभोक्ताओं को हानि हुई होती। इस मामले की इसलिए पुन: जांच की गई थी तथा उपभोक्ता हित में यह निर्णय लिया गया था कि संबंधित तेल विपणन कंपनियां वर्ष 2003-04 के दौरान इन उत्पादों के बिक्री मूल्यों में वृद्धि नहीं करेगी।

तेल विपणन कंपनियों की परिणामी कम-वसूलियां, जिनके लगभग 8200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच समाहित की जाएगी/बांटी जाएगी।

[हिन्दी]

गोमती एक्सप्रेस का देर से चलना

556. श्री अमीर आलम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली गोमती एक्सप्रेस अपने एक ही रैक के कारण घंटों विलम्ब से चलती है और यह पूरे सप्ताह भर विलंब से ही चलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस रेलगाड़ी के समय से चालन करने के लिए इसे दूसरा रैक मुहैया कराने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस गाड़ी के समय से चालन के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने के लिए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान में चल रहे एक रैक वाली रेलगाड़ियों को दोहरे रैक वाली गाड़ियां बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी नहीं। 2419/2420 लखनऊ-नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस का समय पालन मुख्यत: खतरे की जंजीरें खींचने, हौज पाइप को हटाने और अन्य शरारती गतिविधियों से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, इस गाड़ी के समय पालन को प्रभावित करने का दूसरा कारण ठहरावों की व्यवस्था करना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) रेलें, गाड़ियों को समय पर चलाने के सभी संभव प्रयास करती हैं। विभिन्न स्तरों पर चौबीसों घंटे नियमित गहन मॉनीटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर निरीक्षक और अधिकारी दोनों स्तरों पर समय पालन अभियान भी चलाए जाते हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एल एन जी का उत्पादन

557. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्रोतों से राज्यवार कितनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी और किस दर से रॉयल्टी दी गई;

(ग) क्या किसी अधिनियम या विनियमन मॉडल की कल्पना की गई है जिससे कि राज्य अपने पेट्रोलियम और गैस संसाधनों का दोहन करने के लिए अपनी स्वयं की नीति बना सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मालवा में ताप विद्युत संयंत्र

558. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मालवा मध्य प्रदेश में एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस विद्युत संयंत्र की स्थापित क्षमता कितनी होगी; और

(ग) उस विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने मध्य प्रदेश के मालवा में 1000 मेगावाट (2 × 500 मेगावाट) के थर्मल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा है।

(ग) 11वीं योजना के दौरान परियोजना की क्षमता अभिवद्धि हेतु पहचान की गई है। परियोजना का कार्यान्वयन सभी आवश्यक निर्देशों/स्वीकृतियों के रोके जाने और ग्रिड से संबंधित तकनीकी मानकों के संबंध में आदेशानुसार कार्य किए जाने के पश्चात् किया जा सकता है। नये विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति, परियोजना हेतु अपेक्षित नहीं है।

पेट्रोल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल के परिवहन पर राजसहायता

559. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण योजना के तहत पेट्रोल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल के देश के सुदूर क्षेत्रों में परिवहन पर राजसहायता देने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यह रियायत कब से दी जाने वाली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा राजसहायता 1.4.2002 से सरकारी बजट से उपलब्ध है। पेट्रोल के लिए ऐसी कोई राजसहायता उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशों में गेल द्वारा ब्लॉकों की खरीद

560. श्री तूफानी सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड कुछ देशों में गैस ब्लॉकों को खरीदने की बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेल ने कुछ देशों में गैस की खोज संबंधी कार्य की भी पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) एक अपतटीय इजिप्ट ब्लॉक में फार्म-इन'' प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रही है जिसमें शैल इजिप्ट प्रचालक है।

(ग) और (घ) जी हां। गेल म्यांमार अपतट ब्लॉक में एक संयुक्त उद्यम में 10 प्रतिशत के भागीदारी हित के साथ एक गैर-प्रचालक भागीदार है जहां अन्वेषण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना में परिसंघ के भागीदार और उनका भागीदारी हित निम्नानुसार है:

देवू इंटरनैशनल	–	60 प्रतिशत (प्रचालक)
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	–	20 प्रतिशत
गेल (इंडिया) लिमिटेड	–	10 प्रतिशत
कोरिया गैस (को गैस)	–	10 प्रतिशत

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

561. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:
श्री अजय चक्रवर्ती:
डा. बी.बी रमैया:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा निर्धारित करने हेतु संविधान संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है और इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस आयोग में कौन-कौन से लोग होंगे; और

(ग) उक्त आयोग की कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप दिए जाने की संभावनाएं हैं और कब तक विधान पुर:स्थापित किए जाने और देश में इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि): (क) सरकार ने, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव सिद्धान्त: अनुमोदित कर दिया है। इसमें मौजूदा आरक्षण नीति के अंतर्गत न आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए इस मुद्दे का अध्ययन करने और तौर-तरीके तैयार करने हेतु एक आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार प्राप्त करने तथा आरक्षण के लिए तौर-तरीके तैयार करने और साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों आदि की पहचान के लिए मानदण्ड सुझाने के लिए प्रस्तावित आयोग से अपेक्षा की जाती है। इस आयोग का एक अध्यक्ष होगा तथा उपयुक्त विशेषज्ञता वाले 4 अन्य सदस्य होंगे।

(ग) प्रस्तावित आयोग अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रस्तावित आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात्, संविधान में संशोधन लाने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग

562. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोरप्पुर-धरमपुरी लाइन का सर्वेक्षण कराने और बंगलौर से चलने वाली या बंगलौर को जाने वाली दक्षिण का सभी रेलगाड़ियों को सेलम-जोलारपेट बंगरूपेट लाइन के बजाय सेलम-धरमपुरी और होजुर से चलाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समय और पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 67 जल विद्युत परियोजना

563. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के उच्च विद्युत विभव प्रदान करने के लिए सरकार की योजना उस क्षेत्र में 67 जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र की कुल अनुमानित जल विद्युत विभव कितनी है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी अब तक योजना बनाई गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यदि कोई कार्य योजना बनाई गई है, तो वह क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) माननीय प्रधान मंत्री की 50,000 मेगावाट की जल विद्युत पहल के अंतर्गत 32,107 मेगावाट की औसतन संस्थापित क्षमता वाली 70 जल विद्युत योजनाओं की प्राथमिक व्यवहार्यता रिपोर्टों की तैयारी सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिन्हित की गई है।

(ख) 1978 से 1987 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र की चिन्हित की गई अनुमानित जल क्षमता 58971 मेगावाट है। उपरोक्त में से 1070 मेगावाट की चिन्हित की गई क्षमता को अब तक काम में लाया गया है जबकि अन्य 379 मेगावाट निवेश अनुमोदन (3 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत योजनाओं पर विचार करते हुए) के पश्चात् निर्माणाधीन है।

(ग) प्राथमिक व्यवहार्यता रिपोर्टों की तैयारी हेतु चिन्हित की गई 70 जल विद्युत परियोजनाओं के विवरण संलग्न है।

(घ) इस क्षमता को काम में लाना इन योजनाओं की व्यावसायिक व्यवहार्यता, पर्यावरण, वन एवं अन्य स्वीकृतियों, उत्पादित विद्युत के भावी क्रयकर्त्ताओं और परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान पर निर्भर करता है।

विवरण

प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) हेतु राज्यवार जल विद्युत स्कीमों की सूची

क्र.सं.	स्कीम/परामर्शक	नदी/बेसिन	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	भरेली लिफ्ट बांध-II	कामेंग	330.0
2.	भरेली लिफ्ट बांध-I	कामेंग	240.0
3.	कपाक लियाक	कामेंग	195.0
4.	बदाओ	कामेंग	120.0
5.	पाक्के	कामेंग	120.0
6.	सेबा	कामेंग	105.0
7.	चांदा	कामेंग	110.0
8.	किमी	कामेंग	535.0
9.	कामेंग	कामेंग	1100.0
10.	बिछोम-II	कामेंग	205.0
11.	पापू	कामेंग	160.0
12.	तलोंग	कामेंग	150.0
13.	उतुंग	कामेंग	110.0

1	2	3	4
14.	टेंगा	कामेंग	275.0
15.	बिछोम स्टोरेज-I	कामेंग	190.0
16.	हीगियो	सुबानसिरी	250.0
17.	इमीनी	दिहांग-दिबांग	295.0
18.	अमुलिन	दिहांग-दिबांग	235.0
19.	अगोलाइन	दिहांग-दिबांग	235.0
20.	रिगोंग	दिहांग-दिबांग	130.0
21.	कुरुंग बांध-II	सुबानिसिरी	115.0
22.	टाटो-II	दिहांग-दिबांग	360.0
23.	ओजू-II	सुबानसिरी	2580.0
24.	अत्तूनी	दिहांग-दिबांग	175.0
25.	नाबा	सुबानसिरी	1290.0
26.	इमरा-II	दिहांग-दिबांग	870.0
27.	इटालिन	दिहांग-दिबांग	3045.0
28.	नेइंग	दिहांग-दिबांग	495.0
29.	ओजू-I	सुबानसिरी	1925.0
30.	नियारे	सुबानसिरी	1405.0
31.	इमरा-I	दिहांग-दिबांग	275.0
32.	मिनियिंग	दिहांग-दिबांग	195.0
33.	इलांगो	दिहांग-दिबांग	180.0
34.	दुइमुख स्टोरेज	सुबानसिरी	170.0
35.	मिराक	दिहांग-दिबांग	160.0
36.	हिरोंग	दिहांग-दिबांग	180.0
37.	मलिनई	दिहांग-दिबांग	335.0
38.	मिहुमडन	दिहांग-दिबांग	145.0
39.	डेम्भे	दिहांग-दिबांग	3000.0
40.	कुरुंग बांध-I	सुबानसिरी	200.0
41.	हुतोंग	लुहित	950.0
42.	कलाई	लुहित	2550.0
		कुल जोड़ (अरुणाचल प्रदेश)	25690.0

1	2	3	4
मणिपुर			
1.	नंगलीबान	बराक व अन्य	85
2.	खोंगनेम चाखा-II	बराक व अन्य	90
3.	पबाराम	बराक व अन्य	232
		कुल जोड़ (मणिपुर)	407
मेघालय			
1.	सुशेन	बराक व अन्य	150
2.	उमजौत	बराक अन्य	85
3.	उमदुना	बराक व अन्य	95
4.	किंशी-II	बराक व अन्य	175
5.	उमियम-उमत्रु-6	कलांग	145
6.	नोंगलैत	बराक व अन्य	180
7.	मॉब्लेई स्टोरेज	बराक व अन्य	100
8.	क्यांशी स्टोरेज-1	बराक	295
9.	उमनगोट स्टोरेज	बराक	265
		कुल जोड़ (मेघालय)	1490
मिजोरम			
1.	काकजाम	बराक व अन्य	545
2.	लंगलैंग स्टोरेज	बराक व अन्य	690
3.	बोइनु स्टोरेज	बराक व अन्य	635
		कुल जोड़ (मिजोरम)	1870
नागालैंड			
1.	यांग्न्यू स्टोरेज	उत्तरी ब्रह्मपुत्र	135
2.	तिजू	बराक एवं अन्य	365
3.	दिखू बांध	उत्तरी ब्रह्मपुत्र	470
		कुल जोड़ (नागालैंड)	970

1	2	3	4
सिक्किम			
1.	पानन	तीस्ता	230
2.	नामलुम	तीस्ता	175
3.	दिक्वू	तीस्ता	90
4.	रांगयोंग	तीस्ता	175
5.	लिंगजा	तीस्ता	160
6.	रुकेई	तीस्ता	90
7.	रोंगनी स्टोरेज	तीस्ता	95
8.	जिदांग	तीस्ता	185
9.	रिंगपी	तीस्ता	160
10.	तीस्ता चरण-1	तीस्ता	320
		कुल जोड़ (सिक्किम)	1680
		कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	32107

[हिन्दी]

सौर बैट्रियों से गांवों का विद्युतीकरण

564. डा. जसवन्तसिंह यादव: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सौर बैट्रियों की सहायता से राजस्थान में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) इस संबंध में राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और अब तक कितनी खर्च हो चुकी है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राजस्थान को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) राजस्थान की राज्य नोडल एजेंसी द्वारा राज्य आबंटन के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) स्कीम के अंतर्गत स्टैंड-अलोन सौर विद्युत संयंत्रों पर आधारित 22 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। अन्य 38 गांवों में कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) के सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 22,500 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां और 437 सौर सड़क रोशनी प्रणालियां स्थापित की गई।

(ख) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना स्कीम के अंतर्गत 22 गांवों के विद्युतीकरण पर 8.87 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई और व्यय की गई। सौर घरेलू और सड़क रोशनी प्रणालियों की संस्थापना पर अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा 13.60 करोड़ रु. की राशि जारी की गई और राज्य एजेंसी द्वारा व्यय की गई.

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान राज्य को अब तक कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कर्मचारियों के सांविधिक देय का भुगतान न किया जाना

565. श्री सुनील खां:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की बकाया मजदूरी/वेतन और सांविधिक देय को निर्गत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में कर्मचारियों की देय राशि/उन्हें भुगतान की गई राशि का उपक्रमवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में कर्मचारियों की उक्त देयराशि को निर्गत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु कम कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अधिवार्षिता आयु में एकरूपता न अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह निदेश दिया है कि वे समयबद्ध तरीके से कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजूरी तथा सांविधिक देयताओं को पूरा करें। 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार देयताओं की उद्यमवार तथा राज्यवार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विशेष उपक्रमों में ऐसी देयताओं में विलंब मुख्य रूप से वित्तीय कठिनाइयों अथवा उनके सामने आने वाली कानूनी अड़चनों के कारण है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे देयताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार से एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उद्यम/एकक के भविष्य के लिए विशेष योजना प्रस्तुत करें।

(घ) सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से कम करके फिर 58 वर्ष कर दिया गया है।

(ङ) और (च) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विशेष प्रस्तावों के आधार पर प्रत्येक मामले के अनुसार अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने का निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में सूचना को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता।

विविध कार्यकलापों, वित्तीय स्थिति तथा अतिरिक्त कर्मचारियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए एकसमान अधिवार्षिता आयु नहीं अपनाई गई है।

विवरण

31.12.2002 की स्थिति के अनुसार उद्यमवार व राज्यवार बकाया देयताएं

(लाख रुपए)

राज्य	क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम (अवस्थिति)	बकाया देयता		योग
			सांविधिक देयताएं	वेतन/मजूरी देयताएं	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि. (विशाखापत्तनम)	1252.84	–	1252.84
	2.	प्रागा टूल्स लि.	295.35	186.61	481.96
		जोड़	1548.19	186.61	1734.80
बिहार	1.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. (बोकारो)	3282.00	977.00	4259.00
	2.	भारत वैगन एण्ड इंजी. (मोकामा)	1297.83	441.72	1739.55
		जोड़	4579.83	1418.72	5998.55
दिल्ली	1.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (दिल्ली)	38.41	–	38.41
	2.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (दिल्ली)	1209.02	815.85	2024.87
	3.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो. (दिल्ली)	0.89	–	0.89
	4.	अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं लि. (दिल्ली)	0.76	–	0.76
	5.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (दिल्ली)	–	134.47	134.47
	6.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. (दिल्ली)	4410.00	1807.00	6217.00

1	2	3	4	5	6
	7.	राष्ट्रीय बीज निगम (दिल्ली)	338.69	189.23	527.92
	8.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.* (दिल्ली)	एनटीसी की सहायक कंपनियों में शामिल। कुल मिलाकर सभी सहायक कंपनियों की देयताएं अलग-अलग दी गई हैं।		
	9.	राज्य फार्म्स निगम लि. (दिल्ली)	2538.00	250.00	2788.00
		जोड़	8535.77	3196.55	11732.32
गुजरात	1.	नेटेका (गुजरात) लि.* (अहमदाबाद)	एनटीसी की सहायक कंपनियों में शामिल		
हरियाणा	1.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा. लि. (गुड़गांव)	7585.00	–	7585.00
		जोड़	7585.00	–	7585.00
झारखंड	1.	भारत कोकिंग कोल लि. (धनबाद)	51202.00	–	51202.00
	2.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (रांची)	22.00	–	22.00
	3.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (रांची)	9277.00	881.00	10158.00
	4.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया (नोएडा)	–	–	–
		जोड़	60501.00	881.00	61382.00
कर्नाटक	1.	एचएमटी लि. (बंगलौर)	395.00	–	395.00
	2.	एचएमटी (मशीन टूल्स) (बंगलौर)	2429.00	382.00	2811.00
	3.	एचएमटी (वाचेज) (बंगलौर)	2346.00	1242.00	3588.00
	4.	एचएमटी (सीडब्ल्यू) (जम्मू)	102.00	88.00	190.00
	5.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.* (बंगलौर)	एनटीसी की सहायक कंपनियों में शामिल।		
	6.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. (तुंगभद्रा)	257.00	553.00	810.00
		जोड़	5529.00	2265.00	7794.00
मध्य प्रदेश	1.	नेपा लि. (नेपानगर)	437.38	–	437.38
	2.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.* (इंदौर)	एनटीसी की सहायक कंपनियों में शामिल।		
		जोड़	437.38	–	437.38
महाराष्ट्र	1.	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि. (पिम्परी)	1700.00	–	1700.00
	2.	मझगांव डॉक लि. (मुम्बई)	18.70	–	18.70
	3.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.* (मुम्बई)	एनटीसी की सहायक कंपनियों में शामिल।		
	4.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.* (मुम्बई)			
		जोड़	1718.70	–	1718.70

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	1.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (भुवनेश्वर)	77.10	–	77.10
		जोड़	77.10	–	77.10
राजस्थान	1.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (कोटा)	823.00	325.00	1148.00
	2.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	–	–	–
		जोड़	823.00	325.00	1148.00
तमिलनाडु	1.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. (उटकमंड)	293.94	–	293.94
	2.	नेटेका (तमिलनाडू एवं पांडिचेरी) लि.* (कोयम्बटूर)	एनटीसी की सहायक कंपनियों में शामिल।		
		जोड़	293.94	–	293.94
उत्तर प्रदेश	1.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स (इलाबाद)	1437.54	–	1437.54
	2.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.* (कानपुर)	एनटीसी की सहायक कंपनियों में शामिल।		
	3.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया (नोएडा)	2019.00	–	2019.00
	4.	स्कूटर्स इंडिया लि. (लखनऊ)	16.08	–	16.08
	5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (नैनी)	885.78	355.00	1240.78
		जोड़	4358.40	355.00	4713.40
पश्चिम बंगाल	1.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी (कोलकाता)	1575.81	372.02	1947.83
	2.	बंगाल इम्युनिटी लि. (कोलकाता)	508.00	–	508.00
	3.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि. (कोलकाता)	23.36	–	23.36
	4.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि. (दुर्गापुर)	76.91	420.00	496.91
	5.	भारत प्रोसेस एण्ड मैक. इंजी. लि. (कोलकाता)	59.42	–	59.42
	6.	बड्र्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.	116.00	38.00	154.00
	7.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि. (कोलकाता)	418.12	190.00	608.12
	8.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. (कोलकाता)	2675.77	–	2675.77
	9.	हिन्दुस्तान केबल्स लि. (कोलकाता)	8107.08	–	8107.08
	10.	हिन्दुस्तान कॉपर लि. (कोलकाता)	1563.00	841.00	2404.00
	11.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र. (कोलकाता)	–	8300.00	8300.00
	12.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजी. (कोलकाता)	35.00	242.00	277.00
	13.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि. (बर्नपुर)	4502.00	–	4502.00
	14.	जेसप एण्ड कंपनी लि. (कोलकाता)	460.42	–	460.42

1	2	3	4	5	6
	15.	नेशनल इंस्ट्रूमेंड्स लि. (कोलकाता)	263.79	189.13	452.92
	16.	नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि. (कोलकाता)	19246.00	7197.00	26443.00
	17.	नेटेका (पं. बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.*	एनटीसी की सहायक कंपनियों में शामिल।		
	18.	स्मिथ स्टेनिट्रीट एण्ड फार्मा. (कोलकाता)	91.00	–	91.00
	19.	चाय व्यापार निगम (कोलकाता)	872.29	1029.52	1901.81
	20.	टायर कारपो. ऑफ इंडिया लि. (कोलकाता)	912.29	37.01	949.30
		जोड़	41506.26	18855.68	60361.94
		नेटेका की सहायक कंपनियां*	25500.00	–	25500.00
		कुल जोड़ (60)	162993.57	27483.56	190477.13
		करोड़ रुपए के बराबर	1629.94	274.83	1904.77

[हिन्दी]

कनकौर अधिकारियों की विमान यात्रा

566. श्री अरुण कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2002-2003 के दौरान कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कितने अधिकारियों ने अधिकारिक रूप से विमान यात्रा की;

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान ऐसी विमान यात्राओं पर अधिकारियों द्वारा कितना खर्च वहन किया गया; और

(ग) इन सभी विमान यात्राओं पर कनकोर (सीओएनसीओआर) द्वारा वर्षवार कितना खर्च किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल): (क) अस्सी (80) अधिकारी

(ख) 103 लाख रुपए

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है:

2000-01	61 लाख रुपए
2001-02	76 लाख रुपए
2002-03	103 लाख रुपए

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए ईडबी से धन

567. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कुवासीमा, वेमागिरि, और गौतमी में गैस आधारित तीन विद्युत संयंत्रों के लिए ईडबी (आईडीबीआई या अन्यत्र जगहों से धन प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने या इसके लिए गारंटी देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में विचाराधीन/क्रियान्वयनाधीन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) निजी क्षेत्र के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही तीन गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए निधियां सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) से किसी गारंटी का अनुरोध आंध्र प्रदेश द्वारा नहीं किया गया है। तथापि 4 गैस आधारित परियोजनाओं

अर्थात 445 मे.वा. कोना-सीमा विद्युत परियोजना, 370 मे.वा. वेमागिरि विद्युत परियोजना, 464 मे.वा. गोतमी विद्युत परियोजना और 220 मे.वा. लेगरूपाइ विस्तार परियोजना के वित्तीय समापन हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्त मंत्रालय की सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ख) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने भुगतान सुरक्षा संबंधी कुछ शर्तों की पूर्ति की शर्त पर आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही कोना सीमा ईपीएस ओकवेल पावर लि. (कोनासीमा) और जीवेके इंडस्ट्रीज लि. (जीवीके) चरण-2 के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदन कर दिया है।

(ग) मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में दसवीं योजना के दौरान चालू किये जाने हेतु विचाराधीन/क्रियान्वयनाधीन गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

10वीं योजना के दौरान लक्षित/प्रत्याशित गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं

राज्य और परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट) मूल लक्ष्य के अनुसार क्षमता (मेगावाट) लाभ
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा ईपीएस ओपीएल	445
वेमागिरि सीसीपीपी	वेमागिरि पावर जेनरेशन लि.	370
गौतमी सीसीपीपी	गौतमी पावर लिमिटेड	464
जेगरुपाडु सीसीपीपी विस्तार	जीवीके इंडस्ट्रीज	220
असम		
लकवा डब्ल्यूएच	असम राज्य विद्युत बोर्ड	38
कर्नाटक		
बिदादी सीसीपीपी	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	1400#
हासन सीसीपीपी	हासन पावर कंपनी	189@
मध्य प्रदेश		
गुना सीसीपीपी	मै. एसटीआई पावर इंडिया लि.	430#
महाराष्ट्र		
डाभोल सीसीपीपी II	डाभोल पावर कंपनी	1444
पांडिचेरी		
कराईकल सीसीपीपी	पीपीसीएल	100@
राजस्थान		
मैथानिया आईएससीसी	आरआरईसीएल	140

1	2	3
तमिलनाडु		
कुरुप्पुर सीसीपीपी	अबान पावर कंपनी लि.	119.8#
कुट्टालम सीसीपीपी	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	37
वालनथरावई सीसीपीपी	आरके एनर्जी लि.	38#
त्रिपुरा		
मोनार्चक सीसीपीपी	नीपको	500

सीसीपीपी-कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट
डब्ल्यूएच-वेस्ट हीट
आईएससीसी-इंटीग्रेटेड सोलर कम्बाइंड साइकिल।
@ताप विद्युत यूनिटें 10वीं योजना के मूल्य लक्ष्य से पिछड़ रही है
#ताप विद्युत यूनिटें 10वीं योजना के मूल लक्ष्य में शामिल नहीं है।

डी.टी.एच. सेवा

568. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने इस वर्ष दिसम्बर से डी.टी.एच. सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने चैनल लांच किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या दूरदर्शन ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से डी.टी.एच. सेवाओं को शुरू करने के निमित एक ट्रांसपोंडर रिजर्व करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना में कितना खर्च आया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार द्वारा दूरदर्शन की ''के.यू. बैंड'' को प्रायोगिक परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है। तीस फ्री टू एयर चैनलों के प्रसारण के 2004 के मध्य तक शुरू हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन से चार के.यू. बैंड ट्रांसपोंडर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है।

(ङ) के.यू. बैंड प्रसारण परियोजना को 164.35 करोड़ रुपये की लागत पर अनुमोदित कर दिया गया है।

जोनल रेलवे द्वारा माल भाड़ा आय में वृद्धि

569. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोनल प्रबंधकों को अलग-अलग गाड़ियों में माल भाड़ा आय में वृद्धि हेतु जोनल स्तर पर रूपरेखा तैयार करने हेतु कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अलग-अलग गाड़ियों में माल यातायात में वृद्धि करने हेतु कोई योजना प्रस्तुत की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में जोनल प्रबंधकों द्वारा की गयी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(घ) यदि माल-भाड़ा आय में वृद्धि होती है, तो क्या कर्मचारियों को इसके लिए कोई प्रोत्साहन दिया जाएगा; और

(ङ) इस संबंध में तैयार की गयी प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं। अलग-अलग माल गाड़ियों के लिए अलग से कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सी हैरियरों और सी किंग हेलीकॉप्टरों के लिए कलपुर्जों की खरीद

570. श्री जे.एस. बसवराज: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौसेना के पुराने सी हैरियर जम्प जेटों और सी किंग हेलीकॉप्टरों के लिए महत्वपूर्ण कलपुर्जों की खरीद अमेरिका से करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सी हैरियर वायुयान के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे यू.के. में विमान के मूल उपस्कर निर्माता से खरीदे जा रहे हैं। सी हैरियर के लिए किसी भी हिस्से-पुर्जे की खरीद अमरीका से नहीं की जा रही है।

सी किंग वायुयान के 98 अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का आदेश अमरीकी नौसेना की विदेशी सैन्य बिक्री योजना के माध्यम से दिया जा चुका है। इनमें से अस्सी अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की आपूर्ति पहले ही हो गई है।

रेल परियोजना पूरी होने में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि

571. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल परियोजनाओं के पूरे होने में हुए विलम्ब के कारण लागत में लगभग 10,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए की वृद्धि के लिए रेलवे जिम्मेदार है, जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अपनी अंतिम डाटा प्रोबिंग प्रोजेक्ट्स में बताया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू परियोजनाओं के शीघ्र समापन हेतु संसाधनों में इजाफा करने के लिए बहुत सी पहल की गई है। इनमें राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागीदारी, सार्वजनिक/निजी सहभागिता, रक्षा मंत्रालय से वित्त पोषण, उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला राष्ट्रीय परियोजना के लिए अतिरिक्त संसाधन तथा राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए निधियों की व्यवस्था शामिल हैं।

रेडियोसिटी का परिचालन

572. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेडियो सिटी का परिचालन करने वाली कम्पनी मैसर्स म्यूजिक ब्रोडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वित्त पोषण करने और स्वामित्व प्रदान करने संबंधी भागीदारी बनने के मामले में दिए गए स्पष्टीकरण में कई कमियां पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संबद्ध प्राधिकारियों को पत्र लिखे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन्हें किस सीमा तक स्पष्ट किया गया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ङ) सरकार ने लाइसैंस अनुबंध के नियमनों एवं शर्तों के तथाकथित उल्लंघनों के मामले में मै. म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 3 सितम्बर, 2003 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह मामला इस समय कम्पनी कार्य विभाग और विधि मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, मै. म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार को लाइसैंस अनुबंध समाप्त करने और किसी भी प्रकार से कोई भी मांग करने अथवा बैंक गारंटी के अन्तर्गत कोई राशि प्राप्त करने से रोकने के अनुरोध की प्रार्थना के साथ मुम्बई उच्च न्यायालय में पंचाट याचिकाएं दाखिल की हैं।

कम्प्यूटरों की चोरी

573. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
कुंवर अखिलेश सिंह:
डॉ. बी.बी. रमैया:
श्री तूफानी सरोज:
श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
डा. डी.वी.जी. शंकर राव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) कार्यालय से 20 से अधिक कम्प्यूटरों, जिनमें भारत की रक्षा रणनीति संबंधी वर्गीकृत आंकड़े दर्ज थे, की चोरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में किसी जांच के आदेश दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) सुरक्षा खामियों हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कार्यालय के मुख्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) अक्तूबर, 2003 में मैटकाफ हाऊस, नई दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगटन की दो प्रयोगशालाओं से 18 कम्प्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सी.पी.यू.) चोरी हुए थे और इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को की गई थी तथा सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत यह मामला दिनांक 9.10.03 को प्राथमिकी संख्या 235 के द्वारा दर्ज कराया गया था। गुम हुए डाटा की पहचान कर ली गई है तथा इसे गैर संवेदनशील स्वरूप का पाया गया है।

(ग) जी, हां। औपचारिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

(घ) स्टोर किए गए आंकड़े की संवेदनशीलता की जांच बाहरी विशेषज्ञ से करवाए जाने के लिए रक्षा मंत्री द्वारा करवाई गई जांच में गुम हुए आंकड़े को गैर-संवेदनशील स्वरूप का बताया गया है। आसूचना ब्यूरो तथा अन्वेषण एवं विश्लेषण स्कंध (रॉ) द्वारा अभी भी जांच की जा रही है।

(ङ) अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

(च) सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए किए गए ने उपाय हैं: कनसर्टीना तार से चाहरदीवारी मजबूत करना, खिड़कियों-दरवाजों पर ग्रिल लगाना, प्रवेश नियंत्रण उपकरण लगाना तथा निगरानी टावर बनाना, जंगली घास-फूस साफ करना तथा चाहरदीवारी पर झुके हुए पेड़ों की छंटाई करना और सुरक्षा स्टाफ की संख्या में वृद्धि करना।

लंबित राज्य विद्युत परियोजनाएं

574. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री भास्कर राव पाटील:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नए विद्युत संयंत्रों की मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचने के बजाए उन्हें स्वयं राज्य स्तर पर ही मंजूर किया जाएगा;

(ख) क्या राज्यों को केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से मंजूरी लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो दसवीं योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितने विद्युत संयंत्रों को स्थापित किये जाने पर विचार किया गया है और उनसे कितने विद्युत का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है और इनमें कितनी वित्तीय लागत आने का अनुमान किया गया है;

(घ) ऐसे विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से किस सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ङ) राज्यों में किसी नए विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने वाली उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार से मंजूरी प्राप्त करने के लिए लंबित हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार ताप विद्युत उत्पादन के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। किंतु जल विद्युत केन्द्र की स्थापना की इच्छुक कंपनी को, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित किए गए पूंजीगत व्यय से अधिक की स्कीम को तैयार कर इसे प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु भेजना होगा।

योजना आयोग ने राज्य सरकारों को बिना किसी सीमा के विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदित करने की पूरी शक्ति प्रदान की है। योजना आयोग की स्वीकृति केवल उन्हीं जल विद्युत परियोजनाओं तक सीमित रखी जानी है, जहां अंत:राज्यीय मामले शामिल है।

(ख) राज्यों को केन्द्र सरकार से ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में केवल पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति लेना आवश्यकता है। निर्धारित पूंजीगत व्यय से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति भी आवश्यक है। इसके अलावा ऐसी कोई भी जल विद्युत परियोजना, जिसमें अंत:राज्यीय मामले शामिल हैं, के लिए योजना आयोग की भी स्वीकृति प्राप्त करना शामिल है।

(ग) और (घ) 10वीं योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले विद्युत संयंत्रों एवं इनकी अनुमानित लागत के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई भी जल विद्युत परियोजना लंबित नहीं है।

विवरण

10वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि

राज्य क्षेत्र

परियोजना का नाम	हाइड्रो (मेगावाट)	थर्मल (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
पंजाब				
शाहपुरकंडी (एच)	168	–	168	1005.76
जीएचटीपी-2 (टी)	–	500	500	1789.67
हरियाणा				
पानीपत यू-7 व 8(टी)	–	500	500	1785.36
हिमाचल प्रदेश				
लारजी-I (एच)	126	–	126	321.47
कशांग-I (एच)	66	–	66	234.16
जम्मू व कश्मीर				
बगलीहार (एच)	450	–	450	–
दिल्ली				
प्रगति (टी)	–	225.78	225.78	1077.30
राजस्थान				
सुरतगढ़-III (टी)	–	250	250	752.74
रामगढ़-II (टी)	–	75.32	75.32	300.10
कोटा-IV (टी)	–	195	195	634.78
मैथानिया (टी)	–	140	140	871.86
उत्तर प्रदेश				
परीचा विस्तार (टी)	–	210	210	1703.00
अनपारा सी (1000) (टी)	–	500	500	3526.51

1	2	3	4	5
उत्तरांचल				
मनेरी भाली-II (एच)	304	–	304	1249.18
छत्तीसगढ़				
कोरबा पूर्व विस्तार (टी)	–	420	420	1845.36
मध्य प्रदेश				
बाणसागर-II (एच)	20	–	20	970.81
बाणसागर-II (एच)	15	–	15	–
बाणसागर-IV (एच)	20	–	20	–
मारीखेड़ा (एच)	40	–	40	–
बीरसिंहपुर विस्तार (टी)	–	500	500	2093.75
महाराष्ट्र				
घाटघर पीएसएस (एच)	250	–	250	725.10
पारली विस्तार (टी)	–	250	250	1053.90
गुजरात				
सरदार सरोवर (बहुराज्यीय)	1450	–	1450	3267.25
केएलटीपीएस विस्तार (टी)	–	75	75	304.69
ध्रुवण गैस (टी)	–	106.62	106.62	310.06
अकरीमोटा (टी)	–	250	250	717.00
तमिलनाडु				
पाइकारा अल्टीमेट (एच)	150	–	150	373.06
भवानी बैराज (एच)(1/2/3)	90	–	90	143.53
पेरूंगलम (वलाथूर) गैस(टी)	–	94	94	301.36
कुट्टालम गैस (टी)	–	100	100	311.11
आंध्र प्रदेश				
श्रीसेलम एलबीएच (एच)	450	–	450	2620.00
जुराला प्रियदर्शिनी (एच)	78.2	–	78.2	547.00
राथलसीमा-II (टी)	–	420	420	1577.63

1	2	3	4	5
केरल				
कुटियाडी संवर्धन (एच)	100	–	100	220.50
कर्नाटक				
अलमाटी बांध (एच)	290	–	290	674.38
रायचूर यू-7 (टी)	–	210	210	613.00
बेल्लारी (टी)	–	500	500	2307.27
उड़ीसा				
बालीमेला-II (एच)	150	–	150	212.30
झारखंड				
तेनुघाट विस्तार (टी)	–	210	210	–
पश्चिम बंगाल				
बक्रेश्वर यू-4 व 5 (टी)	–	420	420	1312.72
सागरडिघी-1	–	250	250	2057.10
असम				
कारबी लांग्पी (एच)	100	–	100	470.86
लकवा डब्ल्यू एच (टी)	–	38	38	145.00
मिजोरम				
बैराबी एचएफओ (टी)	–	22.92	2.292	85.95
बैराबी (एच)	80	–	80	441.67
मेघालय				
बाइरनहाट (टी)	–	24	24	–
मिंत्दू (लेइस्का) (एच)	84	–	84	363.08
मेंडीपठार (टी)	–	24	24	–
मणिपुर				
लीमाखोंग डीजी	–	18	18	134.24
त्रिपुरा				
बारामूरा जीटी (टी)	–	21	21	95.36
रोखिया जीटी (टी)	–	21	21	85.17

1	2	3	4	5
पांडिचेरी				
कराईकल (टी)	–	100	100	–
द्वीप समूह				
अंदमान और निकोबार द्वीप				
रंगत बे	–	5	5	26.39

कूड़े-कचरे से विद्युत का उत्पादन

575. श्री वाई.वी. राव: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नगरों और शहरों में प्रतिदिन निकलने वाले कूड़ों-कचरों से विद्युत और बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कूड़े-कचरों का उपयोग कर इसके कारगर ढंग से निपटान के लिए क्षेत्रों की पहचान की है;

(ग) क्या देश भर में कूड़े कचरों से विद्युत और बायोगैस का उत्पादन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कूड़े-कचरे के प्रभावी ढंग से निपटान को सभी क्षेत्रों में अनिवार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) कूड़े-कचरे से अलग किए गए बायोडिग्रेडेबल तथा ज्वलनशील संघटकों को बायोमिथेनेशन, दहन, ताप-अपघटन, गैसीकरण आदि जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा बायोगैस और बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(ख) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा नामत: बायोगैस तथा बिजली प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन हेतु शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू है। देश में अब तक लगभग 40.70 मेवा. के बराबर कुल संस्थापित क्षमता की परियोजनाओं को स्थापित किया गया है। इसमें नगरीय/म्यूनिसिपल अपशिष्टों पर आधारित लखनऊ में 5 मेवा. का संयंत्र और हैदराबाद में 6 मेवा. का संयंत्र शामिल हैं।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2000 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार, प्रत्येक म्यूनिसिपल प्राधिकारी नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर इन नियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने तथा म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्टों को इकट्ठा करने, भंडारण करने, अलग करने, वहन करने, प्रोसेसिंग करने तथा निपटान करने हेतु किसी भी अवसंरचना विकास के लिए उत्तरदायी होगा।

मालभाड़े से प्राप्त आय

576. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के आरंभिक छ: महीनों के दौरान गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में रेलवे की मालभाड़े से प्राप्त होने वाली आय में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा रेलवे के लाभ को बढ़ाने और व्यय को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलें ऐसी कार्य योजना के अंतर्गत कार्य कर रही हैं जिसमें खर्च पर नियंत्रण के अलावा आमदनी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई हैं:

(1) बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए मालभाड़ा संरचना तथा लोचशील दर सूची का यौक्तिकीकरण।

(2) संपूर्ण देश में यात्री यातायात को सम्हालने के लिए नई रेलगाड़ियां चलाना तथा विभिन्न मेल/एक्सप्रेस पैसेंजर रेलगाड़ियों का विस्तार।

(3) टिकट-रहित यात्रा के विरुद्ध लगातार अभियान चलाना।

(4) स्टेशन दर स्टेशन दरों के संबंध में महाप्रबंधकों को और शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

(5) बकाया देयों की वसूली के लिए अभियान चलाना।

(6) प्रति व्यक्ति उत्पादकता में सुधार के लिए बेहतर जनशक्ति प्रबंधन।

(7) ऊर्जा संरक्षण।

(8) परिसंपत्तियों का कुशल उपयोग।

(9) उपस्कर विफलता में कमी।

(10) खर्च करने की सीमा के निर्धारण तथा मासिक बजट अनुपातों की प्रक्रिया और नकदी बहिर्गमन पर नियंत्रण के माध्यम से कड़ा वित्तीय तथा बजटीय नियंत्रण रखना।

(11) आतिथ्य, प्रचार, विज्ञापन आदि के क्षेत्रों में मितव्ययता।

(घ) बजट, 2003-04 में परिकल्पना किए गए सकल यातायात प्राप्तियों के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

यात्री आमदनी	13,620 करोड़ रु.
अन्य कोचिंग आमदनी	1,020 करोड़ रु.
माल आमदनी	27,815 करोड़ रु.
विविध आमदनी	990 करोड़ रु.
सकल आमदनी	43,445 करोड़ रु
यातायात उचंत	50 करोड़ रु.
सकल यातायात प्राप्तियां	43,495 करोड़ रु.

(ङ) और (च) अक्तूबर, 2003 के अंत तक अनुमानित कुल आमदनी 23,969 करोड़ रु. है, जो सकल आमदनी लक्ष्य का 55.17% बनती है। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

रोलिंग स्टॉक का आयात

577. श्री ए. नरेन्द्र: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान और अक्तूबर 2003 तक रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक का कुल कितना आयात किया गया और किन देशों से इनका आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि में रेलवे द्वारा वस्तुवार और देशवार कुल कितना निर्यात किया गया है;

(ग) क्या इस आयात में विश्वभर की निविदाएं शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसमें शामिल पार्टियों का ब्यौरा क्या है और भारतीय कंपनियों सहित सबसे निचली पार्टी का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान चल स्टॉक का कुल आयात 77.73 करोड़ रुपए (आस्ट्रिया-76.28 करोड़ रु., अमरीका 1.45 करोड़ रु.) और अप्रैल 2003 से अक्तूबर 2003 तक 57.97 करोड़ रु. (आस्ट्रिया-57.03 करोड़ रु., अमरीका 0.94 करोड़ रु.)।

(ख) मद	मूल्य (करोड़ रु. में)	देश
वाईडीएम4 डीजल इंजन	26.95	वियतनाम
इंजन कलपुर्जे	0.50	बंगलादेश
इंजन कलपुर्जे	0.04	श्रीलंका
इंजन कलपुर्जे	0.12	तंजानिया
इंजन कलपुर्जे	0.33	वियतनाम
इंजन कलपुर्जे	1.51	मलेशिया
डिब्बों के लिए कलपुर्जे	0.03	श्रीलंका
डिब्बों के लिए कलपुर्जे	0.19	तंजानिया
धुरा एवं पहिया	0.57	मलेशिया
कुल	30.2	

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	निविदा सं.	मद	भागीदारों का नाम	सबसे निम्न तकनीकी स्वीकृत निविदाकार का नाम
1	2	3	4	5
1.	रेलपथ-III/2001/22/0101	डायनमिक ट्रैक स्टेबलाइजर	1. मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया 2. मै. जेस्सप, कोलकाता	मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया
2.	रेलपथ-III/2001/22/0106	वर्कसाइट टेंपर्स	1. मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया 2. मै. मेटेक्स, मास्को	1. मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया 2. मै. मेटेक्स, मास्को (डवलपमेंट आदेश हेतु)
3.	रेलपथ-III/2001/22/0102	ब्लास्ट क्लीनिंग मशीनें	1. मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया 2. मै. जेस्सप, कोलकाता 3. मै. अमैका, इटली	मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया
4.	रेलपथ-III/2001/22/0105	शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन	मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया	मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया
5.	रेलपथ-III/2001/22/0103	डायनमिक ट्रैक स्टेबलाइजर	मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया	मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया
6.	रेलपथ-III/2001/22/0102	बर्कसाइट टेंपर्स	1. मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया 2. मै. मेटेक्स, मास्को	मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया
7.	रेलपथ-III/2001/22/0101	प्वाइंट और क्रासिंग चेजिंग मशीनें	1. मै एल. गैसमार, फ्रांस 2. मै. अमैका, इटली	मै. अमैका, इटली
8.	रेलपथ-III/2001/22/0106	यूटीलिटी व्हीकल्स	1. मै. सान इंजीनियरिंग एंड लोको, बंगलोर 2. मै. जेस्सप, नई दिल्ली 3. मै. फूलटॉस, पटना 4. मै. बेंत्रा लोकोमोटिव्स, मेडक 5. मैं जालान इंटरप्राइजेज, कोलकाता 6. मै. सुनाग कार्पोरेशन, अमरीका 7. मै. भेल, नई दिल्ली 8. मै. स्टैंडर्ड कास्टिंग्स, नई दिल्ली	मै. फूलटॉस, पटना मै. स्टैंडर्ड कास्टिंग्स, नई दिल्ली (डवलपमेंट आदेश हेतु)
9.	रेलपथ-III/2001/22/0107	प्वाइंट और क्रासिंग चेजिंग	1. मै. मेटेक्स, मास्को 2. मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया	निविदा विचाराधीन है।
10.	रेलपथ-III/2001/22/0104	ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन	1. मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया 2. मै. अमैका, इटली	निविदा विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
11.	रेलपथ-III/2001/22/01011	यूटीलिटी व्हीकल्स	1. मै. फूलटॉस, पटना 2. मै. वेंत्रा लोकोमोटिव्स, हैदराबाद 3. मै. चाइना रेलवे मेटेरियल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि., चीन 4. मै. मैटेक्स, मास्को 5. मै. ओविस इक्यूपमेंट प्राइवेट लि., हैदराबाद 6. मै. स्टैंडर्ड कास्टिंग्स, नई दिल्ली 7. मै. भेल, नई दिल्ली 8. मै. सेन इंजीनियरिंग एंड लोको, बंगलोर 9. मै. स्टरलिंग ट्रांस्टेल, नई दिल्ली	1. मै. फूलटॉस, पटना 2. मै. ओविस इक्यूपमेंट प्राइवेट लि., हैदराबाद (डवलपमेंट आदेश हेतु)
12.	रेलपथ-III/2001/22/0109	वर्कसाइट टेंपर्स	मै. प्लासर और थूरर, आस्ट्रिया	निविदा विचाराधीन है।
			2003-04 (अक्तूबर, 03 तक)	
1.	रेलपथ-III/2001/22/0108	डायनमिक ट्रैक स्टेबलाइजर	1. मै. प्लासर एंड थूरर, आस्ट्रिया 2. मैं. भेल, नई दिल्ली	1. मै. प्लासर एंड थूरर, आस्ट्रिया 2. मै. भेल, नई दिल्ली (डवलपमेंट आदेश हेतु)
2.	रेलपथ-III/2001/22/01010	ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन	1. मै. प्लासर एंड थूरर, आस्ट्रिया 2. मै. भेल, नई दिल्ली	निविदा विचाराधीन है।
3.	रेलपथ-III/2001/22/01013	ट्रैक रिलेइंग गाड़ियां	1. मै. हारस्को ट्रैक टेक्नोलॉजी, अमरीका 2. मै. प्लासर एंड थूरर, आस्ट्रिया 3. मै. मतीसा, स्विटजरलैंड	निविदा विचाराधीन है।
4.	रेलपथ-III/2001/22/01015	सेट्स पीक्यूआरएस मशीनें	1. मै. प्लासर इंडिया, फरीदाबाद 2. मै. सिम्प्लेक्स इंजीनियरिंग वर्क्स लि., भिलाई 3. मै. बीईएमएल, नई दिल्ली 4. मै. अमैका इंजीनियरिंग, इटली	मै. सिम्प्लेक्स इंजीनियरिंग वर्क्स लि., भिलाई
5.	रेलपथ-III/2001/22/0101	मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्सन इकाइयां	1. मै. मूग, जर्मनी 2. मै. स्पीडक्राफ्ट लि., पटना	निविदा विचाराधीन है।

ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत लंबित आमान परिवर्तन कार्य

578. श्री अनन्त नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत लंबित आमान परिवर्तन कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये आमान परिवर्तन परियोजनाएं किस वर्ष से लंबित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) नौपाडा से गुनुपुर तक पूर्व तट रेलवे में केवल एक ही छोटी लाइन है, जिसके आमान परिवर्तन का कार्य पहले से ही शुरू किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण, मिट्टी डालने का कार्य, पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2003-04 के दौरान इस परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

बीएससीएल का रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम

579. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने रेल मंत्रालय से बिहार में मुजफ्फरपुर और मोकामा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में बर्नपुर इकाई (माल डिब्बा विनिर्माण इकाई) को अपने अधिकार में लेने का आग्रह किया है; जैसाकि दिनांक 27 अक्टूबर 2003 के 'द इकोनोमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार पश्चिम बंगाल राज्य में महत्वपूर्ण मालडिब्बा इकाई के वास्तव में अस्तित्व के बने रहने के लिए बीएससीएल और रेलवे के संयुक्त उद्यम पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) बीएससीएल की बर्नपुर वर्क्स के मामले को दो बार रेल मंत्रालय को संदर्भित किया है। पहली बार इसे मई 2002 में तथा दूसरी बार जुलाई 2003 में संदर्भित किया गया। रेलवे मंत्रालय ने इस इकाई का अधिग्रहण करने में अपनी असमर्थता जताई, चूंकि, वैगन निर्माण करना, रेलवे की मुख्य गतिविधियों में नहीं आता है।

मंत्रालय ने दिसम्बर 2002 में रेलवे बोर्ड को सुझाव दिया था कि वह भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (बी.डब्ल्यू.ई.एल.) की मुजफ्फरपुर तथा मोकाम इकाईयों को पट्टे पर या कैपटिव ईकाईयों के रूप में अधिग्रहित करने पर विचार करे। रेलवे से अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है।

रेडियो समिति की सिफारिशें

580. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेडियो प्रसारण उद्योग में सुधार लाने हेतु एक रेडियो समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 नवम्बर, 2003 को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) समिति की सिफारिशों के कार्यकारी सार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

कार्यकारी सार

1. लाइसेंसिंग प्रक्रिया

समिति का मत है कि खुली नीलामी बोली प्रक्रिया आवृत्तियों की नीलामी के लिए उपयुक्त नहीं है और इससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। एफ एम प्रसारण के उदारीकरण के चरण 1 के

मामले में अपनायी गयी खुली नीलामी बोली प्रक्रिया के संबंध में अनेक कानूनी चुनौतियां दी गयी थीं। समिति सिफारिश करती है कि रेडियो लाइसेंसों के लिए निविदा प्रक्रिया का अंगीकरण निम्नलिखित कारणों से अधिक उपयुक्त होगा:

1. यह अनेक क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली एक मानक और साधारण प्रक्रिया है जिसमें पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो चुका है। इस प्रक्रिया को न्यायिक रूप से भी मान्यता प्राप्त है।

2. यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुस्वीकृत प्रक्रिया है।[1]

3. विशेषकर प्रसारण लाइसेंसों के लिए एक वरीयता प्राप्त प्रक्रिया है। यह आस्ट्रेलिया में स्पैक्ट्रम लाइसेंसों की नीलामी के मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं में से एक है और इसका अनुसरण ब्रिटेन में भी किया जाता है। स्वतंत्र प्रसारण विनियामक पर यूरोपीय समुदाय की सिफारिश में भी प्रसारण लाइसेंसों के लिए एक निविदा प्रक्रिया की परिकल्पना की गयी है।

लाइसेंस प्रक्रिया में निम्न चक्र शामिल होंगे:-

(क) प्रथम चक्र अर्हता-पूर्व चक्र होना चाहिए और निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट वित्तीय और तकनीकी पात्रता मापदण्डों, जिनको एक पात्र वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा व्यवहार्यता/संवेदनशीलता अध्ययन के माध्यम से प्रमाणित किया गया हो, का अनुपालन करने वाले बोलीकर्त्ता अगले चक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। इस चरण पर भाग लेने के लिए प्रत्याभूति के रूप में निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट अग्रिम राशि जमा होनी चाहिए। प्रत्याभूति राशि चरण-1 के निविदा दस्तावेज की तर्ज पर होनी चाहिए।

(ख) अर्हता-पूर्व चरण के पश्चात प्रवेश शुल्क को निर्धारित करने के लिए अधिसूचित समय और स्थान पर अर्हता प्राप्त आवेदकों की वित्तीय बोलियां खोली जानी चाहिए।

यह बोली लाइसेंस राशि व्यवसाय योजना पर आधारित होना चाहिए और इसके लिए प्रत्याभूति उद्‌धृत लाइसेंस शुल्क की पूरी राशि के लिए अपरिवर्तनीय, शर्त रहित और पुष्ट बैंक गारंटी के रूप में होनी चाहिए। यह बैंक गारंटी आवेदन की तारीख से लेकर प्रवेश शुल्क की पूर्ण अदायगी होने की तारीख (अर्थात् आवृत्ति के आबंटन की तारीख) तक की अवधि के लिए प्रत्याभूति होगी।

निविदा प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से, प्रत्येक निविदाकर्त्ता के लिए प्रवेश शुल्क अलग-अलग हो सकती है। प्रत्येक केन्द्र में उपलब्ध आवृत्तियों की संख्या के बराबर उच्चतम बोलीकर्त्ताओं को आवृत्तियां स्वत: प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी केन्द्र में सात आवृत्तियां उपलब्ध हैं तो सात उच्चतम बोलीकर्त्ताओं को आवृतियां आबंटित की जाएगी।

बोली को पुरस्कृत किए जाने के तत्काल पश्चात् 25 प्रतिशत प्रवेश शुल्क का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए और शेष प्रवेश शुल्क राशि का भुगतान किए जाने पर ही आवृत्ति का आबंटन किया जाना चाहिए।

2. लाइसेंस शुल्क

निजी प्रसारकों के लिए एफ एम लाइसेंसों के चरण-1 में नीलामी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित नियत वार्षिक, लाइसेंस शुल्क (जो कि 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता है) अव्यवहार्य साबित हुआ है। ऐसे परिदृश्य में एकमुश्त प्रवेश शुल्क जमा राजस्व हिस्सेदारी माडल को अपनाना, जैसाकि भारत में सेलुलर लाइसेंसों (दूरसंचार) के मामले में है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है।

प्रवेश शुल्क: समिति सिफारिश करती है कि प्रवेश शुल्क का निर्धारण एक प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए जिससे आवृत्ति के सही विपणन मूल्य का प्रतिबिंबन होगा।

यह राजस्व हिस्सेदारी: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि:

* दसवीं योजना में भी रेडियो में राजस्व अंश तंत्र की परिकल्पना की गयी है।

* राजस्व हिस्सेदारी व्यस्था को भारत में कई मामलों में (जैसे कि दूरभाष/प्रमुख बंदरगाह आदि) और मीडिया क्षेत्र में (जैसे कि डीटीएच) में आजमाया गया है।

* दीर्घ सार्वजनिक उपयोगिताओं के मामले में राजस्व का वास्तविक से कम दर्शाया जाना चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन रेडियो बहुत कम पूंजी निवेश और राजस्व प्रवाह के साथ अपेक्षाकृत एक छोटा स्थानीय उद्योग है। रेडियो उद्योग में राजस्व का केवल विज्ञापन के जरिए अर्जित किया जा सकता है तथा इसीलिए राजस्व को कम दर्शाए जाने की अवसर विद्युत या तेल जैसे अवसंरचनात्मक उद्योग की तुलना में काफी कम है।

1. यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली में एक मानक प्रक्रिया है जिसे कई अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों जैसे कि सरकारी अधिप्राप्ति का विश्व व्यापार संगठन अनुबंध, माल-अधिप्राप्ति का यू एन सी आई टी आर ए एल माडल कानून (अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया अधिप्राप्ति की वरीयता प्राप्त विधि है), अधिप्राप्ति के संबंध में विश्व बैंक के दिशा-निर्देश आदि में मान्यता प्राप्त है और विस्तृत उल्लेख है।

* भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 18 में संबंधित पक्षीय कारोबार के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

* अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्व अंश माडल का प्रयोग स्पैक्ट्रम आबंटन (जैसा कि आस्ट्रेलिया में) और प्रसारण लाइसेंसों में किया जाता है।

समिति सकल राजस्व के 4 प्रतिशत के राजस्व अंश की सिफारिश करती है।[2] यह राजस्व अंश प्रत्येक पांच वर्ष में एक समिति द्वारा समीक्षा के अध्यधीन होगा और तत्कालीन बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए इसे बढ़ाया/घटाया जा सकता है। करार के अंतर्गत शामिल ऐसे संशोधन को कानून में परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. लाइसेंस की अवधि

एफ एम प्रसारण लाइसेंसों को दिए जाने के चरण-1 में लाइसेंसों की अवधि दस (10) वर्ष नियत की गई थी और इनमें किसी भी आधार पर इसको बढ़ाये जाने की अनुमति नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस की प्रारंभिक अवधि कम है (उदाहरण के लिए कनाडा में लाइसेंस अवधि सात (7)[3] ब्रिटेन में आठ (8) वर्ष है। तथापि, अधिकांश देशों में लाइसेंसों के नवीनीकरण की अनुमति है जिसको मूल लाइसेंस अवधि के साथ मिलाने पर यह अभिप्राय होगा कि लाइसेंस की अवधि दस से अधिक वर्षों के लिए बढ़ जाती है, (उदाहरण के लिए कनाडा में लाइसेंसों का नवीनीकरण अधिकतम सात (7) वर्ष की अवधियों तक बढ़ाए जाने की अनुमति है,[4] जबकि ब्रिटेन में लाइसेंसों का नवीनीकरण लाइसेंस के प्रथम आठ (8) वर्ष पूरे होने के पश्चात् अधिकतम आठ वर्ष की एक अवधि के लिए किया जाता है)।

समिति सिफारिश करती है कि लाइसेंस, चरण-1 के ही समान, डब्ल्यू पी सी द्वारा परिचालनात्मक लाइसेंस को मंजूर किये जाने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा। समिति यह भी सिफारिश करती है कि लाइसेंसधारक के संतोषजनक निष्पादन के अध्यधीन पांच वर्ष की और अवधि के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति दी जाए बशर्ते कि लाइसेंस अवधि के दौरान कोई चूक न हुई हो। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए यह मूल्यांकन और सिफारिश, विनियामक का एक बार गठन किए जाने के पश्चात, सरकार के स्वतंत्र विनियामक द्वारा की जाएगी।

2. उद्योग साझीदारों द्वारा प्रस्तावित राजस्व अंश की प्रतिशतता सकल राजस्व के 2-3 प्रतिशत की रेंज में घटती बढ़ती है। दूसरी ओर अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट में प्रस्तावित राजस्व अंश की प्रतिशतता 3-5 प्रतिशत की रेंज में है।

3. प्रसारण अधिनियम, 1991 की धारा 9 (ख)

4. प्रसारण अधिनियम, 1991 की धारा 9 (घ)

4. शहर में बहु लाइसेंस

चरण-1 में लाइसेंसधारकों को एक ही शहर में बहु-आवृत्तियों को स्वामित्व में लेने की अनुमति नहीं दी गयी थी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में ऐसे प्रतिबंधों को समाप्त करने की प्रवृत्ति पाई गई है जैसाकि कनाडा वाणिज्यिक रेडियो नीति, 1998 में स्पष्ट है। भारतीय संदर्भ में बाजार की अनुपलब्धता के कारण एक ही केन्द्र में बहु लाइसेंसों पर प्रतिबंध की एकाधिकारों/अल्पाधिकारों की संभावना को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा करने की जरूरत है।

इसलिए समिति सिफारिश करती है कि:

(क) किसी कंपनी द्वारा एक विशेष केन्द्र में प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारित की जाने वाली आवृत्तियों को केन्द्र में उपलब्ध कुल लाइसेंसों के 33 प्रतिशत अथवा 3 जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित किया जाए।

(ख) कोई भी कंपनी किसी एक केन्द्र में समाचार और समसामयिक विषयों के लिए एक से अधिक लाइसेंस धारित नहीं करेगी।

(ग) इसके अतिरिक्त, ऐसे अतिरिक्त लाइसेंसों की केवल तभी अनुमति दी जानी चाहिए यदि एक प्रसारण केन्द्र (चरण-1 की आवृत्तियों सहित) स्थापित करने के लिए किसी केन्द्र में उपलब्ध आवृत्तियों की कुल संख्या छह (6) या उससे अधिक हो।

5. किसी कंपनी द्वारा धारित की जा सकने वाली आवृत्तियों की कुल संख्या: एकाधिकार पर नियंत्रण

प्रत्येक चरण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी द्वारा धारित की जा सकने वाली आवृत्तियों की कुल संख्या उस चरण के दौरान निविदा हेतु दी जा रही आवृत्तियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।[5] बोलीकर्त्ता को बोली प्रस्तुत करते समय इस आशय की घोषणा करनी चाहिए कि वह किसी चरण में पेशकश की गई आवृत्तियों के 25 प्रतिशत से अधिक के लिए बोलियों को स्वीकार नहीं करेगा।

किसी उपक्रम को वर्चस्व की स्थिति में जबकि वह देश में कुल परिचालित लाइसेंसों के 25 प्रतिशत से अधिक को धारित करता हो तथा वर्चस्व वाले ऐसे उपक्रमों द्वारा अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने की स्थिति में सरकार या विनियामक, जैसी भी स्थिति हो के पास एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसों की

5. इसी प्रकार के प्रतिबंध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए उदाहरण के लिए ब्रिटेन में।

बिक्री ऐसे अन्य कार्यक्रमों के लिए करने का आदेश देने की शक्ति होनी चाहिए जो कि किसी भी तरीके से वर्चस्व रखने वाले उपक्रम से संबंधित न हो। एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार अथवा विनियामक के अधिकार (जैसी भी स्थिति हो) को सुरक्षित रखने की इस शर्त को निविदा दस्तावेजों का भाग होना चाहिए ताकि मुकदमेबाजी को अधिक से अधिक टाला जा सके।

एक ही केन्द्र में प्रत्येक अलग आवृत्ति के लिए विषयवस्तु योजना उसी बोलीकर्ता द्वारा अलग-अलग होनी चाहिए ताकि श्रोताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।

लाइसेंस धारकों को एक केन्द्र में बहु-चैनलों के बीच नेटवर्किंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उनको एक ही केन्द्र में किसी अन्य लाइसेंसधारक के साथ नेटवर्किंग की अनुमति दी जाएगी।

प्रत्येक लाइसेंस के अंतर्गत एक अलग उपक्रम का गठन किया जाना चाहिए और लाइसेंस धारकों को उनको आबंटित प्रत्येक आवृत्ति के लिए अलग-अलग खाते तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लाइसेंस धारक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह अनुप्रयोज्य रेखांकन मानकों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में प्रत्येक लाइसेंस के संदर्भ में व्यय का संक्षिप्त रूप से लेखा रखे।

6. नेटवर्किंग

नेटवर्किंग अथवा श्रृंखला प्रसारण से अभिप्राय विभिन्न प्रसारण केन्द्रों (ट्रांसमीटरों) द्वारा कार्यक्रमों के एक साथ प्रसारण से है। चरण-1 में लाइसेंसधारकों को सरकार की पूर्वानुमति से महत्वपूर्ण अवसरों को छोड़कर नेटवर्किंग की अनुमति नहीं दी गई थी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रसारण केन्द्र (विशेषकर छोटे शहरों में) के पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय में नेटवर्किंग के जरिए काफी अधिक कमी लाई जा सकती है, हम सिफारिश करते हैं कि नेटवर्किंग की अनुमति दी जाए। हमें विश्वास है कि बाजार-तंत्र से श्रोता की पसंद को परिलक्षित करने वाली विषय-वस्तु के विभेदन को सुनिश्चित करेगा।

ध्यातव्य है कि केवल एक ही कंपनी के प्रसारण केन्द्रों के बीच नेटवर्किंग की अनुमति दी जाए न कि विभिन्न लाइसेंस-धारकों के बीच। इसके अलावा, एक ही शहर में नेटवर्किंग की अनुमति न दी जाए।

7. समाचार और सम सामयिक विषय

चरण-1 के लाइसेंसधारकों को समाचार और सम सामयिक विषयों के प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई थी। समिति सिफारिश करती है कि समाचार और सम-सामयिक विषयों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया जाना चाहिए और समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि आकाशवाणी की आचार संहिता और अनुप्रयोज्य औद्योगिक संहिताओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इन संहिताओं के किसी भी पहलू के उल्लंघन से लाइसेंस को तत्काल-प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

8. सह-स्थलन

इस विशेष संदर्भ में सह-स्थलन एक ऐसा शब्द है जिससे अभिप्राय एक विशेष शहर के विभिन्न प्रसारकों की प्रसारण संरचनाओं को एक ही परिसर में अवस्थित करने और एक ही टावर का प्रयोग करने से है। इस शब्द का एक ही शहर के लिए आबंटित चैनलों के लिए कम आवृत्ति पृथक्करण की परिस्थितियों में और अधिक महत्व हो जाता है। इस सह-स्थलन के पीछे प्राथमिक अवधारणा यह है कि सभी चैनलों की प्रभावी उत्सर्जित शक्ति (ई.आर.पी.) लगभग एक ही होगी और चूंकि वे एक ही स्थल पर स्थित हैं इसलिए उनके बीच की दूरी तदनुसार कम हो जाएगी और इस प्रकार चैनलों के बीच समान सुरक्षा को बरकरार रखा जा सकेगा।

इस संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां की जा रही हैं:

(1) मैट्रो शहरों में सह-स्थलन चरण 1 में अनिवार्य था। इसका उद्देश्य 800 किलो हर्ट्ज के स्थान पर 400 किलो हरर्ट्ज की स्पेसिंग के द्वारा आवृत्तियों की उपलब्धता में वृद्धि करना था।

(2) समिति द्वारा प्राप्त अधिकांश अभ्यावेदनों में निम्नलिखित कारणों से सह-स्थलन का विरोध किया गया है:

(क) सह-स्तलन के प्रयोजन से निजी-प्रसारकों के लिए कन्सोर्टियम का गठन करना अनिवार्य है।

(ख) पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के चलते निजी प्रसारकों का कन्सोर्टियम बनाना बहुत ही कठिन है।

(ग) यदि कोई निजी प्रसारक कन्सोर्टियम से हट जाता है तो समान अवसंरचना पर लागत के उसके हिस्से को शेष प्रसारकों द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

(घ) निजी प्रसारकों को स्टुडियो ट्रांसमीटर संपर्क पर मूल लागत को वहन करना होता है क्योंकि सह-स्थलन मामले में स्टुडियों की संरचना एक अलग स्थल पर होगी।

(ङ) कई अन्य परिचालनात्मक कठिनाइयां हैं।

निजी प्रसारकों को द्वारा व्यक्त उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि सह-स्थलन को चरण-2 में अनिवार्य न बनाया जाए।

9. आरक्षित प्रवेश शुल्क

चरण-1 में सरकार ने लाइसेंस शुल्क के प्रयोजन के लिए केन्द्रों को (वे शहर जिनमें निजी बोलीकर्त्ताओं के लिए आवृत्तियों की पेशकश की गई थी) पांच श्रेणियों में बांटा था:

क+ (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 125 लाख रुपए),

क (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 100 लाख रुपए),

ख (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 75 लाख रुपए),

ग (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 50 लाख रुपये) तथा

घ (आरक्षित लाइसेंस शुल्क 20 लाख रुपए)।[6]

निम्नलिखित के आलोक में:

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर (आस्ट्रेलिया में स्पैक्ट्रम आबंटन के मामले में) सरकार आवृत्तियों जैसे दुर्लभ संसाधनों के संबंध में आरक्षित शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है ताकि अपूर्णता के कारण बाजार में आवृत्तियों का पूर्णत: अल्प मूल्यांकन न हो सके। चरण-1 में भी बोलीकर्त्ताओं को आरक्षित शुल्क पर कुछ लाइसेंस मंजूर किए गए थे क्योंकि अन्य आवेदक नहीं थे। यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष आवृत्ति के लिए केवल एक निविदाकर्त्ता के उदाहरण आम बात है (कनाडा और आस्ट्रेलिया पर टिप्पणी, अनुलग्नक-III)

तथापि, इस आरक्षित मूल्य का उद्देश्य पुन: राजस्व के इस्टतमीकरण से नहीं है अपितु, इसे केवल पूर्ण अल्प मूल्यांकन से बचाना है। आरक्षित मूल्य की गणना वस्तुगत दृष्टि से आवृत्त के वैकल्पिक और संभावित प्रयोगों के आलोक में पूर्व-प्रकाशित मापदण्डों पर की जानी चाहिए। इसे अनिवार्य रूप से न्यूनतम अनुमेय मूल्य प्रदर्शित करना चाहिए।

समिति सिफारिश करती है कि चरण-1 के ऐतिहासिक आरक्षित मूल्य को अपनाया जाए। सरकार आरक्षित मूल्य को अनुवर्ती प्रणालियों में संशोधित करने पर विचार कर सकती है।

10. विदेशी निवेश

समिति रेडियो के लिए सरलीकृत विदेशी निवेश प्रणाली के पक्ष में है।

हम सिफारिश करते हैं कि लाइसेंस करार में निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिए:

(क) एफएम प्रसारण (समाचार और मनोरंजन) में 26 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर 26 प्रतिशत की सीमा की गणना करते समय लाइसेंस धारक के भारतीय अंशधारक कम्पनियों की इक्विटी में विदेशी-धारिता घटक, यदि कोई हो, का लाइसेंस धारक के पास कुल विदेशीधारिता निर्धारित करने के लिए यथानुपात आधार पर विधिवत रूप से गुणनखण्ड निकाला जाना चाहिए।[7] सबसे बड़े भारतीय अंश-धारक समूह द्वारा धारित इक्विटी कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित इक्विटी शामिल नहीं होगी।

(ग) 75 प्रतिशत लाइसेंस धारक-निदेशक, लाइसेंसधारक-मुख्य कार्यकारी अधिकारी और/अथवा चैनल के प्रमुख तथा चैनल के सभी महत्वपूर्ण कार्यपालक और संपादकीय स्टाफ सभी समाचार चैनलों के लिए किसी अन्य कम्पनी पर या बिना किसी संदर्भ के लाइसेंस धारक द्वारा नियुक्त निवासी भारतीय होना चाहिए। उपर्युक्त को छोड़कर सभी मनोरंजन चैनलों के लिए महत्वपूर्ण कार्यपालकों और संपादकीय स्टाफ के लिए 'भारतीय मूल के लोग' कार्डधारक/अनिवासी भारतीय का प्रावधान किया जा सकता है। लाइसेंसधारक द्वारा विदेशी अंशधारिता पैटर्न अथवा वृहतम भारतीय अंश धारिता की वंश धारिता/अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी में/निदेशक मंडल में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पहले लाइसेंस-धारक द्वारा मंत्रालय को लिखित में सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंस-धारक द्वारा 60 (साठ) दिन से अधिक की अवधि के लिए उसके द्वारा नियुक्त/संलग्न किसी भी विदेशी/अनिवासी भारतीय के ब्यौरे के बारे में मंत्रालय को सूचित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, विदेशी पक्षकारों को विषय-वस्तु को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बाहरी-स्रोतों से जुटाने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

(घ) लाइसेंसधारक द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये जाने वाले अथवा प्रस्तावित किसी भी प्रकार के अंशधारक करारों, ग्रहण करारों और ऐसे ही अन्य करारों का खुलासा

6. निविदा दस्तावेज की धारा 1

7. देखें संशोधित पात्रता मापदण्ड खण्ड (ख) और (घ)

करना होगा। उक्त करारों में अनुवर्ती परिवर्तनों को केवल मंत्रालय की पूर्वानुमति से अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस-धारक को अनुमेय विदेशी इक्विटी के अनुपात से अधिक सभी समाचार चैनलों को विदेशी कम्पनियों से ऋण उगाहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (दूसरे शब्दों में, उन लाइसेंसधारकों के लिए जो अपनी कुल इक्विटी के 26 प्रतिशत तक, समाचारों का प्रसारण कर रहे हैं, उसको विदेशी स्रोतों से ऋण के रूप में लिया जा सकता है और उससे अधिक कुछ नहीं)

(ङ) एफ एम प्रसारण के संबंध में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में पूर्वोक्त परिवर्तनों के आलोक में मौजूदा लाइसेंसधारकों को चरण-1 से चरण-2 में उनके लाइसेंसों को स्थानांतरित करने की तारीख से दो माह के भीतर अपने संगम ज्ञापन ओर संगम अनुच्छेद और प्रासंगिक करारों में आवश्यक संशोधन करना आवश्यक होगा।

11. निजी एफ एम प्रसारणों के लिए आवृत्तियों की संख्या में वृद्धि

समिति का मत है कि एफ एम प्रसारण के उदारीकरण के चरण-2 के लिए निर्मुक्त आवृत्तियों के लिए अंतरण के बाद चरण-1 में अप्रयुक्त स्पैक्ट्रम शामिल होगा।

दुर्लभ संसाधन होने के कारण स्पेक्ट्रम का प्रयोग सभी के द्वारा तर्कसंगत तरीके से, दक्षतापूर्वक और इष्टतम रूप से करना होता है।

समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि बाजार के विकसित होने और अपेक्षित संवेग प्राप्त करने पर सरकार को उदारीकरण के अनुवर्ती चरणों में अतिरिक्त आवृत्तियाँ जारी करनी चाहिए ताकि बाजार और अधिक विकास में मदद मिल सके।

समिति का मत है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक प्रसारणों के प्रयोजनार्थ कुछ अन्य उपलब्ध आवृत्तियों का अधिक कारगर ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। समिति के ध्यान में यह लाया गया है कि गत कुछ वर्षों के दौरान आकाशवाणी विविध भारती जैसे उच्च स्तरीय संगीत कार्यक्रमों को मीडियम वेव से एफ एम में अन्तरित करने की प्रक्रिया में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक प्रसारणों के प्रयोजनार्थ आकाशवाणी से इन मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को प्राप्त करने की संभावना पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इससे लागत के मुद्दे का निदान होगा क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को प्रसारण और संरचना तैयार करने पर भारी व्यय नहीं करना होगा क्योंकि आकाशवाणी की सुविधाओं का प्रयोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। इस व्यवस्था से स्पैक्ट्रम का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा और अतिरिक्त आवृत्तियों को निर्मुक्त भी किया जा सकेगा।

12. गैर वाणिज्यिक चैनल

गैर वाणिज्यिक चैनलों के लिए पी बी एस (अमरीका में लोक प्रसारण सेवा) मॉडल और बी बी सी मॉडल का विदेशों में व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता है जबकि विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रमों का वित्त पोषण किया जाता है।

समिति द्वारा एक सदृश मॉडल का प्रस्ताव है जिसमें, 4 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी में से जो कि सरकार को एफ एम प्रसारकों से प्राप्त होगी, राजस्व हिस्सेदारी के 1 प्रतिशत भाग को गैर-वाणिज्यिक चैनलों (भारतीय संस्कृति एवं विरासत, स्वास्थ्य आदि जैसे विविध क्षेत्रों से संबंधित) को विकसित करने के प्रयोजनार्थ एक अलग निधि के रूप में रखा जाना चाहिए। इस निधि में एकत्र संसाधनों की मांग, सरकार द्वारा गठित राष्ट्र के सुविख्यात व्यक्तियों की समिति के निदेशों के अनुसरण में गैर वाणिज्यिक चैनलों और कार्यक्रमों को विकसित करने हेतु की जाएगी। निधियों का संवितरण सम्माननीय समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए पारदर्शी नियमों और विनियमों के जरिए किया जाएगा। प्रसारक की वार्षिक लेखा परीक्षा होगी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रारंभ में ऐसे गैर-वाणिज्यिक चैनलों की आवश्यकता सभी क +, क और ख श्रेणी के कस्बों में होगी और इसके पश्चात इनका प्रसार अन्य शहरों में किया जाएगा। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वाणिज्यिक चैनलों की संख्या पहले से ही सीमित है इसलिए सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त गैर वाणिज्यिक चैनलों के लिए अतिरिक्त आवृत्तियां निर्मुक्त कर दी जाए।

13. वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिए व्यावसायिक चैनल

समिति का मत है कि व्यवसायिक चैनलों के विकास की दिशा में बाजार प्रक्रिया में मदद करना संभव है। इस संबंध में समिति निम्नलिखित की सिफारिश करती है कि प्रत्येक शहर में कतिपय आवृत्तियों को व्यावसायिक चैनलों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जिनके संबंध में निम्न आरक्षित शुल्क और निम्न अंश प्रतिशत के साथ अलग से निविदा दी जाएगी। विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है कि ऐसे चैनल विशेषकर व्यावसायिक कार्यक्रम निर्माण हेतु विकसित किया जाए और किसी भी आंशिक व्यावसायिक कार्यक्रम निर्माण अनुमति न दी जाए।

समिति महसूस करती है कि ऐसे व्यावसायिक चैनलों की शुरू में क+, क और ख श्रेणी के कस्बों में आवश्यकता होगी और इसके पश्चात भविष्य में इसका प्रसार अन्य शहरों में किया जाएगा। समिति का सरकार से यह भी पुरजोर आग्रह है कि वह ऐसे व्यावसायिक चैनलों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त आवृत्तियां निर्मुक्त करने पर विचार करे।

14. विदेशी उपग्रह प्रसारण

इस समय, भारत सरकार के पास टीवी चैनलों को अपलिंक करने की नीति है। इस नीति से निम्नलिखित दो मुख्य लाभ मिले हैं:

(क) विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन पर रोक लग गई है क्योंकि अपलिंकिंग विदेश के स्थान पर भारत से की जाती है।

(ख) सरकार टीवी चैनलों के लिए आचार संहिता लागू करने में सक्षम है।

देश में रेडियो चैनलों की अपलिंकिंग पर सदृश नीति के अभाव में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बहिर्गमन हो रहा है और सरकार सैटेलाइट रेडियो चैनलों पर किसी प्रकार की आचार संहिता लागू करने में असमर्थ है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को सैटेलाइट रेडियो चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग प्रक्रिया पर एक नीति तैयार करनी चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को कम किया जा सके और एक आचार संहिता लागू की जा सके।

15. अंतरण

नई पद्धति के अन्तरण के प्रयोजनार्थ 24 जुलाई, 2003 (इस रेडियो प्रसारण नीति समिति के गठन का दिन) को निर्धारित तारीख के रूप में माना जाएगा जिससे नई पद्धति के अन्तर्गत अधिकार और कर्त्तव्य सभी प्रसारकों के लिए अनुप्रयोज्य होंगे।

निर्धारित तारीख तक प्राप्त अधिकार और वहन की गई देयताएं पुरानी पद्धति से अभिशासित होंगी।

समिति की राय है कि लाइसेंस का परिचालन अथवा परिचालन हेतु कम से कम गंभीर प्रयास गंभीर लाइसेंस धारकों और कम गंभीर लाइसेंस धारकों के बीच भेद करने के लिए मापदण्ड होना चाहिए। इसलिए नई पद्धति को अपनाने के लिए निम्नलिखित हकदार होने चाहिए:

(क) सफल निविदाकर्त्ता जिन्होने लाइसेंस को परिचालित किया है और अभी तक की लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया है। निर्धारित तारीख से भुगतान किए गए सभी शुल्क का नई राजस्व अंश प्रणाली के अंतर्गत समायोजन (न कि प्रतिदाय) किया जाएगा।

(ख) सफल निविदाकर्त्ता जिन्होंने कि लाइसंस को परिचालित किया बल्कि बाद में व्यवसाय की अव्यवहार्यता के कारण लाइसेंस शुल्क के भुगतान में चूक गए।

(1) उन्हें निर्धारित तारीख तक देय मौलिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

(2) मौलिक लाइसेंस शुल्क जो निर्धारित तारीख के बाद देय था, में होने वाली चूकों की उपेक्षा की जानी है।

(3) भुगतान को एकमुश्त प्रवेश शुल्क के रूप में माना जाएगा।

(ग) सह-स्थलन के कारण परिचालन में विलंब होने की स्थिति में वे जो कि "सम्वत् परिचालन" के अंतर्गत कार्यशील हैं, उन्हें 31 दिसंबर, 2003 तक या तो 'सह-अवस्थित करने के लिए अथवा 31 मार्च, 2004 तक स्वतंत्र सुविधाओं की स्थापना करने के लिए एक संशोधित समय सीमा की मंजूरी दी जानी चाहिए। दोनों को सम्पन्न करने पर वे चरण-2 लाइसेंसिंग प्रणाली को अंतरित करने के हकदार होंगे। परिचालन के समय तक वे पुरानी पद्धति से अभिशासित होंगे।

समिति इस बात की पुरजोर अनुशंसा करती है कि निविदाकर्त्ताओं को चरण-1 में उनके द्वारा हुई चूक के आधार पर नए लाइसेंसों के लिए काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि चरण-1 के दौरान भीषण बाजार एवं विनियामक अपूर्णताएं देखने को मिली हैं जिसके फलस्वरूप बाजार अव्यवहार्य हो गया। इसके अलावा समिति न्यायालय का सहारा लेने वाले सभी निविदाकर्त्ताओं से अपील करती है कि वे अपने मुकदमे वापस ले लें और चरण-2 की नई पद्धति का लाभ उठाएं।

16. आयात शुल्क

इन क्षेत्र में लगभग सभी प्रसारक उपस्करों का आयात किया जाता है और इनमें से किसी का भी घरेलू रूप से विनिर्माण नहीं किया जाता है। अर्थव्यवस्था को और व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से समिति का सुझाव है कि प्रसारण उपस्कर पर आयात शुल्क को दूरसंचार क्षेत्र के ही तर्ज पर लाया जाए।

17. आचार संहिता

समिति का सुझाव है कि निजी प्रसारकों द्वारा प्रसारण में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित (आकाशवाणी की संहिता के अनुसार) शामिल नहीं होना चाहिए:

* मित्र देशों की आलोचना।
* धर्म या समुदायों पर प्रहार।
* कोई भी अश्लील या अपमानजनक सामग्री।
* हिंसा की उत्तेजना अथवा कानून और अव्यवस्था के विरुद्ध कोई भी सामग्री।
* न्यायालय की अवमानना करने वाली कोई भी सामग्री।
* राष्ट्रपति, राज्यपालों और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा की निन्दा।
* नाम से राजनीतिक दल पर प्रहार।
* किसी राज्य या केन्द्र की वैमनस्य भाव से की गई आलोचना।
* संविधान के प्रति अपमान दर्शाने वाली अथवा हिंसक तरीके से संविधान में परिवर्तन करने की वकालत करने संबंधी कोई सामग्री लेकिन संवैधानिक तरीके से परिवर्तनों की वकालत करने पर रोक नहीं लगायी जानी चाहिए।

आकाशवाणी संहिता और विज्ञापन संहिता को वर्तमान परिदृश्य के अनुसार देखा जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त परिवर्तन किए जा सकते हैं।

18. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (शैक्षिक प्रसारण) का मीडियम वेव में अंतरण और आकाशवाणी से मीडियम वेव के ट्रांसमीटरों का लाभ उठाना

एफएम प्रसारण के उदारीकरण के चरण-1 में सभी चालीस शहरों में एक-एक आवृत्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक प्रसारण हेतु आरक्षित की गयी थी। तथापि, अभी तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय केवल दस एफ एम केन्द्रों को परिचालित करने में सक्षम रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निधियों की उपलब्धता पर सीमाओं के कारण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इन सभी आवृत्तियों को परिचालित करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। स्पेक्ट्रम के अभाव के कारण शैक्षिक प्रसारण हेतु एफ एम आवृत्तियों का आबंटन करना सलाह योग्य नहीं है।

समिति की राय है कि कुछ अन्य उपलब्ध आवृत्तियों (मीडियम वेव के समान) का उपयोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक प्रसारणों के प्रयोजनार्थ अधिक कारगर ढंग से किया जा सकता है। समिति के ध्यान में लाया गया है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान आकाशवाणी विविध भारती जैसे उच्च स्तरीय संगीत कार्यक्रमों को मीडियम वेव से एफ एम में अंतरित करने की प्रक्रिया में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक प्रसारणों के प्रयोजनार्थ आकाशवाणी से इन मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करने की संभावना पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इससे लागत के मुद्दे का निदान होगा क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को प्रसारण और संरचना तैयार करने पर भारी व्यय नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आकाशवाणी की सुविधाओं का उपयोग उचित लागत पर किया जा सकता है। इस बात से स्पेक्ट्रम का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा।

19. प्रसारण विनियामक

भारत का रेडियो उद्योग अपने विकास की शैशवावस्था में है। तथापि, जैसे-जैसे बाजार का विकास होता जाता है रेडियो के संबंध में अन्य कानूनी एवं सामाजिक मुद्दों (जैसे कि विषय-वस्तु विनियमन, नेटवर्किंग विनियमन आदि) तथा प्रौद्योगिकी मुद्दों (जैसे कि डिजीटल रेडियो प्रसारण (स्थलीय/उपग्रीय) अभिदान रेडियो चैनल आदि) के उठने की संभावना है। बाजारी प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियां हमेशा सामंजस्यपूर्वक कार्य नहीं कर सकती हैं और कभी कभी प्रतिस्पर्धात्मक हितों के समाधान की आवश्यकता पड़ सकती है इसलिए जैसे-जैसे उद्योग का विकास होता जाएगा, वैसे-वैसे स्वायत्तशासी विनियामक के माध्यम से एक उपयुक्त विनियामक परिवेश बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

इस संबंध में समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारों एवं सरोकारों से सहमत है जैसाकि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ[8] के मामले में परिलक्षित है जिसमें पाया गया था कि केन्द्र सरकार द्वारा एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी सार्वजनिक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें हवाई तरंगों के उपयोग को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए समाज के सभी वर्गों एवं हितों का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए समिति एक स्वतंत्र प्रसारण विनियामक के गठन की सिफारिश करती है।

समिति इस बात को स्पष्ट करना चाहेगी कि प्रसारण विनियामक को विनियमन के जरिए बाजारी शक्तियों को स्थापित व प्रतिस्थापित करने का प्रयास करने की बजाए बाजार-वृद्धि को प्रोत्साहन देने

8. (1995) का 2 एस सी सी 161

हेतु उपयुक्त विनियामक का प्रावधान करना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। प्रसारण विनियामक का मुख्य उद्देश्य नियमों एवं विनियमों का उचित प्रवर्तन करना होना चाहिए और इसकी कार्रवाई मुख्यत: शिकायत पर आधारित होनी चाहिए।

हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सुझाव देते हैं कि विनियामक के पद के सृजन होने तक (जिसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता के कारण समय लगने की संभावना है), एक गैर सांविधिक समिति का गठन किया जाए जिसके विचारार्थ विषय विनियामक के समान ही होंगे। (हम इस बात को जानते हैं कि सेबी के औपचारिक गठन के पूर्व ऐसी ही एक समिति का गठन किया गया था)।

20. प्रदत्त लाइसेंसों के गैर-परिचालन हेतु शास्ति

समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि लाइसेंस प्रदान किए जाने के पश्चात् लाइसेंसधारक द्वारा अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर लाइसेंस को परिचालित करना अनिवार्य है। यदि लाइसेंसधारक उस लाइसेंस को प्रादन किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर लाइसेंस को परिचालित नहीं करता है तो सरकार, लाइसेंस की एक शर्त के रूप में लाइसेंस को जब्त कर लेगी और इसकी जनहित में पुन: निविदा जारी करेगी।

मिग-21 दुर्घटनाएं

581. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में भारतीय वायुसेना ने इंजन मरम्मत तथा आमूलचूल परिवर्तन के गुणवत्ता नियंत्रण के मामले में हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (हाल) को अभूतपूर्व और भारी दोषी पाया गया है तथा बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (हाल)' स्थल पर रूसी विशेषज्ञ ''लेखापरीक्षा दल'' तैनात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) भारतीय वायुसेना ने इंजन की मरम्मत/ओवरहाल में गुणता नियंत्रण के संबंध में हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड पर अभ्यारोपण नहीं किया है।

जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तथा उचित उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए जांच अदालत बिठाई जाती है। जांच अदालत में वायुसेना तथा अन्य सम्बद्ध एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल किये जाते हैं। विमान का निर्माण अथवा ओवरहाल हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किये जाने की स्थिति में हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि भी जांच अदालत दल के सदस्य होते हैं। जांच अदालत की सिफारिशों को वायुसेना मुख्यालय द्वारा विधिवत अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, सुझाए गए उपचारात्मक उपाय लागू करने के लिए हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड, यदि लागू हो तो, को भेजा जाता है। जब कभी आवश्यक हो तो मूल निर्माता, जैसाकि मिग-21 के मामले में रूस, को भी जांच अदालत में शामिल किया जाता है।

इस बात की जांच करने के लिए कि उचित प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है या नहीं, हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधाओं तथा भारतीय वायुसेना बेसों का हाल ही में संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त दल द्वारा की गई सिफारिशों को हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा भारतीय वायुसेना दोनों द्वारा कार्यान्वित किया गया है/किया जा रहा है। हाल ही में, एक रूसी दल को भी हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा वायुसेना-दोनों की सुविधाओं की गुणवता संबंधी जांच में शामिल किया गया था।

जब भी आवश्यकता होती है, मूल रूसी उपस्कर निर्माता की सहायता भी उपलब्ध होती है।

एपीडीपी और एपीआरपी का आरंभ किया जाना

582. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) और त्वरित विद्युत सुधार कार्यक्रम (एपीआरपी) आरंभ किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में प्रत्येक राज्य का कार्य-निष्पादन क्या रहा; और

(घ) प्रत्येक राज्य में इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) भारत सरकार ने फरवरी, 2001 में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) नामक एक स्कीम शुरू की थी जिसे संशोधित

कर वर्ष 2001-02 में त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) नाम दिया गया।

(ख) और (ग) एपीडीपी तथा एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्यवार रूप से जारी की गई निधि एवं इनके समुपयोजन के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(घ) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का मुख्य उद्देश्य उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन करना तथा वाणिज्यिक हानियों में कमी करना है। कुछ राज्यों ने वितरण प्रणाली में सुधार तथा नकदी हानि में कमी की भी सूचना दी है। वित्तीय वर्ष 2001-02 में चार राज्यों, यथा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान ने वर्ष 2000-01 की तुलना में 2138.44 करोड़ रुपये की नकदी हानि में कमी दर्शायी है-

वर्ष 2001-02

क्र.सं.	राज्य	नकदी हानि में कमी
1.	गुजरात	1072.30
2.	महाराष्ट्र	579.74
3.	हरियाणा	210.98
4.	राजस्थान	275.42
	कुल	2138.44

इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य ने भी पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 के दौरान कुल हानियों में कमी होने की सूचना दी है।

विवरण I

वर्ष 2000-01

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत	एपीडीपी के अंतर्गत जारी निधियां	निधि उपयोगिता की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	194.70	97.45	171.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.32	6.32	0.00
3.	असम	20.02	20.02	5.05
4.	बिहार	42.88	21.44	7.04
5.	छत्तीसगढ़	20.52	10.26	20.52
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	219.22	109.62	72.99
9.	हरियाणा	99.23	49.62	65.11
10.	हिमाचल प्रदेश	25.32	25.32	27.47
11.	जम्मू-कश्मीर	6.99	6.99	2.43
12.	झारखंड	43.96	21.97	0.00
13.	कर्नाटक	162.98	81.50	147.92
14.	केरल	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	99.06	40.32	75.91
16.	महाराष्ट्र	268.88	134.44	146.55
17.	मणिपुर	0.72	0.72	0.72
18.	मेघालय	1.81	1.81	1.81
19.	मिजोरम	1.06	1.06	1.06
20.	नागालैंड	1.89	1.89	1.89
21.	उड़ीसा	76.00	38.00	24.50
22.	पंजाब	75.40	37.70	34.06
23.	राजस्थान	89.98	45.00	63.78
24.	सिक्किम	6.38	6.38	6.38
25.	तमिलनाडु	131.08	65.54	131.08
26.	त्रिपुरा	5.00	5.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	124.40	62.23	69.06
28.	उत्तरांचल	87.50	44.05	4.80
29.	पश्चिम बंगाल	87.17	43.50	38.11
	कुल	1898.47	978.15	1120.05

विवरण II

वर्ष 2002-03

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत	एपीडीआरपी के अंतर्गत जारी निधियां	निधि उपयोगिता की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1511.40	188.92	193.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.99	0.00	0.00
3.	असम	408.54	96.97	0.80
4.	बिहार	737.97	66.11	12.48
5.	छत्तीसगढ़	424.58	53.07	70.25
6.	दिल्ली	946.46	105.51	346.38
7.	गोवा	176.34	22.04	20.12
8.	गुजरात	1035.80	105.42	108.30
9.	हरियाणा	453.41	56.33	118.27
10.	हिमाचल प्रदेश	327.81	163.91	12.11
11.	जम्मू-कश्मीर	401.10	200.50	20.00
12.	झारखंड	444.85	12.00	73.36
13.	कर्नाटक	1161.19	145.15	136.85
14.	केरल	350.35	43.80	64.96
15.	मध्य प्रदेश	679.08	84.87	31.21
16.	महाराष्ट्र	1347.85	168.48	84.73
17.	मणिपुर	10.13	2.67	0.00
18.	मेघालय	42.26	21.13	0.00
19.	मिजोरम	57.91	28.96	3.78
20.	नागालैंड	47.22	23.61	2.67
21.	उड़ीसा	592.22	54.35	0.00
22.	पंजाब	706.38	53.98	75.10
23.	राजस्थान	1255.06	125.64	272.30
24.	सिक्किम	63.48	31.74	15.76
25.	तमिलनाडु	968.17	121.02	173.17
26.	त्रिपुरा	27.54	2.67	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	812.86	80.12	0.00
28.	उत्तरांचल	361.51	180.76	17.20
29.	पश्चिम बंगाल	20.26	25.53	18.52
	कुल	15641.72	2265.26	1871.48

तमलुक-कोंटाई रेल लाइन का विस्तार

583. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में तमलुक-कोंटाई रेल लाइन के विस्तार कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विस्तार किया जाना है;

(ग) उक्त विस्तार कार्य पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त रेल लाइन को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) तामलुक-डीघा (87.50 कि.मी.) नई लाइन परियोजना पर, तामलुक-कांठी (कोण्टाई) (56.6 कि.मी.) खंड पर कार्य पूरा कर दिया गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान कांठी (कोण्टाई) से आगे डीघा तक कार्य पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस समय, तामलुक-डीघा (87.50 कि.मी.) नई लाइन कार्य को 293.97 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है।

एल.पी.जी. संबंधी राजसहायता

584. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्त वर्ष में और इस वित्त वर्ष के आरंभिक छ: महीनों में प्रदान की गयी एल.पी.जी. राजसहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों को अप्रत्यक्ष रूप से इस राजसहायता का अधिकांश भाग मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो देश में एल.पी.जी. की उत्पादन लागत और वितरण लागत को कम करने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में एल.पी.जी. की उत्पादन लागत को कम करने वाली ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) राजसहायता योजना के अनुसार, घरेलू एलपीजी पर दी जाने वाली राजसहायता तेल विपणन कंपनियों को दी जाती है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान तेल विपणन कंपनियों की राजसहायता हकदारी निम्नवत है:

(रु. करोड़ में)

2002-03	3,690.88
2003-04 (अप्रैल-सितम्बर)	1,284.50

(ग) और (घ) नियंत्रण मुक्त परिदृश्य में, पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के बाद, एलपीजी के घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने के लिए मजबूरन अपनी लागतों में कटौती करनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की समग्र उत्पादन लागत पर लगातार निगरानी रखती हैं और कई नियंत्रण उपाय अपनाती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शून्य आधारित बजटीय व्यवस्था, मांग सूची नियंत्रण, उपयोगिताओं का इष्टतम प्रयोग, रसायनों/कैटालिस्ट खपत के नियंत्रण के लिए तकनीकी जांच, जनशक्ति लागत को न्यूनतम करना, ऊर्जा संरक्षण उपाय करना आदि शामिल है।

शेल इंडिया लिमिटेड को विपणन अधिकार

585. श्रीमती प्रभा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने देश में ईंधन के विपणन और परिवहन के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी ने आवश्यक धनराशि की बैंक गारन्टी दे दी है और भारत में कम से कम 2000 करोड़ रुपये मूल्य के निवेश के मानदंड भी पूरे कर दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो भारत में इस कंपनी द्वारा प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है और क्या इसके उत्पादों का विपणन करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) ने भारत में परिवहन ईंधनों के विपणन हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। तथापि एसआईपीएल ने प्राधिकार की मंजूरी के लिए पात्र शर्तों में न तो 2000 करोड़ रु. का निवेश किया है, और न ही उसने इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार 500 करोड़ रु. की गारन्टी प्रस्तुत की है। अत:, अभी तक सरकार द्वारा एसआईपीएल को परिवहन ईंधनों की बिक्री के लिए विपणन अधिकारों की मंजूरी नहीं दी गई है।

रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएं

586. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नयी सुविधाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड पहले ही ऐसी सुविधाएं शुरू कर चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु अन्य तेल कंपनियों को निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सार्वजनिक तेल विपणन कम्पनियों (ओ एम सीज) ने एलपीजी ग्राहकों की सुविधा के लिए समय-समय पर विभिन्न सुविधाएं शुरू की हैं।

(ख) और (ग) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने ग्राहक सेवाओं और उनकी देखभाल पर नए मानकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से हाल ही में 'स्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स' की अवधारणा शुरू की है। ये डिस्ट्रीब्यूटर अपने ग्राहकों को विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जिनमें सप्ताह के सभी सातों दिन सुपुर्दगी करना, ग्राहकों द्वारा चुने समयानुसार रिफिल की सुपुर्दगी करना, एक सामान्य टेलीफोन

नम्बर के माध्यम से 24 घण्टे ऑटोमेटिक रिफिल बुकिंग आदि शामिल हैं।

(घ) विनियमित परिदृश्य में, ओएमसी अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

मथुरा तेल शोधनशाला की क्षमता में वृद्धि

587. श्री तूफानी सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने अपने मथुरा तेल शोधनशाला की तेल शोधन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या मथुरा तेल शोधनशाला की तेल शोधन क्षमता में वृद्धि से रिफाइनरी के निकट ताज महल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को और अधिक क्षति पहुंचेगी; और

(घ) यदि हां, तो इन स्मारकों के संरक्षण के लिए इस तेल शोधनशाला द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत स्तर पर मिट्टी के तेल की एजेंसियां

588. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से मिट्टी के तेल पर निर्भर है और उनकी यह मांग पूरी नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर मिट्टी के तेल की एजेंसियां आवंटित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) पेट्रलियम क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के पश्चात तेल विपणन कंपनियां देश के विभिन्न भागों, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं, में एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपें स्थापित करने के लिए स्थान चुनने हेतु स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि ऐसे स्थान वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा विद्यमान डीलरशिपों का अतिक्रमण न होना जैसे कुछ मानकों को पूरा करते हों।

[अनुवाद]

असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए.एस.ई.बी.) की स्थापित क्षमता

589. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राज्य विद्युत बोर्ड इस तथ्य के बावजूद कि असम में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत सबसे कम है और राष्ट्रीय औसत के एक-तिहाई भाग से भी कम है, स्थापित क्षमता से भी नीचे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो असम राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है और यह किस स्तर पर कार्य कर रहा है;

(ग) क्या असम विकास बैंक ने असम विद्युत नियामक आयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता मंजूर की है;

(घ) यदि हां, तो इससे वित्त पोषित होने वाली योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और इसमें अब तक कितनी प्रगति की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां। असम राज्य विद्युत बोर्ड (एएसईबी) के ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) कम है। अप्रैल-अक्टूबर, 2003 के दौरान एएसईबी-जीटी केन्द्रों की पीएलएफ 69.8% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 31.5% था। वर्ष 2001-02 में असम में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 99.42 किलोवाट घंटा थी, जो 360.97 कि.वा.घं. के राष्ट्रीय औसत की तुलना में सबसे न्यूनतम नहीं है।

(ख) अप्रैल-अक्टूबर, 2003 के दौरान एएसईबी की मॉनीटरीकृत क्षमता, विद्युत उत्पादन एवं पीएलएफ निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विद्युत संयंत्र	मॉनिटरिंग क्षमता (मे.वा.)	उत्पादन (मि.यू.) अप्रैल-अक्तूबर, 2003			संयंत्र भार घटक (%) अप्रैल-अक्टूबर, 2003	
			कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम का प्रतिशत	कार्यक्रम	वास्तविक
राज्य क्षेत्र							
	चन्द्रपुर*	60	0	0	0	0	0
	नामरूप एसटी*	30	75	0	0	48.7	0
	बोगाइगांव*	240	0	0	0	0	
	एएसईबी थर्मल	330	75	0	0	4.4	0
	नामरूप जीटी	81.5	167	180	107.8	39.9	43.0
	नामरूप डब्ल्यूएचपी	22	34	29	85.3	30.1	25.7
	लकवाजीटी	120	210	187	89.0	34.1	30.3
	मोबाइल गैस टी-जी	21	0	0	0	0	0
	एसएसईबी जी.टी.जी.	244.5	411	396	96.4	32.7%	31.5
निजी क्षेत्र							
	डीएलएफ प्राइवेट असम	24.5	102	63	61.8	–	–

*सूचनानुसार विभिन्न कारणों जैसे नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार कार्य, अनुरक्षण कार्य आदि की वजह से विद्युत संयंत्र प्रचालित नहीं हैं।

(ग) से (ङ) ऐसा लगता है कि यहां पर संदर्भ एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, न कि असम डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक असम विद्युत विनियामक आयोग को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा असम विद्युत विनियामक आयोग (एईआरसी) के क्षमता संवर्द्धन के लिए दी जा रही तकनीकी सहायता

* तकनीकी सहायता दो चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित वर्तमान एईआरसी एवं असम सरकार के स्टाफ को विभिन्न विनियामक मामलों के संबंध में प्रशिक्षण सहायता दी जाएगी। दूसरा चरण सुधार अधिनियम के अंतर्गत एईआरसी के पुनर्गठन के बाद शुरू किया जाएगा।

* तकनीकी सहायता देने का उद्देश्य इसके प्रचालनात्मक मानकों एवं प्रक्रियाओं को तैयार करने तथा असम राज्य के विद्युत क्षेत्र सुधार को बढ़ावा देने के लिए विनियामक मामलों को दक्षता से निपटाने हेतु इसकी संस्थागत क्षमता का संवर्द्धन करना है।

* तकनीकी सहायता की कुल लागत 625,000 डॉलर है, जिसमें 445,625 डॉलर विदेशी विनिमय तथा 179,375 डॉलर स्थानीय मुद्रा शामिल है। एडीबी 500,000 डॉलर की कुल लागत पर 445,625 डॉलर विदेशी विनिमय

एवं 54,375 डॉलर स्थानीय मुद्रा का वित्त पोषण करेगा। तकनीकी सहायता का वित्तपोषण एडीबी द्वारा अनुदान आधार पर किया जाएगा। असम सरकार/एईआरसी शेष 125,000 डॉलर की स्थानीय मुद्रा का वित्तपोषण करेंगे।

* तकनीकी सहायता लगभग 20 महीने में पूरी कर ली जाएगी, अर्थात् फरवरी, 2003 से सितंबर, 2004 तक।

आई.ओ.सी.एल. के खुदरा बिक्री केन्द्र

590. **श्री सुनील खां:**
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:
डा. अशोक पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में और विदेशों में आई.ओ.सी.एल. के कुल कितने खुदरा बिक्री केन्द्र हैं;

(ख) क्या देश में और विदेशों में आई.ओ.सी.एल. द्वारा अर्जित लाभ का एक बड़ा हिस्सा अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सृजित किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो आई.ओ.सी.एल. के कुल लाभ का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसके खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सृजित आय का अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार देश में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के 8,034 खुदरा बिक्री केन्द्र थे। आईओसी के भारत के बाहर अपने निजी कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं हैं। तथापि, आईओसी अपनी निजी सहायक कंपनी, अर्थात मैसर्स लंका आईओसी प्राइवेट लिमिटेड (वर्ष 2002-03 के दौरान गठित की गई) के माध्यम से श्रीलंका में खुदरा बिक्री प्रचालन कर रही है। इस सहायक कंपनी द्वारा श्रीलंका में 114 खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रचालन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आईओसी द्वारा अर्जित कुल करोपरांत लाभ निम्नवत है:

वर्ष	अर्जित लाभ (करोड़ रुपए में)
2000-01	2,720
2001-02	2,885
2002-03	6,115

खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अर्जित लाभ की जानकारी हासिल करने के लिए आईओसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है।

ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना

591. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस परियोजना के अंतर्गत कितनी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को शामिल किये जाने की संभावना है;

(ख) दसवीं योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और इसके लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में 520 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना मई, 2003 में नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. (मध्य प्रदेश सरकार और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. का एक संयुक्त उपक्रम) द्वारा कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई थी। परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगौन और धार जिलों की विद्युत और सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करेगी। परियोजना जो कि फरवरी, 2008 में शुरू होनी निर्धारित है, वर्तमान स्थिति में निर्माण के विभिन्न चरणों में है। 10वीं योजना के अंतर्गत इस परियोजना हेतु 214,268.49 लाख रुपये का एक वित्तीय प्रावधान किया गया है।

देश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

592. **श्री प्रबोध पण्डा:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए संबंधित राज्यों को धनराशि प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्यों को धनराशि के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) अक्तूबर 2003 के अंत तक राज्यों के पास राज्यवार कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है, और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 10वीं योजना के अंत तक सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाना अपेक्षित है। इसके ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए सरकार विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों, यथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत राज्यों को निधि उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को निधियां रियायती ब्याज दरों पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) से भी त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी) के अंतर्गत उपलब्ध है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण I

31.3.2003 की स्थितिनुसार गैर-विद्युतीकृत गांवों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/यूटी	1991 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या	कुल विद्युतीकृत गांव	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	26586	26565	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	3649	2342	1307
3.	असम	24685	19045	5640
4.	बिहार	38475	18026	20449
5.	झारखंड	29336	6416	22920
6.	गोवा	360	360	–
7.	गुजरात	18028	17940	–
8.	हरियाणा	6759	6759	–
9.	हिमाचल प्रदेश	16997	16890	107
10.	जम्मू-कश्मीर	6477	6295	182
11.	कर्नाटक	27066	26764	296
12.	केरल	1384	1384	–
13.	मध्य प्रदेश	51806	50344	1462
14.	छत्तीसगढ़	19720	18321	1399
15.	महाराष्ट्र	40412	40351	–
16.	मणिपुर	2182	2004	178
17.	मेघालय	5484	2730	2754
18.	मिजोरम	698	691	7
19.	नागालैंड	1216	1216	–
20.	उड़ीसा	46989	37307	9682
21.	पंजाब	12428	12428	–
22.	राजस्थान	37889	36906	983
23.	सिक्किम	447	405	42
24.	तमिलनाडु	15822	15822	–
25.	त्रिपुरा	855	817	38
26.	उत्तर प्रदेश	97122	79080	18042*
27.	उत्तरांचल	15681	12896	2785
28.	पश्चिम बंगाल	37910	30216	7694
	कुल (राज्य)	586165	490320	95967

*डी-इलेक्ट्रिफाइड गांव शामिल नहीं।

विवरण II

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एमएनपी के अंतर्गत राज्यवार जारी निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	961	961	1200

1	2	3	4	5
3.	असम	2652	2652	6000
4.	बिहार	3767	948	6800
5.	झारखंड	–	2819	6800
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	72	72	200
10.	जम्मू-कश्मीर	77	77	–
11.	कर्नाटक	7	7	–
12.	केरल	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	549	263	800
14.	छत्तीसगढ़	–	286	800
15.	महाराष्ट्र	–	–	–
16.	मणिपुर	131	131	270
17.	मेघालय	1872	1872	3000
18.	मिजोरम	16	16	–
19.	नागालैंड	38	38	130
20.	उड़ीसा	1133	1133	6000
21.	पंजाब	–	–	–
22.	राजस्थान	507	507	–
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	–	–
25.	त्रिपुरा	14	14	–
26.	उत्तर प्रदेश	4547	3923	15000
27.	उत्तरांचल	–	624	7000
28.	पश्चिम बंगाल	1157	1157	6000
29.	दिल्ली	–	–	–
	कुल	17500	17500	60000

विवरण III

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2001-02 और 2002-03 में पीएमजीवाई के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03 (एमएमपी)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1705.00	1705.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	684.00	684.00
3.	असम	6011.00	3000.00
4.	बिहार	2457.90	2417.30
5.	झारखंड	851.70	515.00
6.	गोवा	4.50	6.00
7.	गुजरात	362.80	0
8.	हरियाणा	187.90	142.90
9.	हिमाचल प्रदेश	100.00	110.00
10.	जम्मू-कश्मीर	1922.00	800.00
11.	कर्नाटक	379.60	1116.90
12.	केरल	841.00	1000.00
13.	मध्य प्रदेश	594.50	–
14.	छत्तीसगढ़	1460.62	1275
15.	महाराष्ट्र	1901.08	1664.00
16.	मणिपुर	600.00	600.00
17.	मेघालय	600.00	600.00
18.	मिजोरम	598.00	598.00
19.	नागालैंड	452.60	650.00
20.	उड़ीसा	1703.80	100.00
21.	पंजाब	1488.25	444.00
22.	राजस्थान	1080.00	1061.00

1	2	3	4
23.	सिक्किम	0.00	400.00
24.	तमिलनाडु	1173.60	1608.20
25.	त्रिपुरा	850.00	500.00
26.	उत्तर प्रदेश	9417.00	10187.00
27.	उत्तरांचल	976.75	2000.00
28.	पश्चिम बंगाल	2820.00	2774.00
	कुल	41223.60	35,958.30

मिग-21 विमानों का रखा जाना

593. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्री अम्बाला में मिग लड़ाकू विमान चलाने वाले विंग कमांडर के साथ गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय वायुसेना में मिग-21 विमानों के सभी प्रकारों को बनाए रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का वास्तविक रवैया क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) 1 अगस्त, 2003 को विंग कमांडर एन. हरीश के साथ मिग-21 प्रशिक्षण वायुयान में उड़ान भरी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) मिग-21 रूपांतर भारतीय वायुसेना में बड़ा लड़ाकू बेड़ा है। इन वायुयानों की एक बार कुल तकनीकी मीयाद पूरी होने पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटा लिया जाएगा।

रसोई गैस और मिट्टी के तेल संबंधी राजसहायता योजना में संशोधन

594. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस और मिट्टी के तेल संबंधी राजसहायता योजना, 2003 के बड़े संशोधनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नयी योजना के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों को इन दोनों ईंधनों की बिक्री से प्राप्त होने वाली कम वसूली के एक-तिहाई भाग को वसूलने की अनुमति प्रदान की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा घोषित नयी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यह कितनी लाभप्रद रही है और इसे सभी ने कितना पसंद किया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एमपीएम) के समापन संबंधी सरकारी निर्णय के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर राजसहायता समान दर आधार पर है और इसे लेखा में लेते हुए तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) इन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अंतरभिन्नताओं के अनुरूप खुदरा बिक्री मूल्य घटा-बढ़ा सकती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी सामूहिक खपत वाले घरेलू ईंधन हैं। इन उत्पादों के उच्चतर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को घरेलू मूल्यों के अंतर्गत स्वीकार करने से उपभोक्ताओं को हानि हुई होती। इस मामले की इसलिए पुन: जांच की गई थी तथा उपभोक्ता हित में यह निर्णय लिया गया था कि संबंधित तेल विपणन कंपनियां वर्ष 2003-04 के दौरान इन उत्पादों के बिक्री मूल्यों में वृद्धि नहीं करेगी तथा तेल विपणन कंपनियों की परिणामी कम-वसूलियां तेल कंपनियों में समाहित/तेल कंपनियों के बीच बांटी जाएगी।

तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच इन कम-वसूलियों की हिस्सेदारी के लिए अंतिम रूप दी गई व्यापक व्यवस्था के अनुसार, तेल विपणन कंपनियां ऐसी अनुमानित कम-वसूलियों की लगभग एक-तिहाई को अन्य खुदरा उत्पादों के माध्यम से प्रति राजसहायता देकर पूरा करने का प्रयास करेंगी तथा शेष कम-वसूलियां तेल विपणन कंपनियों तथा अपस्ट्रीम कंपनियों (ओएनजी तथा गेल) के बीच बांटी जाएगी।

मसौदा विद्युत टैरिफ नीति

595. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्रिसिल के साथ परामर्श से मसौदा विद्युत टैरिफ नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य दक्षता वर्धन, विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाना तथा राजसहायता दिए जाने में पारदर्शिता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मसौदा नीति की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेजी गयी है;

(ग) यदि हां, तो टैरिफ नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके किस सीमा तक लाभदायक होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था करती है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से टैरिफ नीति तैयार करेगी। टैरिफ नीति पर एक प्रारंभिक विचार-विमर्श दस्तावेज केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और क्रेडिट रेटिंग इनफारमेशन सर्विसिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) की सहायता से तैयार किया गया था और सभी राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों और सुझावों हेतु प्रचारित किया गया था।

(ग) और (घ) चूंकि टैरिफ नीति विद्युत क्षेत्र के निर्बाध विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत सरकार ने अन्य विचारार्थ विषयों के साथ-साथ विद्युत टैरिफ नीति के सुझाव और एक राष्ट्रीय विद्युत नीति के विकास के लिए श्री एन.के. सिंह, सदस्य (उर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में विद्युत क्षेत्र निवेश और सुधारों पर एक कार्यदल गठित किया है। विभिन्न पणधारियों के साथ अनेक बैठकें की गई हैं। कार्यदल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

रसोई गैस और मिट्टी के तेल की आपूर्ति के लिए निजी कंपनियों को बाहर निकाला जाना

596. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए रसोई गैस और मिट्टी के तेल की आपूर्ति को राजसहायता देने से निजी स्वामित्व वाली कंपनियों को बाहर निकालने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी निजी क्षेत्र सहित तेल उद्योग के लिए कमजोर वर्गों की सहायता करने के अपने भार को बांटने के लिए इसे अनिवार्य बनाने के लिए आगे आयेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने के सरकार के निर्णय के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर सरकारी राजसहायता एक समान दर पर आधारित है और उसका हिसाब लगाने के बाद तेल विपणन कंपनियां इन उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तनों के अनुसार खुदरा बिक्री मूल्यों में परिवर्तन कर सकेंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी व्यापक खपत के घरेलू ईंधन हैं। इन उत्पादों के उच्चतर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घरेलू बिक्रियों में अन्रित करने से उपभोक्ताओं को कष्ट हुआ होता। इसलिए मामले की पुन: जांच की गई थी और उपभोक्ता हित में यह निर्णय लिया गया कि तेल विपणन कंपनियां वर्ष 2003-04 के दौरान इन उत्पादों के बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं करेंगे और इसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों की कम वसूलियों को तेल कंपनियां वहन करेगी/आपस में बांटेंगी।

चूंकि यह सरकार का निर्णय है कि 31.3.2004 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया जाने वाले मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों को स्थिर कर दिया जाए, इस प्रकार एक विनियमित परिदृश्य में, ऐसे बोझ को सरकारी कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा/बांटा जाएगा और निजी कंपनियों से इस भार को वहन करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

रक्षा बलों में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक

597. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री भास्करराव पाटील:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न भर्ती केन्द्रों के माध्यम से रक्षा बलों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक भर्ती किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गत कुछ वर्षों में रक्षा बलों में नयी भर्तियों की पूर्ववृत्त की दुबारा जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सहायक टी.वी. स्टूडियो

598. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल हेतु कुछ सहायक टी.वी. स्टूडियो स्वीकृत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थानों में सहायक टी.वी. स्टूडियो कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में वारंगल और उत्तरांचल से देहरादून (स्थायी स्थापना) में टी.वी. स्टूडियो की स्कीमें स्वीकृत कर दी गई है.

(ग) वारंगल का स्थापना कार्य पूरा हो गया है। देहरादून में स्टूडियो केन्द्र के लिए स्थल अभी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। स्थल उपलब्ध हो जाने के बाद स्टूडियो केन्द्र को स्थापित करने में लगभग 3 वर्ष का समय लग जाएगा।

रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी

599. श्री अनंत नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति है; और

(ग) निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु किन नए क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) कुछ चिन्हित गैर-महत्वपूर्ण गतिविधियां रेलों से इतर एजेंसियों द्वारा निष्पादित की जा रही है। हाल ही में, खानपान, पर्यटन तथा आप्टिक फाइबर केबल सहित दूरसंचार विकास जैसी गतिविधियों को आईआरसीटीसी (भारतीय रेल खानपान तथा पर्यटन निगम लि.) तथा रेल टेल (भारतीय रेल टेल निगम लि.) के जरिए निगमित किया गया है। रेल मत्रालय रेल अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में सरकारी-निजी भागीदारी को शुरू करने की संभावना का पता लगा रहा है।

दसवीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य

600. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में के.बी.के. जिलों और अन्य जिलों में कितने गांवों में विद्युतीकरण हुआ है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ढेंकानल अंगुल बिरमहा राजपुर और अठामलिक को मिलाकर ढेंकानल संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण में कितनी प्रगति हुई हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन

601. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कितनी जल-विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य की परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) राजस्थान राज्य में इस समय 25 मे.वा. क्षमता से अधिक की कोई जल-विद्युत परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। 25 मे.वा. क्षमता से कम की परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है।

तथापि उत्पादक स्टेशनों से विद्युत आवंटन के मौजूदा मानदण्डों के अनुसार उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों से राज्य के हिस्से की विद्युत का आबंटन किया जाता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8075/2003]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं डा. सत्यनारायण जटिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 102 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 907(अ) जो 6 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब वक्फ बोर्ड के विभाजन की योजना का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पंजाब वक्फ बोर्ड के विभाजन के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8076/2003]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8077/2003]

(ख) (एक) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8078/2003]

(ग) (एक) इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8079/2003]

(घ) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8080/2003]

(ङ) (एक) 'राइट्स' लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 'राइट्स' लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8081/2003]

(दो) (एक) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8082/2003]

(3) 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति प्रवर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती करने में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8083/2003]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8084/2003]

अपराह्न 12.01 बजे

याचिका समिति

चौंतीसवां और पैंतीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं याचिका समिति का 34वां और 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01$^{1}/_{2}$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 18 अगस्त, 2003 को हुई 14वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

छप्पनवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का 56वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि सदन इस बात पर सहमत है कि आज की सूची में सम्मिलित नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश में मांझी (मझवार) जाति की विभिन्न उपजातियों को ध्यान में रखते हुए इसे अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए पुन: परिभाषित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मांझी जाति को संविधान में संशोधन करते हुए अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है, किन्तु मांझी जाति के अंतर्गत कौन-कौन परिभाषित हैं, यह स्पष्ट न होने से कठिनाई बनी हुई है। क्योंकि कुछ स्थानों पर मांझी को मल्लाह, धीवर, कहार, केवट, भोई, धीमर, तुरहा, कीर आदि नामों से जाना जाता है। कहीं-कहीं इसकी उप-जातियां कश्यप, निषाध, रायकवार, बाथम आदि हैं। ये सभी एक ही समुदाय की ही जातियां हैं, लेकिन प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रहने के कारण विभिन्न नामों से

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

पुकारी जाती हैं। केन्द्र सरकार से इस हेतु निवेदन किया गया है कि मांझी (मझवार) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाये। प्रदेश शासन के ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा मांझी मिन्स वोट्स मैन व फेरी मैन के रूप में परिभाषित किया गया है, किन्तु ये परिभाषा संपूर्ण मांझी समाज के हित की रक्षा करने वाली नहीं है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक एवं शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की जो सूची घोषित की गई है, उसके क्रमांक 12 के अंतर्गत उप जाति समूह में ढीमर, भोई, कहार, धीवर, मल्लाह, नावडा, तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कीर, ब्रितिया, वृतिया, सिंगरहा, आलारी, सेंधिया को पिछड़े वर्ग से विलोपित कर अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर न्याय प्रदान करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(दो) संथाली और बोडो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज): संसद के इस शीतकालीन सत्र के दौरान बोडो भाषा के साथ-साथ संथाली भाषा को भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। चूंकि संथाली भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है और देश के छह राज्यों में बोली जाती है। संथाली आस्ट्रेलियाई-एशियाई समूह की भाषाओं में से एक प्रमुख भाषा है। यद्यपि यह भाषा समूह भारत का प्राचीनतम भाषा समूह है फिर भी इसे अभी उचित मान्यता नहीं मिली है। केंद्र सरकार और इस संसद द्वारा संथाली भाषा को मान्यता देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(तीन) महाराष्ट्र में मुम्बई के घाटकोपर में मध्य रेलवे द्वारा रेल उपरिपुल तथा अन्य पैदल पार पुलों (एफओबी) के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): घाटकोपर, मुम्बई में रेल उपरिपुल का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। बजट में घोषणा किये जाने/सहायता देने के बावजूद मध्य रेलवे के अंतर्गत कंजूर मार्ग, घाटकोपर और गोवंडी में तीन पैदल पार पुलों के निर्माण कार्य में भी कोई प्रगति नहीं हो रही है। इसके परिणामस्वरूप 5 लाख यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इनके निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा त्वरित उपाय और अतिरिक्त प्रयास किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(चार) गुजरात में नवसारी जिले के होन्ड गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर जल के सुगम निकास के लिए समुचित निकास-मार्गों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी): अध्यक्ष महोदय, मैंने बजटकालीन सत्र में अपने संसदीय क्षेत्र के नवसारी जिले में गांव होन्ड एवं इसके आस-पास के गांव भसलन, चिमला, तेजलव, तलावचोरा एवं चिखली इत्यादि गांव जो राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को सात से आठ फुट तक ऊंचा बनाने से मानसून में बरसात का पानी सड़क के एक तरफ रुक जाने से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, का मामला उठाया था। उस पर स्थानीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा वहां पानी निकासी के लिए एक पुलिया के निर्माण हेतु योजना बनायी गयी जबकि यह मामला लोग न्यायालय में ले गये और न्यायालय ने पानी की निकासी के लिए और भी पुलिया बनाने का निर्देश दिया। इस संबंध में यहां के स्थानीय प्रशासन ने भी पानी के निकासी के लिए और पुलिया बनाने का प्रस्ताव किया है, परन्तु केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं किया है।

सदन के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले को अपने स्तर पर देखें और इस क्षेत्र के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी करें। यहां पर पानी निकासी के लिए और पुलियों का निर्माण शीघ्र कराया जाये।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा के गजपति जिले में जनजातीय बालिकाओं के कल्याण के लिए छात्रावास खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): भारत के संविधान के अनुसार उड़ीसा के गजपति जिले के पांच ब्लाक अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के जनजातीय लोग काफी गरीब हैं। इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों में शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उसमें भी जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति और भी बदतर है। पांचवीं कक्षा तक पहुंचने तक जनजातीय बालिकाओं में से विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या काफी अधिक है। इसका मुख्य कारण दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए छात्रावास की सुविधा का नहीं होना है। सातवीं कक्षा तक की शिक्षा देने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन करके उन्हें एम.ई.

विद्यालय बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्नयन किये गए प्रत्येक विद्यालय में जनजातीय बालिकाओं के लिए छात्रावास होना चाहिए ताकि वे सातवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उड़ीसा के गजपति जिले में जनजातीय बालिकाओं के छात्रावास स्थापित करने के लिए भारत सरकार पर्याप्त धन स्वीकृत करे।

(छह) दक्षिण कन्नड़ टेलीकॉम जिले में ग्रामीण लैंड लाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए रियायती टैरिफ बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी): लैंडलाइन टेलीफोन उपभोक्ता दूरसंचार विभाग की सेवाओं के मुख्य उपभोक्ता हैं लेकिन सेल्युलर/डब्ल्यू.एल.एल. उपभोक्ताओं की तुलना में विभाग लैंडलाइन उपभोक्ताओं की उपेक्षा कर रहा है।

दूरसंचार विभाग ने मनमानी करके केवल वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में बदल कर, ग्रामीण उपभोक्ताओं की रियायती टैरिफ की सुविधा वापिस ले ली है। लेकिन संबंधित राज्य सरकारें इन्हें अभी भी 'ग्रामीण क्षेत्र' मानती हैं और राजस्व के रिकार्ड में उन्हें अभी भी ग्रामीण निवासी का दर्जा दे रखा है। दक्षिण कन्नड़ दूरसंचार जिले के अंतर्गत आने वाले बहुत से टेलीफोन एक्सचेंज, जो कि अब तक ग्रामीण दर्जे और रियायती कराया शुल्क की सुविधा प्राप्त कर रहे थे, अब उन्हें 'शहरी' वर्ग में स्थानांतरित करके शहरी किराया के अंतर्गत लाया गया है। ये उपभोक्ता सीमान्त कृषि, बीड़ी बनाने और अन्य ग्रामीण उद्यमों में लगे हैं। मैं सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करके उनका 'ग्रामीण' दर्जा बनाये रखने का आग्रह करता हूं।

मैं सरकार से पी.सी.ओ. बूथ संचालकों, जो कि अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों से हैं और उनके परिवार पूर्णतया पी.सी.ओ. बूथ के संचालन से अर्जित आय पर निर्भर हैं, के लिए कमीशन की दर बढ़ाने का आग्रह करता हूं।

(सात) कर्नाटक में हासन में वाहन चालकों के लिए एक आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): महोदय, हसन, कर्नाटक में वाहन चालकों के लिए एक आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (के.एस.आर.टी.सी.) ने इस संबंध में प्रस्तावित परियोजना राज्य सरकार के पास भेजी थी और इसकी कुल अनुमानित लागत केवल 300 लाख रुपये है। कर्नाटक सरकार 30.9.2003 को पहले ही केन्द्र सरकार के पास भेज चुकी है।

यह संस्थान सुरक्षित वाहन चलाने को प्रोत्साहन देने और सड़क सुरक्षा के हित में चालकों को आवश्यक जानकारी और वाहन चलाने में दक्ष बना पाएगा। के.एस.आर.टी.सी. के पास हसन में इस उद्देश्य के लिए 92 एकड़ भूमि है। इस अनुसंधान केन्द्र को स्थापित करने के लिए सभी अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

वर्तमान में कर्नाटक में विशेषकर बंगलौर, मैसूर, हुबली और अन्य शहरों में परिवहन प्रणाली की स्थिति बहुत खराब है। आए दिन विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अत: हसन में ऐसे अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की अत्यंत आवश्यकता है। अतएव मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक 300 लाख रुपये की राशि शीघ्रतापूर्वक जारी करें।

(आठ) केरल में अडूर में एक एलपीटी अनुरक्षण केन्द्र शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): प्रसार भारती निगम ने केरल में अडूर में एलपीटी रखरखाव केन्द्र शुरू करने का निर्णय किया है। यह प्रस्ताव मंत्रालय की वार्षिक योजना में शामिल किया गया था। इस समय अडूर, कायामकुलम, चेंगान्नूर, पठानमथिट्टा, पुनालुर तथा कोट्टारक्कारा स्थित एलपीटी केन्द्रों का रखरखाव तिरूनेलवेली केन्द्र द्वारा किया जाता है। तिरूनेलवेली रखरखाव केन्द्र इन स्थानों से बहुत दूर है। इन एलपीटी केन्द्रों पर रखरखाव कर्मचारियों की उपलब्धता न होने के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तिरूनेलवेली केन्द्र अकेले इन सभी केन्द्रों की देखभाल करने में समर्थ नहीं है। इसलिए अडूर एलपीटी रखरखाव केन्द्र बहुत ही आवश्यक है। अभी तक प्रसार भारती निगम यही बताता रहा है कि उसके पास अडूर एलपीटी रखरखाव केन्द्र को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं।

अडूर वासियों की यह लंबे समय से मांग रही है कि वहां एक एलपीटी रखरखाव केन्द्र स्थापित किया जाये। इस संबंध में मैंने प्रसार भारती निगम तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कई अभ्यावेदन दिये हैं लेकिन ऐसा लगता है सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए माननीय लोक सभा अध्यक्ष के माध्यम से मैं सूचना और प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यथाशीघ्र अडूर में एलपीटी रखरखाव केन्द्र स्थापित करें।

(नौ) खाड़ी देशों में नौकरियां तलाश करने वाले उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन के लिए केरल में एकल खिड़की सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): संयुक्त अरब अमीरात ने यह अनिवार्य कर दिया है कि भारत में प्रदत्त सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चाहें वे पेशेवर स्वरूप के हों या शैक्षणिक स्वरूप के, वे उनके नई दिल्ली स्थित राजदूतावास से प्रमाणित होने चाहए। साथ ही, इसके पूर्व उन्हें भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के कौंसुलर सेक्शन से भी प्रमाणित किया जाना चाहिए। विभिन्न खाड़ी देशों में कार्य कर रहे भारतीयों में से लगभग तीस लाख से भी अधिक लोग केरल से हैं। चूंकि कागजातों का प्रमाणन संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार बीजा के लिए आवेदन करने अथवा उनका नवीकरण कराने की एक पूर्व शर्त है, अत: इस कानून से प्रभावित होने वाले सबसे अधिक लोग केरल से ही हैं।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास के नोटरी कार्यों को समेकित करते हुए केरल में ही प्रमाण-पत्रों के प्रमाणन के लिए एक एकल खिड़की सुविधा स्थापित करें। संयुक्त अरब अमीरात दूतावास केरल में प्रमाणन के लिए एक एकल खिड़की सुविधा खोलने के लिए सहमत है।

(दस) वर्ष 2006 तक सर्वशिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगरकुरनूल): मुझे इस सम्मानित सभा को यह सूचित करना है कि आंध्र प्रदेश ने 61.11 प्रतिशत की साक्षरता दर प्राप्त कर ली है। पिछले दशक में वहां साक्षरता दर में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पुन: परिभाषित किये जाने की आवश्यकता होगी क्योंकि केवल उच्च कोटि की साक्षरता और मानव संसाधनों से ही निरंतर वृद्धि और विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह योजना सही ढंग से कार्य कर सके इसके लिए इसकी धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। 1.6 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है, इंटरनेट सहित टीवी तथा दूसरे इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा छात्राओं को प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों में 1.9 लाख बच्चों का दाखिला किया गया है तथा 60 लाख प्रौढ़ व्यक्तियों को काम चलाऊ शिक्षा प्रदान की गयी है। आंध्र प्रदेश सरकार 2006 तक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है, जबकि इसके लिए राष्ट्रीय लक्ष्य 2010 निर्धारित है। इस पर राज्य सरकार 4000 करोड़ रुपये सालाना खर्च कर रही है, लेकिन 2006 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

इसलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में इस सपने को पूरा करने के लिए राज्य को अतिरिक्त धनराशि की सहायता उपलब्ध कराये और वित्तीय भार में हाथ बंटाये।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में मऊ जंक्शन से कैफियत एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आजमगढ़ से दिल्ली चलने वाली ''कैफियत एक्सप्रैस'' की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त ट्रेन के परिचालन के पूर्व ही कई बार लोक सभा के माध्यम से तथा माननीय मंत्री जी एवं माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा मऊ जंक्शन, जो आजमगढ़ से मात्र 40 किलोमीटर दूर है, से चलाने की मांग की गयी थी। उक्त ट्रेन हेतु मऊ जंक्शन से प्रतिदिन औसत 100 टिकट दिल्ली व अन्य स्टेशनों हेतु बुक होते हैं। मऊ से चलाने पर उक्त ट्रेन की सुविधा मऊ के पड़ोसी जिलों, बलिया, गाजीपुर आदि के यात्री भी प्राप्त कर सकेंगे। मऊ शहर एक विश्व प्रसिद्ध साड़ी निर्माण एवं व्यवसाय का केन्द्र है। वहां ट्रेन परिचालन की सुविधाएं मौजूद हैं जबकि आजमगढ़ से चलाने पर मऊ जंक्शन से ही अधिकांश कार्य सम्पादित होते हैं।

अत: सरकार से प्रार्थना है कि उक्त ट्रेन का परिचालन मऊ जंक्शन से सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

(बारह) कोयले से भिन्न मुख्य खनिजों पर रायल्टी की दरें बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): कोयले से भिन्न बड़े खनिजों की रायल्टी दरों का अभी तक पुनरीक्षण नहीं हुआ है यद्यपि इस बारे में तीन वर्ष की सांविधिक आवश्यकताओं को 12 सितम्बर, 2003 के पूरा कर लिया गया है। सरकार को सूचित किया गया है कि बड़े खनिजों की रायल्टी दरों की पुनरीक्षा से संबंधित अध्ययन दल ने इस बारे में विचार-विमर्श का कार्य पूरा कर लिया है और इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब, यह सरकार पर

निर्भर है कि वह इस बारे में कार्यवाही करने पर विचार करे। लेकिन रायल्टी की दरों में संशोधन करने के लिए दूसरी अनुसूची में संशोधन करने वाली अपेक्षित अधिसूचना को अभी जारी किया जाना शेष है।

इस बीच कुछ खनिजों की कीमत, विशेषकर कच्चे लोहे की कीमत कई गुना बढ़ गयी है। यद्यपि इस मूल्य वृद्धि से कच्चे लोहे का उत्खनन करने वालों को फायदा हो रहा है, पर उड़ीसा राज्य को इस मूल्य वृद्धि से कोई लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि वर्तमान रायल्टी ढांचा एड वालोरेम (मूल्यानुसार) आधार पर आधारित नहीं है।

चूंकि उड़ीसा राज्य गंभीर रूप से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, इसलिए वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त राजस्व की अत्यन्त आवश्यकता है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह यथाशीघ्र गैर-कोयला बड़े खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन करके वृद्धि किये जाने के लिए तुरन्त कदम उठाये।

(तेरह) चीन के प्राधिकारियों से बातचीत करके लद्दाख को माउंट कैलाश और मानसरोवर से जोड़ते हुए एक नया मार्ग शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री तथा चीन के प्रधान मंत्री के बीच हाल की चर्चा के दौरान लद्दाख से कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर पर्वत जाने के लिए एक नया रास्ता शुरू करने के प्रश्न पर विचार हुआ है। इस प्रस्ताव से यात्रा का जोखिम काफी कम हो जायेगा और इससे समय की भी काफी बचत होगी। भारत सरकार को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से हल करने के लिए चीन के प्राधिकारियों से बातचीत करे।

(चौदह) देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए टेलीफोन के किरायों को युक्तियुक्त बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरांजी): वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन किराया पूरे तालुका की सज्जित क्षमता के आधार पर तय किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्र में यह एक्सचेंज विशेष की क्षमता के आधार पर तय होता है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एक्सचेंज की क्षमता 360 होती है। यदि टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 360 से अधिक हो जाती है तो 1 कि. क्षमता वाले एक्सचेंज स्थापित करने पड़ते हैं। इसलिए जैसे ही एक्सचेंज 1 कि. क्षमता पार करता है, इसका द्विमासिक किराया 100 रुपये से 200 रुपये हो जाता है। इसलिए, केवल 100 या उससे अधिक अतिरिक्त ग्राहकों के होने पर सभी ग्रामीण ग्राहकों को अधिक किराया देना पड़ता है और इस तरह उन्हें दंडित किया जाता है। बुनियादी ढांचा समान होने के बावजूद टेलीफोन किराया केवल क्षमता वृद्धि के आधार पर बढ़ा दिया जाता है। जब इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को लगाये जाने की कीमतों में कमी आ रही है, तो ऐसे में इसके किराये को एक्सचेंज की क्षमता अथवा पूरे तालुका की क्षमता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

इसी तरह, शहरी क्षेत्र के लिए टेलीफोन किराया संपूर्ण तहसील की क्षमता पर निर्भर करेगा। यदि तहसील की कुल क्षमता 1,00,000 ग्राहकों से बढ़ जाती है तो शहरी क्षेत्र में टेलीफोन किराया 360 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो जाता है। इस तरह तहसील के दूरस्थ क्षेत्र में यदि एक भी अतिरिक्त एक्सचेंज स्थापित हो जाता है तो उसका प्रभाव शहरी क्षेत्र के ग्राहकों पर किराया वृद्धि के रूप में पड़ता है। इस तरह तहसील की क्षमता के साथ किराये को जोड़ना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है।

इसलिए, महोदय मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि टेलीफोन किराया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और इसे एक्सचेंज क्षमता अथवा तहसील की कुल क्षमता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

(पन्द्रह) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): मैं विभिन्न राज्यों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में काम कर रहे 196 अधिकारियों सहित कर्मचारियों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 27 वर्षों से भी अधिक समय से ग्रामीण निर्धनों के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी तक इन बैंकों में कारोबार से संबद्ध जनशक्ति की कोई योजना कार्य नहीं कर रही थी। उनमें लगभग 13 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है और जब से ये बैंक अस्तित्व में आये हैं तब से किसी भी कर्मचारियों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह निदेश दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वेतन-ढांचा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भांति ही हो। लेकिन ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की भांति अभी भी पेंशन लाभ नहीं मिले हैं यद्यपि ये बैंकिंग उद्योग के साथ हुए वेतन समझौते का ही एक भाग है।

इसलिए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस बारे में हस्तक्षेप करे और यथाशीघ्र समुचित निर्णय ले।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर विचार करने जा रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, कल जो सवाल हमने उठाया था असम में बिहार के लोगों के मामले पर, उस पर हम आपका नियमन जानना चाहते हैं कि कब सदन में उस पर चर्चा उठाई जाएगी। देश की अखंडता खतरे में है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कब इस सवाल पर सदन में चर्चा उठाई जाएगी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: असम का जो प्रश्न आपने कल उठाया था, उस प्रश्न की गंभीरता देखकर कल बी.ए.सी. में यह निर्णय हुआ कि बिहार और असम का जो प्रश्न है, इसकी चर्चा कल सदन में की जाएगी। किस तरीके से सदन में चर्चा सुचारू रूप से हो, इसके लिए कल सुबह 10 बजे मैंने सभी नेताओं की बैठक बुलाई है और उस बैठक में हम तय करेंगे कि किस तरीके से चर्चा की जाए और उस चर्चा के दौरान किस तरीके का वातावरण सदन में रहना चाहिए, इस पर भी बात होगी। बड़ी गंभीरता से हम कल इस विषय पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देलकर, आपने भी कल दमन में एक पुल गिर जाने के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। मैंने इस मामले पर गौर किया है। मैं अगली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस मुद्दे को रखूंगा ताकि आप अगले हफ्ते इस मुद्दे पर किसी न किसी रूप में चर्चा कर सकें।

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नागर हवेली): महोदय, मैंने यह अनुरोध किया था कि इसे नियम 193 के अधीन उठाया जाये *...(व्यवधान)* यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने धान की खरीद में मानक में छूट दे दी है लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार में धान की खरीद में मानक में छूट नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश में लाखों किसान परेशान हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी इस बिंदु को ध्यान में रख सकते थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां एक गंभीर मामले पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना है। हम इस सूचना को चर्चा के लिए ले रहे हैं क्योंकि इस माननीय सभा के 44 सदस्यों ने मुझे इसकी सूचना दी है। इसका विषय साधारणतया यह है: "कुछ मंत्रियों का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों से अनुग्रह लेने में कथित रूप से शामिल होना तथा एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री को घूस लेने के मामले में लिप्त होना।"

कल भी मुझे कुछ अलग शब्दों में इसी प्रकार की सूचना मिली थी और मैंने इस मुद्दे पर बोलने के लिए श्री रामजीलाल सुमन के नाम की घोषणा की थी।

कृपया यह याद रखें कि यद्यपि 44 संसद सदस्यों ने इस विषय पर बोलने हेतु सूचनाएं दी हैं परन्तु मैं प्रत्येक संसद सदस्य को बोलने की अनुमति देने नहीं जा रहा हूं। कुछ संसद सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दी जाएगी और तत्पश्चात् मैं इस मुद्दे पर अपना निर्णय दूंगा तथा इसके बाद अन्य कार्य लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, विभिन्न समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री शिवशंकर प्रधान मंत्री जी से मिले और जो समाचारपत्रों में छपा, उसके मुताबिक छः मंत्रियों के नाम छपे जो कि सार्वजनिक उपक्रमों से उगाही करने का काम कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी का जो बयान समाचारपत्रों में छपा, उसमें उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने मंत्रियों के नामों पर मुझसे चर्चा नहीं की।

महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है कि छः सार्वजनिक उपक्रमों के मुखिया जो मंत्री हैं, यदि उन सार्वजनिक उपक्रमों में धांधली होती है, उनसे यदि उगाही की जाती है, तो भारत सरकार

के काम करने का जो तरीका है, वह निश्चित रूप से सन्देह के घेरे में आता है।

यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। रोज नए-नए तरीके से भ्रष्टाचार करने के आरोप इस पर लग रहे हैं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। जो सरकारी विज्ञप्ति है, उसमें भी कहा गया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त प्रधान मंत्री जी से मिले थे। इसलिए मेरा आग्रह है कि निश्चित रूप से जो सरकारी उपक्रम हैं, उनसे यह जो उगाही का काम किया जा रहा है, इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए जो पूरे तथ्यों की जांच करे।

दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है, हालांकि कल आपने बिजनैस एडवाइजरी समिति की बैठक भी बुलाई थी और प्रधान मंत्री जी इस सवाल पर बयान देंगे, वह मामला है आस्ट्रेलिया की एक फर्म से उड़ीसा में खनन के अधिकार देने के लिए जो वीडियो टेप दिखाया गया, जिसमें श्री दिलीपसिंह जू देव को रिश्वत लेते दिखाया गया। इसमें कोई शंका नहीं है और एन.डी.टी.वी. के मुताबिक श्री दिलीपसिंह जू देव ने स्वीकार किया है कि उन्होंने यह पैसा लिया था और किस काम के लिए लिया था, वह भी बताया कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लिया था। उन्होंने इसकी तुलना महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और शहीद भगत सिंह के नामों से की और कहा कि वे भी पैसा लेते थे। यह बहुत गंभीर मामला है।

इस सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मेरा आरोप है कि यह सरकार, सरकारी उपक्रमों से धन उगाही करने का काम कर रही है। इस सरकार की जिस तरह की नीति और नीयत है तथा जैसा काम कर रही है. उसको देखते हुए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मेरे स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा कराइए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा की सत्तापक्ष में बैठे दलों की शक्तियों को परे रखकर, इस सदन में मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी निर्धारित करने में संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पवित्र संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि "मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" यह विशेषाधिकार केवल लोक सभा को दिया गया है न कि अन्य सदन को क्योंकि हम लोग सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं। महोदय, जब सदन के नेता, प्रधानमंत्री, अपने मंत्रिमण्डल में किसी मंत्री को सम्मिलित करते हैं तो सत्र आरम्भ होने के पहले दिन वे अपने उस साथी का, जो कि उनके मंत्रिपरिषद में है और जिसे हाल ही में मंत्रिमण्डल में सम्मिलित किया गया है, सभा से परिचय कराते हैं। यह परम्परा जिम्मेदारी की इसी कड़ी से जुड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, हम यहां एक मुद्दे के गुण-दोषों पर चर्चा करने के लिए नहीं हैं। एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव को किसी हलके मामले पर एक बहुत ही हल्के रूप में न तो लिया जाना चाहिए और न ही उसे ऐसे रखा जाना चाहिए। दो बहुत महत्वपूर्ण बातों की सूचना दी गई है और राष्ट्रीय मीडिया में गहराई से उन पर चर्चा हुई है, उन पर राष्ट्रीय दूरदर्शन पर गहराई से चर्चा हुई, उन पर मंत्रिमण्डलीय सचिव सहित सरकार के और विभागों के विभिन्न प्रमुखों ने टिप्पणियां की हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र जिसे इस संसद द्वारा बजटीय समर्थन दिया जाता है, जिसके व्यय की संवीक्षा सी.ए.जी. करता है, उस सरकारी क्षेत्र के विभाग के मंत्री—मैं यह नहीं कहता कि उन्हें उसकी प्रत्येक छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए—लोक सभा के प्रति जिम्मेदार होता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, ये सीवीसी के बारे में बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने 'सी.वी.सी.' शब्द का प्रयोग नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मल्होत्रा जी, क्या आप दासमुंशी जी की बात भी नहीं सुनेंगे? ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप लोग जो बौखला कर बात कर रहे हैं, जनता ने आज फैसला कर दिया है और जनता का फैसला सामने आ गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यह जानते हैं कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी अपना बचाव करने में सक्षम हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): इस बात का जनता ने फैसला कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब इस तरह क्यों खड़े हो रहे हैं, कृपया आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सीवीसी ने पीएसयूएस का नाम नहीं लिया और दासमुंशी जी ने भी पब्लिकली डिक्लेयर किया कि

उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने किसी पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में नहीं कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर अपना निर्णय लेने से पहले उन्हें सुनना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: ये लोग बार-बार इस बात को बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आपको जो कहना था, आपने कह दिया। अब आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: चन्द्रकांत खैरे जी, मैं बोल रहा हूं कि सीवीसी का नाम ही नहीं लिया। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): इन्होंने नाम लिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चन्द्रकांत खैरे जी, आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, इस देश में इस या उस पक्ष का एक मानक तरीका है कि जब भी सरकार से संबंधित कोई गंभीर प्रकृति का मामला समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है- चाहे श्री मधु लिमये इस ओर थे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरी ओर थीं- तो वे इस मामले को पहले सरकार की जानकारी में लाते हैं और फिर उसे समुचित तरीके से लोक सभा में लाने का प्रयास करते हैं। मैं यहां इसलिए उपस्थित नहीं हूं कि मुझे किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाना है, किसी मंत्री विशेष पर कोई आरोप लगाना है बल्कि मैं केवल उन दो बातों की जानकारी यहां दे रहा हूं जिनके कारण मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। स्थगन प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है। स्थगन प्रस्ताव में आपको हाल के घटनाक्रम की सूचना देनी पड़ेगी।

नियम 58 में लिखा है:

''अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार निम्नलिखित निर्बन्धन के अधीन होगा, अर्थात्:-

(एक) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जायेगा;

(दो) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी;

(तीन) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय.....। तक सीमित रहेगा;''

अध्यक्ष महोदय, हम सभी सम्माननीय हैं। यह किसी भी संसद सदस्य के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि वह इस सदन के किसी भी संसद सदस्य विशेष या मंत्री या किसी भी कार्यालय के प्राधिकारी, चाहे वह सी.वी.सी. दो या सी. एण्ड ए.जी., पर कोई निराधार आरोप लगाए। मैं उस पर कुछ कहने नहीं जा रहा हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में एक बात लाने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद होने के नाते सरकार की लोक सभा के प्रति क्या जवाबदेही है।

मैं यह जानता हूं कि यहां ओ.एन.जी.सी. जैसे सरकारी क्षेत्र के बहुत से ऐसे उपक्रम हैं जिन्हें संसद से बजट नहीं मिलता और वे स्वयं अपना खर्च चला सकते हैं। मैं यह जानता हूं कि सरकारी क्षेत्र के ऐसे भी उपक्रम हैं, चाहे वह कोयला हो, चाहे वह इस्पात हो या कुछ और उन्हें इस संसद द्वारा बजटीय सहायता दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुन: दोहरा दूं कि मैं किसी मंत्री का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि विपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लिखे गए एक पत्र के प्रत्युत्तर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया और मैं उद्धृत करता हूं:

''वस्तुत: सी.वी.सी. ने गत एक वर्ष के दौरान सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में मुझे सूचित किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुझे सरकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्वायत्तता देते हुए बेहतर कार्यकुशलता लाने हेतु बहुत से सुझाव दिए थे और इसे इसके हिस्सेदारों को अधिकतम लाभांश देने हेतु जिम्मेदार भी ठहराया है....''

प्रधान मंत्री जी ने अपना पत्र समाप्त करते हुए अंत में लिखा है:

''मैंने मंत्रिमण्डलीय सचिव को सी.वी.सी. द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सचिवों की समिति की एक बैठक आयोजित करने को कहा था। इस समिति की पहली बैठक 14 नवम्बर, 2003 को हुई थी।''

अब, मैं यह कहना चाहता हूं कि मीडिया सहित कई व्यक्तियों के मन में इस बात की आशंका घर कर रही थी कि सरकारी क्षेत्र और सी.वी.सी. के बीच वस्तुत: क्या हुआ था। चूंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं यह माना कि इस बैठक के पश्चात् उन्होंने मंत्रिमण्डलीय सचिव को तत्काल एक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया था अत: अब यह समझना और अधिक आवश्यक हो जाता है कि

वास्तव में सरकारी क्षेत्र पर सी.वी.सी. की रिपोर्ट में क्या था, सचिवों की समिति में क्या घटित हुआ था और वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने क्या निदेश दिया था।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, क्या मैंने कुछ अप्रासंगिक, कुछ गलत या अहितकर कहा? क्या मैंने किसी नियम का उल्लंघन किया। यह मेरी समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय: आप इससे अवगत है कि मैं इसे सुनने के बाद ही इस पर कुछ कह सकता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, नियम संख्या 56 है। इसमें लिखा है:

> ''इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा।''

वह कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि सी.वी.सी. और प्रधानमंत्री के बीच क्या घटा। अत: क्या यह निश्चित रूप से ही एक लोक महत्व का मामला है? यही वह बात है जिसे मैं उठा रहा हूं। वे स्वयं नहीं जानते। यह केवल एक अनुमान लगाने का मामला है। अत: वे ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वह स्थगन प्रस्ताव के लिए एक उपयुक्त मामला उठा रहे हैं? मेरा यही कहना है।

अध्यक्ष महोदय: वह अब भी अपने मामले के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। मुझे उनकी बात सुनने दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, दूसरे मुद्दे के मामले में मैं तब तक उसे सही या गलत नहीं कह सकता जब तक वह साबित नहीं हो जाता। अध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा में जबसे मैंने इस स्थान पर बैठना शुरू किया है, मैंने हमेशा जागरूकता पूर्वक इस बात का अध्ययन किया है कि श्री ज्योर्तिमय बसु क्या कहते हैं, श्री सोमनाथ चटर्जी क्या कहते हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते हैं, वे कैसे योजना बनाते हैं और वे कैसे स्पष्ट बोलते हैं और मैंने पाया कि वे कभी भी ऐसे किसी मंत्री को नहीं बख्शते जिसका आचरण संदेहास्पद होता।

अध्यक्ष महोदय, पूरे टेलीविजन नेटवर्क पर मंत्रिपरिषद के एक मंत्री को धन लेते हुए दिखाया जाता है और स्वयं इस सदन के नेता अपने भारत आगमन पर मीडिया में अपनी पहली प्रतिक्रिया इस प्रकार देते हैं, ''यदि मुझे किसी गलत कार्य का पता लगेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा।'' हिन्दी में वे शब्द इस प्रकार है:

[हिन्दी]

अगर कुछ गलती मिलेगी तो हम कार्रवाई करेंगे।

[अनुवाद]

इसके तत्काल दो घंटे बाद वे उससे त्यागपत्र देने को कहते हैं। लेकिन तब से आज तक उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने उससे त्यागपत्र देने को क्यों कहा और उसके पीछे क्या कारण थे। मैं चाहता हूं कि उन्हें किसी भी प्रकार से पुन: बहाल किया जा सकता है। इस सरकार का यही तरीका है। वह अलग है। लेकिन मंत्रिपरिषद का एक मंत्री सार्वजनिक रूप से धन लेते हुए दिखाया जाता है। उसे त्यागपत्र देना पड़ा और वह त्यागपत्र स्वीकार किया गया था।

सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष के भिन्न वक्तव्य के बावजूद सभा के नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराधिकार में मिले संसदीय लोकतंत्र और नैतिकता का समर्थन किया। सभा को इसके कारणों के बारे में पता नहीं है। अत:, मेरे विचार से ये दो घटनाएं निश्चित रूप से लोक महत्व के मामले हैं। इतना ही नहीं, यह मंत्रिपरिषद की इस सभा के प्रति उत्तरदायित्व के बारे में अनुच्छेद 74(3) से भी जुड़ा हुआ है।

अत:, माननीय अध्यक्ष, मैं महसूस करता हूं कि इन दो स्थगन प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार में यह स्पष्ट करने का साहस होना चाहिए कि प्रधानमंत्री से कम व्यक्ति ने मंत्री महोदय को त्यागपत्र देने के लिए क्यों नहीं कहा, वहां तथा सचिवों की समिति की बैठक की रिपोर्ट और कार्यवाही सारांश का क्या हुआ। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के पास सरकारी उपक्रमों की आंतरिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप के संबंध में सी.वी.सी. क आरोपों की गहराई में जाने हेतु कैबिनेट सचिव को सलाह देने के अलावा कोई विकल्प क्यों नहीं था। यदि हस्तक्षेप भ्रष्टाचार की जांच के बारे में है, तो हम मंत्रियों का स्वागत करेंगे। यदि यह हस्तक्षेप कतिपय अन्य लाभ के लिए है तो उन्हें सभा को उत्तर देना होगा। अत:, इस प्रस्ताव की मांग करना गलत नहीं है और यह संसद तथा इस सभा की परम्परा के विपरीत नहीं है। अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि श्री दिलीपसिंह जूदेव का आचरण, प्रधानमंत्री द्वारा बाद में उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने का निर्णय तथा मामले को श्री रामजीलाल सुमन द्वारा सरकारी उपक्रमों संबंधी मामले का हवाला देने की सराहना की जानी चाहिए। दोनों ही मामले हाल ही में घटित हुए तथा ये अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले हैं क्योंकि सरकारी उपक्रमों में सरकारी राजकोष का दुरूपयोग हुआ है।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामजीलाल सुमन तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत इन दोनों प्रस्तावों को स्थगन प्रस्तावों के रूप में स्वीकार किया जाए। यह आप पर है कि आप किसे प्राथमिकता देना चाहते हैं और हम आपके विनिर्णय का अनुपालन करेंगे।

लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि प्रत्येक स्तर पर वह भी मंत्रिपरिषद की ओर से इस तरह के भ्रष्टाचार पर समझौता किया जाता है तो संसद में हमारे रहने का क्या औचित्य है? अत:, इस

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसे तत्काल लिया जाना चाहिए और सरकार को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए। अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी भारत के राष्ट्रपति से मांग है कि वे एक संयुक्त संसदीय समिति की बैठक होनी चाहिए, वह सी.बी.सी. तथा सरकारी उपक्रमों के बीच हुई बातचीत तथा सचिवों की समिति की रिपोर्ट और कार्यवाही सारांश की जांच करे और इसके बाद संसद को रिपोर्ट के रूप में अंतिम निर्णय देगी। यदि आप वाद-विवाद के पश्चात् इसके लिए समय निर्धारित कर सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से निवेदन करता हूं कि कृपया इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार कर लीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुद्दों का संबंध है, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। इसकी क्या अत्यावश्यकता है? ...*(व्यवधान)* मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र इसमें लिप्त नहीं है। लेकिन सरकार का कोई मंत्री अपनी इच्छा से त्यागपत्र नहीं देता है। उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा और प्रधानमंत्री ने उनका त्यागपत्र स्वीकार किया। मैं नहीं जानता कि क्या यह इस सरकार में एक सामान्य घटना है या नहीं। यह निश्चित रूप से सामान्य घटना नहीं है। यह सरकार भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। प्रश्न यह है कि क्या सांठगांठ अथवा आसन्न कारण था? आसन्न कारण है कि जो टेलीविजन, न्यूज चैनलों में दिखाया और जो बाद में इलैक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बताया गया। उन्हें यह कहना चाहिए था, "जी हां, यदि मैं सामाजिक कारणों के लिए धन लेता हूं तो इसमें क्या बुराई है?" पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह है कि क्या आप इसे होटल में शक्तिवर्धक पेय के साथ चोरी-छिपे यह करते है? मुझे नहीं पता, लेकिन यहां यह स्थिति है।

महोदय, हम में से अनेक को इस बात से परेशानी होती है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको भी इस बात से परेशानी होगी कि प्रशासन में ईमानदारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यह एक बड़ा प्रश्न चिह्न है और घोटाले के बाद घोटाले के हमें प्रमाण और सामग्रियां मिल रही है। अत:, हम प्रशासन में किस तरह ईमानदारी बनाए रख सकते हैं? यदि विपक्ष नहीं देखता, कम से कम पर्याप्त सतर्क नहीं रहता, जैसाकि श्री राम नाईक विपक्ष में किया करते थे, इस मामले को उजागर करना और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना, तो हम इस देश की जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मंत्री महोदय को त्यागपत्र देने हेतु विवश किया गया। इसके बाद अशोभनीय घटना यह हुई कि माननीय भूतपूर्व मंत्री प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के साथ-साथ घूम रहे हैं, जो उनके गुणों का बखान कर रहे है और उन्हें किन्हीं परिस्थितियों का शिकार बता रहे है। यदि प्रधानमंत्री जानते थे कि वह परिस्थितियों के शिकार है तो उन्होंने मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहा और उनका त्यागपत्र मंजूर क्यों किया?

पहले दिन माननीय प्रधान मंत्री यहां उपस्थित थे। वह कल भी यहां उपस्थित थे। आज तक इस मामले में उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। वह बाद में वक्तव्य देंगे। निश्चित रूप से वह किसी महत्वपूर्ण काम के लिए गए है, लेकिन दो दिन व्यतीत हो चुके है।

दूसरा मुद्दा भी अत्यधिक महत्व का है। महोदय, नि:संदेह सी.वी.सी. ने सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने इन निगमों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अब सरकारी उपक्रम अत्यधिक दबाव में है। एक के बाद एक उपक्रम रुग्ण हो गया है अथवा रुग्ण हो रहा है या संबंधित मंत्री की आपत्ति के बावजूद उसे बेचा जा रहा है। ऐसा हो रहा है। हमारे हिसाब से यह देश के महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। उनके कार्यकरण के लिए उन्हें स्वायत्तता दी जानी चाहिए। सी.वी.सी. सतर्कता के दृष्टिकोण से भी विचार करेगी। महोदय, यह उनके कार्यनिष्पादन का मात्र अध्ययन जैसा नहीं है। सी.वी.सी. सतर्कता दृष्टिकोण त्रुटि, ईमानदारी का अभाव तथा अपराध विशेष रूप से वित्तीय अपराध के दृष्टिकोण से भी इन मामलों की जांच करेगी। अब वह रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री के पास भी जाएगी। जैसाकि श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा है, प्रधानमंत्री सचिव को बुलाकर उनसे बात करते हैं और इस बात का उल्लेख करते हैं कि सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता को बनाये रखा जाना चाहिए। सी.वी.सी. परेशान हो गई और प्रधान मंत्री परेशानी महसूस कर रहे है। अत:, प्रधानमंत्री तत्काल कैबिनेट सचिव अथवा सचिव समूह को मामले की जांच करने के लिए कहते हैं।

क्या हम इन मामलों पर शीघ्र चर्चा कराए जाने के लिए नहीं कह सकते हैं? क्या यह किसी के अभिकथन पर निर्भर करेगा कि कब उसे समय मिलेगा, कब वह रिपोर्ट फाइल करेगा और वह किसे रिपोर्ट फाइल करेगा।

हमें इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अत्यधिक सम्मान और उत्तरदायित्व मिला है। स्वाभाविक रूप से, आज जनता पीड़ित है। वे रोज हमारे पास आ रहे हैं। एक के बाद एक कम्पनी अथवा सरकारी उपक्रम समस्याओं का सामना कर रहा है। आप भी, आई.डी.बी.आई. जैसे संस्थान भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए छटपटा रहे है। कल, हमारे पास भारतीय टेलीफोन उद्योग के लोग आए थे। उन्होंने कहा, कि ऐसा लगता है कि वह बच नहीं पाएंगे इसलिए वे अनुरोध करने आए थे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति मिल जाए। इस देश में सरकारी कर्मचारियों की यह पीड़ा है, एक भी सरकारी उपक्रम को उचित रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। यदि हम विनम्रता से कहे तो सरकारी उपक्रमों को या तो कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है अथवा उन्हें

तथाकथित वैश्वीकरण का शिकार बनाया जा रहा है, जिसे हमने उदारता से स्वीकार किया है अथवा उनमें सभी तरह की वित्तीय अनियमितताएं हो रही है। हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम सभा में इस मामले पर चर्चा करें और जैसे ही सभा पुन: शुरू हुई है, हमने इस मामले को लिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन मामलों को छिपा कर न रखा जाए। इन्हें जाहिर किया जाना चाहिए। यदि सरकार के पास उचित उत्तर है तो वे उत्तर देंगे। इसमें क्या कठिनाई है यदि सरकार इसमें बाधा न डाले तो देश को पता चलेगा। हमारा दृढ़ विश्वास है और धारणा है कि ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें वह छिपाना चाहते हैं। अत:, मैं आपसे गंभीरतापूर्वक अपील करता हूं कि आप कृपया इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार कर लें ताकि हम अपने कर्त्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन कर सके ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं चाहता कि अनेक माननीय सदस्य इस मुद्दे पर बोलें। दो या तीन माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता था कि यहां काफी विस्तार में बातें हुई हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐडजर्नमैंट मोशन दिया है। *...(व्यवधान)* मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी मैम्बर्स ने दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐडजर्नमैंट मोशन 44 सदस्यों का है। मैं सबको इजाजत नहीं दूंगा और वह प्रैक्टिस भी नहीं है। सबके ऐडजर्नमैंट मोशन को इजाजत देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जो दो-तीन सदस्य खड़े हैं, वे दो-दो मिनट बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपके लीडर ने बोला है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हमारा नया प्वाइंट है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो दो-तीन सदस्य खड़े हैं, वही दो-दो मिनट बोलेंगे।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): *...(व्यवधान)*.. (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कोई विषय नहीं है।

श्री रघुनाथ झा: आप इस तरह से अन्याय मत कीजिए। *...(व्यवधान)* माफ कीजिए, सी.वी.सी. के चेयरमैन ने खुद टीवी में आकर कहा। आप उस पर बहस करवा रहे हैं। *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह सब रिकार्ड से निकाला जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मुझे भी एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, आप बैठिए। आज का दिन इस विषय का सीरियस दिन है तो मैं आपको कैसे इजाजत दे सकता हूं?

श्री प्रभुनाथ सिंह: यह नान-सीरियस होगा। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: जिन दो इंसीडैंट्स का जिक्र किया गया है, यह बहुत सीरियस मामला है। चार स्टेट्स के चुनाव हो रहे थे और उन चुनावों के बीच में जो सीडी दिखाई गई, मुझे पूरा यकीन लगता है कि अगर चुनाव न होते तो शायद रूलिंग पार्टी भी इस बात को कन्डैम करती, जिस प्रकार की सीडी तमाम टीवी चैनलो में दिखाई गई। चूंकि चुनाव हो रहे थे, इसलिए उस गलती को भी शायद इन लोगों को डिफैंड करना पड़ा। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: ताज कारीडोर के लिए हाउस नहीं चलने दिया। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: तेलगी वाला मामला ये लोग सीबीआई को नहीं भेज रहे हैं। मुख्य मंत्री से लेकर सब लोग जेल चले जाएंगे। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: उस वक्त आप लोग हमें उस मामले में भी सपोर्ट कर रहे थे। *...(व्यवधान)* सीडी के अंदर दिखाया गया है कि रुपया खुदा नहीं है। लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है और वे लोग जो हिन्दुस्तान की तहजीब और संस्कृति का दावा करते हैं कि वे इसके सबसे बड़े अलम्बर्दार हैं। जिस तरीके की वह सी.डी. दिखाई गई है और जिस संस्कृति और तहजीब का इस सी.डी. में मजाहिरा किया गया है, वह अत्यन्त शर्मनाक है। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: सब बातों का खुलासा होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, मैंने आपको केवल दो मिनट का समय दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: सर, मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूंगा। इसके बाद मैं इनकी बात का भी उत्तर दूंगा। *...(व्यवधान)* जिन 6 मंत्रियों का सी.वी.सी. ने जो जिक्र किया है, उसमें 11 नवम्बर के हिन्दुस्तान टाइम्स के अंदर है:

[अनुवाद]

> ''मंत्रिमंडल सचिवालय ने सोमवार को यह स्पष्ट किया कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, पी. शंकर ने प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजे गये अपने पत्र में किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है। इस पत्र में कथित रूप से सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ कार्याधिकारियों पर पड़ने वाले दबाव का उल्लेख किया गया है।''

[हिन्दी]

इस बात को एडमिट किया जा रहा है कि पीएसयूज के चीफ्स के ऊपर दबाव डाला गया है। सी.वी.सी. ने सिर्फ इतना कहा है कि उसने मिनिस्टर्स के नाम नहीं लिए हैं। 11 नवम्बर को सी.वी.सी. से जब पूछा गया

[अनुवाद]

कि क्या उन्होंने सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों द्वारा मंत्रियों के विरुद्ध की गयी शिकायतों का मुद्दा उठाया है, शंकर ने उत्तर दिया: ''कुछ ऐसी बातें होती है जिनके बारे में कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया जा सकता।''

[हिन्दी]

इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि एक एक्स सोशल वैल्फेयर मिनिस्टर के खिलाफ सीबीआई ने हाइकोर्ट के अंदर एफीडैविट दिया जिसमें कहा गया है कि मेजर इरैंगुलैरिटीज पाई गई। इसके अलावा आज ही इंडियन एक्सप्रैस में पहले पेज पर छपा है कि किसी दुबे ने जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मामले में शिकायत की थी और चूंकि उसने शिकायत की थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई और जहां तक ताज कोरीडोर का मामला है,*...(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, उनको बोलने दो, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: जहां तक ताज कोरीडोर का मामला है, सारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसमें शामिल थी लेकिन किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ताज कोरीडोर के मामले में मायावती जी के एसैट्स तलाश किये जा रहे हैं। *...(व्यवधान)* उनकी डस्टबिन के अंदर सीबीआई जाकर पैसा तलाश करने की कोशिश कर रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, उनके घर वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं यह भी मुतालबा कर रहा हूं कि तमाम मिनिस्टर्स के एसैट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* पता करना चाहिए कि किस मंत्री के कितने एसैट्स थे। *...(व्यवधान)* सिर्फ अकेली मायावती जी के मां-बाप के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो सकती। ये डबल स्टैंडर्ड हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी सी.डी. को देखने के बावजूद की जा रही है। इसके अंदर किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। मैं मुतालबा करता हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए जो तमाम मामलात के अंदर तहकीकात करे।

[अनुवाद]

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करें।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, देश में एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है जब एक केन्द्रीय मंत्री, दिलीप सिंह जूदेव को कैमरे में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में खानों को पट्टे पर देने के लिए एक आस्ट्रेलियाई कंपनी के एक एजेंट से पैसे लेते हुए दिखाया गया है। यह तो हतप्रभ कर देने वाली घटना है। लेकिन श्री जूदेव ने इस बारे में अपना बचाव करते हुए अपनी तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गंधी से की है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बिड़ला कंपनी से पैसे लिए थे। माननीय प्रधान मंत्री ने उनसे इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है।

हम नहीं जानते कि इसका क्या कारण है। इतना ही नहीं, मीडिया की खबरों से ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने माननीय प्रधान मंत्री से यह शिकयत की है कि मंत्रिपरिषद के कम से कम छह सदस्य सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों से अनुचित लाभ उठाने के लिए निरंतर दबाव डालते रहे। यह एक गंभीर मामला है। पूरा देश इस बात की प्रतीक्षा में है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो। यह मामला बहुत ही गंभीर प्रकृति और सार्वजनिक महत्व का है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

यह मामला संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यह मामला बहुत ही गंभीर प्रकृति और सार्वजनिक महत्व का है। इसलिए यदि आप दूसरे कार्यों को छोड़कर इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा कराने की अनुमति दे, तो आपकी विशेष कृपया होगी। धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: मेरा भी नाम है, लेकिन मैं उस वक्त नहीं था। इसलिए मुझे भी एक मिनट दे दें।

अध्यक्ष महोदय: इनके बाद मैं आपको मौका दूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अभी माननीय नेताओं ने सवाल उठाया और स्थगन प्रस्ताव मंजूर करने की आपसे प्रार्थना की, वह स्पेसिफिक है इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व का है। हम देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक मंत्री ने स्वीकार किया है और गांधी जी, भगत सिंह आदि का नाम लेकर कहा कि मैंने रुपए लिए थे और इसलिए लिए थे कि जो हिन्दू क्रिश्चियन बने हैं उनको वापस हिन्दू बनाया जा सके। इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि हो इसके विपरीत रहा है और प्रधानमंत्री जी द्वारा सीबीआई से यह जांच कराई जा रही है कि यह रुपया लेते हुए किसके द्वारा दिखाया गया। जो स्वीकार कर रहा है, जिसे रुपए लेते सारी दुनिया ने देखा, उसके बारे में अब और किसी जांच की जरूरत नहीं है।

इसी तरह से एक अखबार में छ: केन्द्रीय मंत्रियों के नाम छपे हैं। सीवीसी ने इनकार किया कि मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन विभाग का नाम लिया था। हम सब को यह जानकारी तो है ही कि कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है और वे मंत्री वहां से चंदा उगाही का काम कर रहे हैं। आज ''टाइम्स आफ इंडिया'' में फोटो समेत समाचार छपा है कि लाख रुपया फाइल निष्पादन के लिए मंत्री ले रहा है। आज ऐसा वातावरण देश में हो गया है और लोग समझ रहे हैं कि प्रधान मंत्री के मंत्रिमंडल में बिना रुपये लिए कोई काम नहीं हो रहा है। चारों तरफ लूट मची है और घूसखोरी करने वालों की हुकूमत है। नेशनल हाईवे अथोरटी आफ इंडिया के एक अधिकारी सत्येन्द्र दुबे ने प्रधान मंत्री जी को लिखा कि मैंने जानकारी दी है, लेकिन मेरा नाम मत खोलना, लेकिन वह नाम खोल दिया गया और उसकी हत्या हो गई। इस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। इस मंत्रिमंडल में कोई बचा हुआ नहीं है, जो घूस नहीं ले रहा है। देश में भ्रष्टाचारी वातावरण हो गया है। हमारा प्रधान मंत्री जी पर आरोप है कि वे भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। सदन को इस स्थगन प्रस्ताव पर सहमत होना चाहिए और इसे मंजूर किया जाए। भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देने वाले लोगों द्वारा लूट मची हुई है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले लगता है फिर मंत्री बना दिए जाएंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है कि इस स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया जाए और भ्रष्टाचार से देश को बचाया जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, भ्रष्टाचार की दो घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। पहली घटना पूर्व मंत्री, श्री दिलीप सिंह जूदेव से संबंधित है। लाखों लोगों ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में उत्खनन कार्य को पट्टे पर दिये जाने के एवज में मंत्री को पैसा लेते देखा है। दूसरी घटना सरकारी उपक्रमों के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट से संबंधित है। लगभग सभी समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। सरकारी उपक्रम के एक निदेशक ने तो यह वक्तव्य भी दिया है कि उसे अपनी सेवा विस्तार के एवज में एक करोड़ रुपये देने को कहा गया है।

महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं। इसमें मंत्रीपद से त्यागपत्र देना ही पर्याप्त नहीं है। अभी तक सीबीआई ने पूर्व मंत्री से न तो पूछताछ की है और न ही उनके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। यह सभा इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करती है। यह मामला स्थगन प्रस्ताव के लिए पूरी तरह समीचीन है।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि हमने इस बारे में जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है आप उसे स्वीकार करें।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर अपने पक्ष की पैरवी करते हुए विपक्षी साथियों ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनसे दो विषय उभरकर सामने आये हैं। एक, पूर्व मंत्री का इस्तीफा और दूसरा, सीवीसी की रिपोर्ट। जहां तक पूर्व मंत्री जी के इस्तीफे का सवाल है हमारी ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि वे चोगम की बैठक के लिए विदेश जा रहे हैं और वहां से सात तारीख को लौटकर आयेंगे। उनकी सुविधा से हम उनके बयान के लिए आठ या नौ तारीख तय कर सकते हैं। जहां तक सीवीसी की रिपोर्ट का संबंध है, आपने हमारे साथियों को तो सुन ही लिया है। कल आपने जानकारी दी थी कि कैबिनेट सचिव से आपने एक तथ्यात्मक नोट मंगाया है। इनके आर्गुमेंट्स को भी आपने सुन लिया है। कैबिनेट सचिव के तथ्यों की आप जांच कर लें और उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं कि आपको यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करना है या नहीं करना है। उसके अनुसार जो भी तिथि आप चर्चा के लिए तय करें, हम तैयार हैं। माननीय सोमनाथ जी ने जो कहा कि सरकार उत्तर दे, तो सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए अगर तैयार नहीं होगी तो लगेगा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ है। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है बल्कि हम लोग चाहेंगे कि जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाये गये हैं उनका खुलासा हो, तभी यह धूल छटेंगी। वैसे तो यह धूल आज जनता के द्वारा भी छांट दी गयी है लेकिन जो धूल जनता में छंटी वह संसद में भी छंटे, यह हम निश्चित तौर पर चाहेंगे। वह धूल अभी छंटेगी जब हम इनकी बात सुनकर

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

जवाब दे सकेंगे। हम चाहेंगे कि यह मौका हमें मिले और जिस भी नियम के तहत आप चर्चा कराना चाहें, हम तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैंने ऐसे विभिन्न स्थगन प्रस्तावों को देखा है जो.....

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आमतौर पर, सदस्यों को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्या आप इस विषय पर कोई और बात कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: सर, आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और सभी लोगों का दिमाग वहां पर लगा है। अगर आप की इच्छा हो तो आज के लिए सदन स्थगित कर दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत हो, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद): मेरे क्षेत्र में लोग रेल से कट रहे हैं मर रहे हैं। सर, मैंने नोटिस भी दिया था।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे कल जीरो-आवर में रेज कीजिये। यहां आप इसे नहीं उठा सकते।

[अनुवाद]

मैं आपको कल अनुमति दूंगा। माननीय सदस्यों, मैंने उन सदस्यों की बात सुनी है जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया। मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को भी सुना है। मैंने दोनों पक्षों को सुना है। मैं इस बात को आधिकारिक तौर पर कहता हूं कि यहां गभीर प्रकृति के मामलों पर ही चर्चा होती है। जैसाकि कार्यमंत्रणा समिति में सहमति बनी थी कि पूर्व मंत्री द्वारा घूस लिए जाने के कथित मामले के बारे में, जैसाकि सूचना में कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य देंगे और उसके बाद उनके वक्तव्य पर सोमवार को बाद वाद-विवाद हो सकता है। कार्यमंत्रणा समिति में इस बात पर भी चर्चा की गयी थी कि सदस्यों के इस बात की अनुमति दी जायेगी कि वे स्थगन प्रस्ताव के लिए इस विषय पर अपने तर्क पेश कर सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये हैं और इस बीच, जैसाकि श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा है, मैंने संबद्ध प्राधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से तथ्यपरक सूचना प्राप्त करने के लिए उन्हें यह मामला सौंपा था। मुझे उत्तर प्राप्त हो गया है और मैंने उसे देख लिया है। इस मामले में विनिर्णय देते समय यह बहुत आवश्यक है कि इस उत्तर का भी उल्लेख किया जाये।

स्थगन प्रस्तावों से संबंधित नियमों के उद्धरण के साथ यहां संवैधानिक मामलों को भी उठाया गया है। इन सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के बाद मैं जूदेव घूस मामले में स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बारे में अपना विनिर्णय दूंगा। छह मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में मैं अपना विनिर्णय कल सुनाऊंगा। इसलिए, मेरे विनिर्णय हेतु यह मामला कल तक के लिए स्थगित किया जाता है।

एक माननीय सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि आज जो चुनाव नतीजे घोषित किये जा रहे हैं उन्हें, टी.वी. पर देखने के लिए कई सदस्य घर जाना चाहते हैं, इसलिए सभा को स्थगित कर दिया जाये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): जी नहीं, श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा चाहे तो मुझे यह सुझाव मंजूर है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें। इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में भी निर्णय लिया गया था। इसलिए मैं सभा को स्थगित कर सकता हूं बशर्ते कि आज इससे जो समय की हानि होगी, बाद में सत्र के दौरान उसकी क्षतिपूर्ति हो। कार्य मंत्रणा समिति में इस मामले पर भी निर्णय लिया जायेगा।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2003/ 14 अग्रहायण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.37.3/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।